राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का १७वां दिवस [संख्या ९

शनिवार, दिनांक ११ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ११ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[आबकारी एवं कर, सिंचाई, गृह, स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण एवं विद्युत-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, डॉ० बहादुरसिंह।

आयुर्वेदिक आसवारिष्टों पर आबकारी कर सम्बन्धी नीति

९०. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या आबकारी मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) आयुर्वेदिक आसवारिष्टों पर आबकारी कर लेने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

(ख) इस सम्बन्ध में कितने प्रार्थनापत्र राजस्थान में लाइसेंस लेने हेतु प्राप्त हुए हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) द्राक्षासव निर्माण हेतु वैद्यों को परेशानी न हो, इसके लिये विभाग आयुर्वेद के चिकित्सकों को क्या सुविधा देने का विचार कर रहा है ?

आबकारी मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) आयुर्वेद आसवारिष्टों के निर्माण पर मेडीकल एन्ड टॉयलेट प्रिपेरेशन एक्ट के अनुसार आबकारी कर वसूल किया जाता है।

(ख) इस सम्बन्ध में ३४ प्रार्थना-पत्र राजस्थान में, मेडिकल एन्ड टॉयलेट प्रिपेरेशन एक्ट, रूल ८३ के अन्तर्गत लाइसेंस हेतु प्राप्त हुए हैं। जिनमें २२ के लाइसेन्स स्वीकृत किये गये, जिनके प्रार्थनापत्र विधि पूर्वक प्राप्त हुए हैं। जिनमें कुछ त्रुटियां थीं

Page No.2

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

उन पर पूछताछ जारी है, वे पूरी होने पर लाइसेन्स दे दिये जावेंगे।

(ग) द्राक्षासव मेडिसिनल एन्ड टॉयलेट प्रिपेरेशन एक्ट के अन्तर्गत रूल ८३ द्वारा अनुशासित है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों को सुविधा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ. बहादुरसिंह : प्रश्न यह था कि आसव अरिष्ट मेडिसिनल एन्ड टॉयलेट प्रिपेरेशन एक्ट के अन्तर्गत आते हैं तो इसमें ऐसा है कि छोटे छोटे वैद्यों को भी १) रु० का लाइसेंस लेना पड़ता है, इस सम्बन्ध में सरकार वैद्यों को क्या सुविधा देने को तैयार है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो वैद्य अपने मरीजों के लिये व अपने लिये आसव अरिष्ट तैयार करते हैं उन पर कोई ड्यूटी लागू नहीं है।

डॉ. बहादुसिंह : दो तरह के लाइसेंस हैं, २५) रुपये के और १) रुपये के। जो आसव, अरिष्ट तैयार करके बाहर सेल के लिये भेजते हैं उन पर तो लाइसेंस लेने का रखा है, वह ठीक है; पर जो वैद्य अपने लिये और अपने मरीजों के लिये आसव अरिष्ट तैयार करते हैं उनके लिये इस प्रकार लाइसेंस लेने की पाबन्दी लगाना कहां तक उचित है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह भारत सरकार की तरफ से लागू है और वैसे मैंने अर्ज किया कि जो वैद्य अपने लिये और अपने मरीजों के लिये आसव अरिष्ट तैयार करते हैं उनके ऊपर कोई ड्यूटी लागू नहीं होती।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आसव अरिष्टों के अन्तर्गत क्या चीजें आती हैं?

डॉ० बहादुरसिंह : यह आपके समझने की बात नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह तो आप एक्ट को देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

गिरोलिया बांध, तहसील पाली

६१. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे :—

(१) क्या पाली तहसील के गिरोलिया बांध का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है? यदि हां, तो कब?

(२) इस बांध में कुल कितनी धन-राशि खर्च होगी?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) इसका विस्तृत तखमीना अभी तक नहीं बनाया गया।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि एक साल पहले विस्तृत तखमीना बन चुका है?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : विस्तृत तखमीना कब तक बन जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : इसमें कई अड़चनें हैं। एक तो यह है, जैसे कि माननीय सदस्य को मालूम होगा कि यह लूणी की शाखा पर है और केबिनेट का निर्णय है कि लूणी की शाखा पर बांध नहीं बनाये जायं। एक तो इस दृष्टि से इस बांध का बनवाना उचित नहीं। दूसरी अड़चन यह है कि कहीं पर फाउन्डेशन नहीं मिल रही है; दो—एक जगह बोरिंग करवाया पर फाउन्डेशन नहीं मिली, तीसरी अड़चन यह है कि इस बांध के बनाने का रोहट पंचायत समिति ने विरोध किया है।

श्री मूलचन्द डागा : रोहट पंचायत समिति ने कब इसका विरोध किया था, कौनसी तारीख को ?

श्री दौलतराम सारण : दो—तीन महीने पहले।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : जब कि गवर्नमेन्ट ने निश्चय कर लिया है कि लूनी की शाखा पर बांध नहीं बंधवाये जावें तो फिर बोरिंग वगैरह करके गवर्नमेंट का पैसा फालतू क्यों खर्च किया जा रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : फालतू खर्च का सवाल नहीं, लूणी की शाखा पर बांध नहीं बंधवाने का इसलिये निर्णय लिया गया है कि लूणी नदी आगे जाकर प्राकृतिक ढंग से जालौर डिस्ट्रिक्ट में अपने पानी से सिंचाई करती है, इसलिये निर्णय लिया है। पर इसकी जांच चार-पांच वर्षों में की जायगी कि बांध-बंधाने पर भी इसका पानी वहां सिंचाई करता है कि नहीं और अगर करता है और संभव हुआ तो बांध बंध भी सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : प्रश्न संख्या ६२।

मुंसिफ मजिस्ट्रेट, भादरा के यहां विशिष्ट थानों के चालान ही पेश करने की व्यवस्था करना

६२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर [श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मुंसिफ भादरा, जिला गंगानगर को दिनांक १ अगस्त, १९५८ से प्रथम श्रेणी के दण्डनायक के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं ?

(२) इनके अधिकार—क्षेत्र में कितने पुलिस थाने आते हैं ?

(३) अब तक इन सभी थानों में कुल कितने चालान पेश किये गये और उनमें से कितने चालान उक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां पेश किये गये ?

(४) क्या सरकार कुछ विशिष्ट थानों के चालान ही उक्त मुंसिफ—मजिस्ट्रेट के यहां ही पेश हों, इसकी व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

Page No.4

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (१) जी हां।

(२) सिविल क्षेत्र के अनुसार ५ थाने भिरानी, भादरा, नौहर, पल्लू व रावतसर इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, किन्तु क्रिमिनल क्षेत्र में केवल दो थाने, भादरा व भिरानी, इनके अधिकार क्षेत्र में हैं।

(३) कुल ११३ चालान दिनांक १-८-५८ से अब तक इन पांच थानों से अदालतों में पेश किये गये जिनमें से ५६ मुकदमों के चालान मुंसिफ मजिस्ट्रेट, भादरा, जिला गंगानगर की अदालत में पेश किये गये।

(४) चूंकि उनका फौजदारी क्षेत्र दो थानों तक सीमित है अतः अधिकार और बढ़ाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न संख्या ६३।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

अजमेर में एग्जीबिशन हॉल के निर्माणार्थ टिम्बर की खरीद

६४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि अजमेर में एग्ज़ीबिशन हॉल के निर्माण के सम्बन्ध में सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा टिम्बर खरीदा गया है ? यदि हां, तो कितनी कीमत का ?

(ख) यह टिम्बर किस प्रकार खरीदा गया ? यदि टेण्डर्स मांगे गये तो कब मांगे गये, कैसे एडवटाइज़मेंट कराया गया और किन किन के और किस किस रेट के टेण्डर्स कब कब आये ? कृपया उनकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) क्या यह सही है कि इस खरीद में अजमेर के जन-सम्पर्क अधिकारी से कोई सलाह नहीं ली गई ?

(घ) क्या यह सही है कि इस खरीद के सम्बन्ध में एकाउन्ट्स सेक्शन ने एतराज किया है ? यदि हां, तो क्या ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस खरीद का पेमेन्ट कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और कब ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) अजमेर की स्थायी प्रदर्शनी और सूचना केन्द्र के स्टेज बैक ग्राउन्ड, फ्रेक्स, स्टेन्ड्स, बेसेज, बालकोंनी, वाल फ्रेमिंग और एन्ट्रेंस आदि बनाने के लिये मार्च, १६५७ से लेकर फरवरी, १६६० तक कोई ६,८०७-६१ की लकड़ी खरीदी गई। उसमें लकड़ी की चिराई और मजदूरी सम्मिलित है।

(ख) टिम्बर समय समय पर कोटेशन्स और टेण्डर प्राप्त कर खरीद किया गया। टेन्डर को पत्रों में प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं थी। टेन्डर्स या कोटेशन्स कब कब और किस किस रेट से किन किन से प्राप्त हुए उनका एक कम्पेरेटिव स्टेटमेंट साथ में सलंग्न है।

(ग) अगस्त १६५६ से पूर्व अजमेर

Page No.5

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

राज्य के लिये पंचवर्षीय योजना हेतु स्वीकृत राशि के खर्च का नियन्त्रण सीधा प्रधान कार्यालय के हाथ में था तथा खरीदने का सारा कार्य प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाता था तथा जन–सम्पर्क अधिकारी को निर्देश दे दिये जाते थे। अतः उक्त तिथि से पूर्व जो भी खरीद हुई है उस वक्त या तो सम्बन्धित सह–संचालक स्वयं वहां मौजूद थे या पी. आर. ओ. द्वारा उनके निर्देशन पर की गई है। अतः पी. आर. ओ. की सलाह लेने या नहीं लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगस्त, १९५९ से सारी खरीद पी. आर. ओ. द्वारा ही की गई है।

(घ) ये ऐतराज किये गये :

(१) कितना माल और कितनी रकम का माल खरीदना है, यह टेन्डर में दर्ज नहीं था।

(२) माल खरीदने की शर्त नहीं लिखी थी।

(३) अर्नेस्ट मनी नहीं मांगी।

श्री भैरोंसिंह : अकाउन्ट्स के क्या ऑब्जेक्शन्स थे, यह सुना नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वही तो पढ़ा है।

श्री भैरोंसिंह : सुना नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दुबारा पढ़ देता हूँ।

(१) कितना माल और कितनी रकम का माल खरीदना है, यह टेन्डर में दर्ज नहीं था।

(२) माल खरीदने की शर्त नहीं लिखी थी।

(३) अर्नेस्ट मनी नहीं मांगी।

(४) २३-३-५७ को मांगा गया था, पर जिस ढंग से मांगा बड़ी रकम पर इस तरह टेन्डर मांगना उचित नहीं था।

(५) कुल सामान २,३९३ का २६,२७ और २८ मार्च को खरीदा है, इससे पहले पता नहीं था कि कुल कितना माल खरीदना है, उन्हें स्प्लिट करके नहीं खरीदना था।

यही मेन ऑब्जेक्शन्स हैं।

(ङ) तीन बिलों के अतिरिक्त सारा भुगतान हो चुका है। निम्नलिखित तिथियों को उनके सामने लिखी हुई राशि का भुगतान किया गया है :—

२१–११–५८	७७६. ६६
	५८. ०६
	१०९. ८१
	२९. २५
१८–३–५९	५१७. ३७
३०–३–५९	७८०. ००
३१–३–५९	७०३. ८३
२१–३–५९	५५९. ८१
	२४०. ००

Page No.6

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

२५—६—५६	४६६. ८२	
	२६७. ००	
२०—१०—५६	१३६. ६६	
	१६६. ००	
२७—१०—५६	७८६. ३४	
	६३०. ००	
कुल योग	•	६,२६३. ६४

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने एकाउन्ट्स सेक्शन के ऑब्जेक्शनों को सही माना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने जवाब लिया और उस पर कार्यवाही हुई है।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने क्या जवाब दिया और सरकार ने उस जवाब पर कन्सीडरेशन कर लिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो जवाब आया है उस पर सरकार ने विचार किया है और उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई मेलाफाइड इन्टेन्शन या बेईमानी पाई जावे।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि फाइनेन्स के रूल्स के मुताबिक और ऑडिट ऑब्जेक्शन्स आदि जो आये हैं उन सारी स्टेजों पर इसको कन्सीडर किया है और उसके बाद में यह पाया है कि उनका इन्टेन्शन-कोई मेलाफाइड इन्टेन्शन नहीं था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे वहां मौके पर मौजूद थे। उन्होंने खुद ने टेन्डर्स कॉल किये। यह जरूर है कि उनको जिसके लिये टेन्डर कॉल करने के पॉवर्स नहीं थे उनके लिये उन्होंने एमाउन्ट को स्प्लिट-अप किया जो उनको नहीं करना चाहिये था। दो हजार का नहीं करना चाहिये था। बाकी सब हमने देख लिया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वह सही था या ऑडिट ने जो ऑब्जेक्शन किये वे सही थे। दोनों में से कौनसा सही था और कौनसा गलत ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : थोड़े थोड़े दोनों ही सही थे।

श्री भैरोंसिंह : इसमें कौन ज्यादा सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तीन बातें हैं। एक तो यह कि उन्होंने लोकल टेन्डर कॉल नहीं किये और उसके बजाय लोकल कॉन्टेशन्स कॉल किये। मगर उसको हमने देखा है। कॉटेशन्स ठीक कॉल किये क्योंकि उसमें जो लोएस्ट कॉटेशन था उसको एक्सेप्ट किया है। दूसरा यह कि उसमें कहीं डेट वगैरह नहीं दी हुई थी। यह साल का आखिरी समय था इसलिये कोई जल्दी में भूल-चूक हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : आपने खुद ने कुछ भूल चूकें उसमें मानी हैं और यह भी माना है कि वह जनरल फाइनेन्शियल रूल्स के खिलाफ है। अब आपने इसको माना है तो

Page No.7

(श्री भैरोंसिंह)

किस आधार पर आप कहते हैं कि उनका मेलाफाइड इन्टेन्शन नहीं था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने टेन्डर्स देखे हैं। कॉटेशन्स देखे हैं। इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि वहां स'लायर तो वहां के थे। इसमें मेलाफाइड की बात नज़र नहीं आती है। डेट देनी थी वह नहीं दी गई, कितना सामान खरीदना था तादाद नहीं दी इसके लिये वर्क इन डिटेल्स देना चाहिये था। इस प्रकार की मामूली बातें रह गई थीं। एकाउन्ट पोइन्ट ऑफ व्यू से एकाउन्ट-वाले तो ऑब्जेक्शन्स करते ही।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि उसमें डेट नहीं दी, तादाद नहीं दी और अर्नेस्ट मनी नहीं ली वह उन्होंने किसी पर्टीकुलर पर्सन को ऑब्लाइज करने के लिये ऐसा किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने लोएस्ट टेन्डर एक्सेप्ट किया इसलिये कोई गड़बड़ का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : कोई भी व्यक्ति लोएस्ट टेन्डर इसलिये दे सकता है कि मान लो उसको यह मालूम हो जाए कि २०० पार्टियों ही के लिये टेन्डर देना है तो वह दे सकता है और दूसरा नहीं दे सकता क्योंकि उसको यह मालूम नहीं हो सकता कि सरकार न मालूम कितना सामान मांग ले और उसको देना पड़े। इसलिये लोएस्ट टेन्डर नहीं दिया जा सकता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूँ कि हम मेडिकल विभाग में भी जब कभी टेन्डर कॉल करते हैं तो उसमें यह नहीं लिखते कि कितना सामान और दवाइयें खरीदेंगे। हम कम भी ले सकते हैं और ज्यादा भी ले सकते हैं। फाइनेन्स रूल्स के अनुसार यह नहीं कह सकते कि हम १० हजार की दवाइयें ही लेंगे। हम कम और ज्यादा जरूरत हो उसके अनुसार ले सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने यह व्यवस्था रखी है कि मार्च के महीने में फाइनेन्शियल रूल्स की कोई खिलाफवर्जी करता है तो उसको माफ कर सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा नहीं रखा गया है।

श्री भैरोंसिंह : अभी आपने बताया कि फाइनेन्शियल इयर था और इस वजह से ये जो खामियां रह गईं उसके लिये माफ कर दिया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह नहीं कहा कि रूल्स का पालन नहीं किया गया। उन्होंने यह कहा कि डेट नहीं दी तब उसके लिये यह कहा कि मार्च का महीना था जल्दी में डेट रह गई। इसकी जांच की है और देखा है, इसलिये इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने गलती की हो।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने अमाउन्ट स्प्लिट-अप करके जो पॉवर उनको नहीं था, अपने पॉवर में लिया उसके लिये आपने क्या एक्शन लिया ?

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में माफ किया। माननीय मंत्री यह खुद स्वीकार करते हैं कि यह हुआ है। मगर उन्होंने इसकी जांच की, उसमें मेलाफाइड इन्टेन्शन साबित नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई हमसे पूछे कि हम कैसे व्यक्ति हैं तो हर कोई यही कहेगा कि मैं साहूकार हूँ। कौन अपने आप को चोर बताएगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह कहूंगा कि हमने कागज़ात देख लिये हैं। उनको टिम्बर चाहिये था। यह सन् १९५७ की बात है। एकाउन्ट्स ठीक तरह से चल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस बात की शहादत लेने और इस बात की जांच कराने को तैयार है कि किसी पर्टिकुलर आदमी को ऑब्लाइज करने के लिये यह किया गया था ?

प्रश्न संख्या ६५

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

पाली नगरपालिका के क्षेत्र की काश्त की भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

६६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पाली नगरपालिका के क्षेत्र की काश्त की जमीन को आबादी में परिवर्तित करने की सरकारी की योजना है? यदि हां, तो क्या आबादी में परिवर्तित करने के बाद सारी जमीन नगरपालिका, पाली के सुपुर्द की जावेगी तथा उसकी कीमत म्युनिसिपैलिटी को चुकानी पड़ेगी ? यदि हां, तो किस हिसाब से ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): जी हां, कार्यवाही जारी है। जी हां, कीमत नगरपालिका को चुकानी पड़ेगी, जमीन का मुआवजा व खातेदार की जमीन की स्थिति को देखते हुये निश्चित किया जावेगा। यह सारी कार्यवाही Land Acquisition Act के तहत की जा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : आपका ध्येय क्या था ?

श्री संपतराम : यह सब उत्तर में दे चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

सब-इन्सपेक्टर्स के रेन्ज से बाहर स्थानान्तरण किये जाने के नियम

६७. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) किस किस रेंज में कौन कौन सब-इन्सपेक्टर्स उस रेंज के बाहर के निवासी हैं तथा कब कब से उस रेंज में नियुक्त हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि साधारणतया रेंज से बाहर सब-इन्सपेक्टर्स का स्थानान्तरण

(श्री भैरोंसिंह)

नही किया जाता है? यदि हां, तो उपरोक्त एस. आईज़. किन किन कारणों से दूसरे रेंज में नियुक्त हैं ?

(ग) रेंज से बाहर स्थानान्तरण करने के संबन्ध में सामान्य नियम अथवा व्यवस्था क्या है ? यदि इस संबन्ध में कोई लिखित आदेश अथवा नियम हों तो कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सूचना निम्नलिखित है:

रेन्ज	एस. आईज़. की संख्या	वर्ष जिसमें नियुक्त है
अजमेर	३६	१६५२ से १
		१६५३ से १
		१६५५ से ४
		१६५६ से २
		१६५७ से २
		१६५८ से ५
		१६५६ से ८
		१६६० से ८
		तबादले में ५
इसी तरह उदयपुर और कोटा में	२६	१६५१ से १
		५३ से १
		५५ से १
		५६ से १
		५७ से ३
		५८ से ४
		५६ से ६
		६० से ६
		तबादले के दौरान में ३
बीकानेर	६	१६५५ से १
		५७ से १
		५८ से १
		५६ से २
		६० से ३
		६१ से १
जोधपुर	११	१६५८ से ३
		५६ से २
		६० से ६

इसमें सी. आई. डी., एस. सी. डी., जी. आर. पी., पी. आर. ओ., पी. टी. एस., एम. बी. सी. खेरवाड़ा के एस. आई ज़. शामिल नहीं हैं।

(ख) जी हां, किन्तु ये सब सब-इन्सपेक्टर प्रशासकीय कारणों से अन्य रेन्जों में नियुक्त किये गये थें।

(ग) जिन्हें प्रशासकीय कारणों से अपने रेन्ज में रखने योग्य नहीं पाया जाता उनका रेन्ज के बाहर स्थानान्तरण किया जाता है। पी. टी. एस. से पास होनेवाले नवागन्तुकों को भी अपनी रेन्ज में स्थानाभाव होने के कारण अपनी रेन्ज से बाहर नियुक्त किया

Page No.10

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जाता है। इस विषय में कोई लिखित आज्ञा या नियम नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सब इन्सपेक्टरों का ट्रान्सफर प्रशासनिक अयोग्यता के कारण से एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है ? इस सम्बन्ध में मैं यह जानकारी चाहूँगा कि क्या उसकी जानकारी सब इन्सपेक्टर को दी जाती है कि इस वजह से उसका ट्रान्सफर दूसरी जगह किया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो हमारे यहां पर गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट कन्डक्ट रूल्स हैं उनके अनुसार गवर्न होता है । अगर उसके अनुसार कोई बताने की जरूरत होती है तो बता दी जाती है, इसके अलावा अब तो जिसकी ज्यादा शिकायतें होती हैं उसके लिये रूल्स बन गये हैं, अर्ली रिटायरमेंट आदि की बात है। इसलिये उसको सूचना देने की कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सब इन्सपेक्टर की ट्रान्सफर में यह लिखा जाता है कि प्रशासनिक अयोग्यता होने के कारण उनका ट्रान्सफर किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सही है कि जब किसी का ट्रान्सफर ज्यादा शिकायतों से करते है तो उसको टी. ए., डी. ए. नहीं देते हैं और उसमें लिख देते हैं। मगर यह जरूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसकी सब इन्सपेक्टरों को सर्विस शीट में एडवर्स एन्ट्री की जाती है, उसकी सूचना उनको नहीं दी जाती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अपने अलग प्रश्न पूछ लिया है । लेकिन फिर भी मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि अगर किसी के खिलाफ एडवर्स एन्ट्री हो तो उसको इत्तला दी जाए। अगर शिकायतें ज्यादा हों और वे साबित नहीं हो सकती हों तो उसका ट्रान्सफर कर दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : आप किस प्रकार से प्रशासनिक अयोग्यता को आंकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो डिपार्टमेंट भी जानता है और आप भी जानते हैं। कई शिकायतें होती हैं जो साबित नहीं होतीं, मगर शिकायतों पर ट्रान्सफर तो किया ही जा सकता है। किसी का ट्रान्सफर करना तो कोई पनिशमेन्ट नहीं है, किसी की ट्रान्सफर करना कोई बेजा बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उस अधिकारी को इस प्रशासनिक अयोग्यता को डिस्प्यूट करने का चान्स भी दिया जाता है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर कोई खास बात होती है तो उसकी इत्तला देते हैं और अगर कोई जनरल बात हो तो उसकी सूचना नहीं देते ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि कोई अनुचित बात हो तो भी उसको इत्तला नहीं दी जाती है । आपका इससे (प्रशासनिक अयोग्यता से) क्या मतलब है ?

Page No.11

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो अयोग्यता की डेफिनिशन डिक्शनेरी में है वह बिल्कुल स्पष्ट है । आप डिक्शनेरी देख सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न अयोग्यता का नहीं है । प्रश्न एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स से ट्रान्सफर की जाती है, उसका है ।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने यह भी कहा है कि प्रशासनिक कारणों से....

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक कारणों से अयोग्य है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह कहा कि प्रशासकीय कारणों से अपनी रेन्ज में रखने योग्य नहीं पाया जावे । आदमी की अयोग्यता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । डॉ० बहादुरसिंह ।

सदर अस्पताल, धोलपुर में अल्पकालीन कम्पाउन्डर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना

६८. **डॉ. बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सदर अस्पताल, धौलपुर में अल्पकालीन कम्पाउन्डर प्रशिक्षण की व्यवस्था की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या उक्त अस्पताल, इस स्थिति में नहीं है कि वहां कम्पाउण्डर्स को अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जा सके ? यदि हां, तो वहां किन किन वस्तुओं का अभाव है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं । क्योंकि धौलपुर के लिए कम्पाउन्डरों को अल्पकालीन कम्पाउन्डर प्रशिक्षण भरतपुर में दिया जाता था ।

(२) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

प्रश्न संख्या ६९

श्री अध्यक्ष श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

म्युनिसिपल बोर्ड बांसवाड़ा के अकाउन्ट्स की ऑडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही

७०. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड, बांसवाड़ा के सन् १९५७–५८ के अकाउन्ट्स का ऑडिट लोकल फन्ड ऑडिट डिपार्टमेन्ट द्वारा किया जाकर रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश की गई थी ?

(ख) क्या यह सही है कि इस रिपोर्ट के अनुसार इस एस्फाल्ट (Asphalt) की खरीद एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में म्युनिसिपल

Page No.12

(श्री भैरोंसिंह)

बोर्ड द्वारा कई प्रकार की गम्भीर अनियमितताये की गई थीं ?

(ग) क्या यह सही है कि ऑडिट पार्टी ने तत्कालीन चेयरमैन तथा एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर को इन अनियमितताओं के लिए दोषी ठहराते हुए उनसे इस सौदे में हुए नुकसान की पूर्ति कराये जाने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) ऑडिट पार्टी ने अनियमित किये गये पेमेन्ट को दर्शाते हुए लिखा था कि यह रुपया ठेकेदार या सम्बन्धित अधिकारियों से, जिसकी भी गलती हो, उससे वसूल किया जाना चाहिये। उस ऑडिट रिपोर्ट की कम्प्लाएन्स रिपोर्ट नगरपालिका से मांगी गई है और अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : कम्प्लाएन्स रिपोर्ट कब मांगी गई थी ?

श्री सम्पतराम : जुलाई सन् १९५९ में।

श्री भैरोंसिंह : जुलाई सन् १९५९ से जिस चेयरमैन के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट है और जिनसे उत्तर मांगा कि वह सरकार को लिखे कि उनहोंने एम्बेज़लमेन्ट या मिस-एप्रोप्रियेशन ऑफ गवर्नमेन्ट मनी किया हैं, अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया और इसका क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम : जुलाई, १९५९ में डाइरेक्टर लोकल बॉडीज़ ने कम्प्लाएन्स रिपोर्ट मांगी कि जिस जिस ऑडिट आइटम के बारे में ऑडिट रिपोर्ट आपके खिलाफ है आप उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके बाद उनको दो–तीन रिमाइन्डर्स भी दिये। बाद में दूसरे चेयरमैन थे उन्होंने इस केस को एन्टीकरप्शन में भेज दिया। इससे सारा रेकॉर्ड वहां पर भेज दिया गया इसलिए उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं भेजा। तीन–चार व्यक्तियों के खिलाफ यह मामला है। तीन–चार व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर पी. डब्ल्यू. डी. ने एस. डी. ओ. की कोर्ट में दावा कर दिया। कोर्ट में वह मामला पेन्डिंग है। एन्टी करप्शन में अभी तक यह मामला पेन्डिंग है। अब एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट को लिखा गया है कि इस सम्बन्ध में जांच करके, जो भी निर्णय लेना हो, वह लेकर, शीघ्र ही गवर्नमेन्ट के पास भेजे।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस प्रकार के चेयरमैन जिसने सरकारी रकम का मिस-एप्रोप्रियेशन किया हो, एम्बेज़लमेंट किया हो, एन्टी करप्शन में जिसका मामला चला गया हो, इन्जीनियर पी. डब्ल्यू. डी. ने कोर्ट में कार्यवाही चला रखी हो, उसका सस्पेन्शन किया जाय ऐसा समझती है ?

श्री सम्पतराम : यह लीगल इन्टरप्रिटेशन का और कानूनी प्रश्न है। एन्टीकरप्शन और कोर्ट में वह मामला चला गया। उस चेयरमैन के लिए क्या किया जा सकता

(श्री सम्पतराम)

है, जैसा व्यू पोइन्ट माननीय सदस्य ने दर्शाया है वैसा किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : पी. डब्ल्यू. डी. की ओर से जब मामला कोर्ट में चला गया तो जब तक सरकार से इसकी पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाय तो उस व्यक्ति का प्रोसिक्युशन नहीं किया जा सकता है, क्या यह सही है?

और क्या यह समझा जाय कि पी. डब्ल्यू. डी. अधिकारियों ने कोर्ट में भेजने से पूर्व इस मामले में सरकार की एप्रूवल ली ?

श्री सम्पतराम : एन्क्वायरी कराने के प्रोसेस में दे रखा है और अधिकार है; लेकिन प्रोसिक्युशन करते हैं तो गवर्नमेन्ट की सेन्क्शन लेनी होती है।

श्री भैरोंसिंह : पी. डब्ल्यू. डी. के इन्जीनियर ने कोर्ट में दावा कर रखा है तो सरकारी अधिकारी को दावा करने से पूर्व सरकार की एप्रूवल लेनी होती है; क्योंकि दूसरे सरकारी अधिकारी के खिलाफ वह दावा किया गया है, तो इस विषय में क्या सरकार की कोई इससे पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई थी ?

श्री सम्पतराम : मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। एप्रूवल ले लेनी चाहिये थी।

श्री भैरोंसिंह : उक्त चेयरमैन के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर रखा है, एन्टीकरप्शन में कोर्ट के फैसले से पूर्व क्या सरकार उनका इन्तजार न करके एन्टीकरप्शन विभाग के द्वारा इस मामले में चालान करवायेगी ?

श्री सम्पतराम : एन्टीकरप्शन में यह मामला ऑलरेडी है और वह जांच करके बतायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एन्टीकरप्शन में एम्बेज़लमेन्ट के केसेज़ को नहीं लिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री भैरोंसिंह : नहीं साहब, उसमें नहीं लिये जाते हैं एम्बेज़लमेन्ट के केसेज़। करप्शन के लिये जाते हैं और प्रोसिक्युशन करने के लिये चालान किया जाता है, पुलिस को दिया जाता है।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : एन्टीकरप्शन इन्क्वायरी करा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट करप्शन के केसेज़ की इन्क्वायरी करता है न कि एम्बेज़लमेन्ट के केसेज़ की। Embazzlement is not corruption. माननीय गृह मंत्रीजी इसका उत्तर दें कि एन्टीकरप्शन में क्या एम्बेलज़मेन्ट के केसेज को लिया जाता है और उनकी इन्क्वायरी की जाती है।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : यह अलग सवाल है।

श्री नाथूराम मिर्धा : एन्टीकरप्शन इन्क्वायरी करा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : उन्हीं केसेज़ की इन्क्वायरी एन्टीकरप्शन विभाग करा सकता है जो कि उसके जुरिस्डिक्शन में हों और एम्बेज़लमेन्ट केसेज़ में उसका जुरिस्डिक्शन नहीं रखा गया है और वह नहीं कराता है। क्योंकि एन्टीकरप्शन में तो करप्शन के केसेज़ आते हैं जिनमें भ्रष्टाचार पाया जाता है। आम तौर पर एम्बेज़लमेंट केसेज़ के लिए पुलिस को रिपोर्ट थाने में देनी होती है और पुलिस कोर्ट में उसका चालान करती है, रजिस्ट्रेशन करती है।

श्री अध्यक्ष : एम्बेज़लमेंट या भ्रष्टाचार किया हो तो एन्टीकरप्शन जांच करा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : That is apart from that embazzlement. रेगुलर केस रजिस्टर कराने के लिए थाने में जाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आश्वासन दे चुके हैं। इसके बारे में विचार करेंगे।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा।

बांगड़ अस्पताल पाली की निगरानी हेतु कमेटी के निर्माण की मांग

७१. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पाली के बांगड़ अस्पताल की देख-रेख के लिए शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों की कोई कमेटी मुकर्रर है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी नहीं। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

लूणकरणसर के निवासियों के पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने हेतु योजना

७२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि कस्बा लूणकरणसर के निवासियों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कस्बे के लिये प्रतिदिन पानी बीकानेर से रेल की टंकियों द्वारा भिजवाया जाता है, लेकिन कई दफा प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है ?

(ग) क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिये वाटर वर्क्स की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो इस योजना की क्रियान्विति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। टंकी के समय पर न पहुंचने से परेशानी उठानी पड़ती है।

(श्री सम्पतराम)

(ग) जी हां। मोटे ... की तलाश की जा रही है और अच्छा पानी पीने के योग्य मिलने के बाद योजना बनाई जायेगी।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि लूणकरणसर के पास कालू गांव में अच्छा मीठा पानी निकला है? वहां से पानी लाकर लूणकरणसर के लिए कोई वाटर वर्क्स योजना बनाने का सरकार का क्या कोई विचार है?

श्री सम्पतराम : जी हां, यह सही बात है कि वहां पर पीने का अच्छा पानी निकला है, लेकिन जितनी सप्लाई चाहिये उतना नहीं निकला है। इसको एक्जामिन किया जा रहा है। अगर सप्लाई के योग्य पानी मिल सकेगा तो वाटर वर्क्स की योजना बनाई जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल।

राजकीय जनाना अस्पताल, जयपुर का भवन

७३. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चांदपोल स्थित राजकीय जनाना अस्पताल, जयपुर का भवन कब बना था तथा तब से अब तक उसमें कब कब क्या क्या परिवर्तन किये गये?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त अस्पताल भवन की मरम्मत हेतु सरकार ने वार्षिक धन-राशि देना तय कर रखा है? यदि हां, तो कितनी कितनी?

(३) उक्त धन-राशि में से किस किस साल कितनी कितनी रकम पी. डब्लयू. डी. द्वारा किन किन कार्यों पर खर्च की गई व कितनी कितनी बचत रही।

(४) क्या यह सत्य है कि उक्त भवन की स्थिति अच्छी नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश चन्द्र) : (१) सन् १९३२ में बना था। सन् १९४२ में असिस्टेन्ट सर्जन ब्लॉक बना था। तथा सन् १९६०-६१ में पहली मंजिल पर चार कॉटेज वार्ड्स बने हैं।

(२) जी हां, ७६७७) रुपये।

(३) सूची प्रस्तुत है। यह रकुमात रंग, सफेदी व सालाना मरम्मत में खर्च हुई है।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जयचन्द्र मोहिल्ल : "जी नहीं" किस जांच के आधार पर कहा है?

श्री अध्यक्ष : यही मानना चाहिये कि जांच के आधार पर है।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : १९४२के बाद में कमरे क्यों नहीं बनाये गये?

श्री हरिश्चन्द्र : यह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

ब्रह्मपुरी (जयपुर) में बत्ती लगाने की व्यवस्था करना

७४. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू—सु०) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नगरपालिका जयपुर की ओर से पॉवर हाउस जयपुर के पास ब्रह्मपुरी में बत्ती लगाने के लिए एस्टीमेट के पैसे जमा करा दिये हैं ?यदि हां, तो कितने और कब ?

(ख) क्या यह सत्य है कि ब्रह्मपुरी में बत्ती लगाने के आदेश दिये जा चुके हैं, फिर भी वहां बत्ती अभी तक नहीं लगाई गई है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक लगा दी जायगी ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां, रु० ३,८८८) दिनांक २४—६—६० को।

(ख) यह एस्टीमेट २१ बत्तियों के लिए था जिनमें से १६ बत्तियां लग चुकी हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): ब्रह्मपुरी में बिजली किस पॉवर हाउस से जावेगी ?

श्री लादूराम सुलाणिया : १६ बत्तियां कब लगी हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : डेट तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास यह इन्फोर्मेशन है कि बत्ती लग चुकी है।

श्री लादूराम सुलाणिया : बत्ती लगी ही नहीं है। १६ के लिए उत्तर दिया। पिछली रात को लगी हो तो पता नहीं।

प्रश्न संख्या ७५

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

पब्लिक पार्क्स की अवस्था सुधारने हेतु की जाने वाली कार्यवाही

७६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान के पब्लिक पार्क्स की दशा सुधारने के दृष्टिकोण से सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(ख) राजस्थान के मुख्य नगरों में सरकार द्वारा संचालित पब्लिक पार्क्स का निरीक्षण किस अधिकारी द्वारा कितने समय के उपरान्त किया जाता है तथा उसके द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तुत सुझावों को क्रियान्वित क्यों नहीं किया जाता ?

कृपया जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर तथा कोटा के पब्लिक पार्क्स की अन्तिम निरीक्षण रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) वर्तमान में बजट प्रावधान के अनुसार बागात में यथा-सम्भव सुधार किये जा रहे हैं, अन्य कोई योजना नहीं है।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(ख) समय समय पर अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेन्ट्स) तथा उद्यानविज्ञ (होर्टिकल्चरिस्ट) राजस्थान सरकार, द्वारा बागों का निरीक्षण किया जाता है एवं कोई अवधि निश्चित नहीं है। मौके पर मौखिक आदेश निरीक्षक को दे दिये जाते हैं जिनका परिपालन होता रहता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने कुछ पब्लिक पार्क्स को बेचने की योजना बना रखी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में पब्लिक पार्क्स को बेचने की घोषणा की है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या यह सही है कि पब्लिक पार्क्स की सुपरिन्टेन्डेन्ट्स निगरानी करते हैं ? जो स्थान बताये गये हैं उनमें कहां २ पर हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : सब जगह नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या बीकानेर में है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह मुझे मालूम नहीं है। जहां तक मुझे मालूम है, शायद नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

डाबला कोटपुतली व कोटपुतली–बहरोड़ सड़क

७७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या डाबला–कोटपुतली सड़क बनाने के लिये योजना में रखी गई है ?

(ख) कोटपुतली–बहरोड सड़क को बनाने की कब कब योजना बनाई गई और वह क्यों टाली गई ?

(ग) उसका बजट किस सड़क के बनाने के काम में लिया गया तथा क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी नहीं।

(ख) सड़क बन रही है, टाले जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकरणसिंह : इस समय तो सड़क बन रही है क्या इससे पहले भी इसके लिये प्रोवीजन रखा गया था उसका वह पैसा उस सड़क पर न लगा कर दूसरी सड़क पर काम आया ?

श्री हरिश्चन्द्र : जैसा कि आपको मालूम है, यह नेशनल हाइवे में आ चुका है। उसका बजट सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है।

Page No.18

श्री रामकरणसिंह : यह ठीक है कि अब नेशनल हाइवे में है लेकिन इसी तरह से पहले भी इसके लिये बजट में मन्जूरी हुई थी। ठेकेदारों को बुलाकर बातचीत भी की, उसका वह पैसा किसी दूसरी रोड पर लगा दिया ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी, जो आपने कहा है सत्य है।

श्री रामकरणसिंह : डाबला-कोटपुतली सड़क के बीच बानसुर से कोटपुतली पहुँची है उस पर पांच मील का टुकड़ा बनाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री कह रहे हैं वह तो नेशनल हाई वे में है।

श्री रामकरणसिंह : बानसुर से बाया कोटपुतली एक रोड जाती है जिस पर मील दस का टुकड़ा तो बन चुका है पांच मील का टुकड़ा बनाया जा रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अगर माननीय सदस्य इस बारे में और ज्यादा जानकारी करना चाहते हैं तो वे मेरे पास आ जायं मैं उनको बता दूंगा।

बम्बई और इन्दौर नुमाइशों में निर्मित लकड़ी के दरवाजों का उपयोग

७८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि बम्बई और इन्दौर नुमाइशों में बनाये गये लकड़ी के दरवाजे वहां से जयपुर लाये गये ?

(ख) वे गेट्स अब कहां हैं तथा उनका क्या उपयोग हो रहा है ? इनके बनाने पर क्या क्या खर्चा हुआ था ?

(ग) इन दरवाजों को यहां लाने में कितना खर्चा हुआ ?

(घ) इन दरवाजों को इन्दौर अथवा बम्बई में ही नीलाम नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) इन्दौर प्रदर्शनी का प्रबन्ध उद्योग विभाग के हाथ में था। बम्बई प्रदर्शनी के राजस्थान मंडप का द्वार जयपुर लाया गया था।

(ख) यह द्वार जयपुर में जहां प्रदर्शनियों का सामान रखा जाता है वहीं रखा हुआ है। इसका उपयोग बम्बई के बाद दो प्रदर्शनियों में जयपुर में किया जा चुका है और आगे भी किया जा सकता है। इसके बनाने में १३५०) रुपये खर्च हुये थे।

(ग) द्वार को लाने में अलग से कोई व्यय नहीं हुआ। मंडप में प्रयुक्त और सामान के साथ साथ यह भी जयपुर आ गया।

(घ) इस द्वार के बम्बई में नीलाम करने से बहुत कम कीमत मिलती और इसके भावी प्रयोग को, जो स्पष्ट संभावना थी, उससे हम वंचित रह जाते।

श्री भैरोंसिंह : इस दरवाजे का कुल वजन कितना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कीमत तो बता दी है आपने इसमें वजन का सवाल पूछा नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि दरवाजे को बम्बई में ही बेच दिया जाता तो दरवाजे की कीमत मिल सकती थी और ट्रान्सपोर्टेशन के चार्जेज़ बच सकते थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लकड़ी का दरवाजा था कोई ज्यादा वजनी नहीं था। ट्रक में अन्य सामान के साथ वह भी आ गया। एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगी, केवल १३५.०) रुपये इसमें लगे, अगर उसको वहां नीलाम करके आते तो उतनी कीमत नहीं मिल सकती थी और न हम उससे और जगह काम ले सकते थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि दरवाजे की सिम्पल लकड़ी ही लकड़ी आई है उसके डेकोरेशन्स के जितने सामान थे वे उससे अलग कर दिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसमें तो केवल फ्रेम ही आता है डेकोरेशन्स तो कपड़े इत्यादि से अलग से किये जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब केवल लकड़ी वहां से आयी है और वह भी टुकड़ों के रूप में तो वे वहीं बेचे भी जा सकते थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो हमारे अन्य सामान के साथ आ गया, उसके लिये हमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ा और हम उस दरवाजे का उपयोग दो प्रदर्शनियों में कर चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह सरकार ने किस आधार पर कहा है कि उसकी कीमत उतनी नहीं आ सकती थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो एक मानी हुई बात है कि हम अपनी जरूरत से किसी सामान को बेचते हैं तो उसकी उतनी कीमत नहीं मिल सकती यह तो डिमान्ड और सप्लाई पर निर्भर है, यह तो एक साधारण सी बात है। जब कोई अपना माल बेचने जायगा तो उसको उतनी कीमत नहीं मिलेगी जितनी कि उसमें लगी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने यह भी देखा है कि उस दरवाजे को दीमक लग गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब भी वह काम आ रहा है आपके सी० आई० डी० ने आपको गलत सूचना दे दी है।

श्री भैरोंसिंह : दीमकों के काम आ रहा है, आपके काम नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कोटपुतली-बहरोड़ सड़क के निर्माणार्थ खड़ी खेती को नष्ट किया जाना

७६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या निर्माण विभाग की ओर से जब कोई निर्माण-कार्य काश्त की भूमि पर किया जाता है तो कार्य आरम्भ करने से पूर्व उस काश्तकार को नोटिस दिया जाता है कि उसकी भूमि में यह कार्य किया जायगा ताकि वह जमीन पड़त रखे ?

(ख) यदि हां, तो क्या कोटपुतली-बहरोड़

(श्री रामकरणसिंह)

सड़क के लिये ऐसे नोटिस दिये गये थे ?

(ग) दो वर्षों में कितने बीघा खेती किन किन की कोटपुतली—बहरोड़ सड़क में नष्ट करके कार्य आरम्भ किया गया ?

(घ) अर्थ वर्क कब चालू किया गया और कब समाप्त हुआ ?

(ङ) क्या किसी अधिकारी ने इसकी सूचना सरकार को दी ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कदम उठाया ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) नोटिस लिखित रूप में नहीं दिया जाता। मौके पर जबानी काश्तकारान को तकरीबन एक माह पहले काम शुरू किये जाने के बतला दिया जाता है। जब भूमि अवाप्ति के कागज़ात तैयार हो जाते हैं तो विज्ञप्ति राजपत्र में प्रकाशित हो जाने पर भूमि अवाप्ति अधिकारी नोटिस जारी करता है।

(ख) कोटपुतली से बहरोड़ तक सड़क बनाने के लिये पहले धारा ४ के और फिर धारा ५ के तहत नोटिस दिये गये थे काम शुरू करने से पहले अलबत्ता नोटिस लिखित रूप में नहीं दिये गये, मौके पर काश्तकारान को बतला दिया गया था।

(ग) २१५ खातेदारान की १७४ बीघा भूमि पर मिट्टी का काम किया गया।

(घ) दिसम्बर १९५९ से आरम्भ किया गया और अभी तक कार्य चालू है।

(ङ) काम के प्रारम्भ होने की सूचना प्राप्त होने पर भूमि अवाप्ति अधिकारी ने कागज़ात तैयार करके नुकसान फसल का मुआवजा ४०८८ रु० १२ आ० अदा कराया।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों की भूमि से सड़क बनायी गई उनको पहले किसी प्रकार की इत्तला नहीं दी गई। जिस समय काश्त पकने में केवल १५, २० दिन थे उनकी काश्त पर बुलडोजर चला दिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो जमीन ली गई वह उनकी रज़ामन्दी से ली गई है। कल्टीवेटर्स की रज़ामन्दी के बाद ही काम शुरू किया गया है।

श्री रामकरणसिंह : रज़ामन्दी से ली गई, यह आप किस आधार पर कहते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर रज़ामन्दी होने के बाद काम शुरू किया गया।

श्री रामकरणसिंह : मैं आपको यह बताऊं, वहां जितनी पंचायतें लगती हैं, पंचायत समितियां हैं, उन्होंने सब ने इस बात को कहा है। उसके बाद में एस० डी० ओ० को दरख्वास्त लगी, तहसीलदार को लगी है, लोग-बाग खड़े हो गये और बुलडोज़र चला दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : अब राजी कर लिया होगा।

श्री रामकरणसिंह : छः—छः साल हो गये जमीन लिये हुए लेकिन मुआवजा अभी नहीं मिला है और खेतों को इस प्रकार नष्ट किया जाता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य का कहना ठीक नहीं है इसके बारे में जो मेरे पास रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि उनसे पूछा गया और कल्टीवेटर्स की रजामन्दी से काम किया गया।

श्री अध्यक्ष : जो फेक्ट्स माननीय सदस्य बता रहे हैं उस लाइट में आपका जवाब सही है या नहीं, यह आप जांच कर लें।

श्री हरिश्चन्द्र : जी।

अपने ही जिलों में नियत सिंचाई विभाग के एक्जीक्युटिव इन्जीनियर्स

८०.श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि राजकीय आदेशानुसार कोई भी राजपत्रित अधिकारी अपने जिले में न रखा जाय ? यदि हां, तो इस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(ख) सिंचाई विभाग के ऐसे कौन कौन एक्जीक्युटिव इन्जीनियर्स हैं जो इस समय अपने अपने जिले में नियत हैं तथा कब से और क्यों ? इससे पूर्व भी कुल कितने वर्षों तक वे अपने ही जिलों में रह चुके हैं।

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) राजकीय आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(ख) केवल श्री सरदारसिंह मेहता जो कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं इस समय योजना खंड भीलवाड़ा में १५—११—५८ से नियत हैं; इस नियुक्ति का कारण यह है कि उन्हें भीलवाड़ा खंड में सिंचाई बढ़ाने योग्य उपयुक्त व्यक्ति समझा गया है। इससे पहले वे कभी भी अपने जिले में नहीं रहे।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या उक्त आदेश के विपरीत है उस ऑफिसर को भीलवाड़े में रखना ?

श्री दौलतराम सारण : यह पहले से ही वहां थे और स्पेशल कारणों से उनको वहां पब्लिक के हित में नियत किया गया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार के आदेशों में पब्लिक के हित की दृष्टि से वहां पर रिटेन करने की कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : आदेश में कुछ सख्ती भी है। सरकार ने आदेश जारी किया है पब्लिक के हित को दृष्टि में रखते हुए। यह व्यक्ति सिंचाई के काम में उपयुक्त समझा गया और उपयुक्तता की दृष्टि से उसे वहां रखा गया और बदली के लिये दो साल का समय भी पूरा नहीं हुआ इसलिये वे वहीं काम कर रहे हैं।

Page No.22

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस आदेश में जो वर्ड्स हैं वे वर्ड्स ही सख्ती के द्योतक हैं।

"This decision should be given effect to gradually so as not to bring about wholesale transfer of officers at present but by 31-12-59 no officer of the above categories should remain posted in his home district."

क्या ये शब्द सख्ती के द्योतक नहीं हैं?

श्री दौलतराम सारण : हां हैं, इससे इन्कार नहीं करता, जो वर्ड्स हैं वे आपके सामने हैं। मैंने प्रतिलिपि आपको प्रस्तुत की है, पर रीज़न भी आपके सामने रख दिया कि किस वजह से उनको वहां रखा गया।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकार का इस प्रकार का आदेश था कि ३१–१२–५६ के बाद में होम डिस्ट्रिक्ट में किसी को नहीं रखना है तो वे कौन से कारण थे जिनके आधार पर, जिनका उल्लेख किसी सक्यूलर या आज्ञा या गजट में आया हो, उन्हें वहां रखा गया?

श्री दौलतराम सारण : जो आधार हैं उनके बारे में प्रश्नोत्तर में निवेदन कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार के आधार और अफसरों के लिये भी लागू किये जा सकते हैं?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जरूरत हो तो लागू किये ही जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : हां तो, यही आप कह दीजिये न?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां। जरूरत हो तो इस प्रकार के आदेश लागू किये जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कह दें आप यही रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने और कह दिया, आपने सुन लिया।

कोटपुतली—बहरोड़ सड़क पर बुलडोज़र का उपयोग

८१. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) बुलडोज़र ने कितने दिन कोटपुतली-बहरोड़ रोड पर अर्थ वर्क का काम किया, और कितने दिन बेकार पड़ा रहा और क्यों? कुल खर्च कितना हुआ?

(ख) उक्त बुलडोज़र कितना काम किस किस हिसाब से करता है तथा उसका रोजाना का क्या खर्च पड़ता है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) इस सड़क पर बुलडोजर कुल २८८ दिवस रहा जिसमें :—

(१) १२६ दिवस तक कार्य किया।

(२) १५६ दिवस तक यांत्रिक खराबी तथा पुर्जे न मिलने के कारण बेकार पड़ा था।

Page No.23

(श्री हरिश्चन्द्र)

(ग) बुलडोजर पर लगभग ३७,६९५ रुपये खर्च हुए।

(ख) उक्त बुलडोज़र एक दिवस में लगभग २५,००० घनफुट मिट्टी डाल सकता है तथा खर्च ३५ रुपया प्रति घंटे का है।

श्री रामकरणसिंह : अभी अभी पहले प्रश्न में बुलडोज़र चलाने की बात जो थी, वह आपके सामने आई। इसके बाद आपके इस उत्तर से मालूम हो रहा है कि २८८ दिन वहां रहा और १२९ दिन काम करता रहा और बाकी दिन बेकार रहा। अब इधर तो काश्तकार के खेत में चला कर नुकसान पहुंचाया उस किसान को और उधर खाली रख कर सरकार को नुकसान पहुंचाया, जब कि इसके लिये आपके यहां के अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी कि हम जल्दी से जल्दी एक महीने में इस बुलडोज़र को यहां से ले जावेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं आपका मतलब नहीं समझा। वह पड़ा रहा इसलिये कि पुर्जे खराब हो गये थे, मिले नहीं। खराब है तो पड़ा ही रहेगा।

श्री रामकरणसिंह : पड़ा रहे और पड़ा रहने से सरकार का २१ हजार का नुकसान हो जाय, यही आपके इस विभाग की एफी-शियेन्सी है।

श्री हरिश्चन्द्र : अगर पुर्जा नहीं हो तो पड़ा ही रहेगा, और तो क्या हो सकता है?

श्री रामकरणसिंह : बाद में पुर्जा नहीं मिलने से उठा लिया गया तो इससे पहले ही मजदूरों से काम क्यों नहीं कराया गया? आप जानते नहीं थे कि यह पुराना है; पुर्जे खराब हो सकते हैं, या तो पुर्जे रखते, २१ हजार खर्च कर देना और फिर भी वही रास्ता अपनाना, यह रास्ता क्यों अपनाया गया?

श्री हरिश्चन्द्र : I am unable to follow what he is trying to say.

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : ऐसा कीमती पुर्जा टूट गया था क्या कि जो मिल ही नहीं सकता था?

श्री हरिश्चन्द्र : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : १५९ दिन पुर्जा नहीं मिलने के कारण पड़ा रहा, यह पुर्जा कहां से मिल सकता था और कितने दिन में आ सकता था?

श्री हरिश्चन्द्र : मिलने में और उसको मंगाने में इतने दिन लगे, और तो क्या है?

श्री रामकरणसिंह : १५९ दिन?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो ऐसा ही समझा जावेगा। इतनी बड़ी मशीनरी के लिये पुर्जा मंगाने में समय तो लगता ही है।

श्री अध्यक्ष : हां, बुलडोज़र भी तो बहुत बड़ा होता है?

उदासर और सिंथल ग्रामों में बिजली लगाने हेतु कार्यवाही

८२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) :

(श्री भीमसेन)

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) ऊदासर व सिंथल, तहसील बीकानेर में बिजली लगाने हेतु मांग कितने वर्षों से की जा रही है ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता (टी. और डी.) बीकानेर ने अपने पत्र संख्या १३०० दिनांक ३०-४-५५ व संख्या १०८०६ दिनांक २५-१२-५५ के द्वारा दूसरी योजना में बिजली देने के लिये लिखा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(ग) क्या इन गांवों को भाखरा से बिजली देने के सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) ऊदासर और सिंथल गांवों को बिजली देने की मांग गत छः वर्षों से की जा रही है ।

(ख) बीकानेर बिजली घर से पॉवर उन वर्षों में सप्लाई नहीं की जा सकती थी क्योंकि वह पॉवर हाउस उस समय अधिक पॉवर देने की क्षमता में नहीं था ।

(ग) ऊदासर और सिंथल गांवों को बिजली तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिये जाने की सम्भावना है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इन दोनों गांवों में जो बिजली से लगभग दो मील दूर हैं अगर आप बिजली देते तो कितने किलोवाट देनी पड़ती ?

श्री हरिश्चन्द्र : सिंथल का डिस्टेन्स शायद पांच या पांच से अधिक मील है ।

श्री मुरलीधर व्यास : नागासर में बिजली है और नागासर से सिंथल एक-डेढ़ मील है ।

श्री हरिश्चन्द्र : कहना क्या है ?

श्री मुरलीधर व्यास : जिस तरह आपने दूसरी योजना-काल में ५५ में आपके एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर मन्जूर करते हैं कि दे देनी चाहिये इसको बिजली, तो इसका मतलब यह था कि बिजली इतनी थी जो उनको दी जा सकती थी । तो मैं पूछता हूँ, अगर दी जाती तो कितनी बिजली इनके लिये ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ती ? यह इसलिये पूछता हू कि आपने कहा कि हमारे पास पूरा लोड नहीं था इसलिये बिजली नहीं दे सके । पांच-पचास खम्भों पर थोड़ी बिजली कुओं आदि के लिये आपको देनी पड़ती । तो वह कितनी देनी पड़ती ?

श्री हरिश्चन्द्र : किलोवाट का तो कह नहीं सकता । पर अब सम्भावना है कि दे सकते हैं ।

श्री भीमसेन : यह सम्भावना ही रहेगी कि देंगे भी ?

श्री हरिश्चन्द्र : जरूर देंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार का ऑर्डर्स आपने कर दिये हैं कि इनको बिजली दे दी जावे ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया है ?

श्री मुरलीधर व्यास : फिर कब दिया जावेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी यह क्वेश्चन अन्डर कन्सीडरेशन है ।

सीकर जिले के पुलिस अधिकारियों द्वारा मनोरंजन-कर देने से मनाही

८३, **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या आबकारी एवं कर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सीकर जिले के पुलिस अधिकारी सिनेमा देखने का न तो टिकट खरीदते हैं और न एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स ही अदा करते हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि सीकर जिले के आबकारी अधिकारियों ने समय समय पर स्थानीय सिनेमा हॉल की इन्सपेक्शन बुक में इस सम्बन्ध में नोट लिखा है ?

(ग) क्या यह सही है कि सीकर पुलिस कोतवाली के थानेदार ने इस बात को स्वीकार किया है तथा इस सम्बन्ध का नोट उसी इन्सपेक्शन बुक में दिया है ? कृपया आबकारी अधिकारियों अथवा पुलिस थानेदार द्वारा दिये गये इस प्रकार के नोट्स की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(घ) विभाग द्वारा टैक्स न देने वाले इन पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध क्या एक्शन लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कर मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) टैक्सेशन अधिकारी की जिम्मेदारी केवल यहां तक ही सीमित है कि कोई भी दर्शक सिनेमा में बिना टैक्स दिए प्रविष्ट न हो, न कि व्यक्ति विशेष की जानकारी रखना

(ख) करीब डेढ़ वर्ष पूर्व दिनांक २७-८-५६ को जिले के आबकारी अधिकारी द्वारा सिनेमा चैकिंग करने पर ११ व्यक्ति बिना टिकट उच्च श्रेणी के बॉक्सों में बैठे हुए पाये गये और इस सम्बन्ध में नोट दिया गया ।

(ग) जी हां, सीकर पुलिस कोतवाली के थानेदार के नोट से यह मालूम होता है कि ये दर्शक पुलिस अधिकारियों के परिवार के सदस्य थे जिनके टैक्स टिकिट; जैसा कि उक्त नोट में अंकित है उसी दिन उक्त इन्सपेक्शन के थोड़ी देर बाद खरीदे गये। आबकारी अधिकारी व पुलिस थानेदार द्वारा दिये गये नोटों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(घ) राजस्थान मनोरंजन कर कानून के अन्तर्गत इस विभाग के अधिकारियों को दर्शकों के विरूद्ध एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति टैक्स दिये बिना सिनेमा में प्रवेश करता है तो उसका उत्तरदायित्व सिनेमा प्रबन्धक पर है और मनोरंजन कर अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत प्रबन्धक को ही दोषी माना जाता है। 'ख' तथा 'ग' में जिस केस का जिक्र है उसमें उचित टैक्स जमा हो गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मनोरंजन कर अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जब तक एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स

Page No.26

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं दे देता और देकर टिकट नहीं खरीद लेता है तब तक सिनेमा घर में प्रवेश नहीं कर सकता ?

श्री रामचन्द्र : उसको टैक्स देना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो ठीक है। मैं तो इसका जवाब चाहता हूं कि बिना टिकिट खरीदे या बिना एन्टरटेनमेन्ट टैक्स दिये दर्शक सिनेमाघर में प्रवेश कर सकता है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पर' इसमें तो जैसा मैंने निवेदन किया कि थानेदार ने फोन किया कि एस. पी., डी. एस. पी. के परिवार के ग्यारह आदमी आ रहे हैं उनका टैक्स मैं अदा कर दूंगा। उसने टिकट नहीं लिया, यह सिनेमा मालिक की मर्जी है कि वह उनसे सिनेमा देखने का चार्ज ले या न ले। एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स अदा करना पड़ता है और वह उसने बाद में आकर कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : यह तो पकड़े गये इसलिये बाद में कार्यवाही कर ली। मैं तो यह पूछता हूं कि यह एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स कोई पेमेन्ट नहीं करें, इसके पहले ही कोई आदमी सिनेमाघर में प्रवेश कर सकता है या नहीं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो देखने जावे उसको एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स पे करना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Is it an offence under the law to enter the cinema without purchasing a ticket ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : No.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सिनेमाघर में प्रवेश करने के बाद वे मनोरंजन कर वसूल कर सकते हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां, यह तो बिलकुल सीधी सी बात है। पहले बैठ सकता है और बाद में भी टिकट ले सकता है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : सिनेमा का एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स टिकट खरीदने के साथ ही उस टिकिट के द्वारा ही वसूल किया जाता है। तो क्या उसे लिये बिना ही दर्शक जा सकता है, जब कि नियम यह है कि एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स दिये बगैर अन्दर जा नहीं सकता।

श्री नाथूराम मिर्धा : वही मैं कहता हूँ। प्री–पेड का आप कहते हैं। पर कोई सिनेमा में जाकर कह देता है कि मैं बाद में दे दूंगा, मेरे से ले लेना और घन्टे, दो घंटे के बाद अगर कोई दे देता है तो इसमें क्या बात हो गई।

श्री भैरोंसिंह : आपने कह दिया जैसे प्लेटफॉर्म पर भाषण दिया जाता हो। मैं रूल्स की बात कह रहा हूँ। आपके कहने के अनुसार कोई आदमी बिना प्री–पेड एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स सिनेमाघर में घुस सकता है; पर मैं रूल्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि जा सकता है या नहीं, रूल्स के हिसाब से ?

Page No.27

श्री अध्यक्ष : यह तो कानून के इन्टर-प्रिटेशन का प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है 'नहीं जा सकता ।' उन्होंने कहा है कि कोई भी दर्शक सिनेमा में बिना टैक्स दिये प्रविष्ट न हों । अगर जाता है तो प्रबन्धक की गलती है, तो उक्त मैनेजर के खिलाफ इस बात के लिये एक्शन लिया जा सकता था जो कि किसी व्यक्ति को बिना प्री–पेड किये प्रवेश करने की इजाजत दे दे ।

इसमें तो सब रेड हैन्डेड पकड़े गयेथे ।

श्री अध्यक्ष : यह तो वे भी स्वीकार करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, बात तो यह है कि पुलिस वाले बिना मनोरंजन कर दिये बैठते हैं और इस मामले में मैनेजर का प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं किया ? इसके अन्दर पुलिस वाले, सिनेमा मैनेजर और बैठने वाले तीनों दोषी हैं और इन तीनों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया ? तीनों ने एड-मिट किया है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें कोई ऑफेन्स नहीं बनता है । जो एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स था वह दे दिया । उस डिपार्टमेन्ट का ताल्लुक सिर्फ टैक्स से है । कौन कैसे आता है और वे लोग पुलिस के थे या कौन थे, इससे ताल्लुक नहीं है ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : तो यह प्रिविलेज, कि बिना एन्टरटेनमेन्ट टैक्स पे किये सिनेमा देखें, केवल पुलिस वालों के लिए है या सब के लिए है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स तो सबको ही पे करना होता है ।

श्री तनसिंह : क्या आदमी बिना टैक्स के जा सकते हैं और उनके खिलाफ कोई चालान नहीं किया जायेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : चालान का सवाल ही नहीं है । सिनेमा मैनेजर के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : सिनेमा मैनेजर का प्रोसी-क्यूशन हो सकता है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह तो इस बात की सूचना दे दी थी पुलिस इन्सपेक्टर ने कि मैं आकर इनका टैक्स अदा कर दूंगा और इनको बैठा दो; सो उन्होंने बैठने की इजाजत दे दी ।

वह तो शुरू होते ही सिनेमा मैनेजर, टैक्सेशन असिस्टेन्ट कमिश्नर पहुंचा गया और उसने जांच को तो वहां लोग पाये गये; पर टैक्स उनका अदा कर दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार के टैक्सों की उधार भी रखी जा सकती है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

पॉवर हाउसेज द्वारा दी जाने वाली बिजली की समान दरें नियत करने हेतु निर्मित समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही

८४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) :

(श्री भीमसेन)

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;-

(क) बीकानेर पॉवर हाउस द्वारा राजस्थान निर्माण के वक्त फी यूनिट किस दर से उपभोक्ताओं को बिजली दी जाती थी ?

(ख) क्या उक्त दरों में बाद में परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो कब कब व किस की आज्ञा से ? सम्बन्धित आज्ञाओं की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखी जावें ।

(ग) क्या राज्य सरकार ने राज्य के पॉवर हाउसेज़ द्वारा दी जाने वाली बिजली की समान दरें नियत करने हेतु कोई समिति नियुक्त की थी ? यदि हां, तो उक्त समिति की रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की जावे ।

(घ) उक्त रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : As the case pertaining to this question is subjudice, it is not in the public interest to answer this question.

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, इस बात का तो जवाब दिया जा सकता है कि राजस्थान निर्माण के वक्त फी यूनिट क्या दरें थीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : केस के अन्दर डिस्प्यूट चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीबाबा ।

नाडोल से निपल, घेनडी, खिमाड़ा होती हुई देवली आउआ तक सड़क निर्माण की योजना

८५. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या नाडोल से निपल, घेनडी, खिमाड़ा होती हुई देवली आउआ तक सड़क बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका सर्वे तथा सड़क बनाने का काम चालू करने की सम्भावना कब तक है ?

सार्वजनिक-निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी नहीं ।

श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : आपने यह किस आधार पर कहा ? क्या सरकार उसको बनाना उचित नहीं समझती ।

श्री हरिश्चन्द्र : जवाब दिया है, 'जी नहीं;' इसका मतलब साफ है ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

जयपुर शहर में पृथक सब्जी मण्डी व अनाज मण्डी के निर्माण की अपेक्षा

८६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) जयपुर शहर में कहां कहां पर कितनी सब्जी तथा अनाज की मंडियां हैं ?

Page No.29

(डॉ० चन्द्रकला)

(ख) क्या इन सब्जी मन्डियों में गोदामों, दुकानों तथा यातायात की पर्याप्त सुविधायें हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि सब्जी मन्डियों के स्थान पर दिन भर बड़ी गंदगी रहती है ?

(घ) इन सब असुविधाओं को देखते हुए क्या अलग सब्जी मण्डी और अनाज मण्डी बनाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वयत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जयपुर में क्रमशः सब्जी व अनाज की मण्डियां ये हैं:—

सब्जी मन्डियां

१. अजमेरी दरवाजे बाहर, कॉफी हाउस के पीछे ।

२. सांगानेरी दरवाजा, कांच का दरवाजा ।

अनाज मन्डियां

१. सांगानेरी दरवाजे के अन्दर

२. चांदपोल बाजार

३. घाट दरवाजे बाहर, रामगंज चौपड़ के पास

(ख) जी हां ।

(ग) गन्दगी तो होती है, लेकिन सफाई भी होती रहती है ।

(घ) जी हां, शीघ्र ही ।

श्री लादराम सुलाणिया (दूदू—सु०) : यह चांदपोल के बाहर सब्जी मण्डी कहां है ?

डॉ० चन्द्रकला : वह तो अनाज मण्डी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीबाबा चौधरी ।

केनपुरा-रानी-देसूरी सड़क

८७. श्री मोतीबाबा चौधरी (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या केनपुरा-रानी-देसूरी तक सड़क बनाने की मन्जूरी दी गई है ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(ख) उक्त सड़क का ठेका किसको और कितने रुपयों में दिया गया है ?

(ग) उक्त सड़क कितने मील लम्बी है तथा उसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

(घ) कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या निश्चित की गई थी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां । दिनांक ५—१२—५८ को ।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(ख) केनपुरा से रानी तक प्रताप इन्जीनियरिंग वर्क्स जोधपुर को १,७०,६६० रुपये में ठेका दिया गया है।

(ग) २८ मील लम्बी है। इस सड़क को तृतीय योजना काल में पूर्ण करने की योजना है।

(घ) योजनानुसार तृतीय योजना—काल में पूरी होने को है।

श्री बेनाराम गहलोत (खारची): यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के कौन से साल में पूरी हो जायेगी?

श्री हरिश्चन्द्र: मैंने जैसा कहा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना—काल में खत्म होगी।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): जो ठेका दिया गया है उसकी क्या अवधि थी और वह काम पूरा हो गया?

श्री हरिश्चन्द्र: काम कहां हुआ?

श्री तेजाराम गहलोत: ठेके की अवधि कितने साल की दी गई थी?

श्री हरिश्चन्द्र: A sum of Rs. 1,87,000 has been proposed to be spent on the construction of 7½ miles during this Plan period and the remaining amount is to be spent after March, 1961.

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण वर्मा।

भीनमाल नगरपालिका की ग्राम से स्टेशन जाने वाली सड़क के दोनों ओर की जमीन पर अनधिकृत कब्जा

६३. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि भीनमाल, जिला जालोर की नगरपालिका की ग्राम से स्टेशन जाने वाली पक्की सड़क के दोनों ओर की काफी जमीन पर स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों ने नाजायज़ कब्जा कर लिया है?

(ख) यदि हां, तो उक्त नाजायज़ कब्जा किन किन व्यक्तियों द्वारा कितनी कितनी जमीन पर कब्र कब्र किया गया है?

(ग) क्या कुछ लोग उक्त जमीन पर मकान भी बना चुके हैं? यदि हां, तो कितने?

(घ) क्या ग्राम भीनमाल के लोगों ने राज्य सरकार को इसकी शिकायत की थी?

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): (क) जी हां।

(ख) जिन जिन व्यक्तियों ने जितनी जमीन पर नाजायज़ कब्जा किया है उनकी सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(श्री सम्पतराम)

(ग) जी हां, २३

(घ) जी हां ।

(ङ) जांच की जा चुकी है । नाजायज़ कब्जा हटाने के विषय में कार्यवाही की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

(अनुपस्थित)

एक प्रश्न पहले का था गंगा थियेटर के बारे में उसके लिए मंत्री महोदय ने आज उत्तर देने के लिए कहा था ।

दिनांक २८ फरवरी, १९६१ का स्थगित प्रश्न

श्री गंगा थियेटर (बीकानेर) के बन्द होने के कारण

१३५. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर स्थित श्री गंगा थियेटर कई दिनों से बन्द पड़ा है, यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि एग्रीमेंट के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां, यह अगस्त, सन् १९५९ से बन्द पड़ा है । इसका कारण यह है कि कलेक्टर, बीकानेर ने सिनेमाटोग्राफ एक्ट के तहत लाइसेन्स में कुछ त्रुटियां रहने से लाइसेन्सीज़ को पूरा करने का कहा और उन त्रुटियों के पूरा होने पर उनको लाइसेन्स रिन्यू कर दिया गया । सिनेमा फिर भी चालू नहीं किया है ।

(२) जी हां । लाइसेन्सीज़ के खिलाफ क्या कार्यवाही कानूनन की जा सकती है, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, और शीघ्र ही तय किया जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस लीज़ के अनुसार लेसी को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वह गंगा थियेटर के अन्दर पिक्चर्स चालू करें ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह अगर एग्रीमेंट में है तो उसको मजबूर किया जा सकता है । मुझे इसकी सूचना नहीं है कि एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज़ है या नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): सिनेमा चले या नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट का किराया है और जो तीन-तीन महीने अदा करने का है उसके अनुसार उसने सरकार को दिया है या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो अब बेलेन्स बचा है वह १९६७ रु० ६० नये पैसे हैं और उनकी वसूली की कार्यवाही जारी है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह बेलेन्स कब बचा है ? आपके पास आखिर पैसा कब आया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : आखिरी पैसा अक्टूबर १९६० तक जमा हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति को गंगा थियेटर लीज़ पर दिया गया है उसी व्यक्ति का बीकानेर में दूसरा सिनेमा भी चलता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : चलता होगा, मुझे मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वह व्यक्ति अपने उस सिनेमा को फीड करने के लिए एक जगह तो सिनेमा रखता है और दूसरी जगह बन्द रखता है और जो एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स की आमदनी सरकार को हो सकती है उसका सरकार को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से केवल एक ही जगह सिनेमा चालू रखता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। आप सूचना दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की धारणा है कि अगर गंगा थियेटर चालू होता है तो सरकार को एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स उससे मिल सकता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अगर चालू होता है तो जरूर आमदनी होगी।

श्री भैरोंसिंह : जब कि सरकार को नुकसान हो रहा है तो इस सम्बन्ध में क्यों नहीं कोई कार्यवाही की गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अपने उत्तर में कहा है कि यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : कब से है विचाराधीन ?

श्री मुरलीधर व्यास : किराये की पोज़ीशन क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने आपको बता दिया। ऐसी पोज़ीशन थी कि ८,६६० रुपये ७६ नये पैसे कुल बकाया थे अभी तक जो आने चाहिए। तो अक्टूबर १९६० तक ये पैसे जमा हो चुके हैं। अब चार महीने आगे के भी ऐसा किया हुआ है कि जमा हो चुके हैं, उसकी सूचना हमारे पास नहीं आई है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब एग्रीमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि तीन महीने में किराया देना चाहिये और मैंने गत समय प्रश्न किया था तब तक १ साल का किराया जो ३९–४० हजार के करीब होता है, नहीं आया था इस तरह से वह एग्रीमेंट को तोड़ता है तो उस एग्रीमेंट को क्यों नहीं समाप्त किया गया और दूसरों को ठेका क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने प्रश्न पूछा उस समय ४० हजार के बकाया जैसी पोज़ीशन थी लेकिन उसने अक्टूबर तक काफी रुपया जमा करा दिया है।

श्री अध्यक्ष : केवल पैसा जमा कराने का ही सवाल नहीं है, उसने तीन महीनों तक पैसा जमा नहीं कराया तो उसने एग्रीमेंट तोड़ दिया, ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने उसका ठेका समाप्त करने के लिये उसे नोटिस क्यों

(श्री अध्यक्ष)

नहीं दिया। गवर्नमेंट को एन्टर्टेनमेंट टैक्स का लौस होता है तो नोटिस देना चाहिये था।

श्री हरिश्चन्द्र : पी. डी. आर. के तहत वसूली की कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष : No, no, about cancelling the lease, because you are losing by way of entertainment tax. It is not only the question of rent.

श्री लादूराम सुलारेया (दूदू सु०) : यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : जल्दी ही इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(१२. १० म. प.)

बाली किले में विस्फोट होने सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत, सदस्य विधान सभा, ने जिला पाली के बाली किले में दिनांक ६ मार्च, १९६१ को दिन के १२ बजे विस्फोट हो जाने के कारण कतिपय व्यक्तियों के घायल होने तथा तीन बच्चों की मृत्यु होने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा दी गई जानकारी से यह मामला इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रतीत नहीं होता है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर इस पर आज विचार किया जाय। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूँगा कि (गृह) मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

कृषिमन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञानुसार मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये इस एक्सीडेन्ट के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। तारीख १-३-६१ को जिस रोज शीतलामाता का मेला बाली में भरता है, बाली में एक पुराना किला है और इस किले में दो कमरों में कुछ पुराना सोर, पोटेशियम और कुछ सलफर और कुछ इसी तरह की चीजें स्टोर की हुई हैं और ये उस समय से स्टोर की हुई हैं जिस समय जोधपुर अलग रियासत थी और उन कमरों में पुराने तोप के गोले, पुरानी बन्दूकें और अस्त्र शस्त्र स्टोर्ड थे। उसी किले की चारदिवारी के अन्दर शीतलामाता का एक मन्दिर है जहां पर मेला भरता है और उसमें कुछ औरतें जाती हैं और वहां पूजा-पाठ करती हैं और दोपहर में कुछ गेहरें भी जाती हैं और उस दिन किला पब्लिक के देखने के लिये खोल दिया जाता है। उस दिन जब मेला लगा हुआ था, हो सकता है कि किसी ने बीड़ी पी हो जिसकी वजह से सोर में आग भड़क उठी और किले के अन्दर चार कमरों की छतें और दीवालें टूट पड़ीं और पत्थर दूर दूर तक उछले। परिणाम-स्वरूप तीन बच्चे जो वहां खेल रहे थे और पास में मौजूद थे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उनकी मौके पर ही डैथ हो गई। उनमें से एक बच्चा १२ वर्ष का था, दूसरा १० वर्ष का था और तीसरा १७ वर्ष का था। जो पत्थर उछले वे दूर दूर तक गये जिससे करीब ३० आदमियों, औरतों और बच्चों के चोटें आई। उनमें से ७ के काफी चोटें आई। २ के बहुत ज्यादा थीं और ५ के कम थीं। उसी समय यह एक्सीडेन्ट होते ही जो पुलिस का सिपाही वहां था वह मौके पर गया और डेबरिस में से दो–तीन बच्चे जो मर गये थे उनको निकाला और जिनके ज्यादा चोटें लगी थी उनको वे पीठ पर उठा कर लाये और होस्पिटल में पहुंचाया। ३० आदमियों को होस्पिटल में भेजा जिनके माइनर इन्जरीज़ थीं। ५ आदमियों को जिनके ज्यादा चोटें थीं उनको होस्पिटल पाली में भेजा और एक को पाली व एक को जोधपुर भेजा गया।

अब ऐसा बताया जाता है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। १२। बजे यह एक्सीडेन्ट हुआ और इसको इत्तला तुरन्त पाली पहुंचाई गई जहां से एस. पी. और कलेक्टर पहुंचे और कोर्डन कर दिया। जैसी स्थिति में वह था उसी स्थिति में कोर्डन कर दिया, अब तक कर रखा है और चीफ इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव्ज़ और सेन्ट्रल जोन के इन्सपेक्टर जिनका हैड क्वार्टर ग्वालियर में है उनके पास सूचना भेजी गई और किला वैसा का वैसा रखा गया। यह किला तहसील के चार्ज में था। आम तौर से मेले के रोज जैसे खोला जाता है उसी तरह से उस दिन भी खोला गया था। जिनको चोटें लगी थीं उनको मेडीकल ऐड पहुंचाई गई। पाली के डी. एम. एच. ओ. मेडीकल वाहन वगैरह लेकर वहां पहुंच गये थे। सबको पूरी मदद करके 'फर्स्ट ऐड' की सहायता पहुंचाई गई। कमिश्नर, जोधपुर को भी इत्तला कर दी गई थी उन्होंने एयर फोर्स के फायर ब्रिगेड को भेजा लेकिन उस समय उसमें से धूआ निकल रहा था इसलिये फायर ब्रिगेड को काम में लेना ठीक इसलिये नहीं समझा कि सल्फर वगैरह शायद पूरा जला न हो या किस हालत में हो इसलिये पानी छोड़ना ठीक नहीं समझा गया। मामला कन्ट्रोल में है, स्थिति काबू के बाहर नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जब यह किला तहसील के अन्तर्गत था तो उन्होंने पहले से ही एक्सप्लोज़िव पदार्थों को वहां से हटाने की कोशिश क्यों नहीं की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये सारी चीजें स्टेट के वक्त से ही पड़ी हुई थीं। जिस तरह से चार्ज में आई उसी तरह से चल रही थीं।

श्री मुरलीधर व्यास : हम इतना जानना चाहते हैं कि जब यह किला सरकार के चार्ज में आया और यह जानते थे कि इसमें एक्सप्लोज़िव पदार्थ थे तो उनको हटाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्टोर में पड़ी हुई थीं।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : यह किसकी प्रोपर्टी थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्टेट की प्रोपर्टी थी।

श्री अनूपसिंह : तो क्या स्टेट की जिम्मेदारी नहीं थी कि इनको ठीक तरह से रखा जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत पहले से स्टोर की हुई थीं और कमरे भी इसी पर्पज़ के लिये बने हुए थे। असुरक्षित हों, ऐसी बात भी नहीं थी। यह तो दुर्घटना होने का ही शायद कोई जोग था इसलिये हो गई।

श्री अध्यक्ष : राज्य में और भी ऐसे स्थान होंगे जिनमें एक्सप्लोज़िव पदार्थ हों। यदि उनकी आवश्यकता नहीं है तो उनका सर्वे करा कर उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा कि आपने फरमाया और भी जगह ऐसी चीजें पड़ी हुई होंगी, उनके बारे में हम कोशिश करेंगे कि यदि वे सुरक्षित नहीं हैं तो ठीक तरह से रखी जायं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मेले के दिन दुर्घटना न हो, इसके लिये सुरक्षात्मक कार्यवाही करनी चाहिये थी या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेला तो बहुत अर्से से भरता है और लोग वहां जाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके बारे में एक्ट बना हुआ है कि ये चीजें सुरक्षित रखी जावें और जो कानून के खिलाफ कार्यवाही करते हैं उनको सजा मिलती है। फिर इसे गैर कानूनी तरीके से कैसे पड़ा रखा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसीलिए इन्क्वायरी के लिए मंजूर किया है।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार प्रश्न।

(१२. १०. म. पू.)

आय-व्ययक १६६१–६२ से सम्बन्धित विशेषाधिकार प्रश्न

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी, सदस्य, विधान सभा, ने आय-व्ययक १६६१-६२ से सम्बन्धित एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी है जिसमें यह बतलाया गया है कि वित्त मंत्री द्वारा जो आय–व्ययक अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं वे अधूरे थे, क्योंकि उनके साथ आय-व्ययक अनुमान जिल्द दो व स्पष्टीकरण स्मृति पत्र (मेमोरेन्डम) नहीं थे। उन्होंने उक्त सूचना में यह बतलाया है कि आय–व्ययक अनुमान एवं जिल्द दो की प्रतियां विभिन्न विभागों को सदन के समक्ष रखने के पूर्व उपलब्ध की थीं, जिसके परिणाम स्वरूप सदन के विशेषाधिकार का हनन हुआ है।

इस सम्बन्ध में सबसे पहले मैं यह बतलाना चाहूँगा कि संविधान के अनुच्छेद २०२ में जिस वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात् राज्य के आय एवं व्यय के अनुमानों का उल्लेख किया गया है वे जिल्द १ में मौजूद हैं और जिसकी प्रतियां सदस्यों को आय-व्ययक १६६१–६२ के प्रस्तुत होने के तुरन्त पश्चात् वितरित की जा चुकी हैं। अन्य पत्रों, जिनका कि उल्लेख उपरोक्त सूचना में किया गया है उनकी भी प्रतियां हिन्दी में कल सदस्यों के पास भेजी जा चुकी हैं।

(श्री अध्यक्ष)

जिल्द २ में परिशिष्ट, योजना व्यय का विवरण व नवीन व्यय की अनुसूची इत्यादि दिये हुए हैं तथा बजट मेमोरेन्डम में वित्तीय स्थिति का सामान्य परिचय, राजस्व के आय–व्यय अनुमानों तथा अनुदानों के लिए मांगों का स्पष्टीकरण, विनियोजनों की तुलनात्मक स्थिति प्रदर्शित करने वाला विवरण, ऋणों का विवरण एवं प्रत्याभूतियों का विवरण दिया हुआ है। अब यह देखना आवश्यक प्रतीत होता है कि क्या इन पत्रों को भी वित्त मंत्री के भाषण के तुरन्त पश्चात् ही वितरित किया जाना संविधान या विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के अनुसार जरूरी था। संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया हुआ है। विधान सभा के नियम १४० (४) में यह दिया हुआ है कि आय–व्ययक सदन के सामने ऐसे रूप में उपस्थित किया जायेगा जो वित्त मंत्री प्राक्कलन समिति के सुझावों पर विचार करने के बाद करें। जहां तक मेरी जानकारी है प्राक्कलन समिति द्वारा ऐसे कोई सुझाव नहीं प्रस्तुत किये गये हैं। इस स्थिति में मैं समझता हूँ कि इनके वितरण में देरी होने से किसी प्रकार के किन्हीं नियमों का उल्लंघन हुआ हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। पिछले वर्षों में इस प्रकार के पत्र वित्त मंत्री महोदय के भाषण की प्रतियों के साथ साथ माननीय सदस्यों को वितरित किये जाते रहे हैं। अतः यह आवश्यक था कि इस वर्ष भी गत वर्षों के अनुसार ये पत्र भी समय पर वितरित किये जाते। वित्त विभाग को चाहिये कि भविष्य में इस प्रकार की देरी न हो, इसको देखें और इसके लिए जो भी व्यवस्था आवश्यक समझी जाय की जाय ताकि सदस्यों को सारे पत्र एक साथ प्राप्त हो सकें।

श्री चौधरी ने एक प्रश्न यह भी उठाया है कि आय-व्ययक अनुमानों एवं जिल्द २ की प्रतियां भी विभिन्न विभागों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व उपलब्ध की गई हैं। वित्त विभाग से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उन्होंने ऐसा कोई प्रतियां विभागों को नहीं भेजी हैं। ऐसी स्थिति में सदन के विशेषाधिकार के हनन होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अतः मैं श्री चौधरी के प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : One point is still there. Under rule 140 of the Rules of Procedure, "The Budget shall be presented to the House in such form as the Finance Minister may, after considering the suggestions, if any, of the Estimates Committee, settle."

Now the form in which the budget will be presented by him was settled by him. He has made a specific reference to the budget memorandum in his budget speech, that the members would be able to see the particular increases in the budget memorandum. This implies that the form in which the budget will be presented includes the budget memorandum also.

The second thing is, the volume II of the budget is also included in the form in which the budget is presented.

(श्री पी. के. चौधरी)

The third point is that according to Rule 138, the budget shall be presented to the House on such day as the Governor may direct.

So the presentation of the budget and its form will be decided by the Finance Minister. According to the Finance Minister that form includes the budget memorandum, and both the volume I and volume II of the budget. In that form the budget was to be presented before the House on such date as directed by the Governor under Rule 138. The date fixed by the Governor was 9th of March, 1961.

It is correct that Hindi copy has been circulated to the members last night and English copies will be circulated this morning, but they have not been laid even on the Table of the House. We have never seen the Finance Minister presenting either the budget memorandum or the II volume of the budget. He might have supplied the copies in the chamber of the Speaker or he might have given it in the Secretariat, or circulated to the Hon'ble members at their residences, but this has not been presented to the House. So I would like that these two issues may also be decided whether it can be taken for granted that they have been laid on theT able of the House? He has laid on the Table of the House the budget volume I and his budget speech, but he has not laid on the Table of the House the budget memorandum and the volume II of the budget.

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य ने बातें उठाई हैं, उन सब बातों का निराकरण जो मैंने व्यवस्था दी है, उसमें हो चुका है। आपने १४० (४) के बारे में कहा लेकिन जैसा मैंने बताया उस रूल के अन्तर्गत एस्टीमेट कमेटी या माननीय वित्त मंत्री के बीच ऐसा तय नहीं हुआ कि किस प्रकार किस रूल में बजट पेश किया जाय। इसलिए उल्लेख किया जाना उचित नहीं है। जहां तक संविधान का प्रश्न है जो बजट पेश किया गया है और जिस तरह प्रस्तुत हुआ है, वह विधान की धारा को पूरा करने के लिए काफी है और पीछे मेमोरेन्डम सक्युलेट करते हैं। मैं नहीं समझता कि उसको रखना आवश्यक है। वह माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए सक्युलेट किया जाता है और वैसा ही किया गया है।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of information, Sir, Rule 140 (4) says that budget shall be presented to the House in such form as the Finance Minister may, after considering the suggestions, if any, of the Estimates Committee, settle.

श्री अध्यक्ष : He has not settled anything under Rule 140. His mere speech does not bring him under Rule 140. He has not taken any action under Rule 140.

We pass on to legislative business.

श्री पी० के० चौधरी : But such things may happen again.

श्री अध्यक्ष : I have already said that.

(१२.२५ म० प०)

राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियत्रण) सशोधन विधेयक, १९६१

(विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान प्रेमिसेज़ (कंट्रोल ऑफ रेंट एण्ड एविक्शन) अमेंडमेंट बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आज के लिए समय निर्धारित कर दिया जाय, हर एक बिल के लिए ।

श्री अध्यक्ष : अगर आवश्यकता हुई तो वह कर दिया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : नहीं, इस बिल पर आप खूब बोलिये।

श्री अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

(कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रेमिसेज़ (कंट्रोल ऑफ रेंट एण्ड एविक्शन) अमेंडमेंट बिल, १९६१ विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

(विराम)

क्लॉज़ २ पर अमेंडमेंट । श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : [The amendment is "The word 'twenty' be substituted for the word "fifteen"] माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न कुछ समय के बाद पैदा होता है कि हम इस बिल में एक चीज़ के लिए अमेंडमेंट लाते हैं और किसी न किसी तरह हम समय बढ़ाते हैं। मैं यह समझता हूँ कि अब भी देश की यह हालत है और ज्यों ज्यों धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, देश की जन–संख्या बढ़ती जा रही है और मकानों की कमी होती जा रही है, साथ ही मकानों के किराये बढ़ते जाते हैं। हम चाहते हैं कि किरायेदार को सहूलियत मिले और पंजाब सरकार तो यहां तक आगे बढ़ रही है कि जो किरायेदार कुछ अर्से तक किरायेदार की हैसियत से रहता है, उसको आखिर में मकान मालिक घोषित कर दिया जायगा। आखिर किरायेदार २० साल तक, २५ साल तक किराया देता है। तो उसमें उन्होंने कोशिश की है, उस किरायेदार को हम मकान का मालिक घोषित कर दें और सोशियलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के नीचे हम चाहते हैं, समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं, इसलिए एक आदमी ने अपनी पूंजी लगा कर कई

(श्री मूलचन्द डागा)

वर्ष तक उसका किराया उससे उत्पन्न कर लिया है, हम नहीं चाहते कि जो किरायेदार लगभग २० साल, २५ साल तक रहा है उसको आखिर में और कोई नया रूप दिया जा सके। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बार बार एक बिल को इस तरह छः बार ला चुके हैं और इस समय चाहते हैं कि एक वर्ष और बढ़ाया जाय, तीन वर्ष के लिए ऑर्डिनेन्स लगाया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि २० वर्ष के लिए लागू किया जाय, ताकि थोड़े दिनों में ऐसी व्यवस्था आ सके जब जो किरायेदार होंगे उनको सदा के लिए मालिक घोषित कर दिया जाय, क्योंकि ऐसा होना आवश्यक है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इस बिल का समय पांच वर्ष, तीन वर्ष, दो वर्ष बार बार बढ़ाना अच्छा नहीं है। इसलिए इसके अन्दर इतने साल रख दिये जायं ताकि कुछ अर्से के अन्दर मकान मालिक जिसने अपना पैसा लगाया है, वह ले सकें और वह लिया जाकर किरायेदार को मकान मालिक घोषित किया जा सके। इस लिये मेरा सुझाव है कि २० साल माने जायं। बार बार आने से आदमी देखता है कि तीन, चार साल बाद कानून हट जायगा, इससे उसके जीवन में स्थिरता नहीं रहती। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य-मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यह कानून पहले १० साल के लिये बनाया था और ५ साल और बढ़ाने की बात है। माननीय सदस्य का यह खयाल कि ५ साल के बजाय १० साल और बढ़ा दिये जायं जिससे कि किरायेदार मालिक मकान डिक्लेअर कर दिये जायं, यह उनका खयाल मात्र है, ऐसी कोई मंशा नहीं है।

इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस ले लें और जैसा यह है वैसा ही रखें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २ में श्री मूलचन्द डागा ने रखा है उसे उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि खण्ड २ व ३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड २ व ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेंट एन्ड एविक्शन) अमेंडमेंट बिल, १६६१ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

बिल पारित किया गया।

मोटर विहिकल्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६६१

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : पहले वे पेश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : पहले आप अपने संकल्प प्रस्तुत कर दें।

एक माननीय सदस्य : इनका है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्रजी का है।

श्री भैरोंसिंह : वे नहीं करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मोटर विहिकल्स (राजस्थान अमेंडमेंट) बिल, १६६१ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, मोटर विहिकल्स अमेंडमेंट बिल, १६६१ के द्वारा सरकार अपने विहिकल्स ऑर्डिनेन्स, १६६१ को रिपील कराने की व्यवस्था कर रही है। इस ऑर्डिनेन्स को रिपील करने से पहले हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि सरकार के सामने ऑर्डिनेन्स इश्यू कराने की आवश्यकता क्यों आई ? सरकार की ओर से विधेयक प्रस्तुत करने के साथ साथ जो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स का इसके साथ दिया गया है उसमें दो बातें मुख्य रूप से सरकार की ओर से बताई गई हैं।

Page No.41

(श्री भैरोंसिंह)

एक बात तो यह कि रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटीज़ के बारे में रोड ट्रान्स्पोर्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, जो मसानी कमेटी के नाम से भी विख्यात है उसने ऐसा करने की सिफारिश की थी कि राजस्थान ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी के अन्दर केवल सरकारी सदस्य हों और दूसरा कारण यह बताया कि आन्ध्र हाई कोर्ट ने इस प्रकार का जजमेंट दे दिया कि जिस जजमेंट के कारण सरकार के सामने यह स्थिति पैदा हुई कि रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी के अन्दर केवल सरकारी अधिकारी हों।

हमारी सरकार के ऊपर आन्ध्र हाई कोर्ट के फैसले का प्रभाव हुआ और मसानी कमेटी के प्रस्ताव या सुझाव आये थे उनका भी प्रभाव सरकार पर हुआ और प्रभाव इतना हुआ कि सरकार ने इस बात की चिन्ता नहीं की कि मोटर विहिकल्स एक्ट की धारा ४४ में किस प्रकार की व्यवस्था दी हुई है।

अब सरकार की ये दो मजबूरियां हैं और धारा ४४ में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उस भाषा का स्पष्टीकरण–इन दोनों की तुलना की जाय तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि मैं कोई वकालत नहीं जानता, न मैंने कोई वकालत की, मामूली पढ़ा–लिखा आदमी भी धारा ४४ की भाषा को पढ़ेगा तो पहली बार उसकी समझ में आयेगा कि रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी को किस प्रकार कॉन्स्टीच्यूट करना चाहिये।

मैं सदन की जानकारी के लिये उन वर्डिंग्स को पढ़ कर सुना देता हूं :–

"A State Transport Authority or a Regional Transport Authority shall consist of a Chairman who has had judicial experience and such other officials and non-officials, not being less than two, as the State Government may think fit to appoint but no person who has any financial interest whether as proprietor, employee or otherwise in any transport undertaking shall be appointed as or continue as a member of a State or Regional Transport Authority, and, if any person being a member of any such Authority acquires a financial interest in any transport undertaking he shall, within four weeks of so doing, give notice in writing to the State Government of the acquisition of such interest and shall vacate office :

Provided that nothing in this sub-section shall be construed as debarring an official (other than an official connected directly with the management or operation of a transport undertaking) from being appointed as or continuing as a member of any such Authority merely by reason of the fact that the Government employing the official has, or acquires, any financial interest in a transport undertaking."

मैं ऐसा समझता हूं कि पहली बार के पढ़ने से ऐसा लगता है कि इस एक्ट के अनुसार कोई भी रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी का गठन इस प्रकार का नहीं किया जा सकता जिसमें नोन ऑफिशियल मेम्बर्स न हों। अब

(श्री भैरोंसिंह)

यह कहा जाय कि हमारे सामने दो इस प्रकार की बातें आ गईं, मसानी कमेटी की रिपोर्ट और आन्ध्र हाई कोर्ट का जजमेंट, इसलिये हमने ऐसा किया तो मैं इन दोनों कारणों को सही नहीं मानता, इसलिये नहीं मानता कि ये दो कारण ऐसे नहीं, रोड ट्रान्सपोर्ट रीऑर्गेनाइज़ेशन कमेटी की रिपोर्ट है उसमें केवल इतने मात्र ही सुझाव नहीं, उसमें काफी सुझाव हैं। उस कमेटी ने एस.-टी. ए. के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं, आर.-टी. ए. के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं, रोड ट्रान्सपोर्ट के नेशनलाइज़ेशन के बारे में सुझाव दिये हैं, टैक्सों की व्यवस्था किस प्रकार की जाय, इस सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं। ट्रान्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सरकार किस तरह की कार्यवाही करे, इसके सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं; पर उस कमेटी के उन सुझावों में से कोई भी सुझाव हमारी सरकार ने आज तक स्वीकार नहीं किया। मन्त्री महोदय बतायें कि मसानी कमेटी के किन सुझावों को सरकार ने स्वीकार किया है? एक पर भी विचार नहीं किया है और इस पर सरकार यह कह कर निकले कि मसानी कमेटी की रिपोर्ट पर हमने ऐसा किया; मैं मसानी कमेटी की रिपोर्ट को भी पढ़ कर सुनाऊंगा :

"The size of a region or Regional Transport Authority may remain flexible depending on the administrative convenience, but the criteria in forming the size...........should be the convenience of the public and in case of a large size region, there should be a branch office of the Regional Transport Authority at each District Head-Quarters."

इसमें मसानी कमेटी ने ज्यादा इस बात पर एम्फेसिस दिया है कि रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी पब्लिक की कन्विनियेन्स के ऊपर गठित की जाय। पब्लिक की कन्विनियेंस का सवाल इसलिये नहीं आता कि यदि आर० टी० ए० की मीटिंग जयपुर में होती है या जोधपुर या बीकानेर में होती है तो उस रीजन (region) के विस्तार की दृष्टि से इकन्विनियेन्स हो सकती है। इसका केवल इससे हल नहीं हो सकता कि जहां ५ सदस्य हों और दो-नोन ऑफिशियल मेम्बर्स हों उन सब को हटा कर एक ऑफिशियल को ही रख दिया जावे। माननीय मन्त्री उनको हटा कर अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे:
"...The Regional Transport authority constituted with an official with requisite experience is best suited in view of the schem of 'the administration." That the Committee have suggested.

अब दूसरा पोइन्ट आता है आर०टी०ए० के बारे में कि हमने यह फैसला किया है कि नोन ऑफिशियल्स को हटा दिया, बाकी ऑफिशियल्स को तीन के तीन यों के यों रख दिये। अब इसके लिए यह कहा जाता है कि मसानी कमेटी की रिपोर्ट और आन्ध्र हाई-कोर्ट के फैसले पर हमने यह किया है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय यह मानेंगे कि उन्होंने मसानी कमेटी की रिपोर्ट और आन्ध्र हाई कोर्ट के फैसले पर यह कार्यवाही नहीं की; बल्कि किन्हीं और कारणों से यह कार्यवाही की है जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा।

(श्री भैरोंसिंह)

अब दूसरा कारण आन्ध्र हाई कोर्ट का जजमेंट का आता है । उसने ऐसा जजमेंट दिया है कि नोन ऑफिशियल्स नहीं होने चाहिये । वहां के बस ओनर्स ने हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की और उनको याचिका मंजूर हुई । वे मुकदमा जीत गये । इसका असर वहां के ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर पर पड़ा । डिफेक्टिव ऑर्डर्स और डिफेक्टिव नोटिफिकेशन के कारण सरकार को बहुत बड़ा, जबर्दस्त घाटा उठाना पड़ा और यह कहा गया कि यह माननीय मन्त्री की जिम्मेदारी है । मुझे याद नहीं कि उन्होंने इस्तीफा दिया या नहीं, मगर जहां तक मुझे ध्यान है शायद उन्होंने विधान सभा में ऐसी घोषणा की है कि यदि यह हाई कोर्ट में रिट हुई है यह मेरी गलती के कारण हुई है तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। इसको लेकर यह कहा जावे कि ये खामियें पाई गई जैसे कि आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में बताया कि इस आधार पर हमने आर० टी० ए० में चेन्जेज़ किये हैं । मैं कहूँगा कि ये दोनों बातें सही नहीं हैं । मैंने उदाहरण दिये हैं । आन्ध्र हाई कोर्ट का फैसला थोड़ी देर में आ जावेगा वह भी मैं आपको सुना दूंगा; वह किस प्रकार का फैसला था और एक्चुअल वर्डिंग्स क्या थे ।

अब यह कहा जाये कि मसानी कमेटी ने जो सिफारिशें की उनको स्वीकार नहीं किया गया और जो सिफारिशें की थीं उनका उल्लंघन किया । हाई कोर्ट के फैसले की जबर्दस्त आड़ ली गई है । सबसे बड़ी बात जो कही गई है, मैं आपको ऊपर की ३ लाइनें पढ़ कर सुनाता हूँ । हमारे माननीय राजस्व मन्त्री कानून के ज्ञाता यहां मौजूद हैं । क्या वे इस बात को कहते हैं कि 'लेजिस्लेशन में गल्ती नहीं होती जिसमें साफ तौर से लिखा है: "who has judicial experience and such other officials and non-officials." जहां नोन ऑफिशियल के नाम विशेष रूप से लिखा है वहां सरकार बिना उसको चाहे ऑथोराइज़ कर सकती है या नहीं ? मैं समझता हूँ कि राजस्व मन्त्री इसको पढ़ेंगे और माननीय मन्त्री जो जवाब देंगे वे भी इसको पढ़ेंगे तो इस बात को पसन्द करेंगे कि सरकार बिना नोन ऑफिशियल्स के कोई भी Regional Transport Authority कॉन्स्टीट्यूट नहीं कर सकती । मैं कारण बताना चाहूँगा कि आखिर यह बात पैदा क्यों हुई ? पिछले दिनों में यातायात विभाग की आलोचना हुई । अपीलेट ऑथोरिटी आदि में जिन जिन लोगों ने वर्क किया उनको आलोचना हुई । उसमें जिस समय माननीय मन्त्री उसके मन्त्री थे सदन में उनके बारे में कई प्रकार की बहस हुई । उस बहस के परिणामस्वरूप समझिये या आपस में केबिनेट लेवल पर कोई बात हुई उसको समझ लीजिये यह डिपार्टमेंट किसी दूसरे मन्त्री महोदय को मिल गया और उनके पास नहीं रहा जिनके पास पहले था । जिन माननीय मन्त्री महोदय को यह विभाग मिला वे भूतपूर्व मन्त्री महोदय के समय में इस बात का प्रचार करते थे कि मैं आर० टी० ए० में जितने नोन ऑफिशियल्स हैं उनको नहीं रहने दूंगा । इस प्रकार की चर्चा केबिनेट में भी हुई । उस पर केबिनेट में डिस्कशन किया गया । यह केबिनेट डिसिज़न है कि नोन ऑफिशि-

(श्री भैरोंसिंह)

यल्स को हटा दिया जावे । मुझे इस बात का अफसोस है कि अगर यह एक मन्त्री की जिम्मेदारी से फैसला होता तो यह कहा जा सकता था कि माननीय मन्त्री महोदय ने गल्ती की है और यह भी समझ में आ सकता था कि यह गलती ओवर साइट से हुई है। लेकिन इस सम्बन्ध में केबिनेट ने डिसीज़न लिया और मिनिस्टर कन्सर्न्ड को केरी-आउट करने के आदेश दिये हैं और इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा कि धारा ४४ का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। केबिनेट में किस तरह से डिसीज़न होते हैं, किस तरह से सेक्रेटरीमीमो पेश करते हैं और मीमो पेश करते समय किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन यह जो डिसीज़न है वह इस प्रकार का है कि जिसको देख कर कोई भी आदमी इसकी मखौल उड़ा सकता है और कह सकता है कि इतने गैर जिम्मेदारी से केबिनेट में डिसीज़न होते हैं। किताबों को पढ़ कर और सारी बातों को ध्यान में रख कर व्यवस्था करते तो कोई गलती नहीं हो सकती थी, मगर बिना देखे कोई सेक्रेटरी मीमो पेश करे और केबिनेट उसको एप्रूव कर दे तो मैं यही कहूँगा कि हमारी केबिनेट महत्वपूर्ण मसलों पर ध्यान नहीं देकर उसके लिए आदेश बनको कार्य-रूप में परिणत करने के लिए दे देती है।

अब प्रश्न यह आता है कि केबिनेट ने क्या डिसीज़न लिया ? अध्यक्ष महोदय, आज से कुछ समय पूर्व राजस्थान हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। उसमें यह कहा था कि भूतपूर्व यातायात मन्त्री हैं उनको जिस प्रकार का जुडिशियल एक्सपीरियेन्स धारा ४४ के अनुसार होना चाहिये उस प्रकार का एक्सपीरियेन्स नहीं है। यह एक्सपीरियेन्स कितना किसको किस प्रकार से हो सकता है, उसका उन्होंने अपने जजमेंट में उदाहरण देकर बताया है और उस समय के यातायात मन्त्री को जुडिशियल एक्सपीरियेन्स नहीं है; यह संज्ञा राजस्थान हाई कोर्ट ने ली तो इसका नतीजा यह हुआ कि अपीलेट ऑथोरिटी में हमारे यातायात मन्त्री हैं जो रूल १०८ के अनुसार कमेटी कॉन्स्टीट्यूट करना चाहिये, और जब तक यह नहीं हो वे चेयरमैन नहीं बनाये जा सकते। लेकिन बाद में रूल में एमेंडमेंट किया गया। इसके अनुसार सरकार ने यह प्रयत्न किया कि अपीलेट ऑथोरिटी के चेयरमैन उनको रखा जावे। जब यह डिसीज़न लिया, माननीय मन्त्री इस बात से इन्कार करें तो भले ही करें मगर यह डिसीज़न लिया जब केबिनेट में आपस में झगड़ा हुआ कि जिसको हाई कोर्ट ने कानूनन उचित नहीं माना, अगर ऐसा करेंगे तो हाई कोर्ट के फैसले की मखौल उड़ाना होगा और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ करना होगा। इसके अलावा आगे की केबिनेट के अन्दर की बात मैं नहीं जानता कि कौन मेन्योर करने में सफल हुआ और कौनसा वर्ग असफल रहा। मैं नहीं समझता कि ये सारी बातें कहने कोई हैं या नहीं। लेकिन प्रश्न यह आता है कि हमारी सरकार ने इस चीज़ को स्वीकार किया और एमेंडमेंट किया और अपीलेट कमेटी को कॉन्स्टीट्यूट किया गया और वह कॉन्स्टीट्यूट हो गई और उसके कॉन्स्टीट्यूट हो जाने के बाद में उसके लिए फिर लोग हाई कोर्ट में गये। वह प्रसंग दूसरा है और अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : फिर वह खारिज हो गई।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : घोषणा कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में फिर प्रश्न आता है कि आर. टी. ए. और अपीलेट ऑथोरिटी का गठन कर दिया ? जब गठन कर दिया और जब फिर केबिनेट का एक्सटेन्शन किया गया तो दूसरे मंत्री महोदय को यह डिपार्टमेंट मिल गया। जब यह डिपार्टमेंट उनको मिला, वे

(१२. ५० म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अपीलेट ऑथोरिटी के चेयरमैन नहीं रहना चाहते थे। उनका कॉन्टेन्शन यह भी था कि आर. टी. ए. में कोई नोनऑफिशियल मेम्बर को भी नहीं रखना चाहिये। यह पहले की स्पिरिट के खिलाफ था। जब वे उस डिपार्टमेंट के मंत्री बन गये तो उस समय से लेकर मुझे जहां तक याद है, उपाध्यक्ष महोदय, १० सितम्बर तक कोई अपीलेट ऑथोरिटी की मीटिंग नहीं की गई, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। इस प्रकार से पांच महीने का अर्सा निकाल दिया। उनका कहना यह है कि मेरी ऐसी मंशा है, मेरा ऐसा कॉन्टेन्शन है कि मुझे अपीलेट ऑथोरिटी का चेयरमैन नहीं रहना चाहिये और जब तक सरकार इसको कॉन्स्टीट्यूट करने के विषय में कोई निर्णय न कर ले और कोई विचार न कर ले तब तक मुझे अपीलेट ऑथोरिटी का एज़ ए चेयरमैन काम नहीं करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जब यह विभाग उन मंत्री महोदय के पास चला गया तो उन्होंने उसके बाद अपीलेट ऑथोरिटी की कोई मीटिंग क्यों नहीं बुलाई और जयपुर और अजमेर के बीच में चलने वाली गाड़ियों के विषय में क्यों नहीं कोई निर्णय लिया और जब गंगानगर और पदमपुर के बीच चलने वाली गाड़ियों में से दो गाड़ियां के परमिट कैन्सिल कर दिये तो उनके पास अपील पेश हुई और उन्होंने उसको एज़ ए अपीलेट ऑथोरिटी मानने से क्यों इन्कार किया और जब उनके सामने एप्रोचेज़ किये गये, लोग-बाग वहां से आये और उनके प्रतिनिधि उनसे मिले तो फिर उन्होंने उस पर लिख दिया कि इसको अपीलेट ऑथोरिटी की मीटिंग में रखा जाय ? उन्होंने पांच महीने क्यों इसको सस्पेन्शन में रखा ? पूरे पांच महीने तक कोई अपीलेट ऑथोरिटी की मीटिंग नहीं बुलाई गई और सस्पेन्शन में रखा गया। हो सकता है कि सरकार के कुछ मंत्री इस बात में इन्ट्रेस्टेड हों कि नेशनलाइज़ेशन की स्कीम साफ हो जाय, कुछ मंत्री इसमें भी इन्ट्रेस्टेड हों कि जयपुर और अजमेर के बीच जो गाड़ियां चल रही हैं, ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी, एस. पी. अपीलेट ऑथोरिटी आदि इसमें इस प्रकार से घुटे हुए हों, इन्ट्रेस्टेड हों कि अगर जल्दी ही जजमेंट ले लिया गया तो निश्चित रूप से उसका असर जयपुर और अजमेर के बीच चलने वाली गाड़ियों पर पड़ेगा। कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके अलावा मंत्री महोदय का कोई कन्विक्शन हो सकता है, कोई उनकी मंशा हो सकती है कि वे अपीलेट ऑथोरिटी के एज़ ए चेयरमैन नहीं

Page No.46

(श्री भैरोंसिंह)

रहना चाहते। उन्होंने अपने कन्विक्शन की आड़ में अपीलेट ऑथोरिटी की कोई मीटिंग नहीं बुलाई और अजमेर और जयपुर के बीच चलने वाली गाड़ियां चलती रहीं, आर.-टी. ओ. ने गलत परमिट दिये और उसके लिए दुबारा अपील अपीलेट ऑथोरिटी में की गई फिर भी इस प्रकार से पांच महीने का समय गुजार दिया और इस प्रकार किसी भी तरह से उस अपीलेट ऑथोरिटी की कोई मीटिंग नहीं होने दी, उनका कॉन्टेन्शन था कि वे कोई अपीलेट ऑथोरिटी की मीटिंग नहीं करेंगे। आर. टी. ए. में नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स नहीं रहने चाहिये, यह भी उनका कॉन्टेन्शन था।

बदकिस्मती से वह दिन आया और उस दिन कुछ आदमियों ने आकर उनको कहा कि अपीलेट ऑथोरिटी की मीटिंग बुलाओ। वह मीटिंग फिर हुई। क्यों हुई? गंगानगर से पदमपुर बसें चलती हैं। उनके रिन्युअल के लिए, परमिट लेने के लिए उनके मालिक रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी के पास गये। १७ में से १५ को कर दिया और दो का परमिट कैंसल कर दिया। जब दो का रिजेक्ट कर दिया तो उन दो ने अपीलेट ऑथोरिटी के पास अपील की। तरीखें पड़ती रहीं और जिस कारण उस पार्टी को नुकसान हो रहा था उस पार्टी ने आकर जयपुर में जितने ऐसे एप्रोचेज हैं उनके पास जाकर इसके लिए कोशिश की और यह कोशिश की कि इससे उनको कुछ मिल जाय। मैं यह कह सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस रोज अपील की गई उस रोज उनको उस अपील पर स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया। जितनी कोशिश करनी चाहिये थी वह कोशिश की गई, लेकिन उनको स्टे नहीं मिला। फिर उनके एप्रोचेज चले और कुछ दिनों के बाद बिना अपीलेट ऑथोरिटी के ही उनको स्टे दे दिया। श्री गोवर्धनसिंह मेहता, बीकानेर डिविजन के कमीश्नर और आर. टी. ए. के. चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि वे यह हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि अपीलेट ऑथोरिटी का एज़ ए चेयरमैन हुक्म हुआ तो वे उसको मानने के लिए तैयार हैं, यदि एज़ रामकिशोर व्यास हुक्म आयेगा तो वे उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने यह लिख कर भेज दिया। गोवर्धनसिंह मेहता को हुक्म नहीं दिया गया बाद में और ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी को लिख कर दिया कि मेरे हुक्म की कम्प्लाएन्स होनी चाहिये। जब ट्रान्स्पोर्ट ऑथोरिटी ने उनको लिख कर दिया तो फिर वे गाड़ियां चलने लग गईं। अब यह स्थिति पैदा हुई कि बाकी की पार्टीज़ ने पर्चियांबाजी शुरू की। उन्होंने लेजिस्लेटर्स के पास एप्रोच को तो वे घबराये। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी अपीलेट ऑथोरिटी की मीटिंग की जा सकती है, की जाय। मीटिंग हुई और बद-किस्मती यह हुई कि उस अपीलेट ऑथोरिटी के मेम्बर थे लहरचन्द मेहता और उनकी जगह जाकर बैठ गये दीवानचन्द्र शर्मा। यह स्पष्ट बात है कि कौन अपीलेट ऑथोरिटी का मेम्बर है और वहां जाकर किसको अधिकृत रूप से बैठना चाहिये। मुझे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहिये कि जब मैंने अपीलेट ऑथोरिटी की मीटिंग हो रही थी उसके सम्बन्ध में एक एडजोर्नमेन्ट मोशन

(श्री भैरोंसिंह)

मूव किया और सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो राजस्व मंत्री महोदय, जो उस समय यातायात मंत्री की ओर से सदन में उत्तर दे रहे थे, उन्हांने यह बताया कि भ्रम के कारण जाकर उनकी जगह बैठ गये और उन्होंने यह भी घोषणा की कि जो भी उस बॉडी के द्वारा निर्णय लिये गये होंगे उनको निर्णय के रूप में नहीं माना जायगा, कम्पलाई-विथ नहीं किया जायगा। मैं यह इस कारण बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के लॉ के जानकारों की यह हालत है कि लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की जगह है और कोई दूसरे उस पर जाकर बैठ जायं और कानूनों के जानकार लोग कानून की ही अनभिज्ञता रखते हों, जिसके कारण समय समय पर ट्रान्सपोर्ट के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा, कानून के जानकारों के द्वारा और बस ओपरेटर्स के द्वारा किस प्रकार धांधली होती है जिस कारण जो सरकार की इनकम बढ़नी चाहिये, जिनके द्वारा सरकार की इनकम को बढ़ाया जाना चाहिये था, उल्टा सरकार की इनकम को नुक्सान पहुंचाने की कोशिश करते हैं।

अब यह प्रश्न समाप्त हुआ और प्रश्न आया आर. टी. ए. का। आर. टी. ए. में नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स थे। आर. टी. ए. में नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स भी ऐसे मेम्बर थे जो कि कांग्रेस पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के सरकल के बाहर नहीं थे। यदि कोई ईमानदार आदमी मिलता है तो वह कांग्रेस पार्टी में ही मिलता है ! सरकार को उसके बाहर कोई भी ईमानदार आदमी न तो दिखाई देता है और न ही मिलता है। चूंकि उनको कांग्रेस में से ऐसे आदमी मिल सकते हैं कि सरकार ने जिस प्रकार से चाहा, सरकार की जिस प्रकार की निर्णय कराने की मंशा है, जिस प्रकार से उनको एग्ज़ीक्यूट कराने की मंशा है, वह उसने अपने आदमियों के द्वारा करा दिया। वे यह समझते हैं कि वे ही जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं और उन्हीं जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों को ट्रान्सपोर्ट में भेजा जाता है जो कि सरकार की मदद करने-वाले हों।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता जो या तो किसी विश्वविद्यालय के हैं और आर. टी. ए. के मेम्बर हैं, वकालत करते हैं और वकालत करते करते आर. टी. ए. के मेम्बर भी बन गये हैं, दूसरे भी हैं जो बाकी के धन्धों में लगे हुए हैं; जो कोई साहित्य एकेडेमी में हैं, उनको वहां से ही, साहित्य एकेडेमी के काम से ही फुरसत नहीं है वे आर. टी. ए. के मेम्बर बना दिये गये हैं। इस प्रकार से साहित्य एकेडेमी, विश्व विद्यालय के व्यक्तियों को आर. टी. ए. के मेम्बर बना दिया। नतीजा क्या होगा कि मीटिंग्स होंगी तो या तो वे उनमें भाग ही नहीं लेंगे और यदि भाग उन्होंने लिया भी तो उनकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी और यदि उनमें कोई दिलचस्पी रहेगी तो एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं और कहे बिना नहीं रहूंगा कि जो लोग पोलिटिकल पार्टीज़ के मेम्बर्स हैं उन लोगों के सामने उनकी पोलिटिकल पार्टीज़ का और उनके पोलिटीकल वर्कर्स का कन्सीडरेशन आये बिना नहीं रहेगा। यदि राजस्थान में इसके लिए सर्वे कराया जाय तो जितने बस ओपरेटर्स हैं उनमें ८० प्रति-

(श्री भैरोंसिंह)

शत लोग कांग्रेस के सदस्य बने हुए हैं और जिस किसी व्यक्ति को यदि ट्रान्सपोर्ट का परमिट लेना है तो उसको कांग्रेस का चवन्नी सदस्य बनना होगा और यदि परमिट लेना है तो मेम्बर बनने के बाद भी वह सक्रिय सदस्य बना लिया जाय और यही नहीं यदि जेब खाली करने का होगा तो जेब खाली करके भी परमिट ला सकता है; बाकी नहीं।

सरकार का यह डिसीजन हो सकता है कि आर. टी. ए. में नॉन ऑफिशियल नहीं लिये जावेंगे। नॉन ऑफिशियल्स नहीं लिए, ऑफिशियल्स की कमेटी कॉन्स्टीट्यूट की। ऑफिशियल्स ने काफी परमिट दिये। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। वे हाईकोर्ट में पहुंचे और उन्होंने इस बात की मांग की कि कानून की अवहेलना हुई और उस दृष्टि से रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी कोन्स्टीट्युट नहीं की जा सकती है। हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार किया और उन्होंने आदेश दिया कि धारा ४० के बारे में जो व्यवस्था है उसके अनुसार रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी का गठन किया जाय और गठन करने में, उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात का मैंने अभी जिक्र किया था, उन्हीं विश्व विद्यालय, साहित्य एकेडेमी के लोगों को उसमें ले लिया, सरकार की कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं उनको ले लिया।

(१.०० म० प०)

अब अगर सरकार को पूछा जाय कि आपके सामने इन लोगों के लिये मापदंड क्या है, किस आधार पर आप आर. टी. ए. के मेम्बर बनाते हैं, किस प्रकार से ये सारी चीजें प्रस्तुत होती हैं जिससे सिलेक्शन होता है ? वहां जितने भी राजनैतिक कार्यकर्त्ता होते हैं उनमें से हमारी सरकार सत्तारूढ़ गुट के पक्ष के लोगों को उसमें रखती है क्योंकि उन्हीं के मार्फत वे अपना काम करवा सकते हैं, वर्ना किसी इन्डिपेन्डेन्ट व्यू के आदमियों को आर. टी. ए. का मेम्बर बनाते, उसमें फिर कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी का सवाल पैदा नहीं होता।

पिछले दिनों उदयपुर आर. टी. ए. की मीटिंग का सवाल आया, जिसमें सरकारी स्तर पर मीटिंग जल्दी से जल्दी होनी चाहिये थी क्योंकि उनके सारे रीज़न्स को काफी अपीलें थीं। उन अपीलों की जब जब तारीखें पास आती थीं, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ उन ऑर्डर्स की कॉपी भी दे सकता हूँ जिसके द्वारा हमारे सेक्रेटेरिएट से इस प्रकार के ऑर्डर्स जाते हैं कि आज मीटिंग पोस्टपोन की जाय। इस तरह से एक मीटिंग को पोस्ट पोन करने से जो इन–वेलिड परमिट से बसें चलाते हैं उनको तो एक महीने का फायदा हो गया। आज राजस्थान के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ऐसे रूट्स भी हैं जिन पर पांच–दस हजार रुपया माहवार इनकम होती है। इस तरह से उदयपुर की मीटिंग छः महीनों तक पोस्टपोन होती रही। आज के गजट में एप्लीकेशन छप कर आती है, फिर आर. टी. ए. मीटिंग को पोस्टपोन कर देता है। यह इसलिये किया जाता है कि नेशनेलाइज़ेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट की स्कीम एक्टिव कन्सीडरेशन में है। सरकार ने कभी इस बात को नहीं देखा कि दो ऑर्डर्स जो ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर द्वारा इश्यू किये गये थे उनमें कुछ रूट्स प्रेसक्राइब करके लिखा था कि इन रूट्स के लिये परमिट न दिये

Page No.49

(श्री भैरोंसिंह)

जायं, दूसरे रूट्स पर नये परमिट दिये जा सकते हैं। मुझे जहां तक मालूम हुआ है कि सचिवालय द्वारा इस प्रकार की सूचना देकर आर० टी० ए० की मीटिंग पोस्टपोन की जाती रही। इसका सार यह है कि जिन लोगों ने इन–वेलिड परमिट से अपन गाड़ियां चला रखी थी, जिनको परमिट नहीं मिलना चाहिये, उनका रिन्युअल होना चाहिये वे गाड़ियां उसी प्रकार चलती रहें और महीनों तक उनकी आमदनी होती रहे। उस आमदनी में आर० टी० ए० का हाथ हो सकता है, यह तो सरकार द्वारा इन्क्वायरी की चीज़ है, लेकिन इन्टेन्शन तो निश्चित रूप से यही सामने आता है। आखिर लगातार पोस्टपोन किये जाने के क्या कारण हो सकते हैं ? इस स्थिति में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार द्वारा जो गलतियां की गईं, जो परमिट इश्यू किये गये वे कानून की स्पिरिट के अनुसार नहीं थे। आर० टी० ए० के ऑफिशियल्स ने परमिट इश्यू कर दिया। जिस आदमी के खिलाफ जो व्यक्ति हाई कोर्ट में संरक्षण प्राप्त करने के लिए गया वह हाई कोर्ट में जाकर जीत गया, जीतने की स्थिति में वह परमिट अगेन्स्ट में गया। इस सम्बन्ध में उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त की कि आर० टी० ए० का कॉन्स्टीट्यूशन ठीक नहीं है, इसको हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार का प्रसंग जब कल और परसों वेलिडेटिंग बिल्स सदन के सामने आये थे इस बात को माननीय सदस्यों ने रखा था। मैं नहीं कहता कि इसमें कोई एक रुपये की भी डिक्री थी जिसको एग्ज़ीक्यूट कराने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को परमिट नहीं दिया गया। जब उस व्यक्ति का परमिट रिन्युअल नहीं किया गया तो उसने अपील की हाई कोर्ट के सामने कि आर.टी.ए. का गठन गलत तरीके से हुआ है। यह ऑथोरिटी किसी भी प्रकार से रिन्युअल को रोक नहीं सकती, उस पर फैसला नहीं कर सकती, यह हाईकोर्ट का हुक्म है। सरकार मानती है या नहीं, इस बात का उल्लेख इसमें आया है। इसमें लिखा है:

"The R. T. A. shall be deemed to have been constituted from the date from which first regional transport authority has been constituted"

इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। कानून तो आज बनता है और इसको लागू करते हैं उस दिन से जब कि गलतियां शुरू हुई। अगर सरकार इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं करती है तो सरकार के सामने बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती हैं तो उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिये। आपको एक बार तो इन सारी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार की कठिनाइयां डर कर हमेशा इस प्रकार के अधिकार लेते रहेंगे तो जिस किसी भी समय किसी के द्वारा गल्ती के पोइन्ट आउट करने के बाद, हाई कोर्ट की लताड़ पड़ने के बाद, चाहे कितना ही हमें नुक्सान हुआ हो उसकी परवाह किये बिना हम उसे कानूनी रूप देकर, रिट्रोस्पेक्टिव डेट उस कानून को देकर उन गलतियां पर मोहर लगा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र के अन्दर एक शब्द आता है, जिसको हम सभी जानते हैं, जिसको हम कह नहीं सकते, प्रयोग नहीं कर

(श्री भैरोंसिंह)

सकते लेकिन यह सब जानते हैं कि प्रजातंत्र की आत्मा उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से प्रजातंत्र के अन्दर एक पार्टी ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर अपने अधिकारों का उपयोग करना शुरू कर दे। 'ब्रूट मेजोरिटी' के लिए जिस प्रकार की इसमें व्यवस्था है आज तक जितनी भी प्रजातंत्रीय संस्थायें हैं चाहे वे हिन्दुस्तान के अन्दर हों या बाहर की हों प्रजातंत्र के चेम्पियन्स ने इसको इस प्रकार से डिफाइन किया है कि गलतियों को मनवाने के लिये, अपनी गल्तियों को थोपने के लिये मेजोरिटी का उपयोग किया जाता है तो वह ब्रूट मेजोरिटी है। हमारी सरकार ने गल्तियां की हैं, इसे सरकार स्वीकार करती है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है और जिस पर इसका प्रभाव हुआ है उन्होंने भी स्वीकार किया है। विधान सभा के अन्दर सरकार यदि उन गल्तियों को स्वीकार नहीं करती है तो प्रश्न एक आता है जब कि सब यह स्वीकार करते हैं कि सरकार ने गल्ती की है वैसी हालत में सरकार को इसका दंड मिलना चाहिये। जिस व्यक्ति ने सरकार की गलतियों को पोइन्ट आउट किया है सरकार उस व्यक्ति को सजा देने जा रही है। कानून का यह नियम होता है कि जो व्यक्ति गल्ती करता है उसको दंड दिया जाय, अपराध बताने वाले को दंड नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में हमें देखना पड़ेगा कि गल्ती है सरकार की और दंड उस व्यक्ति को दे रहे हैं जिसने सरकार को गल्ती बतलाई। किसी के मुंह पर कालिख लगी हुई हो और अगर उसको कोई साफ करने के लिये अपना रूमाल देता है तो उसका मतलब यह नहीं कि रूमाल देने वाले के मुंह पर तमाचा मार दिया जाय। यह सारी स्थिति इस प्रकार की है। जिसने आपकी गल्ती बताई उसी को आप दंड देने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने गल्ती बताई, जिसने हाईकोर्ट में अपील की, जिसके लिए ५००–७०० रुपया वकील को भी दिया, जोधपुर के बीच चक्कर भी लगाया, कई दिनों तक परेशान भी हुआ, उसके सामने आर्थिक संकट भी आया, इतना सब कुछ होने के बाद उसने सरकार की गल्ती बताई और जिस दिन बतायी उसी दिन उसको थप्पड़ लगा दी। यह इस प्रकार की व्यवस्था है इस व्यवस्था के आधार पर आप कानून ला रहे हैं! प्रजातंत्र के अन्दर आप इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। प्रजातंत्र में आप जीतें, आपकी पार्टी का राज रहे, लेकिन आप जिस प्रकार का मकान बना रहे हैं उस मकान का कभी न कभी विस्फोट होगा। अगर विस्फोट नहीं होता है तो इस प्रकार की हरकतों से प्रजातंत्र की जो नींव है वह कमजोर बनती है और एक समय ऐसी स्थिति आ सकती है जब यह प्रजातंत्र का गढ़ समाप्त हो सकता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने कुछ गलतियां की हैं परमिट्स के कारण कठिनाई पैदा होती है लेकिन आप जिस ढंग से उन सब गलतियों को वेलिडेट कर रहे हैं उसके लिये अधिकार तो जरूर है लेकिन आपको इस प्रकार के कनवेन्शन्स नहीं डालने चाहिये। आपको एक बार रिस्क लेना है। आप बस ऑपरेटर्स को उसका दंड न दे कर अपने ला डिपार्टमेंट के जिसने आपको इस प्रकार की एडवाइस दी है उन अधिकारियों के खिलाफ इन्क्वायरी करनी चाहिये। उनके खिलाफ सही रूप से एक्शन लें। अपने विधि विभाग को

(श्री भैरोंसिंह)

ठीक करने के लिये कार्यवाही करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो राजस्थान में इसी प्रकार की हरकतें होती रहेंगी और इससे प्रजातंत्र और हाई कोर्ट के प्रति जो आस्था है, वह समाप्त होती जायगी। इन शब्दों के साथ में इस बिल का, जो हमारी सरकार ने सदन में पेश किया है, विरोध करता हूँ और सदन के माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि इस प्रकार के वेलिडेटिंग बिल को पास करने के कारण भविष्य में जाकर बहुत खतरा सामने आने वाला है; उस खतरे से बचना हो तो आज से ही इसको रोकने की चेष्टा करेंगे तो हम उसको रोक सकने में सफल होंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं इसका समर्थन करता हूँ और इसलिये करता हूँ कि आज हमारे राजस्थान के अन्दर एक सवाल जो सबसे बड़ा चलता है, पिछली बार भी सदन के सामने एक बात आई थी और उस समय भी काफी चर्चा हुई थी कि राजस्थान में यातायात का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं, उस वक्त मोटर मालिक इस तरह की रिट पिटीशनें ला रहे हैं जैसे जमींदारी और जागीरदारी समाप्ति के वक्त वे लोग लाते थे। तो यह राष्ट्रीयकरण जब होने जा रहा है तो उस वक्त इस प्रकार का बिल लाकर उत्तम काम सरकार ने किया है। हमें देश में, राजस्थान में यातायात व्यवस्था को बैकाना है। अगर हम में से कोई राजस्थान रोड वेज़ से और दूसरी प्राइवेट बसों से यात्रा करें तो दोनों का फर्क स्पष्ट मालूम होता है। तो हम राष्ट्रीयकरण करने जब जा रहे हैं तो मजबूती के साथ करें। यह काम हमें हिम्मत और मजबूती से करना चाहिये कानून के द्वारा भी और उससे परे भी जाकर कुछ करना पड़े तो हमें हिम्मत और मजबूती से करना चाहिये।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : कानून से परे ?

डॉ० बहादुरसिंह : इसके बाद भी कानून बनाना पड़े तो कोई इसमें बेजा बात नहीं मानता क्योंकि ऐसा होता है अक्सर....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : बेजा तो नहीं, पर गैर कानूनी जरूर।

डॉ० बहादुरसिंह : इसके बाद जरूरी हो तो एक्ट में संशोधन कर सकते हैं, ऐसी बात हो तो। पर मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकरण मजबूती के साथ किया जाय और जो गुंडागिरी है, माननीय उपाध्यक्ष, मैं सदन से निवेदन करना चाहूँगा कि यातायात के राष्ट्रीयकरण विभाग और पुलिस विभाग का समन्वय नहीं बैठ पाता....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): यह गुंडागिरी क्या ?

डॉ० बहादुरसिंह : यह बताऊंगा। मैं सदन के सामने रख दूं। जिस वक्त राष्ट्रीयकृत यातायात बसें चलती हैं उस वक्त प्राइवेट बस ओनर्स के कन्डक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं वे उनके साथ बराबर गुंडागिरी करने को आमादा रहते हैं। ऐसा भरतपुर रूट पर प्रत्यक्ष देखने का मुझे अवसर मिला है। वे सरकारी बसों के ड्राइवरों, कन्डक्टरों आदि के साथ गुंडागिरी करने में नहीं हिचकते।

Page No.52

(डॉ० बहादुरसिंह)

तो आप इसको संरक्षण भी देने की व्यवस्था करें।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसको या तो पढ़ा नहीं या श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य के कथन को समझा नहीं, मैं निवेदन करना चाहूँगा।

इस बिल के द्वारा नेशनलाइजेशन का प्रश्न नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस प्रकार का डिसीज़न लिया था कि आर० टी० ए० में नोन ऑफिशियल मेम्बर नहीं लिया गया था इस कारण उसका कॉन्स्टीट्यूशन वेलिड नहीं था इसलिये जितने परमिट दिये गये वे अवैध करार दिये गये। इसके अन्दर पहले ऑर्डिनेन्स लाया गया और उसके द्वारा उस हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने को कोशिश की गई और उसी ऑर्डिनेन्स की वैधता को अब आप से स्वीकार कराया जा रहा है। मूल प्रश्न यह है। आज हाई कोर्ट से एक व्यक्ति ने अपने अधिकारों के लिये संरक्षण प्राप्त किया। सरकार को यह बुरा लगा। उसने कहा कि तुमने हाई कोर्ट से सुरक्षा का हाथ अपने सिर पर रखाया है तो हम उस हाथ को विधान सभा द्वारा हटा देंगे। वे आज उस हाथ को हटाने की कार्यवाही करने के लिये इस संशोधन को यहां लाये हैं। वे कहना चाहते हैं हाई कोर्ट से कि तुमने इस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया है पर तुम से भी ऊपर लेजिस्लेशन है। अगर तुमने अपना संरक्षण का हाथ रख दिया है तो हम वेलिडेटिंग बिल लाकर उस हाथ को हटा देंगे। उस आदमी को यह महसूस कराया जा रहा है कि तुमको अगर कहीं से राहत या कुछ प्राप्ति हो सकती है तो हम से ही हो सकती है। तुम हमारी गरज करो वर्ना पहले तुमने परमिट नहीं प्राप्त करने की हैरानी उठाई, उसके बाद हाई कोर्ट तक जाने में वकीलों के दरवाजे खटखटाने में खर्चा किया, पर अब भी चूंकि तुम हमारी खुशामद नहीं कर रहे हो तो तुम्हें अब भी परेशान रखा जावेगा। हो सकता है वह आदमी कांग्रेस का मेम्बर न हो, चार आने का फॉर्म नहीं भरा हो, और भी ऐसी कई बातें हो सकती हैं। ऑफिशियल्स जो हैं उनको उसने अप्रसन्न किया हो। तो उस एक व्यक्ति को परेशान करने के लिये यह सब कुछ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हालांकि हमारी सरकार को इस प्रकार का कॉन्स्टीट्युशन में अधिकार प्राप्त है, इस अधिकार का उपयोग हो सकता है; दो, चार, पांच साल में एक बार करना पड़े....

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : No qourum,

श्री उपाध्यक्ष : Proceed on. I am just assessing the position.

श्री दयाकृष्ण विजय : सरकार ने कहा है गलतफहमी को दूर करने के लिये। कानून जो आप बनाते हैं उसका विश्लेषण और व्याख्या करना हाई कोर्ट का काम है। हाई कोर्ट ऐसी जगह है जहां हमारे द्वारा बनाये गये कानून का स्पष्टीकरण होता है और उस पर कोई डाउट नहीं किया जाता। अब उस पर डाउट करना और उस संशय की बात पर वैधकरण बिल तैयार करके यहां लाना

·(श्री दयाकृष्ण विजय)

उचित नहीं । हमें व्यक्ति के अधिकार को मानना चाहिये और गलती करने वाले अधिकारी को, फिर वह चाहे लॉ विभाग का हो, कहीं का हो, उसके खिलाफ कदम उठाने चाहिये; न कि उस आदमी के खिलाफ कि जिसने आपकी आंखें खोली हैं, और आपकी गलती बताई है। तो आपने उस व्यक्ति को राहत देने के बदले जिसने आपकी गलती बताई उस पर वज्र प्रहार आप कर रहे हैं। आप उस पर और सबक दे रहे हैं कि तुम्हारा बार बार हाई कोर्ट में जाना बेकार है। हम जो भी कर देते हैं वही ठीक है, अगर तुम्हें परमिट लेना है तो हमारी गरज करो, हमारी खुशामद करो, हमें खुश करो, हमारे अधिकारियों को खुश रखो । यह आपका तरीका गलत रास्ते पर ले जानेवाला है, पुराने तरीके का है । आप सत्ता के प्रति लोगों को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति पैदा करना चाहते हैं। जबर्दस्ती से अपनी नौकरशाही का आधिपत्य स्वीकार कराना चाहते हैं । यह डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, जिसमें हम आज श्वास ले रहे हैं। यह तरीका प्रजातन्त्र में लोगों की आस्था हिलानेवाला है, प्रजातन्त्र के निर्माण में बाधक है । आप कहते हैं संविधान में कि किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षक कौन है; तो वह हाई कोर्ट है । आप सुदूर पश्चिम में उसे भेज कर अपने अधिकारों को संरक्षण देने की बात कहते हैं एक तरफ तो, दूसरी तरफ व्यक्ति के उस अधिकार को और हाई कोर्ट के उस संरक्षण को समाप्त करने पर आप तुले हुए हैं । तो इस पर हमें यह विश्वास करके चलना पड़ेगा कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है । बेधड़क बनी हुई है यह सरकार । यह समझती है कि हम बहुमत में हैं, जिसको चाहें उसको परमिट दे सकते हैं व जिसको चाहें उसको नहीं । आज इस प्रकार के एक निरंकुश जन–मत के ऊपर या निरंकुश सत्ता को अपने आधिपत्य में लेकर आप लोगों के प्रजातन्त्र के अधिकारों को कुंठित नहीं कर सकते । मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्रीजी कम से कम लॉ डिपार्टमेंट से इसका क्लेरिफिकेशन लें और सारे अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और जो गलती हुई उसका आत्मलोचन करें और फिर जो इनके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको दण्ड दिया जाये । मैं समझता हूँ कि हम गलत परम्पराओं का निर्माण कर रहे हैं, यह हम प्रजातन्त्र के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं । मैं समझता हूँ कि यदि इस प्रकार के कदम उठाये गये तो कोई भी व्यक्ति राजस्थान में सुरक्षित नहीं रह सकेगा । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : श्रीमन्, मैं प्रस्तुत विधेयक का जहां एक अंश का मजबूती के साथ समर्थन करता हूँ वहां उसके दूसरे अंश का उतनी ही मजबूती के साथ विरोध करता हूँ । पहला अंश, श्रीमन् इस विधेयक का सामने रखता हूँ रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी के सम्बन्ध में । यहां पर जो रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी है उसमें केवल सरकारी अधिकारियों को ही सदस्य रखा । राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में अपना मत इस प्रकार प्रकट किया कि यह अनिवार्य था कि उसमें कुछ गैर सरकारी सदस्य भी हों । मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न के ऊपर मतभेद की गुंजाइश है ।

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने इसी मामले में इसके विपरीत फैसला दिया है। तो इस पर राय के बीच में मतभेद है, दो उच्च न्यायालयों के बीच में। जो कानून है अगर उसको पढ़ें तो मालूम होता है कि इसमें कुछ गलतफहमियां हैं। कानून के अन्दर यह लिखा हुआ है कि रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी का एक चेयरमैन होगा जिसको जुडिशियल एक्सपीयरेन्स होना चाहिए और उसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होंगे जिनको सरकार नामजद करेगी। तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसमें गैर सरकारी सदस्य होना अनिवार्य है। जहां ऐसा होता है वहां कानून में इस प्रकार लिखा जाता है, "such number of members of whom atleast 1/3rd or 1/4th should be non-official.' ऐसी मन्शा यहां प्रकट होती है। यहां शब्द है 'एण्ड' ऑफिशियल एण्ड नान ऑफिशियल। यह 'एण्ड' के रूप में आता है। उसका स्पष्टीकरण कानून में किया जाय तो उचित है, जब कि उच्च न्यायालय में भी मतभेद है। मैं इसको बहुत गम्भीर दृष्टि से नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि यह तो केवल कानून के स्पष्टीकरण की बात है, वेलीडेटिंग की बात नहीं है। यह मात्र स्पष्टीकरण की बात है। कानून की भाषा को इस ढंग से रख दिया गया है कि उसमें शंका की या इन्टरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं रहे। इस हद तक तो मैं बिल का समर्थन करता हूँ। यह हमारी परम्पराओं पर कोई कुठाराघात नहीं करता।

जहां तक इसके दूसरे अंश का सवाल है वह मैं इस प्रकार रखता हूँ। कुछ टेम्पोरेरी पर्मिट्स जिनको हाई कोर्ट ने इल्लीगल करार दिया उन पर्मिट्स के वैधकरण का जहां प्रश्न आता है वहां मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत बुरी प्रथा को जन्म दे रहे हैं। इसके पहले कि मैं इस पर अपना मत प्रकट करूं मैं सदन का ध्यान मोटर विहिकल्स एक्ट, १६३६ के कुछ हिस्सों की तरफ दिलाता हूँ। उसमें एक धारा ५७ है जिसके अन्दर लिखा है कि पर्मिट ग्रान्ट किस तरह किये जायेंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर एडॉप्ट किया जायेगा। यह सारा डिटेल में लिखा हुआ है और उसमें जन-हित की दृष्टि से और न्यायपूर्ण तरीके से अर्जियों का फैसला हो, इसलिए जितने भी उपाय हो सकते हैं निष्पक्षता से काम करने के वे सारे लिखे हुए हैं और बड़ी सोच-समझ कर केन्द्रीय संसद ने उस कानून को बनाया। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब अर्जियां आयें तो पहले उनको प्रकाशित कराया जाये, एक खास समय तक लोगों को मौका दिया जाये कि वह अपना विरोध प्रगट कर सकें। फिर पब्लिक नोटिस देकर तारीख निश्चित की जाये कि कब उन अर्जियों पर विचार होगा और ओपन मीटिंग में जहां कि लोग आ सकते हों उनकी बात सुनी जाये और फिर अपना फैसला दिया जाये। अगर किसी की अर्जी को खारिज करते हैं तो उसके अन्दर यह भी लिखा है कि खारिज करने के कारणों को बताते हुए खारिज कीजिए, ऐसे ही उसको खारिज नहीं कर सकते। इसके विपरीत अगर किसी को शिकायत हो तो उसके लिए अपील का प्रोविज़न है, इस प्रकार का कानून है। मगर साथ ही साथ उसमें एक दफा ६२ भी है और वह हमारे इस विधेयक के मसविदे से सम्बन्धित है। वह भी प्रस्तुत विधेयक में छापना चाहिए था, सदस्यों की सूचना के लिए और वही सबसे ज्यादा

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

महत्वपूर्ण है। खैर, दफा ६२ में लिखा है कि ४ विशेष परिस्थितियों में टेम्पोरेरी पर्मिट इश्यू किये जा सकते हैं। जो पर्मिट दफा ५७ का प्रोसीजर एडॉप्ट करते हुए दिये जायेंगे उनके लिए अवधि ३ से ५ वर्ष तक की होगी, उससे कम नहीं होगी। मगर टेम्पोरेरी परमिट्स ४ महीने से ज्यादा की अवधि के नहीं होंगे और बिना दफा ५७ के प्रोसीजर के फॉलो किए हुए इश्यू किये जा सकते हैं। उसके लिए एतराज मंगाना लोगों के ऑब्जेक्शन्स सुनना और मीटिंग होल्ड करना, यह सब जरूरी नहीं हैं। टेम्पोरेरी परमिट वैसे भी दे सकते हैं, पर वह ४ महीने से ज्यादा के नहीं होंगे। और खास खास परिस्थितियों में ही वे दिये जा सकते हैं। जैसे कोई टेम्पोरेरी आवश्यकता आ गई, जैसे पुष्कर का मेला आ गया या जयपुर के आस-पास कोई बड़ा मेला भरता हो तो ऐसे समय में ज्यादा मोटरें चाहिएं तो आप टेम्पोरेरी परमिट दे सकते हैं। पर किसी की रिन्युअल की दरख्वास्त लगी हो, किसी की परमानेन्ट परमिट की अवधि समाप्त हो गई हो और उसने रिन्युअल की दरख्वास्त दे रखी हो तो जब तक उसका फैसला नहीं हो जाये तब तक के लिए टेम्पोरेरी परमिट दिया जा सकता है। इस तरह की चार विशेष परिस्थितियां लिखी हुई हैं। उसके अलावा पांचवीं परिस्थिति में टेम्पोरेरी परमिट देने का अधिकार नहीं है रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथेरिटी को। यह इसलिये रखा है कि टेम्पोरेरी पर्मिट के लिए सारे प्रोसीजर को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए टेम्पोरेरी परमिट केवल चार परिस्थितियों में ही इश्यू किये जा सकते हैं। फिर इसमें आगे लिखा है कि ये टेम्पोरेरी पर्मिट्स नहीं दिये जा सकते अगर वहां पर्मानेन्ट परमिट्स की अर्जियां लगी हुई हैं और उनका फैसला नहीं हुआ हो। इस प्रकार की कुछ शर्तें उसमें लिखी हैं। इन सारी बन्दिशों को देखते हुए जो मोटर विहिकल्स एक्ट में है, आज जो हम करने जा रहे हैं उसका नतीजा होगा कि हम दफा ५७ के प्रोविज़न का वायोलेशन करेंगे। किन्हीं अन्यान्य कारणों से हमने गैर कानूनी टेम्पोरेरी पर्मिट इश्यू कर दिये उनको रिन्यू करते चले आते हैं और आज उनका वैधकरण करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि जो हमने सोच-समझ कर कानून बनाया है उस कानून को हम कानून बनाने वाले ही बलाये ताक रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि संसार की अब तक की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में यह एक सबसे पहला काला उदाहरण राजस्थान का पेश होगा। जिस प्रकार हम दावा करते हैं कि हिन्दुस्तान में हम विकेन्द्रित शासन प्रणाली को लाने में अग्रणी अपने को मानते हैं और एक पायोनियर होने का दावा करते हैं, मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इस कानून के पास होने के बाद काले कानूनों में भी अग्रणी होने का दावा करेंगे। इसका दूसरा कुछ अर्थ ही नहीं होता। यदि यह कानून पास होता है तो लोक हित में नहीं होगा। इसके मायने यह होंगे कि कानून पर से हमारी आस्था हट गई। आजकल जितने कानून बनते हैं उनका कोई महत्व ही नहीं रहता है। आज उसको तोड़ देंगे तो कल उसका वैधकरण कर लेंगे। जिस देश में कानून पर आस्था नहीं है तो वह प्रजातन्त्र नहीं है। राजाओं के हाथ से शासन-तंत्र को निकाल कर जनता को कह दिया कि जिसकी बड़ी लाठी हो वह ले जावे भैंस को; तो वह

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

प्रजातन्त्र नहीं कहलायेगा, मोत्र तन्त्र कहलायेगा; कानून पर से आस्था हटेगी और कानून टूटेगा तो यह प्रजातन्त्र का लक्षण नहीं है। जहां इस तरह की बात होती है वहां हमारे दिल में छिपी हुई प्रजतन्त्र विरोधी भावनाओं का द्योतक है। इसलिये मैंने कहा कि संसार भर में यह काले कानून का उदाहरण होगा जिसे पास करने में राजस्थान अग्रणी हो रहा है।

अब मैं कुछ परिस्थितियां बताना चाहता हूँ जिनके कारण ऐसे काले कानून बनाने पड़ते हैं। इसके लिये उदाहरण देने पड़ेंगे। जहां तक मैं समझ पाया हूँ ऐसा इसलिये कह रहे हैं कि नेशनलाइज़ेशन की स्कीम सोच रहे हैं और उसे यहां पर जल्दी ही लागू करना चाहते हैं, तीन चार महीनों में ही। और कानून के अनुसार परमिट देते हैं तो ३ साल का देना होगा और यदि बीच में ही नेशनलाइज़ कर दिया तो उनको कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा जिसके लिये खजाने से रुपये जायेंगे। किसी को कम्पेन्सेशन नहीं देना पड़े, इसलिये चार चार महीने के परमिट इश्यू करना चाहते हैं। यह जस्टिफिकेशन हो सकता है इस बात के लिये कि सरकारी खजाने पर बोझ नहीं पड़े, इस दृष्टि से ऐसा करना चाहते हैं जिससे यह सुन्दर दृष्टिकोण हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह सुन्दर दृष्टिकोण टिक सकता था बिना कानून तोड़े और बिना भद्दा उदाहरण पेश किये संसार के सामने। राष्ट्रीयकरण करने के लिये उसी समय राष्ट्रीयकरण बिल पेश करना चाहिये था जिसमें यह प्रोविज़न करना चाहिये था कि एक नोटिफिकेशन द्वारा डिक्लेअर किया जा सकता कि है फलां रूट को नेशनलाइज़ करना चाहते हैं और यह भी प्रोविज़न करना चाहिये था कि, "notwithstanding anything contained in the Motor Vehicles Act, 1939."

इस रूट पर केवल टेम्पोरेरी परमिट दिये जायेंगे, ऐसा उसमें कर देते। ऐसा कानून पास करते और उसके मुताबिक आर. टी.-ओ. वर्क करता तो ज्यादा सुन्दर होता, बजाय इसके आपने एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू कर दिये। यह करना प्रजातन्त्र की जड़ में कुल्हाड़ी मारना था। इसको हम सुन्दर रूप से कर सकते थे, प्रजातन्त्र की जड़ में पानी डालते हुए कर सकते थे जिसकी तरफ कोई उंगली उठानेवाला नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और प्रजातन्त्र की जड़ में कुल्हाड़ी मारने का उदाहरण पेश किया।

इस सदन के सामने इसी सत्र में इतने वेलिडेटिंग बिल आये हैं जितने किसी भी राज्य की विधान सभा के सामने नहीं आये होंगे। एक सत्र में ही, नहीं हर सत्र में ये बिल आते रहे हैं। यदि ५ साल में एक–दो जरूरी आते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन यहां तो कानून बनाते हैं उसके बारे में सोचते-समझते नहीं और उन्हें तोड़ते हैं और जब वे कार्यवाहियां हाई कोर्ट द्वारा अवैध करार दे दी जाती हैं तो उसका वैधकरण करने के लिये संशोधन ले आते हैं; यह कह कर कि हमने कानून बनाया था, यदि किसी ने उसको चेलेन्ज कर दिया तो हम उसका वैधकरण कर देंगे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये शर्म महसूस करनी चाहिये। खैर, जो

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

हुआ सो हुआ लेकिन इस तरह की परम्परा कायम न करें। हम इतना समझ कर करें कि यह बहुत बुरी बात है और काली परम्परा है, जिसकी आदत हमें न डालनी चाहिये। यदि कोई असाधारण बात हो और परिस्थिति ही ऐसी आ जाय तो और बात है, लेकिन आदत के तौर पर काली परम्परा डालते हैं तो मैं उसकी ताईद नहीं कर सकता।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, सदन में इस कानून पर श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका विरोध करते हुए बहुतसी बातें कहीं। मेरे ख्याल से बहुत सी बातें, तो जो उन्होंने इस वक्त कहीं वे शायद इस बिल से ज्यादा संबंध नहीं रखतीं, पर बहुत सी ऐसी भी बातें हैं जो इस बिल से सम्बन्ध रखती हैं। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल पर जो प्रकाश डाला वह कानून के दृष्टिकोण से वास्तव में सही है। यह ठीक है कि रोज हम इस प्रकार के आॅर्डिनेन्स लावें और फिर इस प्रकार से दुरुस्तियें हों, इस प्रकार दुरुस्ती करने की परम्परा सरकार को नहीं डालनी चाहिये, ऐसा उन्होंने कहा और मैं भी इस बात को मानता हूँ और सरकार भी मानती है कि इस प्रकार के आॅर्डिनेन्स हमेशा परम्परा के रूप में नहीं आने चाहिये। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इन्टरप्रिटेशन के बारे में जब झगड़ा होता है और खास करके इस कानून को बनाने से पहले जिस मसानी कमेटी का रेफरेन्स दिया था, मसानी कमेटी ने जैसा कि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वयं ने स्वीकार किया था कई बातें कहीं हैं; आर. टी. ओ. के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, टैक्सेशन के बारे में किस तरह से सुधार हो, इस बारे में बहुत सी बातें इस रिपोर्ट में दर्ज हैं। वह रिपोर्ट इस कमेटी ने अपनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरी भारत सरकार को सब्मिट की। भारत सरकार ने ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर्स के, जो स्टेट्स के हैं उनका सम्मेलन बुलाया और उनके साथ बात-चीत की और जो रिपोर्ट उस कमेटी ने सब्मिट की थी उसके बारे में, मैं निवेदन करूंगा कि अलग–अलग स्टेट्स में मतभेद था, उनकी राय भिन्न भिन्न थी और रिपोर्ट की बहुत सी मान्यताओं के बारे में अलग अलग स्टेट्स की अपनी अलग अलग परिस्थितियों हैं उनके अनुसार उन्हें आंकना पड़ा।

हर एक स्टेट ने यह कहा कि हम २ आर० टी० ओ० या एस० टी० ओ० का डिसीज़न नहीं ले सकते। जैसा कि उन्होंने कहा है रिपोर्ट में, आॅफिशियल्स और नोन-आॅफिशियल्स भी हो सकते हैं और यह भी सुझाव दिया है कि एक जिले में एक आर०-टी० ए० कलेक्टर हो तो अच्छा रहेगा। यह उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों की सूचनार्थ निवेदन करूंगा कि जिस बात की उन्होंने जरूरत मानी है, जब कि हिन्दुस्तान के एक भी स्टेट में ऐसा नहीं है, यदि हम इसको मान लें तो बूंदी जिले का एक आर० टी० ए० वहां का कलेक्टर होगा और टोंक जिला जिसमें कितने रूट्स हो सकते हैं, वहां का अलग आर० टी० ए० कलेक्टर होगा। रूट चलता है या नहीं और यदि चलता है तो बूंदी में कहां तक चलेगा ? और यदि एक रूट पांच

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जिलों में चलता है तो इन्टर-स्टेट रूट हो जायगा। तो उन्होंने इसको बैस्ट माना है। वह राजस्थान में सबसे मुश्किल बात है। इसलिये जिस बात को कमेटी अच्छा मानती है वह हमारे लिये ठीक नहीं है। इसलिये एक आदमी को एक जिले का आर० टी० ए० बनाना ठीक नहीं हो सकता है। यदि ऐसा मान लें तो हमारे यहां ऑपरेट करने वालों को हम दिक्कत में डाल सकते हैं। इसलिये हमने कहा कि हम डिस्ट्रिक्टवाइज़ नहीं कर सकते। उस मीटिंग में कइयों ने कहा कि कमेटी को ठीक रिकमन्डेशन नहीं है इसलिये इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हमने कहा कि हमारे यहां डिविज़नवाइज़ है उसी को रखेंगे और हमने यह भी कहा कि ऑफिशियल मेम्बर्स को रखेंगे, नोन-ऑफिशियल नहीं रहने चाहिये। इस बारे में हाई कोर्ट में मामला गया और उन्होंने तय किया कि नोन ऑफिशियला भी होने चाहिये और इस तरह से उसको इन्वेलिड करार दे दिया गया। उसके बाद इस कानून के ऊपर ऑर्डिनेन्स निकालना पड़ा और उसको यहां पर लाना पड़ा। उस दौरान में उन्होंने जो पर्मिट दिये टेम्पोरेरी पर्मिट और पर्मानेन्ट पर्मिट, वह कार्यवाही भी वेलिडेट करनी जरूरी हो जाती है, हालांकि ६२ के अन्दर टेम्पोरेरी पर्मिट देने की व्यवस्था है। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उस समय की परिस्थितियों का काफी विस्तार से जिक्र किया और हमारे यहां पर नेशनलाइजेशन के कारण कौन कौन से रूट्स लिये जायं, किस तरह कम्पेन्सेशन दिया जाय, उन्होंने बतलाया कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि कम से कम भार पड़े स्टेट के खजाने के ऊपर, जो खजाना सारी जनता का है। यह दृष्टिकोण भी हमारा रहा है और एक्ज़ीक्युटिव इन्स्ट्रक्शन के जरिये और दूसरे जरिये किया है। यह बात सही है कि समय समय पर राष्ट्रीयकरण करने से जनता पर कम से कम बोझा पड़े। इस बारे में भी बातें हुई हैं और मेरे ख्याल से उसमें कई प्रकार की कानूनी दिक्कतें आ रही हैं। जब से इस मामले को हाथ में लिया है हमारे सामने कानूनी दिक्कतें आ रही हैं। एक स्टेज पर हाई कोर्ट में फैसला हुआ है और हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और वहां से भी फैसला होगा और किसी न किसी दिन यह सब समाप्त होकर राष्ट्रीयकरण होने वाला है बसेज़ का, जिन जिन रूट्स पर सरकार ने राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया है।

उन्होंने मसानी कमेटी कि रिपोर्ट के बारे में भी कहा है और आर० टी० ए० के बारे में ही कदम उठाने की बात कही है और दूसरी बातों के लिए कदम नहीं उठाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, उस रिपोर्ट को पूरी तौर से सरकार ने एग्ज़ामिन किया है। उसके अन्दर एस० टी० ए० के कॉन्स्टीट्यूशन के बारे में बात थी, उसके मुताबिक ही उसका कॉन्स्टीट्यूशन किया गया है। उसके सिलसिले में हाई कोर्ट के पुराने जजमेंट का हवाला देते हुए कहा गया कि एस० टी० ए० का चेअरमैन और आर० टी० ए० का चेअरमैन जुडिशियल एक्सपीरियन्स वाला आदमी होना चाहिए। इसमें जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है। यह मामला हाई

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कोर्ट में गया । इस सम्बन्ध में उन्होंने मेरे बारे में कहा क्योंकि मैं पहले चेअरमैन था। तो चेअरमैन के बारे में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके कन्स्ट्रक्शन के बारे में मसानी कमेटी की जो सिफारिश थी उसके अनुसार चेअरमैन के अलावा और बाकी की एस० टी० ए० थी, जिसका उन्होंने हवाला दिया है; तो वह मामला हाई कोर्ट में गया और उन्होंने अपना इन्टरप्रिटेशन दिया । यह जुडिशियल एक्सपीरियेन्स के इन्टरप्रिटेशन का मामला है और वह मामला सुप्रीम कोर्ट के अन्दर अभी भी विचाराधीन है । उसका इन्टरप्रिटेशन क्या है, क्या कानूनी इन्टरप्रिटेशन है, वह सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट होने के बाद मालूम पड़ सकेगा कि सही इन्टरप्रिटेशन क्या है। तो चूंकि उन्होंने हवाला दिया, इसलिए इतनी सी बात मैंने कह दी । उन्होंने जो एस० टी० ए० के कॉन्स्टीट्यूशन की बात कही उसके लिए मैंने अर्ज किया कि मसानी कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए किया । इसके बाद हमने अपीलेट ऑथोरिटी के बारे में भी सोच-विचार कर निर्णय किया और सुप्रीम अपीलेट ऑथोरिटी का चेअरमैन, जो मेरे वक्त में था, उसके मामले को हाई कोर्ट में ले गये थे, उसको चेलेंज किया था, कानूनी दृष्टिकोण से उसे चेलेंज किया गया था, उसके लिए जो रिट पिटीशन हुई थी, वह रिजेक्ट हुई है और उसका कॉन्स्टिट्युशन वाजिब माना गया, ठीक माना गया और उसमें उस दृष्टिकोण से गड़बड़ी नहीं थी । इसके अलावा यह राजस्थान में ही नहीं है, जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, कई स्टेट्स में अलग अलग तरह से अपीलेट ऑथोरिटी का कॉन्स्टीट्युशन हुआ है । अब जैसा बताया, उसका एक सिंगल ऑफिसर, जिसको राज्य सरकार ने अपॉइन्ट किया, रूल्स और एक्ट के नीचे वह अपीलेट ऑथोरिटी राजस्थान में काम करती है और ठीक तरह से काम करती है । वह आदमी जुडिशियल एक्सपीरियेन्स का आदमी है और जो पुरानी पेंडिंग अपील्स हैं उनका डिस्पोज़ल किया है और वह कार्यवाही ठीक ढंग से चल रही है ।

इसके अलावा और भी कई बातें ट्रान्सपोर्ट के सम्बन्ध में कहीं । यह भी कहा कि इस सदन में उसकी आलोचना हुई है । ठीक बात है, आलोचना हुई है और अब भी होगी, आलोचना का होना डेमोक्रेसी में जरूरी है । वह आलोचना सही है या गलत है, इस बात का निर्णय तो, मेरे ख्याल से, जनता करती है । तो आलोचना हुई है, होती है और फिर होगी, इसके लिए मैं मना नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने कहा कि केवल एक बात की तरफ ध्यान दिया था, ऐसी बात नहीं है । ट्रान्सपोर्ट के रीऑर्गेनाइज़ेशन के विषय में जो सुझाव दिये गये उन पर विचार किया गया और उन पर एक्शन भी लिया गया था । उन्होंने मशीनरी के लिए कहा कि वह राजस्थान में जितनी बड़ी होनी चाहिए उतनी नहीं है, जितनी दूसरे स्टेट्स में है और इसलिए उन्होंने कहा कि जोइन्ट डाइरेक्टर होना चाहिए, टैक्सेशन का अलग होना चाहिए ।

Page No.60

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में निवेदन करना चाहता हूँ कि उन सारी चीजों पर विचार किया गया है। लेकिन जो चीज़ जरूरी नहीं है, वह क्योंकि कमेटी ने कह दी हैं; इसलिए वैसा कर दें, मैं समझता हूँ यह ठीक नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट पर जब विचार कर रहे थे, उस पर विचार करते वक्त एस. टी. ए. के कॉन्स्टिट्युशन का एक आइटम था, उसको करना आवश्यक था, उसको हमने किया। वह हाई कोर्ट के अन्दर रिट के जरिये से चेलेंज हुआ और हाई कोर्ट के कहने के मुताबिक आर. टी. ए. इन्वेलिड हो गई। उसको ठीक करने के लिए दफा ४२ में जो संशोधन करने की जरूरत थी वह ऑर्डिनेन्स के जरिये की गई और उसे अब इस कानून के जरिये से ठीक करवाना चाहते हैं। इसके साथ ही जो पर्मिट दी गई, टेम्पोरेरी नीड्स के बारे में और दूसरे बारे में, यह कहा गया कि आर. टी. ए. के जरिये वे भी इन्वेलिड हो जाती हैं। जब आर. टी.-ए. कन्स्ट्रक्ट हो जाती है तो उसके साथ में उन पर्मिट्स का वैधकरण करना भी जरूरी हो जाता है। इसलिये प्रस्तावित करना भी आवश्यक समझा गया। इस तरह इसमें दो, तीन, चार दफा हैं, जिनको लाना जरूरी था। अगर नहीं लाते तो कई प्रकार की डिफीकल्टीज़ और तकलीफें आ सकती थीं। उन्होंने सुझाव दिया कि इस प्रकार के पर्मिट नहीं बनने चाहिये; हम इसे स्वीकार करते हैं, महसूस करते हैं, फिर भी जो गल्ती हो जाती है उसको ठीक कराने के लिए सदन के पास आना पड़ता है और सदन को ऐसा करने के लिये किसी प्रकार का एतराज नहीं होना चाहिये; जब कि किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और कानून में इन्टरप्रिटेशन की गल्ती हो जाती है। मैं आप से निवेदन करूंगा, सदन से कि वह इस बिल को विचारार्थ लें और पास करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोटर विहिकल्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६६१ विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज़ २, श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, I move that in clause 2, part (ii) the word 'or non-officials or both' occuring in the proviso sought to be inserted be replaced by the word 'only'.

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में कहा गया है: "Upon the authority of Ra uling of the Andhra High Court and on the recommendation of the Masani Committee, appointed by the Government of India, the Government of Rajasthan constituted the various Regional Tansport Authorities in the State, as from the 21st day of June, 1960, so as to consist of Chairman and official members only." उपाध्यक्ष महोदय, मसानी कमेटी की जो रिपोर्ट है, जैसा कि माननीय

(श्री पी. के. चौधरी)

मन्त्री महोदय ने बताया कि उन्होंने कैसी रीजनल ऑथोरिटी की सिफारिश की थी, मद्रास में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वह ही रीजनल ऑथोरिटी का काम करता है और वन मैन ऑथोरिटी है। उसका काम अच्छा हुआ था। इसलिये सुझाव दिया था कि ऐसा किया जाय। उन्होंने उस सुझाव में कहा था कि ऑपरेटर्स हैं वे भी इसे पसन्द करते हैं कि वन मैन हो और ऑफिशियल हो। तो उसकी जो स्थिति थी, उसने इस बात के ऊपर इतना खास जोर नहीं दिया है कि उसका एरिया क्या हो;whether the Regional Transport Authority should be confined to district or division or a bigger area वह मैटीरियल नहीं है। लेकिन इस ऑथोरिटी का कम्पोज़िशन, कान्स्टीट्यूशन किया है ? the nature of persons to be appointed on the committee, वह ज्यादा मैटीरियल है। और उनकी सिफारिश यह थी कि नॉन ऑफिशियल्स से नहीं होना चाहिये और स्टेट गवर्नमेन्ट ने भी इसे महसूस किया कि ऑफिशियल्स होने से ठीक रहेगा। यहां के ऑपरेटर्स से बात करेंगे तो they will prefer a committee constituted of officials only. नॉन ऑफिशियल्स को नहीं रखें, यह ऑपरेटर्स भी चाहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ऑफिशियल्स की कमेटी बनाई थी। मोटर विहिकल्स एक्ट में है : "Chairman with judicial experience, and officials and non-officials, not less than two." ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स दोनों रहेंगे। यह नहीं था कि ऑफिशियल्स या नॉन ऑफिशियल्स रहेंगे। यही था कि ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स दोनों रहेंगे। इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं और यह कर रहे हैं : "officials or non-officials or both." That means the Regional authority may be constituted purely of officials, or purely of non-officials, or both officials and non-officials. ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं और non-officials भी हो सकते हैं। इस प्रकार का संशोधन इस बिल के जरिये ला रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि जब हम संशोधन ही कर रहे हैं कानून में और यह महसूस करते हैं, कारणों में मैं नहीं जाना चाहता कि नॉन ऑफिशियल्स को रखने से क्या होता है, यह हो सकता है कि ऑफिशियल्स मैंस ऑफ ड्यूटी को ज्यादा समझते होंगे। There is a feeling amongst the operators as well as in the public कि नॉन ऑफिशियल्स को नहीं रख कर प्योरली ऑफिशियल्स का रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी कॉन्स्टीट्यूट किया जाय तो वह पब्लिक को ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकता है, regarding its impartiality. नॉन ऑफिशियल्स को रखने से यह होता है कि आम तौर पर पब्लिक फीगर के रहेंगे, he becomes approachable to a larger number of persons than an official. उसका पब्लिक कन्सर्न बहुत होता है, जान-पहिचान बहुत होती है, दुनिया भर के आदमियों से जान पहिचान होती है। He is approachable to many persons. इस बात को मसानी कमेटी ने भी कहा है कि रीजनल ऑथोरिटी की पर्मिट देने की ड्यूटी है वह क्वाजी जुडिशियल नेचर की है। तो जिस आदमी का ज्यादा जनता से सम्पर्क है, दुनिया भर के लोग जिसके पास आते हैं उसका जजमेंट बाउन्ड होने की गुंजाइश ज्यादा रहती है, उसकी जान-पहिचान के किसी

(श्री पी. के. चौधरी)

आदमी का फेवर हो सकता है। तो क्वाज़ी जुडिशियल नेचर का वर्क है इसमें नॉन ऑफिशियल्स को नहीं रखना चाहिये। केबिनेट ने ऑफिशियल का रखा था पर इस बात का ध्यान नहीं रखा था कि मोटर विहिकल्स एक्ट के अनुसार ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों रहेंगे। एक्ट में ऑफिशियल एन्ड नॉन ऑफिशियल लिखा हुआ है, इसलिए हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला किया। तो मेरा निवेदन यह है कि जब हम संशोधन कर रहे हैं तो "officials and non-officials" means that both will be there.

आज जिस ढंग से संशोधन कर रहे हैं कि जिससे गवर्नमेंट को अधिकार रहता है कि नॉन ऑफिशियल्स का भी कर सकती है, केवल ऑफिशियल का भी कर सकती है; यह ठीक नहीं। संशोधन ही कर रहे हैं तो केवल यही कर दीजिये कि ऑफिशियल्स का ही कर सकते हैं, ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स भी यही महसूस करते हैं कि ऑफिशियल्स रहेंगे तो उनका जजमेंट बाएस्ड होने की गुंजाइश नहीं रहती है, their judgment will be more non-biased.

जब कानून में संशोधन कर रहे हैं तो यह क्यों नहीं कर देते कि सिर्फ ऑफिशियल्स का ही रखें। इसका हमको अधिकार है, अमेंडिंग एक्ट में इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि ऑफिशियल्स का रखा जाय, ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स दोनों का रखा है वह ठीक नहीं है because of the wide contact of non-officials with the public. It will be more in consonance with the Cabinet decision.

जब प्योरली ऑफिशियल्स का बनाने का केबिनेट ने डिसीज़न ले रखा है तो उसके अनुसार भी यह ठीक है कि ऑफिशियल्स का ही रखें। मैं समझता हूँ, मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी मन्त्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया था कि मोटर विहिकल्स एक्ट की धारा ४४ में कुछ एम्बीग्विटी थी और उसके कारण से सरकार को कुछ गलतफहमी हुई और उस गलतफहमी के कारण से ही केवल अधिकारियों का आर. टी. ए. बने, इस आशय का निर्णय लिया। अब यदि कुछ समय के लिए मान भी लिया जाय कि उस गलतफहमी के कारण सरकार से त्रुटि हुई है और सरकार इस सदन के सामने आकर स्पष्ट रूप में अपनी त्रुटि को स्वीकार करती है तो यह समझ में आ सकता है कि यह सब गलतफहमी के कारण हुआ होगा। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि सरकार के लिये काला इतिहास होगा, यदि सरकार अपने बनाये हुए कानून के आधार पर उस कानून का पालन नहीं करती है। अब जो संशोधन पेश किया गया है मोटर विहिकल्स एक्ट में, उस संशोधन को देखा जाय तो ऐसा लगता है कि सरकार केवल कानून के आधार पर चलने की बात को ही स्वीकार नहीं करती बल्कि कानून के अन्तर्गत उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीज़न्स ले लिये हैं उनको भी सरकार मानने को तैयार

Page No.63

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं है। जून १६६० में सरकार ने डिसीज़न लिया कि आर. टी. ए. ऑफिशियल्स का होगा। वह डिसीज़न किस आधार पर लिया, उस आधार के सम्बन्ध में हम बाकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दें और एक तथ्य को स्वीकार करें कि सरकार ने आर. टी. ए. के जो उसको पहले के अनुभव थे उन अनुभवों के आधार पर यह निर्णय लिया होगा। मसानी कमेटी ने सिफारिश की है वह सिफारिश भी कहीं से इम्पोर्ट की हुई नहीं, बल्कि उस कमेटी ने यहां के स्टेट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से राय ली है, यहां के लोगों से आर. टी. ए., एस.टी.ए.के सम्बन्ध में जानकारी की है। नॉन ऑफिशियल्स की स्थिति कैसी होती है, इसके बारे में राजस्थान और बाहर से जानकारी प्राप्त की है और उस सब के आधार पर मसानी कमेटी ने इस प्रकार की शिफारिश की थी। इधर हमारी सरकार का अनुभव भी पक्का हो गया था कि नॉन ऑफिशियल्स को कमेटी में रखने के कारण खास प्रकार की भ्रान्तियां जनता में हो सकती हैं। सरकार का यह कदम अच्छा था कि भ्रान्तियां नहीं बनें, पर अब भ्रान्तियां क्यों बनी हैं, इसके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा; लेकिन सरकार के खुद के कारणों से इस प्रकार की भ्रांतियें बनी हैं। जिस प्रकार से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि नॉन ऑफिशियल सदस्यों के पास लोगों का ज्यादा एप्रोच होता है और हर कोई उनके पास एप्रोच कर सकता है तो ऐसी स्थिति में मैं यह कहूँगा कि यदि हमने नॉन ऑफिशियल्स को रखा और उनमें से किसी ने अच्छा काम नहीं किया या किसी का इतिहास अच्छा नहीं रहा तो मान लें कि १० आदमी हैं उनमें से किसी एक ने बदमाशी की तो बाकी के लोगों के लिये भी लोगों की श्रद्धा और उनके प्रति विश्वास ठीक तरह से बना हुआ नहीं रहता है। इसी तरह से बस ऑपरेटरों और ट्रान्सपोर्ट व्यवसाइयों में भाग लेने वालों में और नॉन ऑफिशियल्स में अविश्वास हो गया। मैं यह दुबारा नहीं कहना चाहता कि नॉन ऑफिशियल्स में भाग लेने वाले लोग कांग्रेस के लोग ही थे। अगर उनके खिलाफ कोई सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के खिलाफ करने की भावना हो और कोई एक्शन नहीं लिया जावे तो इसका मतलब यह होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने स्वीकार कर लिया कि नॉन ऑफिशियल लोग गड़बड़ी करते थे और सरकार ने मसानी और आन्ध्र हाई कोर्ट के फैसले का अवसर अपने हाथ में ले लिया और यह तय किया कि नॉन ऑफिशियल मेम्बरों को इसमें नहीं रखा जावे। यहां तक तो सरकार ने कानून का पालन नहीं किया। कानून में कई ऐसी बातें थीं उस कारण से घोषित करने में कोई मेलाफाइड मिस्टेक नहीं थी। कुछ अंश में यह बात स्वीकार कर ली जावे।

अब यह दूसरा पॉइन्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का। मैं यह कहूँगा कि जून में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीज़न लिया गया है। उसमें कौनसे हाई कोर्ट, मसानी कमेटी या कौन से राजस्थान के बस ऑपरेटरों और कौनसे व्यवसाय ट्रान्सपोर्ट को मजबूर कर रहे हैं कि आप काम नहीं चला सकते हैं? आपने संशोधन किया है। उसमें आपने किया है कि ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स

(श्री भैरोंसिंह)

हो सकते हैं । जहां यह एम्बीग्विटी हो सकती है कि ऑफिशियल्स हो सकते हैं तो एम्बीग्विटी तो वही हमारे यहां भी हो सकती है । The State Government may appoint a Regional Transport Authority of the officials alone. यह भी हो सकता है कि जहां हम एम्बीग्विटी को दूर करने की बात करते थे उसे संतोष करना चाहिये । लेकिन हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीज़न लेकर सरकारी आज्ञाएं प्रसारित कीं, हमने काम कराया, लोगों को पर्मिट दिये, उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीज़न को बदलने का कौनसा कारण है, यह मैं माननीय मन्त्री महोदय के भाषण से स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया हूँ । इसमें उन्होंने 'मे' शब्द यूज़ किया है "May be officials or non officials."

इस 'मे' शब्द से मुझे बड़ा जबर्दस्त डर लगता है कि सरकार की पॉलिसी क्या है ? क्योंकि इससे सरकार की कोई डेफिनिट पॉलिसी नहीं है । यह हो सकता है कि उदयपुर में और जयपुर में तो नॉन ऑफिशियल्स को रख लें और बीकानेर और कोटा में नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स नहीं होंगे, यह कह सकते हैं । अगर इस प्रकार का डिसीज़न रहेगा तो मैं यह कहूँगा कि पोलिटिकल प्रेशर आप पर हावी होगा और आप पर कई प्रकार के दबाव इसके लिये आएंगे । जब आप डेफिनिट हैं कि नॉन ऑफिशियल्स को नहीं रखना है तो कानून में जो कमी है उसको दूर करा लें । लेकिन अगर आपकी नीयत साफ नहीं है और आप दोनों को ही रखना चाहते हैं तो मसानी कमेटी और आन्ध्र हाईकोर्ट की सिफारिशों के कारण नहीं; बल्कि किसी राजनैतिक दबाव के कारण, राजनैतिक सदस्यों को आर. टी. ए. में एब्जोर्ब करने के लिये यह रखा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस में नॉन ऑफिशियल युनिट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है । कुछ तो मिनिस्टर हैं ही और दूसरे लोगों को एब्जोर्ब करना है उनको किस प्रकार से एब्ज़ोर्ब किया जा सकता है । तो इस दृष्टि से वे साफ तौर से इसमें आ जावेंगे । आप आन्ध्र और मसानी कमेटी की आड़ मत लें । मैं यह कहूँगा कि आप फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार कर लें । इससे सदन के सामने यह रहेगा कि सरकार का क्या उद्देश्य है ? अगर कोई कानून किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है तो सरकार को चाहिये कि कानूनी बाधा को दूर करे । सरकार ने जून में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीज़न लिया उसको पूरा केरी–आउट कराने का था, लेकिन यहां पर दोनों की बात रखी जाती है कि ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स होंगे । यहां इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य जरूर है । सरकार कानून की आड़ लेकर अपने लोगों पर कृपा करना चाहती है और जनरल इलेक्शन में परमिट देकर लोगों से वोट लेने पर विचार करती है और इसका फायदा उठाना चाहती है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार कर लिया जावे तो उससे बस ऑपरेटरों और पब्लिक की स्थिति स्पष्ट हो जावेगी और किसी प्रकार की एम्बीग्यिटी नहीं रह सकेगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले मान-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है और श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस पर बहस की कि अब यह मकशुद जब साफ है कि आगे सिर्फ ऑफिशियल्स का ही आर. टी. ए. बनेगा तो इस तरह का कि ऑफिशियल्स का हो सकता है या नॉन ऑफिशियल्स या और किसी का हो सकता है, यह नहीं रहना चाहिये। मैं आपके जरिये उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस समय यह ऑर्डिनेन्स बनाया गया था उस समय तीन आर. टी. ए. में इस प्रकार का कॉन्स्टीट्यूशन हो चुका था कि ऑफिशियल्स रखे थे। दो आर. टी. ए. में अभी तक नॉन ऑफिशियल्स हैं उनमें अभी तक कोई चेन्ज नहीं हुआ है। यह पोज़िशन जिस समय यह ऑर्डिनेन्स बनाया गया उस समय थी। इसलिये इसको साफ करते हुए ऑर्डिनेन्स में रखा है क्योंकि अब हम इसको एक्ट बनाने जा रहे हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये केबिनेट में चर्चा होकर निश्चय हो गया कि ऑफिशियल्स का ही आर. टी. ए. बनाना चाहिये और आगे भी यही विचार है। इसके अलावा यह कहा गया है कि नॉन ऑफिशियल्स आर. टी. ए. में कांग्रेसमेन ही है। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सारे कांग्रेसमैन नहीं हैं, जयपुर में नहीं हैं। इसलिये यह कहना कि सभी जगह कांग्रेसमैन नॉन ऑफिशियल्स हों, ऐसी बात नहीं है। बिना कांग्रेस के हैं और हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेसमैनों को ही लिया जावे। कई दफा यह जोर देकर कहा गया है कि कमेटी के लोगों ने लोगों को सुना और पूछा और बाद में अपनी राय बनाई कि आर. टी. ए. में ऑफिशियल मेम्बर्स ही होने चाहिये; यही सही राय है, लेकिन मेरे ख्याल से यह मतभेद की बात है। मैं समझता हूँ कि अच्छे आदमी मिल कर काम करें, चाहें वे ऑफिशियल्स हों, चाहे नॉन ऑफिशियल्स हों। अगर वे सब मिल कर काम चलाते हैं तो अच्छी बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास सभी प्रकार के पॉवर रहते हैं वे उसका उपयोग और दुरुपयोग चाहे जैसे कर सकते हैं। सब लोग गड़बड़ी करें, यह नहीं कहा जा सकता। नॉन ऑफिशियल्स भी कर सकते हैं और ऑफिशियल्स भी कर सकते हैं और इसके लिये हमारे यहां भ्रष्टाचार का विभाग मौजूद है। अगर इस तरह की शिकायत होती है तो हमारे यहां भ्रष्टाचार विभाग द्वारा उनके विरुद्ध एक्शन लिया जा सकता है, चाहे वे ऑफिशियल्स हों, चाहे वे नॉन ऑफिशियल्स हों। उसी तरह से इस समस्या का भी हल करना चाहिये।

(२. ०० म. प.)

वह सब पर्सन्स के ऊपर डिपेन्ड करता है, चाहे ऑफिशियल्स हों या नॉन ऑफिशियल्स। यदि वे कानून के नीचे काम करते हैं तो उनकी लाएबिलिटीज़ भी हैं। जैसा मैंने निवेदन किया, यह हमारा दृष्टिकोण है कि जहां तक बन पड़े ऑफिशियल्स ही रखने चाहिये जिससे कि आसानी रहे और सहूलियत रहे। उस समय भी ऐसी परिस्थिति थी और आज भी आर. टी. ए. चल रही है। जो परिस्थिति है वह मैं आपके सामने बता चुका हूँ। यह नहीं मानना चाहिये कि एक राजनैतिक पार्टी है। पहले भी दूसरे थे। आगे रखने के लिए मैं आपको कह चुका हूँ। इसलिए इस संशोधन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

को मंजूर करने की आवश्यकता मैं नहीं समभता हूँ। इस कानून में क्या आगे के लिए व्यवस्था रखी जाय और आगे किस प्रकार की पॉलिसी हम बनाना चाहते हैं; उसके लिए सदन के सामने अपनी मैं व्यूज़ बता चुका हूँ, इसलिए फुलेरा से आये माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को विथड्रॉ कर लें।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीज़न कब लिया था कि नॉन ऑफिशियल्स नहीं होंगे ? क्या जून या जून से पहले लिया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठीक तारीख तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जुलाई में था।

श्री भैरोंसिंह : जून के बाद जो डिसीज़न लिया गया उसके बाद ही तो हटाया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां। उसके बाद।

श्री भैरोंसिंह : तो जून में यह डिसीज़न ले लिया कि नॉन ऑफिशियल्स को न लिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : Shri P. K. Chaudhary are you withdrawing the amendment ?

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): सिर्फ एक ही है। क्लॉज़ ३ में पेश करवा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ स्वीकार विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): अमेन्डमेन्ट है, आपने बोला है।

श्री नाथूराम मिर्धा(कृषि मंत्री): ४ में है।

श्री उपाध्यक्ष : जो पक्ष में हों वे 'हां' कहें ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): क्या आप जनरल बहस कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जनरल नहीं।

अभी सदन ने क्लॉज़ २ पास किया है और २ पास करने का तात्पर्य यह हुआ कि सरकार अब किसी भी रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी के अन्दर ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स को अपोइन्ट कर सकती है और अब क्लॉज़ ३ के द्वारा यह व्यवस्था करायी जा रही है कि जून से लेकर सितम्बर तक यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो और उस गलती के कारण से सरकार का कोई हुक्म ठीक नहीं रहता है तो उसकी बिना चिन्ता किये ही वह सरकार का आदेश उसी प्रकार से लागू रहेगा जिस प्रकार से कोई किसी प्रकार की कानूनी खामी नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसी सम्बन्ध में क्लेरिफिकेशन के नाते माननीय मन्त्री महोदय से एक बात पूछी थी और उन्होंने यह बताया कि जून में सरकार ने इस प्रकार का डिसीज़न ले लिया था कि सरकार नॉन ऑफिशियल्स को किसी भी आर. टी. ए. में अपोइन्ट नहीं करेगी। अब हमारे मन्त्री महोदय ने यह बताया कि नवम्बर के महीने में जब इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई तो हमने मजबूर होकर नॉन ऑफिशियल्स के बारे में ऑर्डिनेन्स इश्यू किया और उसको रिपील करने के लिए यह संशोधन ला रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज़ पर नहीं बोलता, लेकिन उनके उत्तर के बाद मुझे कुछ सन्देह पैदा हो गया और स सन्देह के बारे में जैसा इस क्लॉज़ में लिखा है :

"3 (a) A Regional Transport Authority, constituted by the State Government on or after the 21st day of June, 1960 and on or before the 25th day of November, 1960, so as to consist solely of official members, shall be deemed to have been validly and lawfully constituted, and...."

मतलब जून और नवम्बर के महीने के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीज़न्स को बदलने का कोई कारण नहीं था। कॉज़ ऑफ एक्शन अराइज़ हुआ उस समय जब हाई कोर्ट का डिसीज़न हुआ और डिसीज़न हुआ तो व्यवस्था ठीक करने के लिए ऑर्डिनेन्स इश्यू कर दिया। मैं मंत्री महोदय से यह पूछता हूँ कि जून और नवम्बर के महीनों के बीच में जो रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी कॉन्स्टीट्यूट की उसमें नॉन ओफिशियल क्यों लाये, तो मैं समझता हूं कि उनका कोई उत्तर नहीं। उदाहरण के लिए मैं नोटिफिकेशन बताता हूं और वह है २६ अक्टूबर, १६६० का जिसमें लिखा है :

"In partial modification of this Department Notification No." such and such "dated the 30th. September, 1960, the State Government hereby reconstitute the Regional Transport Authority, Udaipur as follows :—

(1) Chairman—Commissioner, Udaipur,

(श्री भैरोंसिंह)

(2) Member—The Dy. Inspector General of Police, Udaipur Range, Udaipur,

(3) Member—The Superintending Engineer. B. &. R., Udaipur,

(4) Member--Shri Janardan Rai Nagar, M. L. A., Udaipur,

(5) Member—Shri Amritlal Vaidya, Udaipur,

(6) Member cum Secretary, Regional Transport Officer, Udaipur.

By order of the Governor

Z. S. Jhala,

Secretary to the Government."

अब यह मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों सरकार बार बार यह कहती आ रही है कि हाई कोर्ट के फैसले के कारण ऐसा डिसीज़न लिया या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में चेन्ज करने की आवश्यकता हुई। हाईकोर्ट का फैसला नवम्बर में आता है और जून में कहते हैं कि डिसीज़न लिया, सितम्बर में व्यवस्था कर दी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जून के महीने में नॉन ऑफिशियल बोर्ड को हटाया और गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन पर हटाया, मसानी कमेटी के जजमेंट से हटाया, आन्ध्र हाई कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए हटाया, फिर सितम्बर में उदयपुर रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी में यह क्या कर दिया? मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं है। कोई नहीं है तो मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट के जजमेंट के कारण से हटाया, मसानी कमेटी के डिसीजन के कारण से हटाया, आन्ध्र हाई कोर्ट के कारण से हटाया, यह सब बहाना मात्र है। किस प्रकार से लेजिस्लेशन से बच कर निकल सकें और दुनिया को यह बता सकें कि कानूनी दिक्कत हो गई थी और इस कारण से यह करना पड़ा। कानूनी दिक्कत नहीं है। आपकी स्वयं की दिक्कत है और आप स्वयम् देखते हैं और उसको अब कानूनी रूप देने के लिए कानून की अवहेलना भी करना चाहते हैं। कैसे हो? कानून की अवहेलना होती है उससे बचने के लिए हाई कोर्ट में जो कानून की अवहेलना हुई, कानूनी फैसला लेने के लिए जाते हैं उनको उससे मुक्त रखने की कोशिश करते हैं और यह कोशिश करके उसको वेलिडेट कराने की कोशिश की है और इस ऑर्डिनेन्स के द्वारा की है। कानून में एक प्रश्न था। उसके कॉन्स्टीट्यूशन को लेकर, नोन ऑफिशियल्स के लिए प्रश्न को लेकर इस कॉन्स्टीट्यूशनल पोइंट पर हाई कोर्ट में लोग चले गये और हाई कोर्ट ने उनके उस कानूनी पोइन्ट को स्वीकार कर लिया और गवर्नमेंट को डाइरेक्शन दे दिया कि नोन ऑफिशियल्स लेने पड़ेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर यह कोशिश की गई कि नोन ऑफिशियल्स को लाकर काम करा सकते हैं। लेकिन केवल एक कॉन्स्टीट्यूशन के प्रश्न को लेकर नहीं, कई ओमिशन्स, एरर्स रह गईं, डिफेक्ट रह गईं, डिफेक्ट रह गईं, वान्ट ऑफ डिसीज़न रह गया, पावर ऑफ ऑथोरिटी रह गई, दुनिया भर की गलतियां कर दी हों, उसकी कोई चिन्ता नहीं। गलती कर दी तो

(श्री भैरोंसिंह)

कर दी, हम उस पर मोहर लगवा देंगे। हाईकोर्ट से जो जजमेंट हुआ है वह इन्हीं कन्सीडरेशन्स के पोइन्ट को लेकर हुआ है। इसमें आर० टी० ए० ने पर्मिट देने में प्रोसीजरल मिस्टेक की है उसको क्यों आप दुरुस्त कर रहे हैं, हिअरिंग में चान्स न देने के कारण गजट में नोटिफाई न करने के कारण, किसी आदमी को पर्सनल हिअरिंग का मौका न देने के कारण अगर प्रोसीजरल इस प्रकार की मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप दुरुस्त करने के अधिकार क्यों ले रहे हैं ? केवल सवाल यह था, नोन ऑफिशियल्स को हटाकर अगर अगेन्स्ट लॉ इस प्रकार कमेटी ने डिसीज़न लिया है तो वह अगेन्स्ट एक्ट है। इसी एक पोइन्ट को लेकर डिसीज़न लेना चाहिये। अगर इस प्रकार के डिसीज़न के आधार पर सुधारा जा सकता है तो कोई समझ में आने वाली बात है। लेकिन किसी ने प्रोसीजरल मिस्टेक की है तो उसके अपील के हक को मारकर आप इस प्रकार का कानून क्यों बना रहे हैं, इसके अलावा और कोई कारण नजर नहीं आता। एक गलती हुई उसको सरकार को सुधारना चाहिये वहां यह मान कर क्यों चला जाता है और भी प्रोसीजरल गलतियां हो सकती हैं। संशोधन जो हमें करना चाहिये वह केवल मूल गलती को ध्यान में रखकर ही करना चाहिये, अन्य बातों को उसके साथ मिलाने का तरीका अनुचित है। हाई कोर्ट ने जिस प्रकार के डाइरेक्शन्स दिये हैं, उसी प्रकार से कानूनी रूप दे दिया जाय बाकी गलतियाँ केवल एन्टीसीपेट करके पहले से ही जनता का मुंह बन्द कर देना, मुख बन्ध कर देना और वह भी कानून के द्वारा आप मुखबन्द केवल हाउस में कर सकते हैं लेकिन यदि पब्लिक के लिये मुखबन्द करते है तो यह एक प्रकार से जनता के मूलभूत अधिकारों पर आघात है। अगर इसी प्रकार से जनता के मूलभूत अधिकारों पर आघात किया गया और जो हाईकोर्ट द्वारा संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार संविधान में दे रखा है उस अधिकार पर इस प्रकार से एन्क्रोचमेंट होता रहा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, इस प्रकार के कानून धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था पैदा कर देंगे जिससे लोगों की कानून के प्रति आस्था नहीं रहेगी और इस तरह से प्रजातन्त्र से भी विश्वास उठता जायगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने डाइरेक्शन्स दिये हैं उसी के अनुसार इसमें संशोधन लाकर इसको पारित करें, अन्यथा इससे किसी प्रकार से लाभ नहीं हो सकता।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : श्रीमन्, अभी इस क्लॉज़ के विषय में कहा गया, उस पर कुछ गलतफहमी रही है। माननीय सदस्य ने कहा कि इस क्लॉज़ के अन्तर्गत आर. टी. ए. द्वारा अगर कोई प्रोसीजरल एरर हो जाती है तो इस धारा से उनके खिलाफ अपील का हक मारा जाता है। अगर ऐसा होता तो मैं जरूर माननीय सदस्य का समर्थन करता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर इस क्लॉज़ को पढ़ लिया जाय, प्रोसीजरल एरर के लिये अपील का हक नहीं मारा गया है, इसमें साफ लिखा है :

"(b) all proceedings taken, orders passed and acts done by such Regional Transport Authority constituted as aforesaid shall be deemed to have

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

been validly and lawfully taken, passed or done, as the case may be, and shall not be liable to be called in question in any court or tribunal or before any authority on the mere ground of such Regional Transport Authority having been constituted so as not to consist of both official and non-official members."

केवल इसी आधार पर चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। अगर किसी प्रकार की प्रोसीजरल मिस्टेक होती है, कानून की धारा की अवहेलना करके कोई काम किया जाता है तो उसको अपील जायज़ मानी जायगी, इसमें जो शंका है वह निर्मूल है।

दूसरी बातें जो माननीय सदस्य ने कहीं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठायी थी उसका बहुत माकूल जवाब अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया है। अगर उनके कहने के मुताबिक इस क्लॉज़ को उड़ा दिया जाय तो इस कानून के लाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रोसीजरल कोई गल्ती होती है उस पर अपील का राइट है। अगर इस कानून में यह धारा नहीं जोड़ी जाती है तो इस कानून का कोई मतलब नहीं रहता; इसका काफी स्पष्टीकरण हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीज़न के बारे में जो मैंने कहा उसके बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीज़न्स बदले नहीं हैं, इस बारे में अभी कुछ विचार चल रहा है। अभी डिसीज़न तो नहीं लिया गया है, सरकार इस बात पर सोच रही है। एक तरह का पैटर्न हो, सरकार इस पर सोच रही है और जरूरी विचार कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में मेरा एक मामूली सा संशोधन है, प्रिन्टिंग मिस्टेक रह गई है 'Exist' के बजाय 'Existed' होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ चार पर जो संशोधन मन्त्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ चार संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मोटर विहिकल्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६६१ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोटर विहिकल्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६६१ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(२. २५ म० प०)

राजस्थान रिलीफ साहाय्य प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) विधेयक, १६६१

(खण्डशः विचार–विमर्श एवं पारित)

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान रिलीफ साहाय्य प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) विधेयक, १६६१ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Motion moved

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : I rise on a point of order, Sir, my submission is, that this Rajasthan Relief Undertakings (Special Provisions) Bill, 1961, makes provision that it would apply to those undertakings which have been taken over by the Government of India under Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. Clause 3 of the Bill specifically makes a reference that in respect of those undertakings which have been taken over by the Government of India under Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the provisions of this Bill would apply.

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

Now there are two undertakings in Rajasthan which had been taken over possession by the Government of India under Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. Those two undertakings are Mewar Textile Mills and Edward Mills Co., Ltd. Now the question is whether the State Government is competent to make any legislation with respect to those undertakings or not. My respectful submission is that in view of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the State Government is not competent to make any legislation with respect to those undertakings...

श्री उपाध्यक्ष : You are referring to Section... ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I am referring to Section 18A of Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

First of all, I would like to refer to Section 15. According to Section 15 proceedings were taken and the investigation was made by the Central Government, and in pursuance of those investigations the Central Government was pleased to take those undertakings under Section 18.

Now you will be pleased to see Section 18A (b)-"An industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under Section 15 (whether any directions have been issued to the undertaking in pursuance of Section 16) is being managed in a manner highly detrimental to the scheduled industry concerned or to public interest."

Now the question is whether that undertaking has been taken in public interest, and it is the question for them that those undertakings have been taken over by the Central Government in the public interest or not. When these undertakings have been taken into possession by the Central Government, they will be governed under the regulation of this Act. They are subject to the regulation of this Act...

श्री उपाध्यक्ष : I would like to be clear on this point. You mean to say that the undertakings have been taken over by the Central Government in the public interest ? That is the point established?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Sir, this is the point established. And, Sir, now I would refer to clause 18B, sub-section (2)...

श्री उपाध्यक्ष : Sub-section ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Sub-section (2) of Section 18B of the same Act, Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

Sub-section lays down :-

"Subject to other provisions contained in this Act and to the control of the Central Government, the person or body of persons authorised to take the management of the industrial undertakings, shall take such steps that may be necessary for the purpose of efficient management of business of the industrial undertaking, and shall exercise such other powers, and have such other duties as may be prescribed."

You may be pleased to see that the Central Government after taking over the possession of this undertaking have appointed authorised controllers for the Edward Mills Co., Ltd., as well as for the Mewar Textiles Mills, Bhilwara...

श्री उपाध्यक्ष : Who has appointed ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : The Central Government has appointed authorised controller there to manage the affairs of the undertakings subject to the provisions contained in this Act and to the control of the Central Government. The wordings are quite specific.

श्री उपाध्यक्ष : What are the specific words ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा ; "Subject to the provisions contained in this Act and to the control of the Central Government, the person or body of persons authorised to take the management of the industrial undertakings, shall take such steps that may be neces sary for the purpose of efficient management of the industrial undertaking, and shall exercise such other powers, and have such other duties as may be prescribed."

Now the management is to be carried on in accordance with the control of the Central Government subject to the provisions of this Act-not under any other Act. Because control is to be exercised by the Central Government in accordance with the provisions of this Act.

श्री उपाध्यक्ष : Is it going to make a special provision ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा: My respectful submission is that if this legislation, which is before this House, i. e., the Rajasthan Relief Undertakings (Special Provisions) Bill, 1961, is passed into a Law by this House, then it will bring a special law and the State Government will be entitled to issue certain directions by repealing the Industrial Employment Act, 1946, the Industrial Disputes Act and the Minimum Wages Act, 1948 and the State Government cannot issue directions against this law.

Page No.74

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member, I wanted to be enlightened whether you mean to say that so far as the powers of these two undertakings are concerned. they are all to be prescribed by the Central Government and the State Government has nothing to do with it.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Yes, Sir. Because there is a very specific provision under Sub-section (2) of Section 18(B) which lays down very very clearly. The Central Government made investigation, took possession of these undertakings under section 18 and the State Government was appointed an authorised controller and they will be bound by the directions of the Central Government. Moreover, you will be pleased to read Sub-section (4) of Section 18 B which reads as follows:

"The person or body of persons authorised under section 18 shall, notwithstanding anything contained in the memorandum or articles of association of the industrial undertaking, exercise his or their functions in accordance with such directions as may be given by the Central Government so, however, that he or they shall not have any power to give any other person any directions under this section inconsistent with the provisions of any Act or instrument determining the functions of the authority carrying on the undertaking except in so far as may be specifically provided by the notified order."

श्री उपाध्यक्ष : Is it specifically mentioned as may be given by the Central Government ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Yes, Sir, I am reading it from the latest Industries (Development) Regulation Act wherein it is specifically given—"in accordance with the directions as may be given by the Central Government so, however, that he or they shall not have any power to give any other person any directions under this section inconsistent with the provisions of any Act or instrument determining the functions of the authority......"

So they have made an ample provision as well as they have curtailed the powers except the powers which have been given under the notified order.

श्री उपाध्यक्ष : Where are these powers ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Authorised Controller has been given the powers in accordance with the powers by which administration shall be carried on...

श्री उपाध्यक्ष : Under what section it has been given ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : They have been given in Section 18, 18 A-sub-section (b) which lays down:

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

"an industrial undertaking n respect of which an investigation has been made under section 15 (Whether or not any directions have been issued to the undertaking in pursuance of section '16), is being managed in a manner highly detrimental to the scheduled industry concerned or to public interest, the Central Government may, by notified order, authorize any person or body of persons to take over the management of the whole or any part of the undertaking or to exercise in respect of the whole or any part of the undertaking such functions of control as may be specified in the order."

श्री उपाध्यक्ष : They have authorised the State Government.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : No, Sir, The controller is to carry on the administration.

श्री उपाध्यक्ष : Not the State Government ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा: No, Sir.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : It is absolutely wrong, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : Let him say.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : The State Government cannot issue orders under this Act, because...

श्री उपाध्यक्ष : Do you mean that the State Government has not been authorised ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : My respectful submission is that by virtue of passing this legislation we would issue directions under this Act and those powers or directions if they are issued then we would be under the delegated powers of the Central Govt. The State Government may be able to issue certain directions, but the control will be of the Central Government. Because the State Government would exercise the delegated powers and those powers would be the powers of the Central Govt., but if this legislation is passed into a law by this August House, it will give powers to the State Government. The Central Government is alone competent to pass or issue directions for the management of these undertakings.

श्री उपाध्यक्ष : Whether the Central Government can authorise the State Government to pass such a Legislation ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : No, Sir, There is a provision in the law that subject to the provisions of the Industries Development Act, management should be carried on, so far as these undertakings are concerned...

श्री उपाध्यक्ष : I think this will suffice.

I have fully followed your point.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : There is one thing more, Sir. Under the Constitution, the powers of the State Government as well as of the Union Government are well defined. The State Government can make legislation with respect to the State list as well as under certain conditions with respect to the Concurrent list, but you will be pleased to see from item 52 of the Union List, "that Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament or transported from one State to another," find place in the Union List.

Now under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Union Government have declared in public interest that the Mewar Textiles and Edward Mills Co. Ltd. of Beawar to be under the control of the Central Government. As such, only the Union Government is competent to legislate in respect of these two industries and not the State Legislature.

You will be pleased to find under item 24 of the State List, that industries covering under item 52 of the Union List have been specifically excluded from the jurisdiction of the States. It means that the industries which have been taken over possession by the Central Government under the provisions of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, have been specifically excluded from the jurisdiction of the States.

Under these circumstances, my submission is that the State Government is not competent to pass any legislation with respect to these industries.

Now, Sir, I will refer to clause 4 of the Bill which empowers the Government to notify that any provisions of the Acts given in the schedule to the Bill will not apply in relation to these undertakings. The Acts given in the Schedule are:—

"1 The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.

2. The Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act 14 of 1947) as amended by the Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Act, 1958.

3. The Minimum Wages Act, 1948."

All these three Acts are Central enactments. Now, Sir, we have to see whether the State Legislature is competent to pass any law which is inconsistent with the provisions of a Central Act. Sir, here is a law which will be inconsistent with the law passed by the Parliament.

श्री उपाध्यक्ष : You mean to say that the State Legislature cannot pass

(श्री उपाध्यक्ष)

a law as against the law passed by the Parliament ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Yes, I will draw your attention to Article 251 of the Constitution:—

"251. Nothing in articles 249 and 250 shall restrict the power of the Legislature of a State to make any law which under this Constitution it has power to make, but if any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament has under either of the said articles power to make, the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of the State, shall prevail, and the law made by the Legislature of the State shall to the extent of the repugnancy, but so long only as the law made by Parliament continues to have effect, be inoperative."

My submission is that the law passed by Parliament is still in force, and if you make a law which is repugnant to or inconsistent with that law, it would offend Article 251 of the Constitution and it would be inoperative and void.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Mr. Mahender Singh Pawnar, you want to say something ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : श्रीमन्, आपत्ति जो उठाई गई है कि कॉन्स्टीट्यूशन की शिड्यूल लिस्ट के आइटम नम्बर ५२ को देखते हुए इन इन्डस्ट्रीज़ के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून नहीं बना सकती । जिन इन्डस्ट्रीज़ को केन्द्रीय सरकार ने १८ (ए) सेन्ट्रल एक्ट ६५ सन् १९५१ के मातहत घोसित कर दिया है और अपने इन्तज़ाम में ले लिया है । इस पोज़ीशन को हम कन्सीड करते हैं, लेकिन जहां तक इस कानून का संबन्ध है यह इन्डस्ट्रीज़ का कानून नहीं है । इसका सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट है और वह है लेबर का....

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : आप इन्डस्ट्रीज़ की परिभाषा को क्लाज़ २ में जो दे रखी है वह पढ़ लें तो आपको मालूम हो जायेगा ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : इन्डस्ट्रीज़ की परिभाषा इसके अन्दर है लेकिन इसका सब्जेक्ट लेबर में जाता है । It is a Labour Law, it is not an Industries Law. यह लेबर कन्डीशन्स के मिनिमम वेजेज़ के ऑपरेशन को स्पेन्ड करता है और लेबर को जो हक दिया था यह उनसे सम्बन्ध रखता है । इन्डस्ट्रीज़ का लॉ नहीं है, यह । जो कॉन्करेन्ट लिस्ट है उसमें यह सब्जेक्ट आता है, और यह इसी विधेयक से मालूम हो जायेगा । आप देखिये, आइटम २ शिड्यूल का पढ़िये; Industries Disputes Act, 1947 as amended by the Industrial Disputes Rajasthan Amendment) Act, 1958, यह एक कॉन्करेन्ट सब्जेक्ट है और इस विषय के ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केन्द्रीय सरकार भी बना सकती है ।

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

आपने केवल आर्टिकल २५१ कांस्टिट्यूशन का पढ़ा था, वह इसमें आता है; लेकिन यह लेजिस्लेचर की कॉम्पीटेन्स को हिट नहीं करता है। यदि कॉन्करेन्ट विषय पर केन्द्रीय सरकार ने कानून बनाया है और राज्य सरकार ने भी बनाया है तो राज्य सरकार का कानून इन-ऑपरेटिव हो जायगा तब तक के लिये जब तक कि केन्द्रीय कानून फोर्स में है। राज्य सरकार का कानून कानून तो रहेगा लेकिन इनओप-रेटिव रहेगा। मान लीजिये, केन्द्रीय सरकार अपने कानून को रिपील करती है तो राज्य सरकार का कानून ओपरेटिव हो जायगा। तो भीलवाड़ा और ब्यावर इन्डस्ट्रीज़ का ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने नाम लिया। उन इन्डस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में राज्य सरकार का कानून इनऑपरेटिव रहेगा यदि केन्द्रीय सरकार का कानून ऑपरेट करता है तो। इसलिए यह केवल इनऑपरेटिव रहता है और इसको हिट नहीं करता है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Mr. Deputy Spaeker, Sir, I wanted to submit something.

If that is conceded, that this legislation will not be applicable to those industries in Beawar and Bhilwara, then according to the statement of the objects and reasons, there is no sense in passing this legislation. The main thing is to apply to the undertakings which have been taken by the Government and the undertakings, to which loans are given. But the power of taking lies with the Central Government. But still, if the Central Government excluded them, there is no control and then they will revive to private control again. As such, their passing of this legislation will have no meaning. We may not agitate State Government's power.

एक माननीय सदस्य : Government cannot pass any law.........

श्री पी० के० चौधरी : Anybody. If that is not applicable to these inustries there is no sense for this House to waste time. As such the point of order by Shri Brij Mohan Lal Shaima should be accepted and the Hon'ble member-in-charge of the Bill should be asked to withdraw this Bill.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : Sir, The Hon'ble member coming from Beawar has raised three points in this respect. One is that this Bill will also apply to those undertakings which have been taken over by the Central Government. The State Government has got nothing to do with this, and the whole control upon those Mewar and Edward Mills is of the Centrol Government, and therefore, this Government cannothave any kind of contral or legis-lation on those undertakings which have been taken by the Central Government.

Second point which has been raised is a constitutional one that the State Government cannot legislate upon certain industries which are

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

under the list and being operated by the Central Government and the State Government has nothing to do with it. The third point is that there are cetain Labour rLegislations which are of the Central Legislations and, therefore, the State Government cannot exempt their operation in this regard. I believes all these point, have been clearly examined and it was examined by the State Government as well as by the Central Government and after examination this Ordinance received the assent of the President. Therefore, this particular point that these undertakings which have been taken by the Central Government under the Industries Regulation Act, the State Government cannot, by passing this legislation, have any control or regulate. All these things have already been examined and I may read here an extract of the note which will show that in fact all these points have been examined and then of course the Law Department of the Central Government agreed to the views of the State Government and the Ordinance was then passed :

"It will be observed that all the Laws named above(as pers chedule of the Act) pertain to list 3. Entries 13, 22, 23, and 24 of the said list may be looked into. Now according to the pith and substance, nature and character of these laws, they fall into the concurrent list. Now what does the proposed Ordinance provide ? It seeks to exempt from the operation of the said laws. Certain undertakings including those which are under the management of the Central Government under Section 18 (a)of the Industries(Development and Regulation) Act, 1951. That is not going to change the nature of the Act. It does not seek to regulate the industries, the control of which, the Parliament has by an Act of 1951 declared to be expedient in public interest. By no stretch of imagination can this Ordinance be considered a law under entry 52. There is an obvious difference between the industries on the one hand and the labour and Civil Procedure on the other hand."

This contention of the State Government was accepted by the Law Deptt. of the Central Government.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Which Law Deptt.?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Of the Central Governmnet.

श्री पी० के० चौधरी : This is from the Central Government ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I am reading out the views of the State Government which were accepted by the Central Government, and, therefore, they agreed :

Page No.80

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : Under which item of the Concurrent List ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have just read it. Entries 22,23 and 24 of the List...

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I am not following it.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It does not fall under item 52. It falls in the Concurrent List and, therefore, the State Government is entitled to pass such a Legislation.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Under which item ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Under Entries 22,23, and 24.

(३.०० म० प०)

After all, what the State Legislature is doing ? The State Legislature is not licensing any industries. This Legislature simply lays down that if there is any unemployment and relief has to be given, then the undertakings may be declared as relief undertakings and provisions of certain labour laws will not apply to them. Well, the State Government has got that authority. The Industrial Disputes Act has been adopted by us in an amended form. The State Government has got the authority to give exemption from any such law. Therefore, there is no point of order in this. The provisions of this Bill can be made applicable whenever the State Government finds that there is unemployment and relief has to be given.

In this particular case, the Central Government authorised the State Government to manage these two undertakings, the Mewar Textiles and the Edward Mills, and we took them over. We are also financing them. If necessity will arise we may exempt them from certain legislations. Until and unless we do it, it is difficult for us to provide for the labourers. It is not that every undertaking will be taken over by the State Government. The State Government will see that if there is substantial laobur force which is un-employed, then it may declare an undertaking to be relief undertaking. Therefore, there in no point of order, and I think the Hon'ble member will withdraw his point of order.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : By way of reply, I would...

श्री उपाध्यक्ष : The question of reply does not arise at all. But you may explain to the House...

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : The Hon'ble Minister has not been able to remove the apprehension from my mind.

श्री उपाध्यक्ष : I have heard

(श्री उपाध्यक्ष)

your point of order and the Hon'ble Minister has also given his explanation about it.

श्री पी० के० चौधरी : Another point of order. I refer to Article 254 of the Constitution. In the Concurrent List, the State Legislature is empowered......

श्री उपाध्यक्ष : I want to know whether the Hon'ble member (Shri Brij Mohan LalSharma) who is on his legs ......

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : On a point of explanation,Sir. I submit that the Hon'ble Minister for Industries has said that legislation can be made with respect to items 21 to 24 of the Concurrent List. But this is absolutely wrong, because under those items 21 to 24 you can make certain laws with respect to the matters coming under those items only. But the question here is that here are two undertakings which have been taken over by the Central Government, and by virtue of item 52 of the Union List, as well as by virtue of item 24 of the State List they have been specifically excluded. If it had been the case of an industry which has been taken over under the State legislation it would have been a different matter, but in this case both of these undertakings have been taken over by the Central Government under the provisions of a Central Act. You may have financed them or done anything, but the entire management of the undertakings has to be carried on in accordance with the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, and the directions to be given by the Central Government. The Central Government has not delegated its legislative powers to the State Government, It is a common principle of law, Sir, that the legislative powers cannot be delegated to any authority. So my respectful submission is that this legislation is outside the purview of the State Legislature.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : Hon ble ex-Law Minister is right.

श्री उपाध्यक्ष : Well, to me the present Hon'ble Minister appears to be right.

The Hon'ble member has raised a point of order wherein he has challenged the present issue on so many grounds. To me the Bill

(श्री उपाध्यक्ष)

appers to be more concerned with labour legislation and hence it is included in the Concurrent List.

I defer my grounds so far as other points raised by the Hon'ble member are concerned, but at the same time I deem it proper to deal with the point of order raised by him. The point of order does not appear to be reasonable and, therefore, it is not well taken.

श्री पी० के० चौधरी : I raise anoter point of order. Under Article 254, where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then the law so made by the Legislature of such State shall be void. Now this entire piece of legisation is completely repugnant to the legisation already in force and passed by the Central Legislature in as much as it is repealing all those legislations of the Central Government, and shall, there fore, be void. Then there is no sense in this House taking up this legislation That is my submission, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : You have already raised this point of order.

श्री पी० के० चौधरी : But your ruling was given not on my observations, but on the point of order raised by the Hon'ble member whether we can legislate or not. My point of order is that of course we can legislate, but when the provisions of this legislation are repugnant to the legislation under the Concurrent List, passed by the Central Government, then we would better not take up this legislation at all.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The Point of order raised by the Hon'ble member does not arise at all. You will see that for such legislations, the words "appropriate Government" are given. There are certain things which are vested in the Central Government and there are certain things which are vested in the State Government. We are not going to repeal all these Acts passed by the Central Government. We may suspend the provisions of these laws in their application to the relief undertakings.

This Point has also been exami-

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

ned at the highest levels by the Law Departments of the Central Government as well as of the State Government.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : The main thing is repugnancy should be distinguished from competence to legislate. Today there is a Central law. If our law is repugnant to it, it will be inoperative. But our legislative competence is not taken away. Tomorrow the Central Government may repeal its own law, then our law will prevail. So repugnancy does not mean competence of this House. If the question is of legislative competence, then, of course, the point of order may arise. But if the question is that of repugnancy, then it may be repugnant today, but it may cease to be repugnant tomorrow. So repugnancy should be distinguished from the competence to legislate.

श्री उपाध्यक्ष : Now we proceed with the Bill.

श्री पी. के. चौधरी : Your ruling, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष : The question of the validity of the Bill is more an issue for the courts and not ours. I am of the opinion that our House is competent to legislate.

श्री पी. के. चौधरी : I think, Sir, that a similar point of order was raised earlier and it was upheld. So I will request the Hon'ble Deputy Speaker to confirm it. There was a similar point of order raised by another Hon'ble member.

श्री उपाध्यक्ष : When was it raised ? Was it decided by me ?

श्री पी० के० चौधरी : I suppose So.

श्री उपाध्यक्ष : When ?

श्री पी० के० चौधरी : Long back.

श्री उपाध्यक्ष : Let me search my own memory and find out the reasons.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : Sir, I rise under Rule 294 of our Rules of Procedure...

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Brij Mohan Lal, are we so serious about this, or should we proceed ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I am serious about it.

श्री उपाध्यक्ष : Well, if the House has to be converted into a Constitution Bench, then you may proceed.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : My contention is that we should not pass any unconstitutional law, otherwise we will be rebuked outside...

Page No.84

श्री उपाध्यक्ष : The House will not care for the rebukes that go outside. Let us consider ourselves only.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Sir, I will challenge it on the floor of the House. According to item 33 of the Concurrent List, we can legislate only in respect of the trade and commerce in, and the production, supply and distribution of the products of any industry where the control of such industry by the Union is declared by Parliament by law to be expedient...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Mr. Deputy Speaker, he is raising the same point in another form.

श्री उपाध्यक्ष : Then I should only extend the scope of my previous observations.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : No, Sir.

श्री पी० के० चौधरी : That is what I was saying, Sir. I request the Hon'ble Deputy Speaker to verify the decision given earlier. If my memory is correct, your decision was in favour of the Hon'ble member who raised the point of order.

श्री उपाध्यक्ष : Well, I have nothing before me which can be consulted at this time. I will dispose of that issue also when I give am my grounds about the point of order. I shall then deal with that issue also.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I would make a humble submission. As this is a matter of importance, so discussion on this may be deferred and..

श्री पी० के० चौधरी : It may be deferred and the Advocate-General may be examined on it.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I differ with it. We have examined its legal and constitutional aspects.

श्री भैरोंसिंह : Let us hear Shri Jwala Prasad from Nasirabad also.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : It is the appropriate time, Sir, so far as the constitutional position is concerned, and I, therefore, again submit that.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Where is this pinching you ?

श्री उपाध्यक्ष : He is just trying to locate it.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : This is bound to be challenged in the Court of law because item 33 of the Concurrent List clearly lays down that Trade and Commerce in, and the

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

production, supply and distribution of the products of any industry where the control of such industry by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest, and imported goods of the same kind as such products...' This clearly means that we can only enact law with regard to the Trade, Commerce and supply etc....

श्री उपाध्यक्ष : I have followed the point. Yes. we proceed on. My previous observations cover this issue as well. Grounds have been deferred.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान रिलीफ अन्डरटेकिंग्स (स्पेशल प्रोविजन्स) बिल, १६६१ को जनमत के लिये प्रसारित किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष, जनमत, के लिये इसे क्यों भेजा जाय, यह विधेयक एक तरह से मज़दूरों की आवाज को दबाने के लिये और उनके हकों को कुचलने के लिये है। जहां हम मज़दूरों के हितों की बात करते हैं, इस विधेयक के अनुसार यह कह कर कि अन्डरटेकिंग है और अन्डरटेकिंग भी एक तरह से कर्ज हम दे दें और मिल ओनर मजदूरों के अधिकारों को इन्कार करना चाहें तो उस प्रतिष्ठान को अपने हाथ में लेकर उन मज़दूरों का हित कर सकते हैं। जिस वक्त विधान सभाएं मज़दूरों का हित करती हैं, उस वक्त इस प्रकार के कानून विधान सभा द्वारा बनाये जायं, यह ठीक नहीं है। इन्डस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, मिनिमम वेजेज़ एक्ट, राजस्थान शॉप्स एन्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इन कानूनों के द्वारा मज़दूरों को रिलीफ मिलता था, इस बिल का उद्देश्य है कि उन सारे एक्ट्स को अधिक कार्यवाही मानता है। यदि अधिक कार्यवाही है तो अन्डरटेकिंग के लिये है या दूसरे प्रतिष्ठानों के लिये। किसी व्यक्ति को निम्नतर वेतन क्यों न दिया जाय चाहे वह सरकारी प्रतिष्ठान हो या किसी प्राइवेट पार्टी का हो। मज़दूर का जो हक है वह उसे मिलना चाहिये।

तो मैं इस बिल को जो सदन के सामने है इसलिये पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजना चाहता हूँ कि मजदूर संगठन इस पर अच्छी तरह से विचार कर ले और अपनी राय इसके सम्बन्ध में रख दें। मजदूरों के जो अधिकार हैं, चाहे लोक सभा ने वे अधिकार मजदूरों को दिये हों या विधान सभा एक दफा दे चुकी हो उन अधिकारों को वापिस लेना मैं उपयुक्त नहीं समझता। यह विधेयक ऐसी दशा में वापिस होता तो उपयुक्त था, यदि सरकार इसे वापिस नहीं लेना चाहती तो इसे, इस सदन में इस पर विचार करने से पहले, जनमत के लिये भेजना जरूरी है। अन्डरटेकिंग के लिये राज्य के दृष्टिकोण को लें, जहां कहा जाता है कि राजस्थान में उद्योगों को सरकार पनपाना चाहती है, और बहुत से उद्योगों को राजस्थान सरकार ने अपने हाथों में लिया है, यह ठीक है कि उद्योग पनपें। ऐसा कोई उद्योग नहीं है, ऐसी कोई इन्डस्ट्री राजस्थान में नहीं है, जिसे स्टेट ने कर्जा नहीं दिया हो।

(डॉ० बहादुरसिंह)

अगर राजस्थान में इस प्रकार के उद्योग हों तो उसको कभी भी आप यह कह कर कि हम इसको अन्डरटेकिंग में लेते हैं ले सकते हैं और मजदूर जिसने अपने जीवन में खून और पसीने को एक करके जिस प्रतिष्ठान को खड़ा किया है उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसमें उनके अधिकारों का हनन होता है। तो मैं समझता हूँ कि अन्डरटेकिंग की परिभाषा है उस पर ध्यान देना चाहिये। सरकार इस परिभाषा के अनुसार किसी भी प्रतिष्टान को जो चलता हुआ है अन्डरटेकिंग की डेफिनिशन में ले सकती है। सरकार को चाहिये कि जो सरकारी प्रतिष्टान हैं, जो सरकार द्वारा चलते हैं, जो बड़े बड़े हैं उनको ले सकती है; जैसे जिन्क स्मेल्टर चलता है वह तो सरकारी प्रतिष्टान ही है, एक जैसे किशनगढ़ मिल का झगड़ा चलता है, आप कह सकते हैं कि हमने इसको झगड़े की वजह से लिया है।

एक माननीय सदस्य : कहां लिया है ?

डॉ० बहादुरसिंह : आपने नहीं लिया है तो लेना चाहते हैं। खैर, बड़ी मिल में या बड़े उद्योग में जिसमें आपने पैसे लगाये हों या लोन दिया हो, अगर कोई मजदूरों का डिस्प्यूट चलता हो और मान लो कि मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया हो और मजदूरों की डिक्री हो गई हो उसको खत्म कर देंगे। मैं यह कहूँगा कि यह तो मजदूरों के हित में नहीं हो सकता है। इसलिये मैं तो यह कहूँगा और सदन से प्रार्थना करूंगा कि सदन इसको १५ दिन के लिये जनता की राय के लिये भेज दे। इसको १५ दिन का समय इसलिये देना पड़ता है कि यह ऑर्डिनेन्स के जरिये बिल हमारे सामने आया है और अगर ऑर्डिनेन्स नहीं होता तो काफी समय की जरूरत थी लोगों की राय जानने के लिये। मैं समझता हूँ कि अगर इस पर मजदूरों की राय ली जावे तो कोई भी मजदूर संघ इसके पक्ष में अपनी राय नहीं देगा और किसी मजदूर संघ की राय इसके पक्ष में नहीं आवेगी। इसलिये मैं समझता हूँ और मेरी राय है और दूसरे श्रमिकों की भी क्या राय है कि इसको जानने के लिये जनमत के लिये इसको प्रसारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : पब्लिक ओपीनियन के लिये ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : There are two motions. One for public opinion and the other for referring it to the Select Committee. I, therefore allow Hon'ble members for the second motion and then a general debate.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान रिलीफ (सहायय) प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अन्दर प्रस्तुत करे। अपने देश में एक मूलभूत घोषित व्यवस्था है और जहां राज्य ने अपना समाजवादी समाज का लक्ष्य कायम किया है वहां जितने एम्पलॉईज़ हैं उनके लिए जो भी कानून बनें वे उनकी व्यवस्था को

(श्री जगदीप्रसाद माथुर)

सुधारने वाले हों और जहाँ ऐसे कानून हों वहां राज्य आदर्श राज्य कहलाता है। वहां यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य द्वारा बनाये गये कानून इस प्रकार के हों कि नौकरी देने वाले जो लोग हैं उनके सामने आदर्श के रूप में उपस्थित हों। इसलिये जो कानून बनते हैं हमारे राज्य द्वारा, वे इस प्रकार के होंगे जो श्रमिकों की अवस्था को सुधारने वाले होंगे; यह आशा की जाती है, मगर वर्तमान में जो विधेयक हमारे सामने लाया गया है वह तो इसके विपरीत पड़ता है। इसमें कहीं यह नहीं बताया गया है कि उनको नौकरी दिलाने में और उनके वेतन की क्या रक्षा की जावेगी, इस विधेयक में यह कहीं नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि सहायक प्रतिष्ठान राज्य द्वारा घोषित किये जावें। उनके मालिकों को किसी प्रकार का नुकसान न हो और उस नुकसान से बचाने के लिये यह बिल हमारे सामने लाया गया है। इसके उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण है उसमें लिखा है कि कुछ हद तक श्रमिकों की छंटनी भी होगी। ऐसी कतिपय विधियों को निलंबित किया जाना भी आवश्यक है। जिनमें श्रम विवादों को निपटाने की मशीनरी की तथा कतिपय श्रमिकों की सेवा सम्बन्धी शर्तों की व्यवस्था है। कुछ हद तक श्रमिकों की छंटनी भी अपेक्षित होगी।

वर्तमान विधेयक को पारित करके मज़दूरों पर जुल्म करना चाहते हैं। जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि ऑर्डिनेन्स को लागू करके एडवर्ड मिल और मेवाड़ मिलों में सरकार ने छंटनी की। इसको जारी इसलिये किया गया कि सरकार को मजदूरों को निकालना था। मजदूरों की छंटनी करने के लिये ही ऑर्डिनेन्स को जारी किया गया और उसको आज विधेयक बनाया जा रहा है। उसकी भी यही मंशा होगी कि श्रमिकों को नौकरी से अलग किया जावे क्योंकि सरकार को उनको अलग करने का अधिकार होगा। इस विधेयक के द्वारा जितने भी मजदूरों के हित के कानून हैं उनको सरकार रद्द कर रही है, चाहे वे इन्डस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के हों, चाहे इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स या मिनिमम वेजेज़ एक्ट हों। इस विधेयक के पास होने के बाद श्रमिक किसी भी एक्ट की सहायता नहीं ले सकता।

इसके साथ साथ इसमें इस प्रकार का प्रावधान रखा गया है, अगर मजदूर और मालिकों में कोई झगड़ा हो और पंच फैसला हो जाए तो उसके अमल की अवधि ५ साल की है। पंच एवार्ड तो आज होता है। आज प्रश्न यह होता है कि मजदूर को बोनस मिलना चाहिये। आज पंच एवार्ड दे दिया जाता है उसके हक में। उसको पांच वर्ष तक लागू नहीं किया जाएगा। जब पांच वर्ष बीतेंगे उस समय क्या होगा, यह कौन जानता है। मगर इस कानून के अनुसार उसका फायदा उसको पांच साल तक नहीं मिलेगा। कौन जानता है कि पांच साल तक वह श्रमिक उसी स्थान पर काम करता रहेगा या वह जीयेगा या मरेगा ? इस प्रकार की सारी व्यवस्था इसमें है। इस पर पूर्ण रूप से विचार करना है।

अब आगे यह बताया गया है कि सरकार ने यह प्रावधान किया है कि उसकी अवधि

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

५ वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि यह किसी प्रकार से मानने लायक नहीं है। यह तो सरकारी उद्योगों पर ही लागू होता तो कोई बात नहीं थी। इसमें इसकी व्यवस्था की है कि सरकार ने किसी को एक वर्ष के लिये ऋण दे दिया या किसी ने कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा ऋण लिया या किसी इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट से ऋण लिया। किसी ने लाखों रुपये लिये या किसी ने ५ या १० हजार ही लिये और किसी को सरकार ने १५ हजार ही दिये। तो यह कानून इस प्रकार के छोटे छोटे उद्योगों पर भी लागू कर सकती है। यह इस वर्तमान विधेयक की मंशा है। मैं यह कहूँगा कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यह कोई छोटा सा कार्य-क्षेत्र नहीं है। इससे मजदूरों को कोई लाभ नहीं होगा और यह निश्चित तौर से मालिकों को हितकर होगा। इसलिये इसको जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिये और मैं समझता हूँ कि इसको प्रवर समिति में भेजा जावे और माननीय मन्त्री कहते हैं कि अध्यादेश द्वारा यह जारी हुआ है इसलिये इसमें देरी नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैंने ७ दिन की, ७ या १५ दिन की जो भी अवधि सदन मन्जूर करे उस समय तक के लिये इसको सिलेक्ट कमेटी के सामने भेज दिया जाना चाहिये और सिलेक्ट कमेटी इस पर विचार करे और हम इस पर अच्छी तरह से विचार करें। यही मेरा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल है यह बिल किस किस पर लागू होगा इसका प्रावधान किस प्रकार से होगा, यह हमें इसको पास करने से पहले बराबर देख लेना चाहिये। इसके पास करने से इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, मजदूरों और इन्डस्ट्रीज़ और लेबर साइकोलोजी पर, यह देखना चाहिये। यह जो बिल है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो क्लॉज़ ३ है उसमें कहा गया है कि :

"If at any time, it appears to the State Government necessary to do so, the State Government may, by notification in the official Gazette, declare that an industrial undertaking specified in the notification, whether started, acquired, or otherwise taken over, by the State Government, or in..."

किस किस को Relief undertaking कहा जायेगा और यह इसका इम्प्लीकेशन रहेगा और इस इम्प्लीकेशन के किसी पर्टिक्युलर अन्डर-टेकिंग को ५ साल रिलीफ अन्डरटेकिंग डिक्लेअर कर सकते हैं।

जब हम स्टेटमेन्ट आॅफ आॅब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को देखते हैं तो हमको यह मालूम होता है कि रिलीफ अन्डरटेकिंग्स डिक्लेयर होती है उसके कॉन्सीक्वेन्सेज़ क्या रहेंगे। रिलीफ अन्डरटेकिंग्स हो जाने के बाद लेबर डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं होगा। उसमें है : "all or any of the agreements, settlements, awards or standing orders made under by any of the laws mentioned in the Schedule of this Act which may be applicable to the undertaking immediately before it was acquired or taken over by the

(श्री पी. के. चौधरी)

State Government,..." They will not be applicable. Then in respect of these undertakings no legal proceedings shall be valid. अब लीगल प्रोसिडिंग्स की डेफिनिशन दी गई है; उसमें बताया गया है : 'Legal Proceeding' means any proceeding under any law before any court, tribunal, officer, authority or arbitrator started on a plaint, petition of appeal, application, reference, or otherwise." जिस अन्डरटेकिंग में यह कानून लागू होगा उस अन्डरटेकिंग में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए किसी प्रकार के कॉन्सिलियेशन का फैसला हो, किसी प्रकार के पंच अथवा आर्बिट्रेशन का फैसला हो, उनकी तनख्वाह वगैरह का झगड़ा हो तो कोई कानून उसमें लागू नहीं होगा यानी इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स उनमें लागू नहीं होगा । स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में यह कहा गया है :

"Where the State Government, in order to prevent, or to provide relief against, un-employment, starts, takes over, or acquires, or grants any financial assistance to, any industry, it is necessary to protect it, for such time as such industry may take to come to its own, from legel proceedings and also to extend the period of limitation in order to save the interests of the creditors. Similarly, it is also necessary to suspend temporarily certain laws which provide for the machinery of settling labour disputes and certain other conditions of service of labour. Some retrenchment in labour will also be required and unless the labour laws are suspended, reduction of labour in the industry will not be feasible. Hence this Bill, which seeks to replace an Ordinance lately promulgated by the Governor in this respect."

This is the whole crux of the whole problem. retruchment of labour यह जो सारा कानून है the whole crux is the retrenchment of labour.

उपाध्यक्ष महोदय, आज चार–पांच साल से सारे हिन्दुस्तान में इन्डस्ट्रीज़ रेशनेलाइजेशन को लेकर एक झगड़ा चल रहा है। जो इन्डस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स हैं, मिल मालिक हैं वे इन्डस्ट्रीज़ को रेशनलाइज़ कराना चाहते हैं। रेशनलाइज़ेशन का मतलब क्या है; लेबर फोर्स को रिड्यूस करना । आज एक कपड़े की मिल में बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता या कहीं भी एक इन्डस्ट्रियल एम्प्लॉयर यदि चार लूम्स रखता है और ज्यादा से ज्यादा चला लेता है तो इसके जरिये से वह आदमी २४ और ४८ लूम्स चला लेगा। ह्यूमन लेबर को सब्स्टीच्यूट किया जाय रेशनेलाइज़ेशन से । यह झगड़ा ऑल इन्डिया लेवल पर चल रहा है, वर्षों से यह चल रहा है । उसके लिए मज़दूर और मिल मालिक और डिपार्टमेंट कॉन्फ्रेन्स में कोई सन्तोषजनक फैसला नहीं हुआ कि इसको कैसे किया जाय। इतना ही किया गया है कि जहां लेबरर्स होंगे वहां यदि रेशनलाइज़ेशन किया जाता है तो वह किया जा सकता है, बशर्ते कि जो लेबरर्स सरप्लस होंगे उनको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेन्ट उसी

(श्री पी. के. चौधरी)

का रखाने में देना होगा; तब ही जाकर रेशनलाइज़ेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। लेकिन इस रिलीफ बिल के जरिये से हम क्या कर रहे हैं कि इन्डस्ट्रीज़ के रेशनलाइज़ करने में इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के लिए एक रास्ता बना देते हैं। एडवर्ड मिल है, माहेश्वरी मिल है या किसी नाम से भीलवाड़ा में मिल है उसको रेशनलाइज़ेशन करना है, तो रेशनलाइज़ेशन के नाम पर पचास लाख रुपया ले लें, फाइनेन्स की गारन्टी सरकार की ले ली, वे उस मिल को सरकार को पांच साल के लिए हैंड ओवर कर देते हैं, बस मजदूरों का रिट्रेन्चमेन्ट कर दिया, नयी मशीनरी लगा दीजिये, रेशनेलाइज़ेशन करा लीजिये; बस फिर सरकार से उसको वापिस ले लीजिये। इस रेशनलाइज़ेशन को रोकने के लिए at the cost of labur rationalisation नहीं हो; इस बात पर सारा लेबर मूवमेन्ट हिन्दुस्तान का एक है। चाहे वह कॉम्युनिस्ट मूवमेन्ट हो, चाहे सोशलिस्ट मूवमेन्ट हो, चाहे आई. एन. टी. यू. सी. हो। Rationalisation at the cost of retrenchment of labour को tooth and nail सब ने आॅपोज़ किया है, कॉम्युनिस्टों ने इसको नहीं माना है। लेकिन आई. एन. टी. यू. सी. का स्टेन्ड यह है कि रेशनलाइज़ेशन करें, लेकिन सरप्लस लेबर है उसको रिट्रेन्च न किया जाय। यहां कानून बनाया जा रहा है रिट्रेन्चमेंट का। कहते हैं कि लेबर लॉ सस्पेन्ड हो जाय, रिट्रेन्चमेंट हो जाय। Retrenchment is the main clause. तीन–चार साल में मजदूरों का रिट्रेन्चमेन्ट कर देंगे, नई मशीनरी लगा देंगे, बगड़िया साहब या और कोई होंगे तो फिर उसको उनको सौंप देंगे। This is a very vital issue, Hon'ble Dy. Speaker, Sir, रिलीफ अन्डरटेकिंग के नाम से कैसे कर लेते हैं ? मजदूरों को रोजी देने के लिए अन्डरटेकिंग का काम किया जाता है। मैं कहता हूँ कि मजदूरों को रोजी देनी है तो प्राइवेट मिल मालिकों से मिल क्यों लेते हैं ? शुगर फैक्ट्रीज़ हैं। मैं कहूँगा कि सरकार खुद शुगर फैक्ट्रीज़ चलाये, खोले। जैसे फेमीन रिलीफ वर्क्स चलते हैं उस तरह से इन्डस्ट्रीज़ शुरु करिये। लेकिन लाखों रुपया उनको लोन का देकर फिर उनकी अन्डरटेकिंग लेते हैं, रेशनलाइज़ेशन करते हैं। यही नहीं; उपाध्यक्ष महोदय, उसके क्रेडिटर्स हैं creditors of that employer or that Factory owner or that capitalist, he is also debarred from getting anything out of that.

तो इतना ही सिर्फ नहीं है। मजदूरों का गला घोंट रहे हैं, क्रेडिटर्स को थपड़ देते हैं। पांच साल में रेशनलाइज़ेशन करके, मजदूरों को रिट्रेन्च करके, नई मशीनरी लगा कर उस व्यक्ति को फिर मिल हैंड ओवर कर देते हैं। यह जो तरीका है वह मुझे पसन्द नहीं है रिलीफ अन्डरटेकिंग के नाम से। जिसको हम रिलीफ अन्डरटेकिंग कहते हैं, राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ की मशीनरीज़ हैं वे सब ओब्सोलीट हैं, कम्पीटिशन में स्टेन्ड नहीं करती हैं। जब इसको अन्डरटेकिंग कर लेते हैं तो नई मशीनरी लग जावेगी। यह एक उनका नया तरीका है; धमकी देते हैं मिल बन्द करने की। केपिटलिस्टस का यह एक तरीका बन गया है। विजयनगर मिल वालों ने धमकी देकर कारखाना बन्द किया, मजदूर

(श्री पी. के. चौधरी)

बेकार हो गये । वे पांच लाख लेना चाहते थे । सरकार ने गारन्टी दी पांच लाख की । लोन लिया मशीनरी खरीदने के लिए । न मशीनरी खरीदी और न ही वह फैक्ट्री चालू हुई । वह शुगर फैक्टरी आज भी बन्द पड़ी है । इस प्रकार यह हमारा एक सेन्टीमेंट है मजदूरों को रोजी दिलाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट कायम रखने के लिए । कहते हैं कि हम उनको यह मदद देते हैं । इस सेन्टीमेंट का गलत उपयोग होता है । इस प्रकार से रुपया तो ले लेते हैं लेकिन मिल खड़ी नहीं रहती है । इस प्रकार से रेशनलाइज़ेशन के नाम से उनसे मिल ले लेंगे, मजदूरों को रिट्रेन्च कर देंगे, मशीनरी लगा देंगे, उनमें रिपेयर करके, उसको टिप-टॉप करके फिर उसको हैंड ओवर कर देंगे मिल मालिक को । इस तरीके को मैं अच्छा नहीं समझता हूँ ।

दूसरा तरीका यह है, उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के सारे लेबर मूवमेंट का यह स्टेन्ड है कि वे रेशनलाइज़ेशन एट दी कोस्ट ऑफ दी रिट्रेन्चमेंट ऑफ दी लेबर कभी स्वीकार नहीं करेंगे । रेशनलाइज़ेशन का काम प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ के करने का नहीं है, नहीं करने देना चाहिये । वह बुरे से बुरा काम भी हो तो भी सरकार को करना चाहिये । बहाना बनाते हैं कि लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं । मेरा यह सुझाव है कि सिलेक्ट कमेटी में इसको खास कर इसलिए दें ।

माननीय मंत्री महोदय यह बता दें कि रिट्रेन्चमेन्ट किस बात के लिए कर रहे हैं ? Retrenchment is meant for rationalisation. यदि नहीं जानते हैं तो लेबर मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिये । गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के लेबर मिनिस्टर का भी यही स्टेन्ड है कि मजदूरों का रिट्रेन्चमेन्ट नहीं होना चाहिये । जिसको रिट्रेन्च करेंगे या सरप्लस करेंगे तो उसको ऑल्टरनेटिव काम देना चाहिये ।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, रिलीफ अन्डरटेकिंग की है; उसके लिए जिसको आपने कर्ज दिया है जिनके लिए गारन्टी दी गई है । आज, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को सब बातों के लिए गारन्टी देनी पड़ती है । स्टेट बैंक्स हैं वे कर्जा लेते हैं और वे लोगों को प्राइवेट इन्डीविजुअल्स को कर्जा देते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट को डिरिट्रक्ट वाइज़ गारन्टी देनी होती है; इस तरह से गवर्नमेंट की गारन्टी का जो प्रोसीजर है वह बढ़ता जायगा; in large number of cases में गारन्टी करनी पड़ेगी । गारन्टी कर दी गई तो all of them become eligible for this relief measure.

तो क्या सारे के सारे रिलीफ मेजर्स को एक्सटेन्ड करेंगे ? कई जगहों पर कर्ज दिये गये हैं, आपके शेयर्स उनमें हैं, उन सारों के लिये, जो आपने लिक्वीडेशन में ले लिया तो उससे एक प्रकार से लेबर लॉज़ हैं वे एक दम स्टोप कर देंगे । राजस्थान में कोई लेबर लॉ नहीं रहेगा, केवल स्टेच्यूट बुक में रहेगा in majority of the undertakings labour measures are in-effective under this Relief Undertaking Act. यह पोज़ीशन पैदा हो सकती है । इसलिए मैं समझता हूँ कि रिलीफ अन्डर टेकिंग्स के लिए जनरल एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है । ये अन्डरटेकिंग्ज़

(श्री पी. के. चौधरी)

बनाना है, there may be a specific legislation for those two undertakings. रिट्रेन्चमेंट का जो प्रावधान है इसमें रखना नहीं चाहिये ।

इसके साथ साथ रिलीफ अन्डरटेकिंग्ज़ में जब हम इन्डस्ट्रीज़ को ले रहे हैं तो उसमें शोप एन्ड कॉमर्शियल एक्ट सस्पेन्ड करने की कौन सी बात आती है ? दूकानों में जहां दो आदमी पहले काम करते थे अब वे एक आदमी से उतना काम लेंगे । आप इस एक्ट को सस्पेन्ड करके कौनसा रिलीफ पहुंचा रहे हैं ? इसमें मुझे कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आता जो कन्विन्सिंग हो । अगर शोप एन्ड कॉमर्शियल एक्ट नहीं रहता है तो दूकानों पर लोग उन लोगों से १२ और १४ घन्टे तक काम करा सकते हैं । इसके रहने से यह तो था कि आठ घंटे से ज्यादा काम किसी से नहीं ले सकते थे । अगर कहीं ज्यादा काम है तो he will have to keep two men. In place of one person he will have to employ two persons. आप इस एक्ट को सस्पेन्ड करके क्या इसमें जोड़ रहे हैं ? आप तो इसमें रिड्यूस कर रहे हैं । अब इससे क्या होगा कि जहां पर दो आदमी होते थे वहां एक आदमी को रिड्यूस कर देंगे और जहां यह कहा जा रहा है कि हम यह एम्पलॉयमेंट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अन एम्पलॉयमेंट की प्रोब्लम को सोल्व करने के लिए ला रहे हैं, जैसा कि इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में कहा गया है: to prevent or to provide relief against un-employment; इसलिए रिलीफ अन्डरटेकिंग पास किया जा रहा है इसकी इसलिए जरूरत आई कि जब तक यह पास नहीं होता तब तक स्थान नहीं कर सकते । यह एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है । कानून जो पास कर रहे हैं अन एम्पलॉयमेंट को रिलीफ देने के लिये क्योंकि जब तक कानून पास नहीं होता इसमें सुधार नहीं हो सकता । इसलिए यह जरूरी है कि लेबर डिसप्यूट को सस्पेन्ड करना लेकिन मेहरबान, शोप एन्ड कॉमर्शियल एक्ट को सस्पेन्ड करते हैं तो जहां दो आदमी काम करते थे वहां पर वे लोग एक आदमी से काम लेंगे, इससे तो अनएम्पलॉयमेंट बढ़ेगा। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मजदूर तबके के लोग हैं, जो मेहनत से मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत नीचा है उनके लिये हमें सोचना है । इसलिये इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है । गवर्नमेंट केवल अपने एंगल से इसको सोचती है । गवर्नमेंट का एंगल पर्टिकुलर दिशा में चला है, लेकिन सदन को तो इस पर गौर से सोचना चाहिये । जल्दबाजी में इसको पास न करके सिलेक्ट कमेटी में इसको भेज दिया जाय वहां पर you may convince the members. आपके जो ऑब्जेक्टिव्ज़ हैं वे बताइये, उसके बाद इसको पास करिये । जब हम लेबरर्स के सम्बन्ध में कानून बना रहे हैं जब कि यहां लेबरर्स का प्रतिनिधि कोई नहीं है तो हमें ही उनका प्रतिनिधित्व करना है । You can anticipate the motion to send the Bill to the Select committee. एक हफ्ते के बाद में आप इस बिल को पास करिये, इससे कोई ऑर्डिनेन्स इन्वेलिड नहीं हो जाता है । you conveince us about the sanguinness and urgency of this legislation.

इन शब्दों के साथ मैं सिलेक्ट कमेटी

(श्री पी. के. चौधरी)

में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने, इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय, इसके लिये प्रस्ताव रखा है। साथ ही मैंने यह भी प्रार्थना की है कि प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन १५ दिन में दे। प्रवर समिति में भेजने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जल्दबाजी में जिन ऑफिसर्स द्वारा यह बिल बनाया गया है वे इस विषय को नहीं समझते और इस पर गलत काम न कर डालें जिसकी वजह से सरकार ने जो साहसिक कदम उठाया है, मजदूरों में एक शान्ति और सुख की लहर फैलाई उस पर पानी न फिर जाय। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये मैंने कहा था कि सरकार ने यह बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया है। इस साहसिक कदम की वजह से सरकार ने पूंजीपतियों को और हर व्यक्ति को यह एक सबक दिया है कि वे यह न समझ लें कि मिल जिसको कि वे चलाते हैं उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति है, वह समाज की सम्पत्ति है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : आप ठीक बात कह रहे हैं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : यह तो आप लोगों के ऑनर की बात है जिसको मैं बतला रहा हूँ।

श्रीमन्, सरकार के उस साहसिक कदम से जो पूंजीपति यह समझते थे कि मिल उनकी सम्पत्ति है उनको सरकार ने बता दिया कि वे यह भूल जायं कि यह उनकी सम्पत्ति नहीं है; यह समाज की सम्पत्ति है। वे यह भी नहीं समझ लें कि वे चाहें जब हजारों आदमियों को बेकार बना सकते हैं। एक तरफ जहां हम पूंजीपतियों को यह सबक दे रहे हैं वहां दूसरी ओर हमें सरकार को भी यह सोचना है कि हमें ये पब्लिक सेक्टर में चलानी है। व्यक्तिगत सम्पत्ति वालों को यह सबक देना है कि तुम्हारे से कहीं ज्यादा अच्छे ढंग से सरकार भी मिलें चला सकती है और जो दोनों को सबक सरकार के इस एक्शन में निहित थे, यदि इस कानून को आपने पास कर दिया तो उन दोनों सबकों पर पानी फिर जायेगा।

आज आपको कटौती करने की आवश्यकता नहीं। आप अगर प्रवर समिति में बैठें तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि एक भी मजदूर की कटौती करने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं जरूरत पड़ेगी। हमने कार्य भार (work lohd) तय किया और इन मिलों में किया। परन्तु एक मजदूर को भी बेकार नहीं होने दिया। इससे मिल मालिकों को भी सन्तोष हुआ, मजदूरों को भी और सरकार को भी सन्तोष हुआ। वर्क लोड या कार्य–भार की वजह से हमने किसी को बेकार नहीं किया। हम फिर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि रिट्रेन्चमेन्ट की जरूरत नहीं। इन अफसरों को जिनको इन कामों का तजुर्बा नहीं उनकी सलाह पर आप बदनामी लेना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप शौक से बदनामी लीजिये। अगर आपको बदनामी की चिन्ता नहीं तो फिर प्रवर समिति को भेजने को

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

आवश्यकता नहीं।

मैं बताना चाहता हूँ कि एडवर्ड मिल में कम्पेन्सेटरी अलाउन्स की बात आई। हमने मजदूरों को अपने विश्वास में लिया। हमने कम्पेन्सेटरी अलाउन्स दिया, एडवर्ड मिल में कार्य भार तय किया। १ हजार तकुओं (spindles) के पीछे २७ आदमी काम करते थे। हमने सरकार को विश्वास दिलाया था कि हम तय कर देंगे इसको। आपके अफसरों ने जितना कम करने के लिये कहा हमने किया। उनका कार्य भार बढ़ा बिना मुआवजे। प्राइवेट मैनेजमेन्ट में जो नहीं हो सकता था वह हमने किया। अवांछनीय लोगों ने सत्याग्रह किया, सत्याग्रह तो क्या दुराग्रह किया। पर वे भी ठीक हुये। उनका दुराग्रह भी नहीं चलने दिया। हम आज भी आपको फिर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप काम करियेगा। जितना वर्क लोड कार्य स्थिति में करना चाहते हैं आप करें, हम तैयार हैं आज भी। हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक आदमी को बेकार किये बगैर हम यह कर देंगे। पर आप इस काम को करके बदनामी अपने सिर पर न लें। क्यों गवर्नमेन्ट बदनामी का ठेका अपने सिर पर लेती है? ब्यावर में मिलों में तीन–तीन सौ आदमियों के कम होने पर हमने फिटिंग कर दिया उनको और एक रात के अन्दर अन्दर कर दिया श्रीमान्, बल्कि, बारह घंटों में दो मिलों का work load तय किया है। उनको बेकार नहीं किया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम कर देंगे। आपके अफसर कहते हैं कि नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि वे दया के पात्र हैं, गैरतजुर्बेकार हैं। प्राइवेट मैनेजमेन्ट क्या कहेगा आपको? कानून खत्म करके मुनाफा कमाया आपने। आपने अपने सही कदम से जो सबक राजस्थान के ही नहीं; हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों को दिया, जो नसीहत उनको दी वे अब कहेंगे कौनसा भला काम आपने किया है? आपने सारे लॉज़ को जो हमें गवर्न करते हैं उनको खत्म कर दिया। मजदूर मालिकों के सम्बन्धों को गवर्न करने वाले कानूनों को आपने समाप्त कर दिया। यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि रिट्रेन्चमेंट नहीं किया जावेगा। एक ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स हुई थी जिसे Fifteenth Labour Conference के नाम से पुकारा जाता है उसमें भी यही कहा गया था। हम तो कहते हैं कि जितना वर्क लोड में कटौती आपके अफसर करने को तैयार नहीं हम उससे भी आगे जाने को तैयार हैं। पर मजदूर को बेकार करना हम नहीं चाहते। एक को भी बेकार करने से सरकार बदनाम होगी। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आप सब कुछ करें पर इन तीन कानून कायदों को रद्द न करें। अगर किया तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन की नातजुर्बेकारी के कारण आपकी पूरी बदनामी होगी और आपके अफसरों के सामने ऐसी दिक्कत पैदा होगी कि फिर आपको लेजिस्लेशन लाकर इन कानूनों को फिर लाना पड़ेगा। कल मान लीजिये मजदूर स्ट्राइक करते हैं। आप किस एक्ट के मातहत उसे गैर कानूनी घोषित करेंगे? बंगाल में तो ऐसा अधिनियम है जिसके अन्तर्गत हड़ताल आप गैर कानूनी घोषित कर सकते हैं। पर आपके पास तो इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मातहत की कार्यवाही करने

Page No.95

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

का अधिकार है। आपने इसे रद्द किया तो इससे आपके सामने दिक्कतें पैदा होंगी। अफसर आपको फिर इसे लागू करने को कहेंगे क्योंकि उनको तजुर्बा नहीं है। इन कानूनों को आपको फिर लागू करना पड़ेगा। तो अपने अफसरों की नातजुर्बे के कारण एक तरफ तो आपको बदनामी उठानी पड़ेगी और दूसरी तरफ आप उन की हड़ताल को गैर कानूनी नहीं कर सकेंगे।

मैं और कहता हूँ कि जो स्टेन्डिंग ऑर्डर हैं ५६ के वे मैनेजमेन्ट के भी हक में हैं। अब उनको आपने इन–अबेयेन्स में रख दिया या रिपील कर दिया तो इसका क्या नतीजा होगा? आपका कोई मजदूर इनसबोर्डिनेशन करता है, कोई क्लर्क या मजदूर कहता है कि हम आपका हुक्म नहीं मानते तो आप क्या कर सकते हैं? आपको कोई राइट नहीं है उनको पनिश करने का। या तो फिर इसके लिये आपके पास लॉ ऑफ जंगल होगा या औरंगजेब का कानून होगा। पर कैसे निकाल देंगे आप उनको? सवाल तो यहाँ लॉ ऑफ दी लैण्ड का है। वह इन्जेक्शन पास करा लावेगा दिवानी अदालत से। सरकार के सामने फिर आफत खड़ी हो जावेगी। अभी तो आपको और सहूलियत है। आज के कानून के अन्तर्गत कोई डिस्प्यूट का केस आवेगा तो आप चाहेंगे तो उसे इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास भेज सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भेज सकते हैं। आज आपको ज्यादा पॉवर हैं। परन्तु अगर आपने ऐसा किया तो सिविल लॉ आपके सामने आवेगा। आपके लॉ डिपार्टमेंट ने इस दृष्टिकोण से इसको देखा है या नहीं, मैं नहीं जानता। पर अगर नहीं देखा है तो अब देखें। अगर इस प्रकार का लॉ बना देंगे तो परिणाम बुरे होंगे। केऑस होगा, अशान्ति होगी और जहां तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में सेन्ट्रल वेज बोर्ड की सिफारिश के लिये हमने माना है कि मैनेजमेन्ट और मजदूर को शान्ति के साथ चलना है तो इसमें कैसे आप शान्ति से चल सकेंगे? रोज झगड़े होंगे।

(४.०० म.प)

श्रीमन्, इसका विरोध मैं और भी नहीं करता, पर इसलिये भी मजबूर हुआ हूँ कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। हम अफसरों को इतने वाइड पॉवर्स न दें। आपके अधिकृत प्रशासक ने आज बीस-पच्चीस आदमियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल दिया। क्यों बदल दिया? ट्रेड यूनियन एक्टीविटीज़ में भाग लेने के कारण। मातहतों से कह रहे हैं वे कि कोई शिकायत हो तो हमसे कहो, वहां रिपोर्ट मत करो, व्यक्तिगत रूप में लाओगे तो सुनेंगे, पर यूनियन के मातहत कहा तो सुनेंगे नहीं। आप इस प्रकार को शक्ति इन लोगों को देना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि मजदूरों की स्थिति सत्रहवीं शताब्दी की हो जावेगी। यह न आपके लिये शोभा की बात होगी न हमारे लिये और न सदन के लिये होगी। औरंगजेब ने जिसको चाहा उसको निकाला उस तरह की स्थिति हो जावेगी। इसका परिणाम क्या होगा? इससे आप हम सभी परिचित हैं। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि आज आपने मिनिमम वेजेज़ एक्ट के मातहत ८ अक्टूबर '५२ को नोटिफिकेशन निकाल

Page No.96

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

दिया था कि जिसके अनुसार पुराने अजमेर राज्य के मिल मजदूरों को वेतन दिया जाता है। हरेक मजदूर और क्लेरिकल स्टाफ की तनख्वाह मुकर्रर है। इसमें दो बातें हैं। एक मजदूर वह है जो सन् १६५२ के पहले से काम करता हो और स्थायी है उसकी न्यूनतम पगार निर्धारित की गई और दूसरा मजदूर इसके बाद स्थायी हुआ। इनके दोनों की पगारों में कुछ अन्तर है और सन् १६५२ के फैसले के अनुसार पहले के स्थायी मजदूरों की पगार सुरक्षित है। यदि मिनिमम वेजेज़ एक्ट नहीं रहता है तो एक मजदूर एक पर्टीकुलर ऑक्युपेशन के ऊपर काम कर रहा है तो उसको फोर्स किया जा सकता है कि वह कम पगार (A/C) ले। अब आप उसको अधिकार दे देते हैं क्योंकि मिनिमम वेजेज़ एक्ट नहीं रहा तो उसका परिणाम क्या होने वाला है कि जिसको जितना चाहेंगे उतना रुपया देंगे और जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं देंगे। वह कल को यह भी कह सकते हैं कि हम तो तुमको इतना रुपया देंगे, अगर आपको लेना है तो काम करो वर्ना मत करो। आप इतनी पावर्स उसको (अधिकृत प्रशासक को) देना चाहते हैं, इसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप इतनी आर्बीट्रेरी पावर्स उसको न दें। आज मजदूरों को १०० टके मजदूरी मिलती हैं। आप उसको ७५ कर दीजिए पर यह नहीं कि किसी के साथ तो ऐसा व्यवहार किया जाये किसी के साथ नहीं। अगर आपको पगार कम करना है तो सब का कम कीजिए। हम इसको मानते हैं कि सरकार का पैसा बचना चाहिए। हम नहीं चाहते कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो। लेकिन हम यह चाहते हैं कि मजदूरों को उनकी मजदूरी का पैसा मिले, लेकिन सब के साथ समान व्यवहार हो। उसके अन्दर किसी प्रकार का पक्षपात अथवा किसी प्रकार की पार्टीबाजी का मौका किसी को नहीं मिले और यूनियन के अधिकारों को खत्म करने का मौका नहीं मिले। अगर आपने ऑथोराइज्ड कन्ट्रोलर को पावर्स दे दीं तो क्या नतीजा होगा कि ८ अक्टूबर का जो नोटिफिकेशन है वह खत्म होगा और मजदूरों की वही हालत होगी जो कि आज से काफी समय पहले थी। क्या आप यह स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि मजदूरों में असन्तोष फैले और वह अपने सारे अधिकारों से वंचित कर दिये जायें? एक तरफ तो गवर्नमेंट यह कहती है कि कोई भी मजदूर किसी ट्रिब्यूनल के अन्दर जब तक कि यूनियन उसके केस को रिप्रेजेन्ट नहीं करेगी तब तक कोई भी मजदूर ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकता। अगर कोई भी मजदूर वहां पर डाइरेक्टली नहीं जा सकता है जिसको कि यूनियन ने सपोर्ट नहीं किया हो तो वह इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं माना जायेगा। कोई भी मजदूर अपने किसी प्रश्न को लेकर ट्रिब्यूनल में जाता है सीधे रूप से तो वह इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं माना जायेगा, जब तक कि यूनियन उसको सपोर्ट नहीं करती। आपके इस लेजिस्लेशन से किसी भी मजदूर को अधिकार नहीं होगा कि वह यूनियन से अपना केस रिप्रेजेन्ट करवा सके। आज हमारे कान्स्टीट्यूशन का आर्टीकल १६ कहता है कि हर मजदूर को अधिकार है कि वह यूनियन में जा सकता है और अपनी यूनियन बना सकता है। आप इस अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। इससे नतीजा यह होगा कि

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

लॉ लेसनैस होगी । आप कम से कम उसको कोर्ट में जाने का तो अधिकार दीजिए । अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है, किसी को गैरकानूनी तरीके से सस्पेन्ड कर दिया गया, किसी का गलत तरीके से ट्रान्सफर कर दिया गया तो इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत अधिकार है कि हम स्टेट गवर्नमेन्ट को कह सकते हैं कि इस हमारे केस को ट्रिब्यूनल में भेज दो । परन्तु नहीं, आप मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित कर देना चाहते हैं । जब तक स्टेट गवर्नमेंट रेफर नहीं कर दे तब तक हम किसी अदालत के सामने नहीं जा सकते । यानी आप यह स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि ऑथोराइज्ड कन्ट्रोलर जिसको चाहे निकाल दे जिसको चाहे रखे । श्रीमान्, आपने पैसे की बात कही, सरकार का पैसा प्रोटेक्ट होना चाहिए । अगर आपने यह कानून पास कर दिया तो परिणाम क्या होगा; पढ़ लीजिए: "(b) no suit or other legal proceeding shall be instituted or commenced, or, if pending, shall be proceeded with, against any industrial undertaking during the period in which it remains relief undertaking."

श्री उपाध्यक्ष : मैं आशा करता हूँ, माननीय सदस्य संक्षेप में बोल कर अपना भाषण समाप्त करेंगे ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा: मैं, श्रीमान्, आपके सामने एक पोइन्ट और रखना चाहता हूँ....

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर—सु०) : श्रीमान् , मेरा भी शुगर मिल के मजदूर संगठन का सवाल है ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : आप इस लॉ को देखिये । उसके अन्दर कहते हैं कि कोई भी आदमी इन इन्डस्ट्रियल अण्डरटेकिंग्स के खिलाफ दावा नहीं कर सकता । ठीक है, यह तो ठीक है कि पहले के क्रेडिटर्स हैं वे लोग दावा नहीं करेंगे । मैं आपको बताऊं कि ब्यावर और भीलवाड़ा की मिलों में एक करोड़ का सालाना ट्रान्जेक्शन होता है । अब कोई भी आदमी इस कानून के मातहत दावा नहीं कर सकता । क्या आप रिलीफ अण्डरटेकिंग करके ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ? आप कानून पढ़ लीजिए, जैसा कानून आपने पेश किया है वह इस लाइट में पढ़ लीजिए "no suit or other legal proceeding shall be instituted." और कमेन्स नहीं हो सकता "...or commenced, or if pending shall be proceeded with, against any indusrtial undertaking during the period in which it remains a relief undertaking" न तो शुरू हो सकता है,न कमेन्स हो सकता है । अगर मुकदमा चल रहा है तो उसके लिए कर दो तो ठीक है । आप यह स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि मजदूरों को कोई अधिकार ही न रहें । एक बात और है । आपके ए० सी० चाहते हैं कि सब गुप्त रहें, वह गवर्नमेंट का पॉलीटिकल डिपार्टमेंट नहीं है, यह डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का कि जिसका काम है व्यापार करना । उस अण्डरटेकिंग की ले-बेच की जानकारी सबको होनी चाहिए । सब को विश्वास होना चाहिए और हर एक आदमी को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए । अगर आपने किसी व्यक्ति विशेष को बाद के ले-बेच के दावा करने का अधि-

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

कार नहीं दिया तो क्या नतीजा होगा कि एक जो व्यापारी है वह आपके मिल के ऊपर दावा नहीं कर सकते तो कल उसको माल कौन देगा? अगर माल देगा तो ज्यादा पैसे देकर माल देना पड़ेगा। इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैं और ज्यादा कहना चाहता हूँ। अगर इस बिल को इसी रूप में पास कर देंगे तो सरकार के लिए भी आफत होगी और जो सरकार ने साहसिक काम किया है वह भी बेकार हो जायेगा। इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस विधेयक को प्रवर समिति के सामने भेजने के लिए स्वीकार करेंगे, अगर वे ठीक नहीं समझते हैं तो उनकी इच्छा है। अगर हम इसको इसी रूप में पास कर देते हैं तो इससे नई समस्यायें पैदा हो जायेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न को प्रवर समिति के लिए भेज दें।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान रिलीफ अंडरटेकिंग्स विधेयक जिस के सम्बन्ध में वाद विवाद चल रहा है उसके बारे में मेरा प्रस्ताव है कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय।

पूर्व वक्ताओं ने इस पर काफी विवेचन किया है। लेकिन मैं इस पर दूसरे ढंग से विचार करता हूँ। एक बात तो मैं जरूर देखता हूँ कि इसके लिये माननीय मंत्रीजी की जो भावनाएं हैं उनमें थोड़ी अच्छाइयां हैं लेकिन उसके परिणाम की तरफ शायद उनका ध्यान नहीं गया है। हमें याद है कि हमारे देश में एक बहुत अच्छा राजा था। इतिहास में उसका नाम है। एक दिन रात के समय उसको स्वप्न आया कि यदि राजधानी को देश के मध्य में ले जाया जाय तो शासन प्रबन्ध अच्छी तरह से हो सकता है। उसने राजधानी को देश के मध्य में ले जाने की आज्ञा दे दी। इस पर उसके मंत्रियों ने कहा कि इतना बड़ा सेक्रेटेरियेट और दूसरे लोग कैसे वहां जायेंगे; तो उसने कहा कि यह सब होने दो। इस बादशाह का नाम तुग्लक था। उसकी भावनाएं अच्छी थीं। इसी प्रकार का प्रयास मंत्रीजी ने हमारे सामने रखा है। वे चाहते हैं कि जितने साहाय्य उद्योग प्रतिष्ठान हैं उनको अच्छे ढंग से चलाना चाहिये। लेकिन उनको चलाने का तरीका इस विधेयक के द्वारा हमको दिखाया है। उसकी तरफ हम देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने जो आनेवाले संकट हैं उन पर विचार नहीं किया और बहुत जल्दी से चाहते हैं कि ये उद्योग प्रतिष्ठान अपने पैरों पर खड़े हो जायं। जहां तक इनको पैरों पर खड़ा करने का सम्बन्ध है सराहना की जा सकती है लेकिन जो खड़ा किया जा रहा है। सारे उद्योगों के जो श्रमिक हैं उनके हित के लिये जो विधेयक बने थे उनको निलम्बित करके आज तक के जो कॉन्ट्रेक्ट (अनुबन्ध) हो रहे थे उनको समाप्त करके और जो कुछ न्यायिक अधिकार एवार्ड्स के जरिये मिले हैं या आर्बिट्रेशन से जो लाभ मिले हैं उन सब से उनको वंचित करते हुए चाहते हैं कि मजदूर केवल मजदूरी करते हैं और उनको अपने प्रति सोचने का क्षण नहीं मिलना चाहिये। मैं चाहता हूँ....

श्री मूलचन्द डागा (पाली): मैं चाहता हूँ कि समय निर्धारित कर दिया जाय....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): रात को ८ बजे तक का समय है।

श्री मूलचन्द डागा : अभी तक दो, तीन बिल बाकी हैं, पाली नगरपालिका बिल है।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : रात को १२ बजे तक चलने दीजिये।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं निवेदन कर रहा था कि आज हम जिस युग में रह रहे हैं वह २० वीं सदी का युग है जिसे समानता का युग कह सकते है। विषमता का युग नहीं है, दासता का युग नहीं है और मैं कह सकता हूँ कि आज जिस प्रकार की प्रणालियां चल रही हैं समाजवाद या जनतंत्रवाद की उनमें से समाजवादी कहते हैं कि मजदूरों से मजदूरी लेते हैं लेकिन उनको पेट भर खाने को देते हैं। लेकिन मैं यह भी समझता हूँ कि जनतांत्रिक तरीके से मजदूरों से काम लिया जाता है लेकिन उसके रोटी की व्यवस्था भी समुचित की गई है; बल्कि आज तो जहां जनतांत्रिक प्रणाली है वहां इस बात का दावा भी करते हैं कि जो मजदूरों को स्वतंत्रता दी है उसको कायम रखने के लिये कानून भी अच्छे से अच्छे बनाये हैं। वैसा कानून और व्यवस्था साम्यवादियों के देश में भी नहीं है। आज इसमें हमारा राजस्थान और भारतवर्ष भी पीछे नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो विधेयक लाया गया उसमें जितने महत्वपूर्ण श्रमिक विधेयक, कानून और एक्ट बनाये गये थे वे सब खत्म कर दिये गये। आखिर मैं समझता हूँ कि एक फैक्टरी को आप अपने काम में लेते हैं तो उनमें मजदूर काम करेंगे और जब मजदूर काम करते हैं तो उनके हित के लिये कानून होना चाहिये। कानून को समाप्त करके मजदूरों से काम नहीं ले सकते। हम जिस युग में पल रहे हैं वह यह नहीं कह सकता कि आप सारे कानून, एवार्ड्स आदि को खत्म करके जहां चाहे वहां छंटनी कर दें, जितना चाहें पैसे दें, मेरी समझ में आप ऐसा नहीं कर सकते।

आज जो विधेयक लाये हैं साहाय्य,औद्योगिक प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में, उसमें निर्धारित करने की जो शक्तियें हैं वे राज्य सरकार ने अपने पास ली हैं और उनके सम्बन्ध में जितने विधेयक हैं, जितने पंच निर्णय हैं, आदेश वगैरह हैं उनको निलम्बित कर दिया और उनको समाप्त करके उद्योगों को चलाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ यह तरीका उचित नहीं है। यह वह तरीका है जो बुनियादी रूप में गलत है। इस तरह से आज हमारी इकोनॉमिक और आर्थिक व्यवस्था को इस ढंग से चलाना चाहते हैं। एक तरफ यह कहते हैं कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है और दूसरी तरफ मजदूरों को उनके अधिकार दे नहीं रहे हैं। मैं समझता हूँ, इस प्रकार के कानून और प्रवृत्तियों की किसी भी देश में चाहे वहां जनतंत्र हो, चाहे तानाशाही हो, आज के युग में सराहना नहीं की जा सकती। आज मुझे यह लगता है कि आप जिसे जनतंत्र कहते हैं वह एक तरह से साम्यवादी तरीके से भी घृणित तरीका है और सारे कानून को समाप्त करता है। इसके अंतर्गत श्रमिकों के लिये कोई गारन्टी नहीं है कि उनकी नौकरी रहेगी। मैं इसमें से कुछ पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि कुछ हद तक छंटनी भी अपेक्षित होगी।

जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी छंटनी भी की जायगी, लेकिन उनको वापिस काम

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पर लगाने के लिये कोई गारन्टी नहीं है। जैसा अमेरिका और दूसरे कई देशों में कोई छंटनी की जाती है तो जब तक उनको वापिस काम पर नहीं लगाया जाता तब तक वेतन मिलता है। दूसरी ओर यह कहते हैं कि रोटी खाने का सबको अधिकार है, पेट खाली नहीं रह सकता, इसके लिये इन्तजाम करेंगे; लेकिन जब आज सरकार उनको खत्म करती है और दूसरी ओर यह नहीं कहते कि उनके लिये रोटी की व्यवस्था करेंगे तो इस प्रकार से वेक्यूम रह सकता है। आपने जब चाहा तब मजदूरों की छंटनी कर दी, रिट्रेन्च कर दिया; तो इस प्रकार का तरीका ठीक नहीं होगा। इन सारी महत्वपूर्ण बातों पर विचार करता हुआ मैं यह कहूँगा कि यह ऐसा विधेयक है जिसका मजदूरों से गहरा सम्बन्ध है। जो श्रमिक पॉलिसी है उसमें मूलभूत खराबियां हैं, कमजोरियां हैं उन पर विचार करने की खास आवश्यकता है। स्वतंत्र चलने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सरकार अपने हाथ में ले रही है लेकिन जब तक आप यह निश्चय नहीं करेंगे कि किन किन उद्योगों को राज्य सरकार ले सकती है या सही तरीके से पूंजीपतियों से लेकर चला सकती है, जब तक सारी बातों की ओर ध्यान नहीं जायगा तब तक सारी अर्थ-व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकेंगे और न मजदूरों का हित हो सकेगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह आज के युग के समकक्ष नहीं है। आप सारे वैधानिक तरीकों को समाप्त करके उद्योगों को पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार ने अपने हाथ में लेकर इनकी कितनी तरक्की की है। मैं समझता हूँ मजदूरों का गला घोंट कर तरक्की करना ठीक नहीं है। तरक्की तो होगी या नहीं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ राज्य सरकार मजदूरों के सारे अधिकारों को हाथ में लेकर उनको खत्म करना चाहती है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ और इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग करता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऊपर जब से विचार चल रहा है, इसका स्कोप बहुत वैसा समझ कर विचार हो रहा है। यह एक सबसे पहला कानून है जिसकी टेम्पोरेरी जरूरत सरकार को हुई है और उसकी स्थिति का अन्दाज लगाया जाय कि आज से तीन साल पहले किसी तरह से मिल मालिक मिलों को बन्द कर रहे थे और हर जगह हर तरफ से यह आवाज आ रही थी। इतना ही नहीं, बल्कि ब्यावर में और मेवाड़ टेक्सटाइल, भीलवाड़ा में स्थिति यहां तक पहुँच गई थी कि मजदूरों को तनख्वाह तीन तीन महीने तक नहीं मिलती थी और उसके बाद वे मिल के बन्द होने की स्थिति में आने तक बगैर तनख्वाह के मजदूरी करते रहे और उनकी स्थिति ऐसी नहीं बन सकी कि उनको तनख्वाह दे सकें। उनके भूखों मरने की स्थिति आ गई थी, मजदूरों के अनएम्प्लॉयड होने की स्थिति बढ़ गई थी और हजारों आदमियों के बेकार होने की स्थिति हो गई थी। उसके बाद सरकार ने उन अन्डरटेकिंग्स को लिया, क्योंकि ऐसा डर पैदा हो गया था कि धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की और इन्डस्ट्री के बन्द होने की स्थिति हो रही थी। ऐसी स्थिति के अन्दर दो हजार आदमियों को काम पर लगाना है, इसलिए अंडरटेकिंग को लेने के लिए इस

Page No.101

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सदन के सामने, सरकार के सामने स्थिति आई है कि वहां पर दो हजार की बेकारी मिट जाय और सारे लेजिस्लेशन्स और चीजें लागू हों क्योंकि यह स्थिति हो सकती है कि जो मिलें चल रही हैं वे बन्द हो जायं, जो लॉ है, वह वैसा लगा रहे, सारे जनरल लॉ लगे रहें और इन्डस्ट्री की स्थिति ऐसी रहे कि राजस्थान में चार–छः हजार आदमी भूखों मरने की स्थिति में हो जायं और सरकार तमाशा देखा करें, साथ ही उन मजदूरों को ठिकाना न मिले

(व्यवधान)

आप जरा धैर्य रखिये...दूसरी स्थिति पैदा होती है कि नहीं, उन अन्डरटेकिंग्स को सरकार को लेना है, अनएम्प्लॉमेंट को नहीं होना देना है। जब सरकार इस प्रकार की पॉलिसी पर गौर करती है तो कुछ अड़चनें आती हैं। इस इन्डस्ट्री में भी खराबी पैदा हुई और वह इस वजह से हुई कि कहीं उन मिलों को खरीदने में या सब चीजों को किताब में कीमत लगाने में, जो केपिटलिस्ट्स हैं, उन्होंने बदमाशी न की हो, जिसकी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्क्वायरी करती है या यह वजह होगी कि मजदूर इम्पर्सोनेट ढंग से उस इन्डस्ट्री में घुस गये हैं और रेशनलाइज़ेशन का मसला ऑल इंडिया का मसला है उस मसले पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कांग्रेस एक विचार रखती है। अब रेशनलाइज़ेशन not on the cost of retrenchment होना चाहिए, यह पॉलिसी अलग पॉलिसी है। यह विशेश बिल सदन के सामने है, उपाध्यक्ष महोदय। यह बिल तो सिर्फ इसलिये है कि यह अनएम्प्लॉयमेंट जो एक्सटेन्ड होगा, वह अन्डरटेकिंग जो बन्द हो रही है, जो केपिटलिस्ट बदमाशी से मिल को बन्द करके दो हजार, चार हजार आदमियों को अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं, जो माल था उसको ब्लैक से निकाल कर मिल को दिवालिया स्थिति में ला रहे हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर देते कि मिल को चलाने के लिए जो दो हजार आदमियों की फौज थी उसको एम्प्लॉयमेंट मिले नहीं। वे मजदूर अनएम्प्लॉयड न हो जायं और इन्डस्ट्री को न बेच दें। खाली यह तो है नहीं कि सरकार जो रुपया लगाती है वह इसलिए लगाती है कि राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रियल लेबरर्स हैं वे कम से कम स्टेटस के ढंग से एम्प्लॉयड रहें। ऐसी स्थिति के अन्दर सरकार पैसा भी लगाये और पैसा लगाने के बाद लेजिस्लेटिव असेम्बली के अधिकार की बात है वह वैसी की वैसी एप्लाई न हो, वह एप्लाई करते हुए पूरी तरह से सरकार के साथ में न आवे तो निश्चित रूप से वह घाटे में जाने वाली है और घाटे की स्थिति में कब तक पैसा देगी? जब गवर्नर के एड्रेस के अन्दर यह बात लिखी गई कि हमारे यहां जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा था, इस तरह से केपिटलिस्ट्स मिल बन्द कर रहे थे, उसको रोका गया है तो इस बात का सबने स्वागत किया। जब स्वागत किया तो उसका कॉन्सीक्वेन्शियल बिल सरकार ने सदन के सामने रखा है, उन अन्डरटेकिंग्स को ठीक फूटिंग पर लाने के लिए, सही तौर पर लाने के लिए जरूरत है। जो कॉमन स्थिति है, जो कॉमन लॉ की स्थिति है, उस स्थिति के अन्दर अन्डरटेकिंग लेना मुश्किल महसूस करती है। सरकार महसूस करती है कि लाखों रुपया लगा दिया गया और उसको पूरी तरह से कन्ट्रोल नहीं किया गया, और रेशनलाइज्ड

(श्री ज्वालाप्रसाद माथुर)

और रीज़नेबल ढंग से, एक कॉर्पोरेशन और व्यापारी जैसे करता है वैसे उसका अधिकार न रहे, यह उचित न होगा । इसलिए विशेषाधिकार चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को । इस पर्पज़ से यह बिल आया है । तो सरकार की इन्टेन्शन के ऊपर अगर डाउट किया जाय कि उनके पास कोई अधिकार हो तो उसका दुरुपयोग करती है, तो आपका रास्ता खाली है । अगर वह दुरुपयोग करे तो आप उसे चैक करें । यह अधिकार जिस मकसद से लिया जा रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, वह मकसद लेबर के पक्ष में है । मैं इस बात को जानता हूँ कि ब्यावर और भीलवाड़ा में जिस वक्त उनको दो-दो महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही थीं और मजदूर मारे मारे फिरते थे, बल्कि कई तो उखड़े और उखड़ कर चले गये रोटी के लिए, उस वक्त दयनीय दशा को देखते हुए, मजदूरों की स्थिति को देखते हुए और सब बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि इस बिल की बहुत आवश्यकता है । वैसे मैं यह जरूर कहूँगा कि सब चीजें इसके अन्दर आई हैं, यह दो साल के लिए लागू होगा, इस तरह जो अन्डरटेकिंग्स ली हैं वे अन्डरटेकिंग्स दो साल के लिए बची रहेंगी, इसलिए मजदूर मेहनत ज्यादा करें । इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि आज कॉम्युनिस्टों की स्थिति क्या है ? वे लोग इन्डस्ट्री के अन्दर घुस कर परिश्रम किये बगैर सरकार और मजदूरों में कटुता पैदा करना चाहते हैं । ऐसे लोग, रीएक्शनरी लोग डेमोक्रेसी के नाम पर यहां तानाशाही पैदा करना चाहते हैं । उन लोगों को ठीक करने के लिए यह आवश्यक हो गया कि आज एम्प्लॉयमेंट को चैक करने के लिए और उनको रोकने के लिए लेजिस्लेशन लायें और उसके द्वारा उनकी बदमाशियों को रोकें तो मैं समझता हूँ कि इसमें बुराई नहीं है । हमें देखना यह है कि इस स्थिति के अन्दर जहां लेबर के अन्दर लेबर यूनियन्स होती हैं, दूसरी तरह की एक्टीविटीज़ होती हैं वहां लेबर लीडर पैदा होना आवश्यक हो जाता है । तो यह सही या गलत, किसी तरह से मजदूरों को इस स्थिति में लायें जिससे कि वे लोग अपने हित को ध्यान में रखते हुए लड़ाई करते रहें, जिससे अन्डरटेकिंग चैक हो जायं, उनका दीवाला निकल जाय और नुकसान हो जाय और सरकार इस तरह बांटती रहे । इस स्थिति को सरकार नहीं सोच सकती, सरकार काम नहीं कर सकती कि एक अन्डरटेकिंग को चलावे और उसमें वह लोग नुकसान देते चले जायं और सरकार लाखों रुपया बांटे और फिर एक दिन, जो आज अनएम्प्लॉयमेंट होगा वह उस दिन अनएम्प्लॉयमेंट होगा उस पर सरकार को नुकसान होगा, इस सब को सरकार भुगत नहीं सकेगी । फिर यहां सदन में चिल्लायें कि इन अन्डरटेकिंग्स को नहीं लेना चाहिये । इसलिये यह दो साल के लिए लागू होगा और फिर आगे जरूरत हुई तो एक साल के लिये लागू होगा, यह इसमें ऑब्जेक्ट है । सवाल इतना जरूर है कि रिट्रेन्चमेंट का अधिकार जरूर दिया जा रहा है । मैं कह रहा हूँ कि दो हजार को एम्प्लॉयमेंट देने के लिये अगर १० आदमियों को निकालने की सरकार पॉवर चाहती है तो आपको १,९९० आदमियों का ख्याल करना है या १० आदमियों का ख्याल करना है ।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सवाल यह है कि जो इन्डस्ट्री को चलने नहीं देना चाहते, जो रुकावट डालना चाहते हैं, जो ऐसे तत्व हैं, जो दो हजार आदमियों को भूखों मारना चाहते हैं उनका मुकाबला करने के लिए यह पॉवर जरूरी है क्योंकि जहां १,६६० का ख्याल कर १० आदमियों को निकाला जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई बात नहीं है।

इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। इस एक्ट के सिलसिले में सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि जहां एडमिनिस्ट्रेटर को अपोइन्ट कर रखा है, उनको अगर यह पॉवर दे दें, तो उसका दुरुपयोग होने की उम्मीद है। इसलिये मैं जरूर चाहूँगा कि इसके अन्दर रूल मेकिंग पॉवर आप लें और जिन सर्कम्सटान्सेज़ में लगाना चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की सलाह से लगायें। इसके साथ रिट्रेन्चमेंट या दूसरी चीजों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने नहीं ली और उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर रखी, जो एडमिनिस्ट्रेटर है और एडमिनिस्ट्रेटर भी कौन है, जिन लोगों को मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर बना कर भेजा है, जिनको एक्सपीरियन्स किसी तरह का नहीं है, लेबर को कैसे डील करें उसका एक्सपीरियेन्स इसको नहीं है, हुकूमत का एक्सपीरियेन्स हो सकता है, कलेक्टरी कर सकता है लेकिन उस अन्डरटेकिंग को चलाने के लिए, उस मिल को चलाने के लिए, जिस योग्यता, लेबर को डील करने की योग्यता की आवश्यकता है, उसके पास नहीं है, उसको आज अनुभव नहीं है। हां, उसको अनुभव हो जायगा, कुछ अर्से के बाद हो जायगा लेकिन वे लोग अभी नये हैं, उनके हाथ में इस लेजिस्लेशन के अन्डर में पॉवर देना, मैं समझता हूँ, गलत होगा।...

लेबर के अन्दर किसी तरह का असंतोष फैलने का डर सदन के माननीय सदस्यों को हुआ है। मैं समझता हूँ, उसको दूर करना जरूरी है, इसके लिये आवश्यक है कि सरकार इस बात का ऐलान करे कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो इस प्रकार के अधिकार दिये जा रहे हैं उन अधिकारों को वह तभी काम में ला सकेगा जब कि गवर्नमेंट की सेंक्शन हो जायगी, गवर्नमेंट की सेंक्शन लिये बिना इस प्रकार के अधिकारों का उपयोग नहीं होगा। इसके अन्डर में रूल्स होने चाहिये कि किन किन परिस्थितियों में करना चाहिये। आर्बिट्रेरी पॉवर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को नहीं होने चाहिये कि सलाम नहीं किया किसी ने तो उसको निकाल दिया, किसी से नाराज हुए तो निकाल दिया। मैं समझता हूँ, सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार का जो इन्टेन्शन इसमें है वह साफ है, सरकार की गुडविल जो है वह साफ है। सरकार ने जो मकसद इसमें दिया है केवल उस मकसद को पूरा करने के लिये ही ये अधिकार काम में लाये जायें। वह मकसद है कि अनएम्प्लॉयमेंट रुके, एम्प्लॉयमेंट दे, लेबर चलता रहे, इसके लिये यह बिल पेश किया है। इसको सरकार पास करे, पर इस डिस्क्रिशन के साथ कि इन अधिकारों का किसी तरह दुरुपयोग न हो सके, हर मजदूर यह समझे कि उनकी भलाई के लिये यह किया है, हर मजदूर समझे कि मेरे साथ न्याय हो रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

समर्थन करता हूँ ।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय उपाध्यक्ष, यह जो बिल है इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ । जो बातें सम्माननीय सदस्यों ने कही हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने जिन परिस्थितियों में मेवाड़ टैक्सटाइल मिल और एडवर्ड मिल को लिया, सरकार ने अच्छा ही काम किया, वह आवश्यक था । पर इसके साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुईं, क्या सरकार को उनकी जानकारी नहीं थी ? सरकार को उन परिस्थितियों की जानकारी थी । सरकार ने खुद ने इन्डस्ट्रीज़ को बड़े बड़े कर्ज दिये थे, वहां संगठन कायम करने वाले थे वे बराबर सरकार को बताते रहे कि मालिक बराबर सरकार द्वारा दिये गये पैसे, का लाभ उठा रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, सरकार के पैसों को पचाना चाहता है और मजदूरों के हक का पैसा है, परिश्रम का पैसा है जिसके लिये कि मजदूर तीन साल पहले से लड़ रहे थे उसको नहीं देता । मेवाड़ टैक्सटाइल मिल का बीस–पच्चीस लाख रुपया अपने श्रम का मजदूरों को लेना था । उन सारी बातों को सरकार को बताया गया, पर सरकार मिल मालिकों को चाहती थी, मिल मालिक सरकार को पैसा देते थे, इसलिये सरकार बैठी रही । यही कारण हुआ कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल और एडवर्ड मिल की परिस्थितियां इतनी बदली कि मिल मालिक मजदूरों के पैसे खा गये, सरकार के पैसे खा गये और जो माल उनमें रखा हुआ है उसको बेच कर खाने की तजवीज़ करने लगे । एक स्थगन–प्रस्ताव मैंने यहां सदन में रखा था...

श्री उपाध्यक्ष : I feel you are going beyond the scope of the amendment. We are only concerned with the legislation at present and you are speaking something about the time before the undertakings were taken control of...

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ पहले की परिस्थितियां किस कारण पैदा हुईं, किन परिस्थितियों में मिलों का काम बिगड़ा, यह बताना आवश्यक है ।

श्री उपाध्यक्ष : उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी । मैं निवेदन करूंगा कि इस स्कोप में ही बोलें, अन्यथा परिस्थितियां इतनी विस्तृत हैं कि उनकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने स्कोप में आने वाली बातें ही कही हैं, फिर भी आपका आदेश है तो मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ, इतना कह कर कि जब मिल मालिक गठानों को बाहर कर रहे थे, मुख्य मन्त्रीजी वहां गये, फिर उन गठानों को रोका गया और उनकी कीमत से सरकार ने पैसा चुकाया ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन परिस्थितियों में उन मिलों को सरकार ने अपने हाथ में लिया। पुरानी बातें तो गईं, पुराने मालिक मजदूरों के श्रम के पैसे लेकर चले गये, पुराना चुकारा सरकार देती रहे, यह भी मुश्किल है, क्योंकि सरकार एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है। परन्तु सरकार खुद जबकि उस काम को अपने हाथ में ले, पुराने पैसे हैं उनके चुकाने की बात जाने दीजिये पर अब मजदूर काम करते हैं पहले मालिक शोषण करते थे। हमने हमेशा कहा है कि मालिकों का सम्बन्ध मजदूरों के साथ अच्छा नहीं रहता, पर कल्याणकारी सरकार जब उसको चलाती है और काले कानूनों को लागू करना चाहती है तो मैं कह सकता हूँ कि यह कानून मजदूरों के लिये काला कानून है। आगे के लिये तो जहां तक हो सके आप मजदूरों के साथ अच्छे सम्बन्ध रखिये। मजदूर बोल सकें, न्यायालयों के दरवाजे खड़खड़ा सकें, पर उनके लिये यह मार्ग आपने बन्द कर दिया है। यह रख दिया है कि न्यायालय में नहीं जा सकता, इन्डस्ट्रियल कोर्ट्स बने हुए हैं वहां नहीं जा सकता। इस पर आप अपनी मोहर क्यों लगाते हैं? अब आप ऐसी स्थिति रखिये कि मजदूर अपनी बात रख सके, मैनेजमेंट उसके साथ अन्याय करता है तो वह अपनी बात आगे ले जा सके। आपने तो उसके लीगल राइट्स को ही समाप्त कर दिया है और उधर मैनेजमेंट को आपने पूरे अधिकार दिये हैं कि वह चाहे जो कर सकता है। ५ आदमियों को निकालना चाहें तो वह निकाल सकता है, किसी को खुश करना है तो मुखिया बना सकता है, किसी को तरक्की देना है तो वह बिना सीनियॉरिटी का ख्याल किये भी दे सकता है। ये सारे अधिकार मैनेजमेंट को दे दिये हैं। इसका नतीजा यह होगा कि जिन्होंने भी मैनेजमेंट का काम अपने हाथ में लिया वे यह देखेंगे कि यह यूनियन का काम करता है, यह यूनियन में काम करने वाला है तो उसको वे विक्टिमाइज़ करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मजदूरों को जो फायदे मिलने चाहिये वे नहीं मिले।

अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने इनको अन्डरटेक किया उसके बाद से इनका कैसे काम चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि ऑर्डिनेन्स के द्वारा इनको सरकार के हाथ में लेने से पहले स्पिनिंग एण्ड वीविंग में कितना काम होता था। एक जोड़ी सांचे पर जहां ८०–८५ गज कपड़ा निकलता था वहां आज ६५ गज कपड़ा निकलता है। पहले जितनी कॉटन होती थी उसके आंकड़े इस प्रकार हैं : पहले १६,००० पाउन्ड और आज १२,००० पाउन्ड है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि ये फीगर्स बिल्कुल गलत हैं। ये फीगर्स आप कहां से लाये हैं? आपके सवाल के जवाब में बता चुका हूँ कि ये फीगर्स सही नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : गलत हैं तो आपके उत्तर में ठीक करते रहना। छंटनी हुई है। २०० पोस्ट्स अबोलिश कर दी गई हैं, एडवर्ड मिल में भी इसी प्रकार किया है। छंटनी तो आपने पहले ही कर दी, आज क्या कर रहे हैं?

(श्री मुरलीधर व्यास)

जिसके ऊपर पहले कितनी रुई आती थी और उसमें कितना कचरा निकलता था उसकी भी रिपोर्ट और रेकॉर्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें रोजाना पहले तीन मन वेस्ट निकलता था, अब १५ मन वेस्ट निकलता है। काउन्ट्स भी पहले १२ से १६ थे, मगर अब उनमें भी कमी हो रही है। मैं यह कहूंगा कि हम हर बात में कमजोर हो रहे हैं। आपने ५ वर्षों के पहले की बात कह दी हो, मगर कैसे कह दें कि हमको फायदा हो रहा है ? मगर आज जो स्थिति है वह यह है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह गलत है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कहते हैं यह गलत है। मैंने भी इस बात को सदन में कहा है। आप इसकी जांच करा लीजिये कि ऐसी स्थिति है या नहीं।

तीसरी बात जहां तक छंटनी का प्रश्न है इस एक्ट के अन्तर्गत, जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पढ़ कर सुनाया कि मजदूरों को काम दिलाने के लिये बेकारी को रोकने के लिये, यह एक्ट है। मैं समझता हूं कि बेकारी को रोकना तो दूर रहा अपनी मर्जी से छंटनी करने के लिये यह कानून है। ऐसा मैं समझता हूं और यह ठीक है। किसी को नौकरी दिलाने और बेकारी को दूर करने का सवाल नहीं है लेकिन वस्तुस्थिति जो है वह दूसरी है। वस्तुस्थिति यह है कि अपने अपने घरवालों को नौकरी दिलाई जा सके और अपने यहां के बड़े बड़े अधिकारियों के रिश्तेदारों को वहां पर रखा जा सके और पुराने लोगों को निकाला जा सके। अपने यहां के बड़े ऑफिसर झाला साहब हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदार को....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Vyas, it has become a fashion of the House to mention the names of persons who are outside the House and who have no chance to advocate their cause.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई आदमी चाहे उसमें किसी प्रकार की टेक्निकल योग्यता न हो तो भी सरकार उसको मैनेजर बना सकती है और बना देती है।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow such references.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो जरूर उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये और जब नाम लेकर खुले आम बताया जाता है तो देखना चाहिये कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। मैं यह कहूंगा कि हमें किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं है, हमें देश से प्रेम है। अगर कोई व्यक्ति कानून के खिलाफ काम करता है तो उसकी जांच होनी चाहिये।

अब अफसरों के खर्चे बढ़ गये। पहले ३६ हजार पर था तो आज हम देखते हैं कि अफसरों का खर्चा ६८ हजार हो गया है। खर्चा बढ़ा व उत्पादन कम और लोगों को निकाला जाता है। इसलिये पहले भी मजदूर मारे गये। अब आप उनको और मार रहे हैं। उनसे छुट्टी में काम लिया

(श्री मुरलीधर व्यास)

जाता है। वे कहीं जा नहीं सकते। आप अपने मनमाने तरीकों से किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बना देते हैं। इससे आगे भी यहीं स्थिति पैदा होगी। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इन सारी बातों की छान–बीन करने के लिये इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे जो वाकई इसकी छान–बीन करके देखे और कम से कम आज की दृष्टि से मजदूरों के हितों में यदि कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वह करें और देखे कि किस प्रकार से मजदूरों के नेता इसका समर्थन करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जनमत जानने का प्रश्न था और इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रश्न था। मेरी समझ में जितने हम लोग बोल चुके हैं उनसे उनकी राय तो आपने जान ली और अगर उद्योग मंत्री हिम्मत करें और साहस करें तो ट्रेड यूनियन्स हैं उनके पास इसको भेज दें और उनकी राय जान लें तो आपको मालूम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर एक भी ट्रेड यूनियन इससे सहमत हो जावे तो आप मजदूरों के हिमायती हैं; हम ऐसा समझेंगे। हम आखिर में जिद क्यों करते हैं? हमें आपस में कोई जिद नहीं करनी है। अगर कोई यह समझता है कि इससे श्रम विभाग की जीत हुई है तो हम अपनी जीत मान लेते हैं। मगर यह न हो जावे कि रोटी के नाम पर आप किसी का सतीत्व छीन लें। अगर आप रोटी के नाम पर किसी का सतीत्व छीनते हैं तो उसके पाप का दोष किस पर लगेगा, यह सोचना है। आखिर कानून किस प्रकार से बनते हैं और जो कानून बनते हैं उसमें लोगों की राय होती है और कानून उस जनता की राय का प्रतिबिम्ब होता है। हम कानून इसलिये बनाते हैं कि मानव का मानव के बीच में सम्बन्ध स्थापित हो। आप कानून इसलिये नहीं बना रहे हैं कि मानव का दूसरे मानव द्वारा शोषण किया जाए और हम उनके हकूकों पर कुठाराघात कर सकें। मैं यह कहूंगा कि चाहे हमारी आवाज को कोई सुने या नहीं सुने, मगर अगर आप यह सोचते हैं कि हम रोटी के पीछे भागते हैं तो हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता।

मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि कानून को बनाने से आपकी मंशा क्या है? कानून बना कर आप हम गरीबों को रोटी–रोजी देना चाहते हैं, भूखों का पेट भरना चाहते हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि यह तो अधिकार उनको संविधान में दिये गये हैं और यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप उनको यह अधिकार नहीं देते हैं तो उनको आप से छीन कर लेना चाहिये। विधान कहता है कि यह उनको आपको देना होगा। यह तो मानवता का गर्व है और रोटी देने का तो विधान में लिखा है। जो हमने कानून के द्वारा पहले ही अपने अधिकार प्राप्त कर लिये हैं उनसे आप हमें वंचित करना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आप महात्मा गांधी के स्वप्नों को पूरा नहीं कर सकेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि हम गरीबों और मजदूरों की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। अंग्रेज और ईसाइ लोग गये। वे कहा करते थे कि ईश्वर ऊपर है और जमीन नीचे को

(श्री मूलचन्द डागा)

खिसक गई है। ईश्वर के नाम पर वे कुछ भी कर लेते थे। आप कहते हैं कि हम जनमत इस सम्बन्ध में जानना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि हम इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज कर इस पर विचार कराना नहीं चाहते। आखिर कानून तो लोगों की भावना है। उसको जानना चाहिये। अगर यह कानून पास हो गया तो आज १० मार्च या ११ मार्च, १९६१ है इसको लोग ऐसे याद करेंगे जिस तरह से २६ जनवरी को करते हैं और कहेंगे कि इस प्रकार का काला कानून १० मार्च या ११ मार्च, १९६१ को पास हुआ। हमारा राज्य जन–कल्याणकारी राज्य है और पेट की भूख को मिटाने का नारा है। हमको संविधान के द्वारा जो मूलभूत अधिकार मिले हैं उनको खत्म नहीं किया जा सकता। हिन्दुस्तान में पुराने समय में जब पुरू को सिकन्दर के सामने हार जाने के बाद पकड़ कर ले जाया गया और जिस समय पुरू से पूछा गया कि तुम्हारे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए तो उसने बताया कि एक बात कहना चहता हूं और वह यह कि जिस प्रकार एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है उसी प्रकार का व्यवहार चाहता हूं। मैं यह कहूंगा कि मजदूर मरना पसंद करेंगे मगर अपने अधिकारों का हनन नहीं पसन्द करेंगे।

(विराम)

आप मजदूरों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अगर आप यह समझते हैं कि इससे मजदूरों के अधिकारों का किसी प्रकार से हनन नहीं होता है तो फिर इसको प्रवर समिति के पास भेजने से आपको क्या डर है ? क्या वे मानवता की भीख चाहते हैं ? नहीं। एम्प्लॉयमेंट दिलाना, यह सरकार का कर्त्तव्य है और अगर सरकार नहीं दिला पाती है तो यह सरकार की कमजोरी है। अभी रेशनलाइजेशन पर वी. जी. गिरी जो गवर्नर थे उन्होंने अपने आइडियाज़ को रखे हैं और उन्होंने बताया है कि वे क्या चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि अमेरिका व इंग्लैण्ड व स्विट्जरलैण्ड की बातें करें। एटली की गवर्नमेंट इंग्लैण्ड में हुई कि हमारी गवर्नमेंट हो। हम यह चाहते हैं कि हमारे अधिकार जो हैं वे हमको मिलने चाहिये। संविधान में हमको अधिकार दिये हुए हैं। अब हमारे अधिकारों की रक्षा करने का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियनों को पनपाना है तो गवर्नमेंट को उनकी रक्षा करनी होगी। इस एक्ट से ये सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। मैं यह कहूंगा कि अगर यह एक्ट पास होगा तो सिर फूटेंगे और जब सिर फूटेंगे तो खून निकलेगा। सिर फोड़ेंगे तो खून निकलेगा उसके। किस जगह जाकर ? अपने दरवाजे पर। मुझे यह बतायें, जहां पर ट्रेड यूनियन मूवमेन्ट है, २१९ संस्थायें रजिस्टर हो चुकी हैं, उनको आप पूछ लीजिये, उनको आप पत्र लिख कर पूछ लीजिये कि भाई, ऐसा कानून बना रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे पेट की भूख को शान्त करें। भगवान् जाने श्रम मंत्रालय को क्या हो गया है ? क्यों नहीं उद्योग मंत्रालय द्वारा जो कानून बनाया गया है, उसका मुकाबिला कर रहा है ? श्रम विभाग को तो मजदूरों के लिए चौकन्ना रहना चाहिये। श्रमिकों का कानून उद्योगपति बना रहे हैं, यह तो श्रम मन्त्री को बनाना चाहिये था।

(श्री मूलचन्द डागा)

यदि उद्योग के बढ़ने के साथ साथ मानवता खत्म होती है तो वैसा कानून नहीं बनाना चाहिये, चाहे उद्योग बढ़े या नहीं। मानवता के जो मूलभूत सिद्धान्त हैं, जिसको हमारी सरकार और मन्त्री दुहाई देते रहे हैं और देते रहते हैं उन मानवता के सिद्धान्तों को वे आज भूल गये हैं। इस प्रकार के कानूनों के द्वारा सारे ट्रेड-यूनियन मूवमेन्ट को खत्म करने जा रहे हैं। यह मानवता का हनन है। मंत्री महोदय को इसमें तकलीफ क्या होती है कि सात दिन, १० दिन के लिए इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय जहां कि इस पर विचार हो जाय? आपत्ति क्या हो जावेगी, यह मेरी समझ में नहीं आया?

ऑर्डिनेन्स निकल ही चुका है। 'काला कानून', इसको काला कानून कहना ही नहीं चाहिये बल्कि यह तो एक भूकम्प है, जो निकल चुका है। सरकार ने इस साल में २१ आर्डिनेन्सेज़ निकाले। यह सोलहवां ऑर्डिनेन्स है। एक ऑर्डिनेन्स और आने वाला है। यह ऑर्डिनेन्स निकला है वह सोलहवां ऑर्डिनेन्स निकला है जिसमें मजदूरों की भलाई के लिए उद्योगपति क्या करना चाहते हैं, यह बताया गया है। क्या उद्योग मन्त्री यह बता सकते हैं कि इस कानून को देखकर उद्योगों में काम करने वाले मजदूर और ट्रेड यूनियन्स इस कानून को देख कर खुशी जाहिर करेंगे कि उनकी भलाई के लिए यह कानून है? हरगिज नहीं। उद्योग मन्त्री महोदय, आप जब चाहें कोई कानून निकालें लेकिन वह कानून मजदूरों के हित का हो, उनकी भलाई का हो। रेशनलाइज़ेशन का सवाल है। बड़ी अजीब बात है। जो ट्रेड यूनियन्स के लिए कानून बने हैं, भारत के प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बने हैं उन्होंने उसको पारित किया है, जो नियम बनाये हैं उसको आप सामने रखें।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : पाली के वोटों को आप पक्का कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा है, ऐसे वोटों को मैं पक्का करूं, मेरी नींव मजबूत होगी। आप उद्योगपतियों को खुश करना चाहते हैं तो आपको वोट कम मिलेंगे।

तो उन्होंने यह बताया मूवमेन्ट के अन्दर "Rationalisation should, therefore, be attempted when it does not lead to un-employment, in consultation with the worker's organisations. Further, it must be effected after improving the working conditions and guaranteeing a substantial share of the gains to the workers." यहां तक उन्होंने रेशनलाइज़ेशन के मामले में कहा है कि ट्रेड यूनियन्स हैं उनको कन्सल्ट करिये और उनसे जानिये और उनकी राय होने पर, उनकी इच्छा के अनुसार मजदूरों को इधर से उधर काम पर लगाइये। आज यहां यह कर रहे हैं मजदूरों के लिए। छटनी के नाम पर यह कर रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि हम अनएम्प्लॉयमेन्ट को रोकना चाहते हैं। क्या इससे अनएम्प्लॉयमेन्ट रुकेगा? आप कानून की बारीकी में बहुत जा चुके हैं। मैं फिर नम्रतापूर्वक शब्दों में प्रार्थना करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, और आपसे कहना चाहता हूँ कि इस कानून को बनाने की आवश्यकता ही पैदा नहीं होती। यह अना-

Page No.110

(श्री मूलचन्द डागा)

वश्यक कानून है। यदि इस कानून पर प्रवर समिति में भेज कर एक बार और गौर किया जाय तो मैं समझता हूँ कि हम किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे और हमको मालूम होगा कि आपको मजदूरों और मालिकों के बीच में, आपसी समझौते और बाहमी समझौते के नाम पर, उसके आधार पर कुछ करना चाहिये, जो नीति और सिद्धान्त हैं, प्रिन्सिपल्स हैं, मजदूर और इन्डस्ट्रीज़ को चलाने वाले लोगों के बीच एक संस्था पैदा हो और एक गवर्नमेन्ट का आदमी होगा जो बैठ कर वे सब किसी समझौते के ऊपर पहुँच जावेंगे। उद्योगों को समझौते से चलाने के लिए जो कुछ हो चुका है, जिस मंजिल तक पहुँच चुके हैं उससे पीछे मत हटिये। एक बार फिर आप सोचने की कोशिश करें तो अच्छा है। इससे अधिक कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet today at 5. 15 P. M. We adjourn for 15 minutes.

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. ४. ५५ बजे पुनः आज म. प. ५.१५ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

५.२० म० प०

(सदन की कार्यवाही पुनः ५–२० बजे श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।)

राजस्थान रिलीफ (साहाय्य) प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) विधेयक, १९६१

(अग्रेतर विचार–विमर्श)

श्री उपाध्यक्ष : I now call the House to order. Shri Bhairon Singh..

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Hon'ble Shri Mool Chand Daga was speaking.

श्री उपाध्यक्ष : I think, he concluded.

श्री पी. के. चौधरी : No, Sir.

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : He did conclude.

श्री पी० के० चौधरी : Hon'ble Moolchand was continuing.

श्री चन्दनमल बैद : He concluded.

श्री उपाध्यक्ष : With the assurance that he will conclude it early, if he commences his debate,

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिसेस होने के बाद मेरे ख्याल से हमारे मंत्री महोदय ने सोच लिया होगा क्योंकि चाय वगैरह पीने के बाद उन्होंने इसके ऊपर ठंडे दिल से विचार किया होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप साहित्यिक बहुत ज्यादा हो रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : साहित्य भी तो समाज का दर्पण है, इसलिए मैं समाज के बारे में ही बात कर रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : और उस दर्पण में आप अपना मुंह देख रहे हैं।

Page No.111

श्री मूलचन्द डागा : हर एक आदमी को चाहिए कि साहित्य समाज का जो दर्पण है उसमें वह अपना मुंह देखे।

श्री उपाध्यक्ष : पर हमें उसमें तथ्य देखना है।

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) हम जो कानून बना रहे हैं तो मैंने यह अर्ज किया था कि मजदूरों के जो अधिकार हैं उनसे आप उनको वंचित करना चाहते हैं और जो भी मिल अण्डरटेकिंग में ली जायेंगी उनमें जो आपने शिड्यूल में चार कानून दिये हैं जो लागू नहीं होंगे, वे हैं :

(१) इन्डस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर्स) एक्ट, १९४६ (सेन्ट्रल एक्ट २० ऑफ १९४६)

(२) इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, १९४७

(३) मिनिमम वेजेज़ एक्ट, १९४८, और

(४) राजस्थान शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, १९५८।

इन चारों कानून के लिए हम चाहते हैं कि वे कम से कम पांच साल के लिए स्थगित कर दिये जायें और उनको किसी भी रूप में कोई भी मजदूर अपनी आवाज, अपनी मजबूती, अपनी शक्ति के लिए काम में नहीं ला सकता और यहां तक आपने इसका ऑपरेशन करते समय बताया है, "some retrenchment in labour will also be required and unless the labour laws are suspended"

और आगे आपने लिखा है कि हम इनको सस्पेन्ड ही नहीं कर दें, बल्कि हमारी मंशा इस कानून को बनाने की यह हो सकती है कि हम रिट्रेन्चमेंट के कानून को लागू करने के लिए, रिट्रेन्चमेंट की तलवार चलाने के लिए, ऐसा कानून बनाना चाहते हैं, कानून की तलवार हाथ में लेना चाहते हैं कि जिसके आधार पर रिट्रेन्चमेंट किया जा सकता है। वह तलवार यह है कि जिस तलवार के अन्तर्गत हम कई मजदूरों को अलग कर सकते हैं। अभी जो आई० एम० टी० यू० सी० के अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे उन्होंने यह बताया था कि हम किसी भी रूप में रिट्रेन्चमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब रिट्रेन्चमेंट होता है तो उस समय मजदूरों के हाथ में एक हथियार रह जाता है और वह आखिरी हथियार होता है हड़ताल। तो आप समझते हैं कि आपके कानून की अवहेलना मजदूर हड़तालों द्वारा करें और इसके बावजूद आप चाहते हैं कि आपके उत्पादन में वृद्धि हो, जब कि आप तृतीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में उद्योगों का विकास करना चाहते हैं ! मैं तो कहता हूँ कि उद्योग का विकास तब हो सकता है जब कि मजदूर और मालिकों के आपस में समझौते हों, उनमें प्रेम हो। परन्तु आप आज उद्योगों के विकास के समय एक नया कानून लगा कर मजदूरों के जो अधिकार हैं उनसे उनको वंचित करना चाहते हैं। इससे आप चाहते हैं कि हमारे उद्योगों का विकास हो जायेगा। अगर मजदूरों की हालत सुधरती है और उनकी ताकत बढ़ती है तो आप ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। सरकार को चाहिए कि और ज्यादा कर्जा दिया जाये और तनख्वाहों में कटौती नहीं की जाये और रिट्रेन्चमेंट का किसी प्रकार से सवाल पैदा न

(श्री मूलचन्द डागा)

हो और इस कानून को हटा दिया जाये तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा होगा। इतना ही कह कर मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के विषय में सदन में काफी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और यह कहूँ कि इस बिल का विरोध एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने किया है और उन व्यक्ति की तारीफ तो नहीं लेकिन जिस पद के ऊपर आज वे बने हैं और जिस संस्था का पद उनको मिला हुआ है उस संस्था की तारीफ कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने की थी। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ लेबरर्स के सम्बन्ध में इस सदन में समस्यायें रखीं थीं, उसके ऊपर उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि आज जो आलोचना बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने की वह इसलिए की है कि आई. एन. टी. यू. सी., आई० टी० यू० सी० और हिन्द मजदूर सभा और इस प्रकार के जितने भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन्स हैं वे खत्म हो रहे हैं। तो जिस पर विश्वास हमारी सरकार का है उस इन्टक के प्रतिनिधि के रूप में एक माननीय सदस्य ने अपने विचार इस सदन में प्रस्तुत किये हैं, प्रेसीडेन्ट के रूप में। हमें इस बात का संकेत मिलता है कि जहां इन्टक को एक महत्वपूर्ण मजदूरों की संस्था के रूप में हमारी सरकार स्वीकार करती है उसके सम्बन्ध में क्या ओपीनियन है; मैं ऐसा समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि इन्टक या आइटक या हिन्द मजदूर सभा या इस प्रकार के जितने भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन्स हैं वे कोई इस प्रकार की इच्छा नहीं करते होंगे कि राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े या जो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार मजदूर होंगे उनको किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट न मिल सके। उनकी भी इस सत्र में यही धारणा होगी और इच्छा होगी कि लेबरर्स को ज्यादा से ज्यादा धंधा हमारी सरकार प्रोवाइड करे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज से कुछ वर्ष पहले हमारी भारत सरकार ने लेबर पॉलिसी जिस समय निर्धारित की थी, मुझे वह तारीख याद नहीं है, लेकिन स्वर्गीय सरदार पटेल की इस सम्बन्ध में कुछ इन्सपायरिंग स्पीचेज़ हुईं थीं और उन्होंने सारे देश की तरफ इस बात का संकेत किया था कि हम इन्डस्ट्रीज़ को यदि डेवलप करना चाहते हैं तो यह तभी हो सकता है जब कि इन्डस्ट्री और लेबर में इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन हो जिससे दोनों की पूर्ति हो सके और देश में औद्योगीकरण हो सके और इस औद्योगीकरण में जितने लेबरर्स हैं उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। इस पॉलिसी को प्रगतिशील बताया था और यह बताया गया कि हमारे देश में लेबर पॉलिसी प्र तिशील है। उस प्रगतिशीलता को लेकर कितने ही लेबर लेजिस्लेशन्स बने और कमेटियां नियुक्त हुईं। उनमें लेटेस्ट कमेटी सरकारी कर्मचारियों के लिये पे कमीशन था। उस पे कमीशन की रिपोर्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में यह संकेत है कि हमारी केन्द्रीय सरकार एक एग्जेम्प्लरी एम्प्लोयी के रूप में वर्क करे और देश में जितनी भी इन्डस्ट्रीज़ हैं उनके सामने एग्ज़ाम्पल प्रस्तुत करे ताकि ये संस्थाएं स्वतः पनप पावें।

(श्री भैरोंसिंह)

अब देखना यह है कि आज जो कानून बन रहा है वह प्रगतिशील लेबर पॉलिसी को हिट तो नहीं करेगा ? यह मालूम होता है कि चार कानून जो राज्य सरकार या भारत सरकार ने बनाये हैं वे इन पर एप्लाई नहीं किये गये तो जो कानून बने और उनमें आवश्यक संशोधन किये गये उन सारी चीजों के विपरीत कानून बनाते हैं तो कहना पड़ेगा कि हमारी राजस्थान सरकार रिएक्शनरी पॉलिसी को निर्धारित कर रही है ।

मैं कह सकता हूँ कि मजदूरों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है । इसलिये यह व्यवस्था करना चाहते हैं कि सरकारी अन्डरटेकिंग्स के अन्दर लेबर लॉज़ एप्लाई न हो सकें । मैं समझता हूँ, सदन में उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । मंत्री महोदय ने भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल और ब्यावर की एडवर्ड मिल का उदाहरण प्रस्तुत करके मैं बताना चाहता हूँ कि एग्ज़िस्टिंग टैक्सटाइल मिल्स हैं या अन्डरटेकिंग्स हैं जिनमें गंगानगर शुगर फैक्ट्री भी शामिल है, इनमें सरकार को घाटा नहीं हो रहा है । गंगानगर शुगर फैक्ट्री में इस साल ८ लाख का फायदा है । एडवर्ड मिल के बारे में मंत्री महोदय ने फिगर्स नहीं बताये हैं लेकिन संकेत किया है कि इसमें फायदा है और मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें भी लाभ होने की गुंजाइश है । अब स्थिति यह है कि सरकार के सामने लाभ प्राप्त करने की स्थिति है । तब फिर सरकार मजदूरों का शोषण क्यों करना चाहती है ?

अब आंकड़े डिटेल्स में देखे जायं तो क्या गुंजाइश है मजदूरों के शोषण करने की ? क्या सरकार लाभ प्राप्त करना चाहती है मजदूरों का शोषण करके ? सरकार इन्डस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहती है, लेकिन फिर भी यह प्रश्न नहीं आता ।

अब सवाल आता है अनएम्प्लॉयमेंट का ? उन्होंने मेवाड़ टैक्सटाइल मिल और एडवर्ड मिल में जितने मजदूरों को कम किया या रिट्रेन्च किया उनमें से कितनों को वापिस लगाया काम-धन्धे पर ? मैं समझता हूँ वे फिगर्स ऐसे होंगे जिनसे इन्स्पिरेशन नहीं मिलेगा....

एक माननीय सदस्य : कितनों को छंटनी हो रही है ?

श्री भैरोंसिंह : इस छंटनी के आधार पर सरकार किसी को गलतफहमी में नहीं डाल सकती कि हमने कुछ लोगों को लिया और उनके लिये व्यवस्था की ।

हम चाहते हैं कि इन्डस्ट्री का डेवलपमेंट हो । लेकिन इस बेसिस पर लेबर लॉज़ के लागू होने से उन्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन इन्डस्ट्री के साथ उसकी दूसरी साइड है कॉमर्स । आज यदि इन्डस्ट्री का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वह इन्डस्ट्री बाकी बिज़नेस में इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले कर सकती है और लोगों में विश्वास प्राप्त कर सकती है । मान लीजिये गंगानगर शुगर फैक्ट्री ने किसानों से गन्ना खरीदा और मेवाड़ टैक्सटाइल मिलने और एडवर्ड मिल, ब्यावर ने किसानों से कपास खरीदा, लेकिन उनको केश पेमेन्ट नहीं दिया जाता है । आज गाडियां तुल रही हैं, उनके वाउचर्स बनेंगे, उन पर मैनेजर की

(श्री भैरोंसिंह)

सेंक्शन होगी और फिर पेमेंट किया जायगा। हमने कानून बनाया कि यदि पैसे के लेन-देन में डिक्रियें होंगी तो वे इन पर लागू नहीं होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो बिज-नेस हम करना चाहते हैं वह डिसऑनेस्टी से होगा और मतलब यह होगा कि उसका अल्टीमेट इफेक्ट कॉमर्स पर होगा, इन्डस्ट्रीज की ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा और इन्डस्ट्री में लोगों का विश्वास नहीं रहेगा और इस वजह से उसमें रूकावटें पैदा होंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करके मजदूरों के अधिकारों को छीन लेना चाहती है जिसकी अपेक्षा नहीं करते ?

कई माननीय सदस्यों ने बताया कि हड़-तालें फिर भी होंगी। मान लीजिये मेवाड़ टैक्स-टाइल मिल या एडवर्ड मिल के मजदूरों में और मैनेजमेंट के बीच झगड़ा हुआ और रिलीफ मिलता नहीं है तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वहां के मजदूर हड़ताल नहीं करेंगे ? हड़ताल होगी। लेकिन आप उसके लीगल स्टेटस को खत्म कर देंगे। इसका मत-लब यह है कि मजदूरों को मांग करने का अधिकार है। यदि वे मजदूर कमजोर हैं तो कन्सीड कर जायेंगे, वरना हड़तालें होंगी....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सरकार उसको गैर कानूनी घोषित नहीं कर सकेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप बताइये कि २,००० मजदूरों को एम्प-लॉयमेंट दिया गया....

श्री उपाध्यक्ष : वे मेरे माध्यम से बता सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके माध्यम से ही मैं बताना चाहता हूँ कि जहा पर ये मिलें बन्द हो गईं और अन्डरटेकिंग गवर्नमेंट ने लिये वहां पहले स्थिति यह थी कि तीन—तीन महीनों तक मजदूरों को पगार नहीं मिला था....

श्री भैरोंसिंह : तीन महीनों तक कहां पर पगार नहीं मिला था ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एडवर्ड मिल ब्यावर में और मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भील-वाड़ा, में तीन तीन महीनों तक पगार नहीं मिला था।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूँ, मान-नीय सदस्य को जानकारी नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मजदूरों की तरफ से जानकारी है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : तनख्वाह नहीं मिली, यह ठीक है। हम इसकी सराहना करते हैं कि सरकार ने अच्छा किया लेकिन कानून में एग्ज़ेम्पशन दिया तो ऑटो-मेटिकली ऐसी स्थिति पैदा होगी कि कोई काम हो नहीं सकेगा। मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो उसे गैर कानूनी नहीं करार दे सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Bhairon Singh to resume his debate.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक और

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जवाब दे दें । यदि कॉम्युनिस्ट या जनसंघ वाले वहां जाकर ऊधम करते हैं तो उनका क्या किया जायेगा ?

श्री भैरोंसिंह : यह तो इस प्रकार की बात है जो यदि माननीय वित्त मन्त्रीजी से पूछा जाय कि कल जब वे भाषण दे रहे थे उस समय माननीय सदस्य जिस प्रकार से उछल उछल कर ऊधम मचा रहे थे तब क्या यह आवश्यक था कि माननीय सदस्य को बाहर निकाल दिया जाता ? तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज पोज़ीशन यह नहीं है । पोज़ीशन जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत है । मेवाड़ टैक्सटाइल मिल और एडवर्ड टैक्सटाइल मिल इन दोनों को लेने के बाद कितने आदमियों को आपने एम्प्लॉय किया था और कितने आदमियों को आपने धन्धा दिया है ? मैं समझता हूँ, मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के अन्दर इस प्रकार की कोई परिस्थिति नहीं थी । वहां परिस्थिति थी कि केवल एक महीने की तनख्वाह नहीं दे पाये थे और एक महीने की तनख्वाह इसलिए नहीं दे पाये थे कि कपड़े की कुछ गांठें थीं वे सारी की सारी बैंक से उधार ली थीं और बैंक से उधार लेने के कारण वे प्लेज्ड थीं । वे चाहते थे कि वे सारी की सारी गांठें बैंक के कब्जे में चली जायं और वे बैंक से पैसा ले लें, पैसा लेने के बाद, उस पैसे से मजदूरों की पगार बांट दें । इस विषय को लेकर झगड़ा खड़ा हुआ था । मैं भी वहां गया था और मैंने वहां आपके नेताओं को मजदूरों को बहकाते हुए देखा था । वे एक ही बात चाहते थे कि गांठें बैंक में न चली जायं और मजदूरों को पैसा न मिले । मिल वाले कहते थे कि गांठों को बैंक में जाने दें, प्लेज करने दें और जो बैंक से पैसा मिलता है उससे मजदूरों की पगार चुका देंगे । इस तरह एक महीने के पगार का झगड़ा था....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप क्या कर रहे थे ?

श्री भैरोंसिंह : मैं आप लोगों का कन्सीलियेशन कर रहा था कि तनख्वाह मिल जायगी ।

यह स्थिति आती है । इस प्रकार जितने भी लेबर डिस्प्यूट्स हुए होंगे उन लेबर डिस्प्यूट्स के अन्दर लेबर एक्सपर्ट्स चाहे वे हमारी भारत सरकार के हों, चाहे भारत सरकार के बाहर विदेशों के हों उन्होंने इस समस्या का सामना करने के लिए एक ही व्यवस्था दी है और वह यह है कि मजदूर और मालिकों के बीच में कुछ कन्सीलियेशन बोर्ड्स चाहिये, जो दोनों के जिस प्रकार सम्बन्ध खराब होते हैं उनको ठीक प्रकार कर सकें । लेकिन आज हमारी राजस्थान सरकार और भारत सरकार के पास में कन्सीलियेशन बोर्ड्स नहीं हैं, इन बोर्ड्स की व्यवस्था नहीं है और उसके अभाव में यह कानून था जिसके अन्तर्गत लेबरर्स कुछ कर सकते हैं । मैं समझता हूँ, मेरे साथ कोई किसी प्रकार की ज्यादती हुई तो चूंकि बोर्ड्स नहीं हैं, मैं कानून के अन्तर्गत सुरक्षा प्राप्त कर सकता हूँ । लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकार के ऊपर सरकार एक रीएक्शनेरी लेजिस्लेशन लाकर सदन की मोहर लगवाना चाहती है ।

(श्री भैरोंसिंह)

चाहे लोग आपके साथी, जो उन मजदूरों के अधिकार हैं उनको समाप्त करने में आपकी प्रशंसा करना चाहें, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के नेता जिस समय पूंजीपतियों के खिलाफ भाषण देते हैं उस समय कहते हैं कि पूंजीपतियों के पास किस प्रकार पूंजी जमा हुई है, किस प्रकार पूंजपति पूंजी ले रहे हैं उस समय यह स्लोगन दिया जाता है कि इन इन पूंजीपतियों ने गरीबों का शोषण किया है। क्या वह स्लोगन सरकार के खिलाफ नहीं लगाया जा सकता ?....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सरकार तो जनता की है । केपिलिस्ट और सरकार में फर्क होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : जनता की सरकार जनता के हित में काम नहीं करती है, यह पोज़ीशन है। हमारी सरकार और पूंजीपति में अन्तर नहीं है। जैसे पूंजीपति गरीबों का शोषण करता है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह आपकी किताब में है।

श्री भैरोंसिंह : मेरी डिक्शनेरी में नहीं, दुनिया की डिक्शनेरी में है।

मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में जो स्लोगन केपिलिस्ट्स के खिलाफ लगाते हैं, इस शोषण को बन्द करने के बारे में सरकार से व्यवस्था की मांग करता हूँ । वह कैसी मांग करूंगा ? आप देखें कि अजमेर के किसी सेठ के खिलाफ, किसी इन्डस्ट्री के खिलाफ कोई बात लेकर सरकार के पास आते तो मैं समझता हूँ कि इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर कम से कम सहानुभूति से बात तो सुना करते थे। ऐसे प्रसंग आये भी हैं और मजदूरों और मालिकों के बीच संघर्ष था उसको समाप्त करने की उन्होंने कोशिश भी की है। लेकिन अब संघर्ष सरकार से हो जायगा तो कौनसा कानून है, कौनसा बोर्ड है जिसके सामने मजदूर जाकर रो सकेंगे ? अगर मजदूर के सामने कोई कठिनाई प्रस्तुत हो जाती है तो मजदूर किससे रिलीफ प्राप्त कर सकेंगे; इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । मैं समझता हूँ कि कानून केवल बनता है मजदूरों के हित में। लेकिन यह कानून बन रहा है मजदूरों के अहित में। ऐसी पोजीशन आ सकती है, आप मिल में रिट्रेन्चमेंट करते हैं, आप कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली मिलें हैं। उनमें ज्यादा पैसा मिले, इस गर्ज से मजदूरों को बाहर निकालते हैं। उन्हें समय पर तनख्वाह नहीं देते, उन मजदूरों को बोनस नहीं मिलता, मेडिकल रिलीफ नहीं मिलती, जो रिलीफ वे क्लेम कर सकते हैं वे रिलीफ नहीं दे सकते, तो माननीय इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर यह बतायें कि वे किसके सामने जाकर क्लेम करेंगे कि हमारा रिलीफ हमको मिलना चाहिये ? जितनी भी इन्डस्ट्रियल कोर्ट्स बनाई हैं उनके दरवाजे आपने बन्द कर दिये, जो व्यवस्था थी, वह बन्द कर दी। उसके बाद मजदूर कहां जायेंगे ? मैं समझता हूँ कि विश्व के इतिहास के अन्दर और राजस्थान के इतिहास के अन्दर इस प्रकार का कोई कानून नहीं बना होगा जिस कानून में जो काम करने वाले हैं, जो सर्विस ऑफर करने वाले व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की सर्विस में कोई कठिनाई पैदा

(श्री भैरोंसिंह)

होती है, उसको लेकर अपील करने की और अपनी बात को रखने की गुंजायश नहीं हो, कोई कानून ऐसा नहीं है। कोर्ट में भी अगर कोई मजिस्ट्रेट फैसला करता है, उससे भी अगर वह सेटिस्फाइड न हो तो वह आदमी ऊपर वाली कोर्ट में जा सकता है। लेकिन आपने मजदूरों के लिए सब रास्तों पर ताले बन्द कर दिये हैं, उसकी जबान बन्द कर दी है, वह किस प्रकार अपनी पुकार को रखे सरकार के सामने, क्योंकि हमारी सरकार अपनी इन्टेन्शन बताती है कि लेबर लॉज़ को एप्लॉई नहीं करने देंगे। मैं निवेदन करूं कि हमारे सामने आज तीन प्रकार की मिलें हैं; एक वे जो भारत सरकार चला रही है, दूसरी वे जो राजस्थान सरकार चला रही है और तीसरी वे जिनको सरकार एड दे रही है, जिनको सरकार लेने जा रही है। यह सरकार किसी प्रकार से गारन्टी दे दे, कि सरकार का जब प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप हो जाय, जो नई प्रकार की इन्डस्ट्री जिनको गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग से, रिलीफ से प्रोवाइड करना चाहती है, उनके जो मजदूर लोग हैं उन पर वे सब लॉज़ एप्लाई नहीं करेंगे-थोड़ी देर के लिए समझ लीजिये कि भारत सरकार या राजस्थान सरकार की जो इन्डस्ट्रीज़ हैं, उसी प्रकार जो गवर्नमेंट के के डिपार्टमेंट्स हैं इन डिपार्टमेंट्स के सर्वेन्ट्स के सामने सर्विस को लेकर कोई मामला उत्पन्न हो तो उनको अपील करने का, लड़ने का अधिकार है। ये ही नियम आप उन पर भी लागू कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक नहीं किया है। राजस्थान सरकार के सर्विस रूल्स के अनुसार अगर चपरासी के ऊपर भी ज्यादती होती है तो वह पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ सेक्रेटरी और हाई कोर्ट तक अपने ग्रीवान्सेज़ पुट अप कर सकता है, किन्तु ये मजदूर न सर्विस रूल्स के अन्डर और न लेबर लॉज़ के अन्डर प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, न दुनिया का कोई कानून है जिसके अन्तर्गत रिलीफ इनको मिल सकती है। कोई कानून नहीं है और न कोई राहत दिलाने की मशीन। परिणाम यह होगा कि इन्डस्ट्रीज़ के काम में गफलत होगी।

इस प्रसंग में मैं जिक्र कर रहा था कि तीन प्रकार की इन्डस्ट्रीज हैं! उनमें एक नई, अजीब और ऐसी अजीब इन्डस्ट्री है, जिसका निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा। वह दुरुपयोग किस तरह से होगा? आज कोई इन्डस्ट्री है, कोई सेठ उस इन्डस्ट्री को चलाना चाहता है और यह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लूं। तो मुनाफा देने की सबसे बड़ी तरकीब है कि वह हजार दो हजार इन्डस्ट्री में लगाये। उसके बाद लोन के लिये एप्लीकेशन दे और लोन एप्लीकेशन को मंजूर करवा ले। सरकार का उसमें लोन आ गया, उसका पैसा आ गया इस प्रकार २० लाख रुपया आ गया। अब अगर सरकार का इस प्रकार लोन मिल जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि मजदूरों के जितने भी कानून हैं, वे मजदूरों के कानून इन्डस्ट्री पर लागू नहीं होंगे और इसका मतलब यह होगा कि लोन लेकर जो इन्डस्ट्रीज़ खुलने वाली हैं, जो राजस्थान सरकार खुलवाना चाहती है, जो पब्लिक सेक्टर से खुलेंगी या प्राइवेट सेक्टर से खुलेंगी, उनमें किसी न किसी प्रकार का सरकार लोन होगा और लोन होने की स्थिति के अन्दर सारी व्यवस्था, सारे रिलीफ एक साथ खतम हो जायेंगे। जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर है।

Page No.118

(श्री भैरोंसिंह)

वहां जाकर मजदूरों की हालत देखें। वहां के मजदूर हड़ताल करते हैं, जुलूस निकालते हैं, काम में रुकावट डालते हैं। उनकी यह मांग है कि जिस मकान में वे रह रहे हैं, उसकी ऊंचाई ढाई फीट की है और हम पांच—छः फीट के हैं, उन मकानों की ऊंचाई बढ़ाई जाय, मेडिकल रिलीफ दिया जाय, बोनस दिया जाय, रिट्रेन्चमेंट न कराया जाय। ये सारी की सारी चीजें भीलवाड़ा और ब्यावर की मिलों में लागू नहीं होंगी, सवाई माधोपुर सीमेन्ट फेक्टरी में भी लागू नहीं होंगी, और इन्डस्ट्री बना देंगे, उनमें भी लागू नहीं होंगी और उदयपुर में टेक्सटाइल मिल जो बनने वाली है और जिसके लिये २० लाख का लोन दिया है, उसमें भी........

श्री चन्दनमल वैद : नाइलोन फेक्टरी।

श्री भैरोंसिंह : उसमें भी लागू नहीं होंगी। कोई फैक्ट्री नहीं है दुनिया में, जिसको सरकार ने पैसा नहीं दिया हो। अब जिसको पैसा दे दिया, जिसको सरकार ने नोटीफिकेशन के द्वारा टेक अप कर लिया, उसमें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, भले ही उसे सदन और सदन के माननीय सदस्य मन्जूर नहीं करें, लेकिन मुझे बू आती है, और बू इसलिये आती है कि अगला इलेक्शन जीतने के लिये और पैसा बटोरने के लिये सबसे बढ़िया तरीका यह होगा कि किसी को सरकार लोन देगी, किसी को नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ दिनों के लिये अपने अधिकार में लेकर वहां यह कानून लागू करेगी और वहां के लेबरर्स को दिक्कतें पैदा होंगी........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बू आती है। इनकी नाक खराब है या क्या बात है ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : उनकी सीट पर चूहा मर गया है!

श्री भैरोंसिंह : मुझे बू इसलिये आती है कि XXXX

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह सड़ांध आपके पास है।

श्री भैरोंसिंह (जारी) : यदि वह सडांध मेरे पास होती तो मैं भाग जाता। यह अच्छा है कि वह दूर है, नजदीक होती तो लॉबी में भाग जाता।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस सारी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल एक्सप्लोइटेशन होगा, टेक ओवर कर लिया जायगा टेम्पोरेरी बेसिस पर और ज्योंही अपना काम निकला, इलेक्शन्स खत्म हुए कि वापिस मालिकों को रिटर्न कर दिया जायगा और इन टेक ओवर करने और रिटर्न करने के पीरियड के बीच में मजदूरों का अहित हो जायगा। गारन्टीज़, लोन सिक्यूरिटीज़ के आधार पर किसी को अन्डर टेक किया तो मजदूरों का निश्चित रूप से नुकसान होगा। सरकार की तरफ से प्रकाशित एक रिपोर्ट है, "Report of the Indian Trade Union Working 1926,..." इसको ५८ में तैयार किया गया है और सदन के माननीय सदस्यों

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No.119

(श्री भैरोंसिंह)

में वितरित की गई है। इसमें बताया है कि ट्रेड यूनियन्स की हालत बहुत खराब है। इस बिगड़ी हुई हालत को या तो भगवान् ही ठीक कर सकता है या सरकार ठीक कर सकती है। भगवान् किस तरह ठीक कर सकता है, यह तो मैं नहीं जानता पर सरकार इसको ठीक कर सकती है, इसका मतलब यही हुआ कि ट्रेड यूनियन्स राजस्थान में गिरे हुए हैं और वे इस कदम से बन्द हो जायेंगे। लेबर एक्सपर्ट्स ने राय दी है और यह भारत सरकार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ट्रेड यूनियन्स के एक्सपर्ट्स को मैनेजमेंट में लिया जाय। एडवर्ड मिल ब्यावर में एड-मिनिस्ट्रेटर मैनेजर है, उस मैनेजमेंट में लेबरर्स के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ को शामिल कीजिये। यह मैं नहीं कहता। आपकी इस रिपोर्ट के पेज ३८ पर लिखा हुआ है कि :

"The scheme of workers participating in the management is another approach to ease employer and employees' tension"

उन्होंने भी इस बात की सिफारिश की है। तो ऐसी स्थिति में सरकार केवल अपने हाथों में ही सारे मैनेजमेंट को लेना चाहे तो मैं कह सकता हूँ कि इससे मजदूरों का अहित होगा, मजदूरों का गला घोंटा जायगा। इन कानूनों के लागू होने की हालत में सरकार मजदूरों को मैनेजमेंट दे, मैनेजमेंट में उनको हिस्सा दे जिससे कि लेबर कानूनों के तहत मजदूरों का प्रोटेक्शन हो। पर यह न करके सारा मैनेजमेंट सरकार अपने हाथ में लेकर इस प्रकार के कानून बनाती है तो आगे जाकर यह स्थिति आ सकती है कि हमारी राज्य सरकार अखबार चला दे और उनको लोन दे दे और वर्किंग जनरल्स को परेशान कर दे।

केवल इन दो मिल्स की ही बात नहीं है, बाकी जितने सेठ साहूकार इन्डस्ट्रीज़ लगा रहे हैं उन्हें सरकार धीरे धीरे टेक ओवर करेगी, मजदूरों को उनसे रिलीफ प्रोवाइड कराना चाहेगी। ऐसी स्थिति में मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि ऐसे रीएक्शनरीज़ लॉ न बनायें, मजदूरों के संगठन के नाम पर राजस्थान का कन्सोलिडेटेड फंड है जिसमें गरीबों के खून से रचा हुआ पैसा है उस पैसे से इनका अन्डरटेकिंग करके अपना हित सरकार करना चाहती है, उस पैसे से सरकार फायदा उठाना चाहती है, यह उचित नहीं। आप भारत सरकार को रिकमन्डेशन भेज दीजिये कि इस प्रकार के चार कानून राजस्थान में लागू नहीं करना चाहते, इन कानूनों को खत्म कर दिया जाय; नहीं तो इनको मजदूर खत्म करने वाले हैं, बीच में आकर भारत सरकार हमारे हितों पर कुठाराघात कर सकती है। अब भारत सरकार की रीएक्शनरी पॉलिसी बन रही है। सरकार मजदूरों को चुनौती दे रही है, मजदूरों की शक्ति को भड़काने के लिये चुनौती दे रही है। इससे मजदूरों की हड़तालें होंगी, मीटिंग्स होंगी और सरकार उनको क्रश करने के लिये चालान करेगी। तो सदन के माननीय सदस्यों को इस स्थिति का अवलोकन कराते हुए कहूँगा कि यह सदन इस प्रकार का कानून बनायेगा तो कल श्री ज्वालाप्रसादजी ने कहा कि अंग्रेजों के समय में काले कानून बनते थे, पर यह गहरा काला कानून होगा, जिसमें मजदूरों का खून लाल रंग में छुपा हुआ होगा। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट

(श्री भैरोंसिंह)

के आधार पर, कॉमर्शियल डेवलपमेंट के आधार पर, मजदूरों के हित के आधार पर उन्हें इस समस्या पर विचार करना चाहिये और विचार करके इसको उस दृष्टि से आवश्यक समझते हों तो ऐसे कानून बनायें। अब सरकार यह कहेगी....

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से उनकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूँ कि जिस बात की उनको जानकारी हो उस ही को सदन में कहें। आपने कहा कि जिन दो अन्डरटेकिंग्ज़ पर सरकार का अधिकार है उनका मुनाफा सरकार के कन्सोलिडेटेड फंड्स में जमा होता है, यह बिल्कुल गलत है। कन्सोलिडेटेड फंड्स में जमा नहीं होता है। सारे उसी अन्डरटेकिंग में रहते हैं और उन्हीं के फंड्स के पार्ट होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिस बात को लेकर मैंने कहा, कन्सोलिडेटेड फंड्स में आज नहीं आते पर इन अन्डरटेकिंग्ज़ के आधार पर उन पर कब्जा कर बैठेगी सरकार। जिस प्रकार गंगानगर शुगर फैक्टरी पर कब्जा किया है....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : गंगानगर शुगर फैक्टरी पर कब्जा नहीं किया है, उसके शेयर खरीदे हैं सरकार ने।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कब्जा किया है या खरीदा है, तो आपको क्या एतराज है ?

श्री भैरोंसिंह : आपको गन्ना नहीं मिले ा।

गंगानगर शुगर फैक्टरी को टेक ओवर किया और शेयर्स पर्चेज़ किये, यही सब जगह होगा। यह इन्डस्ट्रीज़ को नेशनलाइज़ करने का सरकार का तरीका है कि पहले मजदूरों को भड़कावे और उन इन्डस्ट्रीज़ में इस प्रकार अव्यवस्था करवा कर मजदूरों के हित के नाम पर उनको टेक ओवर करें और फिर सरकार इस बात की कोशिश करती है कि हमारा मैनेजर जम जाय तो मजदूरों का गला काटा जाय। जिन दो मिल्स को टेक ओवर किया था तो मजदूरों को एश्योरेंस दिया था कि लेबर लॉज़ के तहत आपको जो रिलीफ मिलनी चाहिये उनमें कटौती नहीं होगी, उनको विश्वास दिलाया था कि आपकी सब समस्याओं का हम समाधान कर देंगे। अगर मजदूरों को आपने यह एश्योरेंस नहीं दिया होता और उनको पता चल जाता कि लेबर लॉज़ लागू नहीं होंगे तो आप और आपके मैनेजर केवल पुलिस के सहारे से ही उन मिलों के अहाते में जा सकते थे। आप यह सब करने के बाद आइन्दा किसी इन्डस्ट्री या मिल को टेक ओवर करना चाहेंगे तो उनके अहातों में आप मजदूरों का खून बहा कर ही जा सकेंगे, पुलिस के सहारे से, पुलिस द्वारा मजदूरों पर अश्रु गैस चलाके और मजदूरों पर लाठी प्रहार करके मजदूरों का खून निकाल करके ही वहां अन्दर जा सकेंगे ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष, यह इन्डाइरेक्टली भड़काना है, न यहां कोई मजदूर है न कोई है, जबर्दस्ती हंगामा मचा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : बदकिस्मती यह है कि हमारे एक भाई भड़क उठे हैं, आज वे कहते हैं कि वे मजदूर नहीं हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपसे ज्यादा मजदूर हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा न कि यहां कोई मजदूर नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कहिये, पर मेरी अर्ज है कि आप मजदूरों को भड़का रहे हैं। वे करेंगे या नहीं करेंगे, पर आप पहले से ही उनको रास्ता दिखा रहे हैं, उन गरीबों को बहका कर उनकी चिता जलाते हैं और फिर उनकी जलती हुई चिता पर बाटियां सेकते हैं, उन गरीबों की चिता पर बाटियां सेक कर मत खाओ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य ने बात कही है वह बिल्कुल सही है, मैं उनकी चिता पर बाटियां सेकूं; पर हमारी सरकार उनकी चिता में जो लकड़ी देती है वह लकड़ी कोई लकड़ी नहीं स्वयं मजदूर है। मजदूर की हड्डियां हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा मकसद यह था कि मिल बन्द होते तो मजदूरों की चिता जलती, आज गवर्नमेन्ट ने उन मजदूरों को एम्प्लॉय किया है, नही तो वे भूखों मरते अन-एम्प्लॉयड हो जाते, तो गवर्नमेन्ट ने चिता को जलाया नहीं, बुझाया है। आप उन्हें वहां ले जाना चाहते हैं जहां पहले थे।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अनभिज्ञता है उसके बारे में, तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह तो दोनों में बराबर है।

श्री भैरोंसिंह : उनको यह मालूम नहीं कि कितनों की छंटनी हुई है और कितनों की नहीं। यह भीलवाड़ा एडवर्ड मिल की होगी। इसके लिए सरकार चिन्तित नहीं है सरकार किशनगढ़ व उदयपुर और कोटा के बारे में चिन्तित है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह आप कैसे कह सकते है और बताते हैं। अभी तक अन्डरटेकिंग ली नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह दुर्भाग्य की बात है कि आपने कानून को पढ़ा नहीं। इसमें यह लिखा है कि उनको सरकार ने लोन दिया है, उसको अन्डरटेकिंग कर सकती है। मैंने जिनके नाम बताये हैं उनको सरकार का लाखों रुपयों का लोन दिया हुआ है। आपकी सरकार जिसकी आप कल तक बुराई कर रहे थे........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने कभी अपनी सरकार की आलोचना नहीं की। आप अपनी बात कहिये। मैंने अपनी बात कही।

श्री भैरोंसिंह : मुझे अफसोस है कि हमारे माननीय मित्र, हमारे पंचायत मंत्री को सरकारी सदस्य नहीं मानते। कल आपने उनको गालियां दी थीं। सोरी सर, गालियें नहीं, उनकी आलोचना की थी वह व्यक्तिगत. हरिभाऊजी की कोई आलोचना नहीं थी। आपने उनकी आलोचना करके अपनी सरकार की बुराई की थी। आप जिस सरकार की बुराई करते हैं उससे यह आशा नहीं कर सकते कि वह कोऑपरेशन के हित में सोचते होंगे, मजदूरों के हित में सोचेंगे मैं यह कहूँगा कि वे नहीं सोचेंगे। इसका सारा सारांश यह होगा

(श्री भैरोंसिंह)

कि इन्डस्ट्रीज़ कोई पनपे या नहीं पनपे, लेबर को रिलीफ किसी प्रकार मिले या न मिले; लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर ने यह घोषणा की है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत सी इन्डस्ट्रीज़ खुलेंगी और हमारे यहां बहुत इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा और इतना इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ होगा कि जिसकी कोई इन्तहा नहीं। मैं यह कहूँगा कि एक तरफ आप इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट की बातें करते हैं कि वह बहुत बढ़ेगा, मगर मैं यह कहूँगा कि वह केवल नाम मात्र के लिए ही बढ़ेगा और मजदूरों के और मिल मालिकों के आपस में इससे झगड़े होंगे और मजदूरों की कीमत पर सरकार आगे बढ़ेगी। सरकार मजदूरों की कीमत पर आगे बढ़ना चाहती है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप मजदूरों की आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह से इस कानून को पास न करें क्योंकि यह सारा का सारा कानून मजदूरों के हित में नहीं है। चाहे आप इसे मजदूरों के लिये काला कानून कहें या मजदूरों का खून पीने वाला कानून कहें। यह तो पूंजीपतियों को पनपाने वाला कानून होगा। मजदूरों का किसी भी तरह से इससे हित नहीं होगा, पूंजीपतियों का अवश्य हित होगा और उससे चुनावों के लिये पैसे इकट्ठे किये जावेंगे। यह सारी पृष्ठभूमि इस बात की द्योतक है कि सरकार मजदूरों का गला घोटना चाहती है। मजदूरों का ही नहीं बल्कि उनके लालों का भी खून चूसना चाहती है और दूसरे रिश्तेदारों को पंगु बना कर इन्डस्ट्रियलिस्टों का भला करना चाहती है। इस प्रकार से सरकार यह चाहती है कि पूंजीपति सरकार को इलेक्शन में मुफ्त हाथों से पैसा दे और हमारी सरकार अगले चुनावों में विजयी होकर आये।

मैं, अन्त में, माननीय मंत्री महोदय से यही कहना चाहूँगा कि चाहे विधान सभा हो चाहे बाहर हो, मैं यही कहूँगा कि इस काले कानून को लागू करने में सरकार को कठिनाई होगी। मजदूर इनका विरोध करेंगे और वे लोग इस प्रकार के कानून का विरोध करने में अपना गौरव समझेंगे। मैं यह कहूँगा कि वे इस कानून की अवहेलना करने में कोई कदम उठा नहीं रखेंगे और हर सदस्य को अगर इसके लिये हड़ताल करनी पड़े तो वह भी करेंगे।

अन्त में मैं यही कहूँगा कि इस काले कानून को जो मजदूरों के हित में नहीं है सदन पारित नहीं होने दे और इसको पास करके किसी प्रकार अपने आपको पाप का भागी न बनने दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरा भाई।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हम लोग जिस विधेयक पर वाद-विवाद कर रहे हैं इस विधेयक की आज से १३ वर्ष पहले की जिन्दगी से तुलना करें तो हमारे उस जीवन के अन्दर से महात्मा गांधीजी ने बिल्कुल एक नई विचार–धारा से काम किया और उसका नतीजा यह है कि आज हमारी विधान सभा बनी है और विदेशी सरकार को हटा कर देश की सरकार कायम की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष, एक छोटा सा बच्चा कम से कम १० या १२ साल का होने के

(श्री हीरा भाई)

बाद जब नौजवानों, छोटे छोटे मनुष्यों का कचूमर निकाल कर पूंजीपतियों को साथ लेकर चलता है तो मैं समझता हूँ कि हमारी जनता के लिये और मजदूरों के लिये यह उचित नहीं है। महात्मा गांधी का यह कहना था कि जब हमारे हाथ में सत्ता आएगी उस समय हम किसानों को अन्नदाता मानेंगे। लेकिन जब आज हमारे हाथ में सत्ता आई तो हम उन्हीं किसानों को गधा बना कर डन्डे से पीटना चाहते हैं। उनकी जुबान के लगाम देना चाहते हैं और उसको लातें मार कर उससे काम कराना चाहते हैं। उनको उसके हकूक नहीं देना चाहते और उनको लात मार कर हकूकों से अलग करना चाहते हैं। चाहे उनको रोटी रोजी मिले या नहीं, उसकी उनको परवाह नहीं, चाहे आपने उनकी मदद से शासन को अपने हाथ में लिया हो, उसकी आपको कोई परवाह नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि दूसरे बड़े बड़े मुल्कों में मिलें चल रही हों, बड़े बड़े उद्योग चल रहे हों, उनको देख देख कर हमारी सरकार की हिम्मत नहीं हो या दूसरा कोई रास्ता नहीं हो कि दूसरे उद्योग अच्छी तरह से पनपे। उपाध्यक्ष महोदय, दूध का जला दही के फूंक देता है, मगर उससे उसकी जलन दूर नहीं हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों को रोटी-रोजी पर झगड़े लगा कर पूंजीपतियों को हमारी सरकार पनपा कर अपना शासन कायम रखना चाहती है, यह नीति हमारी सरकार की जनता के साथ कुठाराघात की नीति है। उपाध्यक्ष महोदय..........

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे बार बार याद करते हैं, कभी कभी याद कर लिया करें। बार बार याद करना........

श्री भैरोंसिंह : आपको बार बार याद करने से कुछ इन्सपिरेशन मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : इससे सेन्टेन्स तो जुड़ता है। जारी रखिये।

श्री हीराभाई : मेरा ख्याल है कि जहां तक हमें उद्योगों को पनपाने का सवाल है मैं कहूँगा कि इस तरह से कार्य नहीं होगा। आप यह कह सकते हैं कि हमने अपने बल से और कानून के बल से अंग्रेजों को यहां से भगाया और राजा-महाराजाओं को हटा दिया, यह गलत बात है। वे हमारे कानून से नहीं भागे, वे हमारे संगठन के बल से भागे हैं। उस समय हमारा संगठन ऐसा था कि सब लोगों ने मिल कर संगठन को बल दिया था। तब जाकर हमको आजादी प्राप्त हुई। इन अधिकारों पर कितना ही कानून पास करें, इसके लिये दूसरे कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में स्थिति को साफ बताया है और मैं भी आपको यह बता देना चाहता हूँ कि विधान सभा में जो कानून मजदूरों के हित के बनते हैं, उन पर अमल नहीं होता। पहले कानून बना इसका अनुभव मैं आपको बताता हूँ। आपने मजदूरों के लिये पहले कानून बनाया, लेकिन उसका कोई प्रयोग कहीं नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उस कानून के प्रश्न पर चल रहे हैं........

श्री हीराभाई : वह इसी ढंग का था।

Page No.124

श्री उपाध्यक्ष : आप इस कानून पर आ जायेंगे ।

श्री हीराभाई : आज पूंजीपतियों के लिये इस प्रकार के कानून बनाये जा रहे हैं मगर, मजदूरों के लिये जो पहले कानून बनाया गया था उसका भी पालन आज तक नहीं हुआ। मजदूरों के मन्त्री हैं उनको यह भी मालूम नहीं कि मजदूरों के लिये क्या हो रहा है । इसी तरह से सीलिंग का भी कानून है........

(६.०० म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : आपका जो प्रश्न है उस पर नहीं बोल रहे हैं और दूसरे प्रश्न पर बोल रहे हैं। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस पर ही बोलें ।

श्री हीराभाई : क्योंकि कानून का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। कानून कागजों में वैसे का वैसे धक्का (दुक्का) रहता है, जो मजदूरों के हित का होता है, किन्तु जो मजदूरों के खिलाफ कानून निकलते हैं जल्दी ही उन पर लागू हो जाते है। इसलिये गरीब वर्ग के खिलाफ कानून बनाते हैं तो जल्दी ही उन लोगों पर तलवार चल जाती है और रोजी छीनी जाती है। इसलिये मैं कहूँगा कि यह कानून बिल्कुल खराब है। अगर हमें उद्योग को चलाना है तो मजदूरों को कॉन्फीडेन्स में रखकर उद्योग चलायें। मजदूर और मालिक मिलकर काम करेंगे तभी यह चल सकता है ।

आप देखेंगे कि एक जूता मशीनों से बनता है और एक चमार जूता हाथ से बनाता है उसमें फर्क होता है। आप उन छोटे छोटे धंधा करने वालों को ५००) रु० उधार देकर पनपा सकते हैं अगर आप उनको पनपाना चाहें तो। जहां तक मशीनरी से चलने वाले उद्योगों का सवाल है आप उनको सीधा लोन देकर कन्ट्रोल कर सकते हैं और उद्योग को पनपा सकते हैं ।

(समय समाप्ति–सूचक घंटी)

मगर एक तो घोड़ागाड़ी दौड़ावें और एक रेलगाड़ी दौड़ावें तो दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता। एक चमार दिन में ५ जूते निकालता है और एक मशीनरी ५०० निकालती है। एक काम हाथ से होता है और दूसरा मशीन से निकलता है, इसमें काफी अन्तर पड़ता है ।

तो इस आधार पर आपको यह गवारा नहीं है कि उद्योग कैसे चलना चाहिये। यदि जल्दी चलने वाले, तेज रफ्तार से चलने वाले उद्योगों को पनपाना चाहते हैं तो आप भारत सरकार से मांग करें कि उन मिलों का वह कन्ट्रोल करे और उन छोटे उद्योगोंको सहायता दे जिससे कि मजदूर पनप सकें, उद्योग पनप सकें। मजदूरों को इस प्रकारके कानूनसे आप डंडा मार रहे हैं और इस प्रकार के काले कानून के द्वारा आप उनका शोषण कर रहे हैं। पूंजीपतियों का साथ देने वाले हैं वे ऐसा कानून बनाते हैं। उनका साथ देना है तो दें। शुरू से हम तो साहब की तरफ से मार खाते आये हैं, चले आ रहे हैं। सरकार के हाथ के नीचे हम मरना भी मंजूर करेंगे, लेकिन पूंजीपतियों द्वारा और सरकार द्वारा गरीबों का खून नहीं चूसने देंगे, उसके साथ मरना पसन्द करेंगे। माननीय मंत्री महोदय से कहना

(श्री हीराभाई)

चाहूँगा कि या तो इसको वे वापिस ले लें या इसको प्रवर समिति में भेज दें, जहां कि किसानों और मजदूरों के लिए कोई हितकारी कानून बने ।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव ।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभ-नगर–सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान साहाय्य प्रतिष्ठान विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ ।

इस बिल में उद्योगपति और मजदूर का वर्णन किया गया है । जैसा कि हमारे राजस्थान में राजस्थान सरकार ने पंचायत राज्य कायम करके लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का नारा लगाया, मैं आपसे निवेदन करूं कि यदि हम एक तरफ चीफ विकेन्द्रीकरण करें और पूंजीपति और मजदूरों का विकेन्द्रीकरण न करें तो यह ठीक नहीं है । माननीय उद्योग मंत्रीजी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसमें कहीं भी यह नहीं रखा है कि जिससे मैं यह समझूं कि यह देश की प्रगति का बिल है । इस बिल को देखने से, इसको टटोलने से ....

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल इसको नीचे रख दीजिये टेबल पर ।

श्री हरिप्रसाद यादव : मजदूरों को जहां तक प्रगति का सवाल है, मैंने इसको पढ़ा और देखा तो मुझे तो यह मालूम हुआ कि उनकी प्रगति तो कहीं नहीं है लेकिन उनकी तो कमी करने का प्रावधान जरूर रखा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि एक तरफ तो हमारे यहां की बढ़ती हुई जनसंख्या को मद्देनजर रखना है और दूसरी तरफ हमारे यहां पर जो बेरोजगार लोग नजर आ रहे हैं उनको रोजी और रोटी देने का प्रश्न है । उद्योगों और मिलों में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कमी और छंटनी का जहां तक सवाल है, मैं निवेदन करूं कि मेरे वल्लभनगर क्षेत्र में भोपालसागर शुगर फैक्ट्री है........

श्री उपाध्यक्ष : शुगर फैक्ट्री का प्रश्न नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हजारों मजदूरों का सवाल है । यदि उसमें छंटनी होकर हमारी सरकार उसमें रहे मजदूरों को बेकार कराये तो यह अच्छी परम्परा नहीं होगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये उद्योग मंत्री महोदय और लेबर मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि यह तो लेबर का कानून है । मेरे पूर्व वक्ता श्री बृजमोहनलाल जी शर्मा, जो इस सदन के एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं........

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : ना, ना, इस सदन के नहीं हैं ।

श्री हरिप्रसाद यादव : राष्ट्रीय कांग्रेस यूनियन है उसके भी वे अध्यक्ष हैं । जब मैंने उनका भाषण सुना तो उन्होंने अमीरपतियों का ही सपोर्ट किया । हमने भारत के संविधान में समाजवादी समाज की व्यवस्था को और

(श्री हरिप्रसाद यादव)

दूसरी तरफ यदि पूंजीवाद की ओर बढ़ते हैं तो समाजवाद तो रास्ते में ही रह जाता है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि यह हिन्दुस्तान में सबसे पहला राज्य है जिसने लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था दी। हमारे पड़ौसी राज्यों ने भी हमारा अनुकरण किया है तो क्यों न हम मजदूर वर्ग के लोगों के लिए कानून में कोई अच्छी व्यवस्था दें ताकि वे लोग भी खुशहाल हो सकें? आज हमारे मंत्री महोदय, मिनिस्टर हैं; उनके पास बंगला है, पंखे हैं और उनमें रहते हैं....

(६.१५ म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण ही दे रहा हूँ। मैं यह नहीं कहता कि उनको बंगले में नहीं रहना चाहिये। मैं भी बंगले में रहता हूँ। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि हमारे साथी मिनिस्टर लोग आज जब बंगलों और पंखों के नीचे रहते हैं, एशोआराम करने के लिए जब वे अच्छे बाग–बगीचे चाहते हैं तो मजदूर वर्ग के लिये भी वे साधन क्यों नहीं उपलब्ध करते हैं? आज जो इलेक्ट्रिसिटी नजर आ रही है, रोशनी नजर आ रही है, रोशनी मिल रही है यह तो आज मजदूर वर्ग का ही परिणाम है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : लेबर का संशोधन आया है। विशेष इधर उधर नहीं जा रहा हूँ।

तो मैं निवेदन करूं कि जिस इन्डस्ट्री से बिजली मिल सकती है उनके मजदूरों की छंटनी करना, यदि उनको बेकार करते हैं तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो वे यह बिल लाये हैं उसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर उसकी राय से इसको पास करायें, नहीं तो राजस्थान में खलबली मच जायगी

(घंटी)

और कई लोग बेकार हो जावेंगे। मैं फिर आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई कानून सदन में लायें और बनायें जो कि सबके हित में हो। यही मेरा निवेदन है।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु.) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज हमारे सामने राजस्थान साहाय्य प्रतिष्ठान बिल विचारार्थ है। मैं सीकर से आने वाले माननीय सदस्य का, जिनका प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन है, उसका समर्थन करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान के करोड़ों मजदूर हैं और जो मजदूर अपना पेट पालने के लिये मिलों, इन्डस्ट्रीज़ और कारखानों में, उदर पूर्ति करने के लिये, काम करके जीवन पालते हैं उनको हमारे संविधान में यह स्वतन्त्रता है कि वे खुल कर अपने अधिकार मांगें। हमारे भारत के

(श्री लादूराम सुलाणिया)

संविधान ने हर एक को स्वतन्त्रता दी है कि जो भी भारत का नागरिक होगा वह अपनी मांग के लिये, जो भी सरकार हो, उससे संघर्ष करे और अपने अधिकार उनसे प्राप्त कर सके। ऐसी स्थिति में यदि आज हम इस प्रकार का कानून बनायें कि जितनी इन्डस्ट्रीज़ हैं राजस्थान में और जो हमारी सरकार से कर्जा लेकर चलती हैं, सरकार उनके हाथों बंध जाय या बिक जाय जिससे कि वह इस प्रकार का उद्योगपतियों के लिये प्रावधान कर उनमें जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं, श्रमिक हैं, उनके अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठाराघात करें, यह अनुचित है।

मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूं कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था और जिस वक्त भारत को स्वतन्त्रता नहीं मिली थी, भारत परतन्त्र था, विदेशियों का राज्य था, जितनी देश में इन्डस्ट्रीज़ थीं, कारखाने थे, जिनमें लेबरर्स काम करते थे उनकी सुविधा के लिये कानून और एक्ट बने थे और इसलिये बने थे कि वे सरकार से संघर्ष करके यूनियन बना कर अपने अधिकारों का सदुपयोग करा सकें। अपनी मांगें मनवा सके हैं जिस वक्त विदेशी हुकूमत को निकालने की योजना गांव गांव और नगर नगर में बन रही थी उस समय इस बात का आयोजन किया गया था कि विदेशी राज्य किसी न किसी प्रकार से चला जाय तो इस देश के गरीब हरिजनों और मजदूरों का भला करेंगे। इस बात का नारा था कि जिस पार्टी के हाथ में राज्य जायगा वह इस देश के गरीब, मजदूर और हरिजनों के साथ न्याय व समानता का बरताव करेगी। जब कुछ वर्ष पहले जागीरी प्रथा की समाप्ति की उस समय भी इन हरिजन वर्गों को बहुत सुविधा प्राप्त थी उस समय भी हमारे गरीब हरिजन आदि तबके के लाखों की संख्या में लोग थे वे इस बात का नारा लगाते थे कि आने वाले जमाने में मजदूर, हरिजन वर्ग, श्रमिक वर्ग की ज्यादा भलाई करके उनको समानता के अधिकार देंगे। उनका यह भी नारा था कि जिस वक्त शासन हाथ में आयगा उनके साथ समानता का बरताव किया जायगा। उस समय हमारे भारतीय नेताओं का नारा था कि आज जिन लोगों को पेट भर कर रोटियां खाने को नहीं मिलती उनको पेट भर रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, रहने को मकान की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार का नारा इन पार्टियों का था। फिर देश आजाद हुआ। सत्ता की बागडोर उनके हाथ में आयी तो वे ये सब बातें भूल गये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्डस्ट्रीज़ में जहां श्रमिक वर्ग काम करते हैं उन पर कानून अवश्य बनना चाहिये; किन्तु उनके लिए जो कानून बनता है उसका पालन इन्डस्ट्रीज के मालिकों द्वारा अवश्य होना चाहिये। मैं इस कानून के विपरीत इसलिए हूँ कि इससे इन्डस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों को राहत नहीं मिलेगी। ऐसी मेरी राय है, इसलिये बिल को पास न किया जाय। जो लोग अपने पेट पालने के लिये आठ घंटे के बजाय दस, दस घन्टे काम करते हैं, फिर भी वे अपने बाल—बच्चों का पेट नहीं भर सकते; आज उनकी हालत काफी खराब है, उस पर नियन्त्रण करने की आवश्यकता है........

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय पर आ जाइये।

श्री लादूराम सुलाणिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मन्त्री महोदय को आज के श्रमिक वर्ग की क्या हालत है, पता नहीं है। वे जब कभी मजदूर बस्तियों का निरीक्षण करने जाते हैं तो पहले सूचना भेज देते हैं कि मैं निरीक्षण करने आऊंगा। उनके आने के उपलक्ष में हजारों रुपया मिल मालिकों द्वारा खर्च करके उनकी रहने की जगहों को कुछ साफ करवा दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप विधेयक पर आ जाइये।

श्री लादूराम सुलाणिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल श्रमिक वर्ग के लिये लाया गया है। उसी विषय पर मैं बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय से दूर जा रहे हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है सिर्फ दिखावे के लिये, ताकि वे यह जान सकें कि यहां के मजदूर को किसी प्रकार से तकलीफ नहीं है। इससे श्रमिकों को सन्तोष मिलता हो, यह बात नहीं।

हमारी जितनी इन्डस्ट्रीज़ हैं जिनमें श्रमिक काम करते हैं उन पर पूरा का पूरा अनुशासन इन्डस्ट्रीज़ के मालिक का रहता है। उनके ऊपर जहां तक मालिक का रहता है। उसके लिये सरकार का लेबर डिपार्टमेंट है, उसका इन्तजाम रहता है। लेबर डिपार्टमेंट के अन्दर श्रमिक अधिकारी रहते हैं। उनके नीचे इन्सपेक्टर्स रहते हैं। वे उनकी देखरेख करते हैं। इन्सपेक्टर्स यह देखते रहते हैं कि मजदूरों को पूरी पे मिलती भी है या नहीं, उनके साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार तो नहीं किया जाता, किसी प्रकार उनके अधिकारों का हनन तो नहीं किया जाता। इसके बारे में लेबर डिपार्टमेंट इन्तजाम करता है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि हमारे यहां जितनी भी इन्डस्ट्रीज़ हैं उनमें इस प्रकार की परम्परा है। अगर कोई श्रमिक काम करता है तो उस श्रमिक को मिलना चाहिये दो रुपया। रजिस्टर में जहां दो रुपया होता है....

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर विषयान्तर जा रहे हैं।

श्री लादूराम सुलाणियां : मुझे सिर्फ पांच ही मिनट बोलते हुए हैं, मैं अभी तक पौन घंटा और बोलना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर जा रहे हैं, आपको दो मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर काफी वाद–विवाद हो चुका है, मैं इस पर क्लोज़र मूव करता हूँ।

श्री लादूराम सुलाणियां : उपाध्यक्ष महोदय, कोई समय किसी के लिए निर्धारित नहीं था, मेरे पर समय की पाबन्दी लगाकर आप मेरे अधिकारों पर आघात कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री हरदेव जोशी)

मेरे क्लोज़र का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : The Question is that the question be now put to the House?

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir, after the closure motion there cannot be any reply.

श्री उपाध्यक्ष : Let me study the position.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव इस बिल पर जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का रखा था उसे वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री पी० के० चौधरी : मैंने जो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए प्रस्ताव रखा था उसको वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो क्लोज़र मूव किया गया है उस पर हाउस की राय ले ली जाय।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : वह ले ली गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप ज्यादा सतर्क मालूम होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यदि कुछ स्पष्टीकरण कर दें तो सदन को सन्तोष हो जायगा। जो क्लोज़र मूव किया गया है वह तो जनरल डिबेट के लिये है, मन्त्री महोदय जवाब दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I can relax the position if the Hon'ble members so wish.

श्री पी० के० चौधरी : In the third reading the Hon'ble Minister may reply. But after the Closure Motion has been put if the Hon'ble. Minister is allowed to reply, it will be a bad precedent.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां इस प्रकार का प्रिसीडेन्ट है कि क्लोज़र मोशन के मूव करने के बाद भी मेम्बर्स ने डिबेट में भाग नहीं लिया, सरकारी बैन्चेज़ की ओर से जवाब दिया गया है; अतः मन्त्री महोदय को जवाब देने की अनुमति दी जा सकती है।

श्री पी० के० चौधरी : It will be a breach of all the precedents.

श्री उपाध्यक्ष : यह सहूलियत का प्रश्न है। हाउस की सम्मति हो तो उनको जवाब देने की सुविधा दी जा सकती है। It is not a breach. It is just a mild relaxation.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी चाहता हूँ कि स्पष्टीकरण हो जाय तो उचित रहेगा।

श्री पी० के० चौधरी : He can reply in the third reading.

श्री भैरोंसिंह : The Chair should be liberal.

श्री पी० के० चौधरी : The Chair is on its legs. The Hon'ble Minister should take his seat.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble Minister.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस बिल के बारे में माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की भावना व्यक्त की है उस सम्बन्ध में मैं कुछ स्पष्टीकरण पेश करना चाहूँगा।

यह तो सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि राजस्थान में कई फैक्ट्रियां कई अर्से से बन्द रहीं और सदन के माननीय सदस्यों को हमेशा यह चिन्ता रही कि सरकार को उन्हें अपने कब्ज़े में लेकर चलाना चाहिये। समय समय पर हम लोगों ने भी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया और जिस वक्त कि राजस्थान की टैक्स्टाइल मिलों पर एक बड़ा भारी क्राइसिस आ रहा था और जैसा कि मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया था कि उस क्राइसिस को मिटाने के लिये और हमारा एक टैक्सटाइल मिल उद्योग ही एक ऐसा उद्योग है राजस्थान के अन्दर जिसको हम कह सकें कि अधिक तादाद में यहां है, उसमें जब इस प्रकार का क्राइसिस देखा तो हमने उस पर कदम उठाये और एडवर्ड मिल जो कि एक बहुत पुराना मिल था, जंक मिल था जो १६०७ या इससे पहले एस्टेब्लिश हुआ था और इसमें मशीनरी वगैरह भी १६०६ की आई हुई है, एग्ज़ेक्टली किस इयर में एस्टेब्लिश हुई, यह तो मैं नहीं कह सकता....

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : १६०६ में।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसका मैनेज़मेंट जो था उसकी बहुत गल्तियां थीं। उसका मैनेजमेंट खराब होने की वजह से लेबरर्स को पूरी तरह से एम्पलॉयमेंट नहीं मिल रहा था। उसको हमने अपने हाथ में लिया। इसी प्रकार से और दूसरी मिलों के बन्द होने की आशंका थी। मेवाड़ टैक्सटाइल मिल बन्द हो चुकी थी और जिस वक्त हमने टेक-ओवर किया वह पांच महीने से बन्द थी और इसमें डेढ़ हजार के करीब लेबरर्स थे। तो इनके बेकार होने की स्थिति सरकार के सामने आई। हमने भारत सरकार से यह कहा कि इन मिलों को टेक-ओवर कर लिया जावे। उस टेक ओवर करने में भी कितनी अड़चनें आई हमारे सामने, मैं उस सारे विवरण में नहीं जाना चाहता। पर चार महीने तक निरन्तर प्रयत्न करने पर कहीं जाकर सैक्शन १८ ऑफ इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट का नोटिफिकेशन निकाला। उस वक्त भी यह सवाल पैदा हुआ कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल पर तीस लाख का कर्जा और उधर एडवर्ड मिल पर भी कर्जा। इन सारे कर्जों को अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने सिर पर लेती है तो आखिर में उनका पहले पेमेन्ट करना पड़े। जब सोल्वेन्ट पार्टी सामने आती है तो उसी को सब पूछते हैं, दिवालिया को कोई नहीं पूछता। तो ऐसी स्थिति जब हमारे सामने आई तो मैं यह निवेदन करना

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

चाहता हूँ कि उन सब बातों को देख कर भी हमने हिम्मत करके और यह सोच कर कि जो कुछ होने वाला होगा, होगा; पर हमें लेबर के हित के लिये ले लेना चाहिये और उनको एम्पलॉयमेंट देना चाहिये ; यह सोच कर हमने एक निश्चित कदम उठाया और उसका परिणाम आपके सामने मौजूद है ।

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जरूर कहा कि एक बार सरमायेदार को सबक देना चाहिये । इस तरह की इन्डस्ट्री लेकर सरमायेदार अच्छा वक्त जब होता है तो काम करके पैसा ले लेता है और खराब वक्त में ऐसा बताता है कि मिल बन्द हो जावेगी । तो इसलिये सरकार ने यह बहुत अच्छा किया कि सरमायेदारों को चेतावनी दी, सबक दिया कि अगर तुम इनको ठीक तरह नहीं चला सकते तो सरकार उनको अपने हाथ में लेकर ठीक तरह चला सकती है और मजदूरों का भला कर सकती है, उनको एम्पलॉयमेंट दे सकती है और यह राजस्थान के ही हित में नहीं है, राष्ट्र के भी हित में है । तो इस प्रकार के कदम हमने उठाये और इसके जो परिणाम हैं वे सामने आये हैं । यह मैं निवेदन करूंगा कि जो तथ्य उनके सामने हैं उनको देखते हुए, बीकानेर से और श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो फरमाया कि इन मिलों में जब से हमने इनको टेक-ओवर किया एम्पलॉयमेंट कम हुआ और प्रोडक्शन भी कम हुआ, ये सब बातें दुरुस्त नहीं हैं ।

मैं नम्र निवेदन करूंगा और पहले भी निवेदन किया था जब हमने टेक-ओवर किया तो डेफिनिटली मैंने यह बात रखी थी कि हम रेशनेलाइज़ेशन करना चाहते हैं, इसको अत्यन्त आवश्यक समझते हैं, पर इसके साथ में रिट्रेन्चमेंट नहीं करेंगे और किसी लेबर को अनएम्प्लॉयड नहीं रखेंगे । यह निश्चित हमारी नीति थी और इसी का हमने पालन किया । आपकी जानकारी के लिये मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इन मिलों के अन्दर जो कुछ भी लेबर हमें मिली हमने उसको रखा, एक को भी नहीं निकाला । यह जरूर है कि भीलवाड़ा की मिल के बन्द हो जाने से जो वहां के पर्मानेन्ट लेबर थे उनमें से काफी दूसरी जगह चले गये । इसमें कमी हुई है । उनमें से भी जो पीछे आये उनको हमने पीछा एम्प्लॉय कर लिया ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : तीन सौ आदमी आपने कम किये हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नहीं किये, आपकी जानकारी सही नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात कहते हैं । मैं कहता हूँ वे जांच करें, हम बताने को तैयार हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जानना चाहता हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !!

श्री रिखबचन्द धारीवाल : फिगर-वाइज़ मैंने जवाब दिया था उस दिन, आप

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

मौजूद नहीं थे। फिर भी आप जानना चाहें तो फिगर मेरे पास मौजूद हैं। मैं सेटिस्फेक्शन करा सकता हूँ कि दरअसल में ऐसी बात नहीं हुई है। जो पहले पर्मानेन्ट लेबर थी उसमें कमी इस वजह से हुई कि वे बाहर चले गये। फिर भी उनके आने के बाद उनको रख लिया। अगर बाहर से नहीं आते हैं तो पर्मानेन्ट लेबर में कमी होगी। बाकी ऐसा नहीं कि हमने किसी रेशनेलाइज़ेशन या वर्क लोड के रेशनलाइजेशन की वजह से कमी की हो। वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन के अनुसार राजस्थान में लागू करने के लिये वर्क लोड के लिये कमेटी मुकर्रर की। उसने सिफारिश की। इसके बाद में लेबरर्स से बात की, उन्होंने उससे एग्री किया और उनके कहने के अनुसार वर्क लोड को लगाया और उससे जो कमी हुई उनको फिर हमने लगाया दूसरी व तीसरी शिफ्ट में।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसा नहीं है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप तथ्यों को तो सुन लीजिये। फिर नतीजा निकालें, यह दूसरी बात है। इसी तरह एडवर्ड मिल में जैसा ब्यावर वाले माननीय सदस्य ने कहा कि २७ आदमी एक हजार स्पिन्डल पर थे। हमने उनको कहा कि वेज बोर्ड की ये सिफारिशें हैं। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो सरकार भले ही लाखों रुपया लगा दे मिल नहीं चल सकता। हमने भी यही कहा कि अगर चलाना है मिल को तो हमको सब को कोऑपरेट करना पड़ेगा। लेबर ने कहा कोऑपरेट करेंगे, आप टेक–ओवर कर लें, हमारा कोऑपरेशन बराबर मिलेगा। हमने कहा आपके कोऑपरेशन से ही हम चलाना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां की कन्डीशन्स को देखते हुए जो वेज बोर्ड कमेटी ने तजवीज की उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, एक क्लेरिफिकेशन जिस समय आपने टेक–ओवर किया और उनसे बात की उस समय क्या ऐसा एश्योरेन्स दिया गया कि लेबर लॉज़ एप्लाई नहीं किये जावेंगे, यह बताया था क्या आपने उनको ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एक एक चीज का जवाब दूंगा, सब चीजों का जवाब दूंगा मैं।

श्री भैरोंसिंह : एक का ही दे दें। सब का न सही।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सब का दूंगा। मजदूरों ने कहा कि आप जो वर्क लोड वाजिब समझते हैं फिक्स कर दीजिये, हम उसे मान लेंगे, क्योंकि उनका केस ट्रिब्यूनल में भी मौजूद था इसी वर्क लोड के रेशनेलाइजेशन का। फिर भी कहा कि आपसी एग्रीमेंट करके हम भी कारोबार मिल का चलाना चाहते हैं क्योंकि इसमें हमारा ही एम्प्लॉयमेंट का सवाल जुड़ा हुआ है। हमने तय किया। उन्होंने कोऑपरेट किया, बराबर किया। आज दिन तक मिल में किसी भी प्रकार से किसी तरह से इन लेबरर्स और हमारे दरमियान झगड़ा कोई नहीं हुआ, न है; बल्कि हमारे रिलेशन्स बिल्कुल ठीक हैं, वाजिब हैं और हर प्रकार से ऐसे अच्छे

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

रिलेशन्स हैं जो पहले कभी नहीं रहे।

मैं आपसे कह रहा हूँ कि लेबर लॉज़ का सवाल आप करते हैं। आप बता दें किसी लेबर लॉज़ के सिलसिले में, हमने यह भी कहा हो कि हम फलां लेबर लॉज़ की वजह से फलां लेबर के हक को मार देना चाहते हैं ? मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो रिलीफ अन्डरटेकिंग का ऑर्डिनेन्स है २६ दिसम्बर को लागू किया। इसके बाद में हमने किन्हीं लेबर लॉज़, से जो शिड्यूल में हैं एग्जेम्प्ट नहीं किया। पर आपने ऐसी पिक्चर खींची कि मानों हम इस प्रकार से किसी भी मजदूर का गला घोंट देंगे, उनका कत्ल कर देंगे, उनके अधिकारों पर कुठाराघात कर देंगे, उनकी लेबर यूनियन को पनपने नहीं देना चाहते। मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि गवर्नमेन्ट को उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों से लेबर के हित का ज्यादा ध्यान है।

आज मुझे बहुत खुशी है कि श्रीमाधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य लेबर के हित में बात करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बता दें कि इन अण्डर्टेकिंग्स मे किस लेबरर पर किस जगह पर कुठाराघात हुआ........

श्री भैरोंसिंह : कुठाराघात नहीं हो सकता था क्योंकि कानून था और कानून बनने के बाद समय बतायेगा कि आप किस प्रकार की ज्यादती कर रहे हैं, पर अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है कि आपने क्या लेबर को बताया था कि अण्डर्टेकिंग के बाद लेबर लॉज़ एप्लाई नहीं किये जायेंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस किस्म का सवाल उन्होंने पैदा नहीं किया। वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि सरकार हमारे हित में काम कर रही है, सरकार हमारे कहने से अण्डरटेकिंग को ले रही है, सरकार जो कुछ काम करेगी वह हम लोगों के हित में ही करेगी, ऐसा सब जानते थे। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि उस अण्डर्टेकिंग को हमने चलाया, उसमें प्रोफिट करके दिखाया और जो कुछ भी कम्पेन्सेशन उनका वाजिब बनता था पूरा का पूरा उनको दिया, सारी की सारी रकम उनको दी गई, जो क्लोज्ड पीरियड था उसकी भी रकम दी गई; हर प्रकार का जो कुछ बनता था लेबर लॉज़ के अनुसार बराबर उनको दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन सेक्शन १८ के तहत ली गई। इन्डस्ट्रीज़ के ऊपर लागू नहीं होती, लेकिन हम जानते थे कि मजदूरों के हित में कार्यवाही कर रहे हैं और दोनों अण्डर्टेकिंग्ज़ को चला रहे हैं। हमने ६ रुपये के हिसाब से इन्क्रीमेंट दिया और डी० ए० में ५ रुपये ज्यादा मेवाड़ टैक्सटाइल मिल में दिये और अब ५ रुपये ब्यावर मिल को भी देना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि उनके ऊपर कुठाराघात करना चाहते हैं तो आप भी बतायें कि हमने क्या कुठाराघात किया ? वे लोग कुछ बोलते नहीं हैं, उनकी शिकायत नहीं है और ऑर्डिनेन्स जारी होने के बाद एक ने भी शिकायत नहीं की और उधर बैठे हुए माननीय सदस्य जो कि लम्बी चौड़ी बातें करते हैं और यह कहते हैं कि सरकार ऐसा करना चाहती है, वैसा करना

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

चाहती है; पर मैं जानता हूँ कि उनका हित किसमें है और किस तरह से सरकार करना चाहती है ! अगर किसी भी सरमायेदार को गवर्नमेन्ट से मदद दी गई है, अगर वह कोई गलत काम करता है तो इस रिलीफ अण्डरटेकिंग के तहत सरकार बराबर उसको लेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार कभी यह नहीं देख सकती कि किसी प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट लेबर में हो। दरअसल में लेबरर्स को वाजिब तौर पर एम्प्लॉय करना है। अगर कोई गलत रास्ते पर जाता है तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हमारी स्पष्ट नीति है और इसको लेकर हम यह विधेयक लाये हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान में इन्डस्ट्रियलाइजेशन हो। हम चाहते हैं कि लेबरर्स की हर प्रकार से मदद की जाये, चाहे रुपये से की जाय या और तरीके से की जाये; पर वाजिब तौर पर उनकी मदद हो और इस सदन का हर सदस्य यही चाहेगा। लेकिन इस सब के साथ साथ सदस्य यह भी चाहेंगे कि काम ठीक तरह से चले, उनमें गलत बात न हो और इसके अगर आप ऑब्जेक्ट्स में देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से यह है कि सरकार को यह जब विश्वास है कि उसमें अनएम्प्लॉयमेन्ट होनेवाला है और लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिए और उनको इमीजियेट रिलीफ मिलनी चाहिए तो ऐसी undertaking ली जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि रुपया लेकर कोई कह दे कि मैं तो नहीं चालना चाहता मैं। तो श्रीमाधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य की बात को सुनकर बड़ा ताज्जुब करता हूँ और उनके दिमाग की तारीफ करूंगा कि जो बातें उन्होंने की कि सरकार चुनाव के लिए जयपुर उद्योग को ले लेगी....

श्री भैरोंसिंह : ८० लाख की एवज में कुछ लिया है तो जयपुर उद्योग को भी एग्जेम्प्ट करके कुछ लेने की तैयारी जरूर कर रही है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह तो आपने बहुत कुछ कहा है। आपने जो कुछ भी कहा वह गलत साबित हुआ है। आपने जितनी भी बातें कही हैं वे गलत साबित हुई हैं और अब भी गलत साबित होंगी।....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इन पर रहम किया जाये। अब तक ये जागीरदारों की बात करते थे, आज मजदूरों की बात की, इसलिए आप तो अपनी बात करें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं यह निवेदन करूंगा कि श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े जोरों से, बड़े लहजे के साथ और बड़ी अच्छी तरह से अपनी बात कही है और मैंने उनकी बातों को बराबर सुना है तो उनको भी सब के साथ सुनना चाहिए। मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर माननीय सदस्य सब करेंगे तो मैं उनके केस को बिल्कुल इस प्रकार से खत्म करूंगा जो फिर आइन्दा से इस प्रकार की बात नहीं करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : आप भी उनकी बात इस दरमियान में सुनने की कमी रखिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की हाईपोथेटिकल बातों से कोई नतीजा निकलने वाला

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

नहीं है और जो कुछ भी यह रिलीफ अण्डरटेकिंग है उसको गहरी दृष्टि से देखें तो मालूम होगा कि हमने यह सिर्फ मजदूरों के हित के लिए किया है। आपने कहा कि हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में ऐसा कानून नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि बम्बई में ऐसा कानून है। उन्होंने भी ऐसा कानून बनाया है और उन्होंने लेबर लॉज़ हमारे से ज्यादा एग्जेम्प्ट करने का प्रावधान रखा है। मेरे पास में उसकी कॉपी मौजूद है और यदि आप कहेंगे तो आपको दिखा दूंगा और आप सेटिस्फाई हो जायेंगे कि दरअसल में कहां लेबर लॉज़ के एग्जेम्प्शन्स ज्यादा हैं....

श्री मुरलीधर व्यास : टैक्सटाइल के बारे में है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह भी टैक्सटाइल के बारे में लाये। उन्होंने ३ मिलों को अण्डर–टेक किया था। एक तो मधुसुदन मिल, शोलापुर मिल और एक और तीसरी मिल को उन्होंने लिया। इसी कानून के तहत वह तीनों मिलें ली गई। जहां तक इसके ऑब्जेक्ट्स का सवाल है मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि शुरु में ही यह बात लिखी हुई है:"Where the State Government, in order to prevent, or to provide relief against un-employment, starts, takes over, or acquires, or grants any financial assistance to any industry, it is necessary to protect it..."

It starts from that presumption.

श्री भैरोंसिंह : आगे भी पढ़िये क्या लिखा है? "Some retrenchment of labour will also be required." यह भी पढ़िये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहूँगा कि मैं हर बात का जबाब दूंगा और हर दृष्टि से हर पॉइन्ट को कवर करूंगा। ज्यादा समय नहीं है इसलिए जल्दी ही कहना चाहूँगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि यह भी कहा गया कि दरअसल में रेशनलाइजेशन 'नोट एट दी कास्ट ऑफ रिट्रेन्चमेंन्ट' होना चाहिए। यह प्रिन्सिपल बिल्कुल ठीक है। सरकार किसी तरह से भी यह नहीं करेगी, not at the cost of retrenchment of labour. We have not done it and we will not do it. मैं कहूँगा कि रिट्रेन्चमेन्ट करने का सवाल तो वहां पैदा होता है जहां कोई टेम्पोरेरी फेज़ हो, टेम्पोरेरी एम्पलॉयमेन्ट हो और उनमें पांच, सात ऐसे लेबर हों जिनको रिट्रेन्च करना है। आप हिस्ट्री उठा कर देखिये। मेवाड़ टेक्सटाइल और एडवर्ड मिल में ऑर्डिनेन्स लागू करने के बाद कोई रिट्रेन्चमेन्ट हमने नहीं किया क्योंकि उन्होंने खुद ही इसको स्वीकार कर लिया, सारा का सारा एग्रीमेन्ट हो गया, सब कुछ ठीक है फिर क्या ऐसा सवाल आ गया है कि जिसके अन्दर कहा जाये? वह तो इस तरह की बातें हो गई डिटेन्शन एक्ट सिविल लिबर्टी के खिलाफ है; लेकिन इसका दुरुपयोग किया जाय तो और बात है। इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है इन लेबर लॉज में जहां तक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को जो अधिकार दिये हैं उनको यदि हम चाहें तो किसी भी प्रकार से काम में ला सकते हैं।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

लेकिन किस स्टेज पर काम में लायेंगे यह मैं आपको बता देना चाहता हूं । यदि कोई स्टेज या वख्त ऐसा आ जाय जब कि टेम्पोरेरिली करना पड़े तो कर सकें; यदि कोई ऐसा समय आ जाय ...

श्री भैरोंसिंह : अभी तो जरूरत नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज़ !

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वर्क लोड को फिक्स करना और रेशनलाइज़ करना जरूरी होता है । हरेक आदमी जानता है कि यदि इन्डस्ट्री को अच्छी तरह से चलाना है तो रेशनेलाइज करना पड़ेगा। वेज बोर्ड की रिकमेन्डेशन के अनुसार न तो रिट्रेन्चमेंट किया गया और न करना चाहते हैं और सिद्धान्त को मानते हैं । इसमें लिखा है कि रिट्रेन्चमेंट कर दिया जायगा तो चंद बातों में हो सकता है। कोई डेढ़ हजार आदमियों के रिट्रेन्चमेंट का तो सवाल हो नहीं सकता । कहीं २,४ आदमियों को रिट्रेन्च करने का सवाल हो जाय तो रिलीफ अंडरटेकिंग्ज एक्ट बनाने जा रहे हैं तो क्या हम मजदूरों का रिट्रेन्चमेंट करना चाहेंगे ? यह तो इस एक्ट के ही खिलाफ पड़ेगा। वर्क लोड उनको हर प्रकार से राजी करके तय करेंगे। गवर्नमेंट के पास जो इन्डस्ट्रियल अंडरटेकिंग्ज आते हैं और उनमें जो काम किया जाता है वह कम्पनीज किस प्रकार से काम करती हैं उस प्रकार से नहीं है । फैक्ट्रीज़ या मिल्स से हमारा उद्देश्य कमाने का नहीं है क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड में तो इसका पैसा जमा नहीं होता । हमारा मेन फंक्शन यह है कि इस प्रकार की इन्डस्ट्रीज को सोलिड ग्राउन्ड पर खड़ा करें। हमारा मकसद यह था; दरअसल में ये मिलें अच्छी तरह चलें । एडवर्ड मिल को हम रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं, इसको मोडरेनाइज़ करना चाहते हैं । टैक्सटाइल कमिश्नर के पास जाकर एन. आई. सी. सी. में भेजा है । हमारा निश्चित कदम है और निश्चित ध्येय है । हम इनको सोलिड फाउन्डेशन कायम करना चाहते हैं, बट नोट एट दि कोस्ट आॅफ लेबर एट आॅल ।

जो कुछ एप्रिहेन्शन्स किये गये हैं उस सिलसिले में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं जिससे मजदूरों का नुक्सान हो ।

दूसरी बात यह है कि इसमें प्रोविजन है कि जो सूट्स इन्स्टीट्यूट किये गये हैं या आयन्दा किये जायेंगे उनसे भी एग्जेम्पशन दिया जा सकता है । यह बहुत बड़ा सवाल था और इसलिये था कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल पर राजस्थान फाइनेन्स कॉरपोरेशन ने दावा करके डिक्री हासिल की ८ लाख रुपयों की । इसी तरह से दूसरे डिपोजिटर्स भी दावा कर सकते हैं, कइयों की डिक्रियें हो गई हैं, लोगों का पैसा मौजूद था, क्रेडिट पर लोगों ने पैसा दिया था । हमने उनसे कहा कि कुछ कुछ करके आपका रुपया चुकायेंगे, लेकिन आॅल आॅफ ए सडन दरवाजे पर आकर कहो कि पैसा दो तो नहीं दे सकेंगे....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर—सु०) : माननीय उपाध्यक्ष, पूंजीपतियों....

Page No.137

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! ऑर्डर प्लीज़ !!!

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस प्रकार के जो क्रेडिटर्स हैं, जो कुछ हैं उनका भी चुकारा किया है, ऐसी बात नहीं है कि उनको कुछ नहीं दिया हो। आखिर कॉमर्शियल बेसिस पर किसी चीज को चलाना चाहते हैं तो जिनसे माल लेंगे उनको पैसा देना होगा। यदि पैसा नहीं देंगे तो कौन माल देगा ? एप्रिहेन्शन इस बात का किया गया कि लाखों रुपयों का माल ले लें और कहदें कि हम पर दावा नहीं हो सकता। ऐसे एप्रिहेन्शन दिमाग पर होने नहीं चाहिये।

और भी बातें मैं बताऊंगा। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह श्रमिकों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है और पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देना है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूंजीपतियों के ही तो अण्डरटेकिंग्स लिये जायेंगे। जो कुछ इस एक्ट द्वारा कार्यवाही होगी वह पूंजीपतियों के खिलाफ ही तो होगी। इसलिये उनको प्रोत्साहन देने वाली बात कहां रही ? उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं या....

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : उनको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं यही तो दुःख है श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य को।

श्री भैरोंसिंह : उनकी पैरवी करने के लिये तो सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ही बहुत हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The shoe pinches on the other side.

श्री उपाध्यक्ष : I can't say, 'the shoe pinches.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस एक्ट को यहां लागू करके लेबर लॉज़ से एग्जेम्पशन देने का जो सवाल है वह कभी ऐसा मौका आ जाय जब इन दो अंडरटेकिंग्स के अलावा और भी अंडरटेकिंग्स को लेने का विचार करना पड़े, कठिनाई हो और टेम्पोरेरी तौर पर करना पड़े तो किया जा सके। कानून भलाई के लिये हुआ करता है। रिलीफ अंडरटेकिंग लेंगे तो सरमायेदारों से लेंगे, इससे सरमायेदार का कुछ फायदा नहीं हो सकता, जो कुछ फायदा होगा वह श्रमिकों को होगा। इस प्रकार का कानून दूसरी जगह भी मौजूद है। उनसे कहीं कम हमने लेबर लॉज से एग्ज़ेम्शन दिया है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि जिससे श्रमिकों के हित पर कुठाराघात करना चाहते हों। मैं सदन से नम्र निवेदन करूंगा और उसको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार कभी भी, किसी भी प्रकार से लेबर के हितों को दृष्टिकोण में रख कर उन पर कुठाराघात न हो और हर प्रकार से उनको फायदा हो, यही कार्यवाही करेगी। जैसा कि सब को मालूम है ऑर्डिनेन्स लागू करके के बाद सरकार चाहती तो उसी वक्त छंटनी कर सकती थी लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सरकार किसी भी प्रकार से कोई कुठाराघात नहीं करना चाहती है और बिल्कुल ठीक कदम उठाया गया है और ऐसा कानून बनाना आवश्यक है और आगे भी देखना चाहते हैं। यदि

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कोई गलत कदम उठाता है तो सरकार उसे रोकेगी। समाजवाद का यही मतलब है। यदि कोई माननीय सदस्य गलत अर्थ निकालना चाहते हैं तो यह उनकी बुद्धि पर निर्भर है, जैसा चाहें वैसा अर्थ निकाल सकते हैं। मैं सदन से यही निवेदन करूंगा कि न तो मैं इसे प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता हूँ और न इसे जनमत के लिये प्रसारित करने के प्रस्ताव को ही स्वीकार कर सकता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपील की थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर इन अंडरटेकिंग्ज़ के लिये रहेगा उन पर ही छोड़ दिया जायगा, ऐसा प्रोविज़न है; लेकिन मैंने अपील की थी कि वे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं इसलिये इसके बारे में कुछ संशोधन करना चाहिये....

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : जब तक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी नहीं कर दे तब तक नहीं होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नोटिफिकेशन तो अंडरटेकिंग्ज़ के लिये है।

श्री भैरोंसिंह : इन्होंने देखा नहीं है, वैसे ही बोल रहे हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसमें इस प्रकार से लिखा है : "Notwithstanding any law, usage, custom, contract instrument, decree, order, award, submission, settlement, standing order or other provisions whatsoever, the State Government may, by notification in the official Gazette, direct that—

(a) in relation to any relief undertaking and in respect of the period for which the relief undertaking continues as such under sub-section (2) of section 3-

(i) all or any of the laws mentioned in the Schedule to this Act or any provisions thereof shall not apply..."

(७. म० प०)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : The point is this. I differ ..

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : I would like to put the question.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ, माननीय मंत्री महोदय ने कहा खास तौर पर मेवाड़ टैक्सटाइल....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री मुरलीधर व्यास : एक आंकड़ा चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : The chair is on it's legs, you should know this.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने विधेयक को जनमत हेतु प्रसारित करने के लिए प्रस्तुत किया है, उसको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री जगदीश-प्रसाद माथुर....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : मैं वापिस लेना चाहता हूं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : समझ आ गई इनको।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I want to withdraw my motion, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : That automatically goes away. I will put it to an end, because Shri Jagdish Prasad has withdrawn, Mr. Chaudhary is also to withdraw.

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तुत किया था उसको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजमोहनलाल शर्मा।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : मैं भी प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री बृजमोहनलाल शर्मा ने प्रस्तुत

(श्री उपाध्यक्ष)

किया है उसको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर): मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Dayakrishan Vijay.

एक माननीय सदस्य : लॉबी में हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): Let him come...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

जो पक्ष में हां वे हां कहें, जो विपक्ष में हों वे ना कहें।

(नोज़ की आवाज)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : Noes.

श्री उपाध्यक्ष : 'ना' पक्ष जीता।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : वे चूक गये।

श्री उपाध्यक्ष : On the strength of voice, Mr. Bhairon Singh lost himself.

श्री चन्दनमल वैद : His mind is eating circles.

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिया जाय। प्रश्न यह है कि राजस्थान रिलीफ अन्डरटेकिंग (स्पेशल प्रोविज़न्स) बिल, १९६१ विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज़ २

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ ३

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ ४

श्री बृजमोहनलाल शर्मा ।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इनसे पूछ लीजिये कि विथ्ड्रा तो नहीं करेंगे ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : विथ्ड्रा करने की स्थिति हुई तो वह करूंगा....

श्री भैरोंसिंह : फिर मूव क्यों कर रहे हैं ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेन्ट के लिए उसमें दिक्कत पैदा होगी । उसके बाद आप कहेंगे कि मुझे विथ्ड्रॉ करना है तो मैं विथ्ड्रॉ कर लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : विथ्ड्रॉ करने की समस्या है तो आप फेक्चुअल बोलें ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं फेक्चुअल बोलूंगा....

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं निवेदन करना चाहूँगा....

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ? पोइन्ट ऑफ ऑर्डर; निवेदन करें ?

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं निवेदन कर रहा हूँ छोटा सा, संशोधन को वापिस ले लेंगे तो उस पर बहस क्यों की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : कुछ नहीं निकला है पोइन्ट ऑफ ऑर्डर में ।

श्री भैरोंसिंह : अगर विथ्ड्रॉ करने वाले हैं तो समय क्यों खराब किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : I have given him a direction and an indication.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : श्रीमन्, इस क्लॉज़ के मुताबिक यदि कोई भी यूसेज, कस्टम, कॉन्ट्रेक्ट, इन्स्ट्रूमेंट आदि वहां पर आज है तो आगे उसको गवर्नमेन्ट ने एग्जेम्शन दे दिया । उसका परिणाम यह होनेवाला है कि वहां लागू नहीं होगा । इससे सरकार के सामने अभी यह समस्या आ जायगी कि ऑथेराइज्ड़ कन्ट्रोलर ने भीलवाड़ा में सेटलमेंट किया । उस सेटलमेंट के मुताबिक मजदूरों की मंहगाई के अन्दर पांच रुपये की तरक्की दी गई और उसके मुताबिक जो वर्क लोड हुआ है जिसके कारण मजदूरों को ज्यादा काम करना है । अगर आपने सेटलमेंट की धाराओं को ज्यों का त्यों रहने दिया और इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, १९४७ के अन्दर एग्ज़ेम्शन दे दिया तो उसका परिणाम यह होने वाला है कि क्लॉज १८ ऑफ दी इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, १९४७ है उसके मुताबिक सेटलमेंट जो पार्टीज़ करती है, उन पर ही बांइडिंग है, परन्तु इसके साथ ही उसके मुताबिक यह जरूरी है कि उन वर्कर्स के ऊपर सेटलमेंट बांइडिंग है जो पार्टी नहीं थे । अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके मुताबिक यह है कि this settlement is not only binding on those persons who are party to the settlement but on those as well who are not party to it.

Page No.142

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

तो, श्रीमन्, सेटलमेंट जो अभी वहां पर भीलवाड़ा में किया गया है वह एक पार्टी ने किया, आपकी इन्टक संस्था ने किया है। यदि उसको आप चाहें कि सब मजदूरों पर लागू रहे और सेटलमेंट के अन्दर कोई मजदूर गड़बड़ी न कर सके तो यह जरूरी है कि सेक्शन १८ ऑफ दी इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है उसको रहना चाहिये क्योंकि क्लॉज़ ४ के अन्दर इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, १९४७ से एग्जेम्प्शन ग्रान्ट कर दिया, तो क्लॉज़ १८ चला जायगा। वह चला गया तो जो सेटलमेंट हुआ है वह जिन्होंने किया है उन्हीं पर लागू रहेगा दूसरे मजदूरों पर नहीं। इसलिये it will also create a problem for the administrator and it will put him in the wrong Section 18 of the Industrial Dispute Act.........

श्री उपाध्यक्ष : Let the Hon'ble Minister know Section 18.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : It lays down, Sir :

"A settlement arrived at by agreement between the employer and workman otherwise than in the course of conciliation proceeding shall be binding on the parties to the agreement.

An arbitration award which has become enforcable shall be binding on the parties to the agreement who referred the dispute to arbitration.

A settlement arrived at in the course of concliation proceedings under this Act or an award of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal which has become enforceable shall be binding on..."

So this is an admitted posiation that the settlement has been arrived between the Controller and the Unions during the course of the conciliation proceedings and if it was not so, it is not binding on those persons who were not party to it.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री): Ican say this will be more effective in the Edward Mills and...

श्री उपाध्यक्ष : You have actually grasped his point.

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभ नगर–मु०) : जनरल बता रहे हैं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं जनरल बात कह रहा हूँ, वह पोज़ीशन होगी। आप इसको समझ लीजिये, लॉ डिपार्टमेंट से पूछ लीजिये, लेबर डिपार्टमेंट से पूछ लीजिये। I am telling you the correct position of the Law. If the settlement has not been arrived at during the conciliation proccedings, it will not be effective. If it has not been arrived to during the course of conciliation proceedings it will be binding only on those who are party to it. My submission is that if you abrogate the Industrila Disputes Act and if you allow the Clause 4 as it is and if you issue a Notification abrogating the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

the settlement which has been arrived at between the Controller and the Union concerned, will fall to the ground and those workers who are not a party to it will challenge it and the work load that has been accepted by the Union concerned will not be enforcable against those who are no party to it. It will be a problem to the State Government. My submission therefore, is that these three Acts, should be deleted from the Schedule, otherwise, it will create problems for the State Government. I have submitted my amendment that this Schedule should be deleted. So far as the other part of the clause is concerned, a party should be given chance to file suits in respect of those debts or sums which have fallen due after the 1st of April the Date of taking over of the Mills.

श्री उपाध्यक्ष : I have followed the point rightly. I have understood,

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री): Mr. Dy, Speaker, Sir, according to Clause 18......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : हिन्दी में।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं हिन्दी में बोल तो दूंगा पर लेबर लॉज़ इंग्लिश में हैं और अंग्रेजी में माननीय सदस्य बोल चुके हैं.......

श्री उपाध्यक्ष : This is not a controversial issue.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मन्त्री महोदय को बता दिया जाय कि किसी सदस्य की ओर इशारा करके नहीं बतायें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप भी तो इसी तरह बता रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने किस तरह बताया, वह मैंने तो बताया है।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों ओर से गलतियां हो रही हैं, दोनों ओर से अभ्यास है। yes.

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर–सु०): बिना इशारे के जमता नहीं है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं अर्ज कर रहा था कि दफा १८ इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत बात है, वह मैं समझ गया हूँ। इसके लागू होने से सब खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। इसकी दफा ४ है उसमें साफ रखा है and the Government may exempt from the law......

जिसमें कि अगर सरकार चाहे, अगर ऐसी परिस्थितियां हों तो किन्हीं भी लेबर लॉज़ से एग्ज़ेम्प्शन देना या पार्ट ऑफ सच लेबर लॉज़ से एग्ज़ेम्प्शन देना हो तो दे सकते हैं। इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं, न डिलिशन का सवाल पैदा होता है। ऐसी बात हो तो मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा। मैंने पहले भी आश्वासन दिया है और फिर कहना चाहता हूँ कि हम कोई ऐसा

Page No.144

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

काम नहीं करना चाहेंगे कि जिससे जो सेटल-मेंट किया है उसमें कोई दूसरी बात हो सके, रद्द हो सके या इफेक्टिव हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : Whether withdrawing or I should put it to vote?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर): मैं इसको विथड्रा करने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ४ पर श्री बृजमोहन-लाल शर्मा ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४........

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूँ।

(विराम)

क्लॉज़ ४ के सिलसिले में निवेदन है कि मैंने एक संशोधन आपके दफ्तर में सब क्लोज बी. के वास्ते भेजा था वह सर्कुलेट नहीं हुआ है। I have given a notice to the Secretary of the Assembly.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Did you give notice?

श्री उपाध्यक्ष : That is my function, Mr. Chaudhary, I am just enquiring from the Secre-tari at.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I have sent it on 6th.

श्री पी० के० चौधरी : On a point oi Information......

श्री उपाध्यक्ष : For your informtation, it is disallowed.

श्री पी० के० चौधरी : On a point of information, when it was submitted to the Secretariat?

श्री उपाध्यक्ष : Well, this is a question of details which you can know from the office.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : So what about my amendment, Sir?

श्री उपाध्यक्ष : I would invite your attention. When the Chair is on it's legs, there should not be any interruption and specially when the question is being put.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I wanted to know about my amendment......

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आप ऑफिस से मिल लें न ।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ ५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Mr. Dy. Speaker, Sir, I wanted to say one thing that if the Hon'ble Minister agrees, I can move one verbal amendment regarding Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958 that this may be deleted. So if the Hon'ble Minister agrees I may move...

श्री रिखबचंन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री): No, Sir, I don't agree to it. I have already discussed the matter with the Hon'ble member. There is no harm going to be...

श्री उपाध्यक्ष : That is sufficient you are not agreeing.

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

शिड्यूल विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक सुझाव के रूप में यह रखना चाहता हूँ और यदि मन्त्री महोदय उस सुझाव को स्वीकार न करें तो विरोध में यह रखना चाहता हूँ कि इसका नाम राजस्थान रिलीफ अन्डर्टेकिंग्स बिल न रख कर राजस्थान मर्डर ऑफ लेबरर्स एक्ट रख दिया जाय तो अच्छा रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : I thought something serious was coming.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १ प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मन्त्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण किया है उसका सारांश निकलता है कि सरकार की आज की अन्डर्टेकिंग्स हैं उनके सम्बन्ध में लेबर लॉज़ के तहत जो रिलीफ मिलने

Page No.146

(श्री भैरोंसिंह)

वाला है सरकार उसकी इससे कटौती करना नहीं चाहती, खास तौर से अब तक के जो अन्डर्टेकिंग्स हैं उनके अन्दर, अगर रिलीफ में कटौती नहीं करना चाहती तो इस प्रकार का कानून लाने की क्या आवश्यकता थी ?

मन्त्री महोदय का यह कहना कि आज तक नहीं किया, आज तक इसलिये नहीं किया कि विधान सभा में हमारा विरोध होगा, पोइन्ट ऑफ डिस्प्यूट होगा; इससे हाउस में प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे; इसलिये आज तक नहीं किया । अब ऐसी चीज़ हो जाने पर ऑर्डिनेन्स इश्यू नहीं किया जा सकता; क्योंकि इमिजियेट नेसेसिटी हो उस ही सम्बन्ध में ऑर्डिनेन्स इश्यू कर सकते हैं । इमिजि-येट नेसेसिटी तो नहीं; इसलिये ऑर्डिनेन्स इश्यू नहीं कर सकते, पर जिन्होंने विश्वास नहीं दिया था उनको अब इससे लेगी और जिन्होंने विश्वास दिया उनके विश्वास के आधार पर उन्हें सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया और अब उसका दुरुपयोग करके सरकार और उनके बीच जो कॉन्फिडेन्स था उसका सरकार अब ब्रीच करेगी ।

यह कानून लेबर के हितों के खिलाफ है, ह्य ूमन राइट्स के खिलाफ है, वर्ल्ड के जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन्स हैं और जो उनकी नीति है उस नीति के खिलाफ है । इसलिये मैं समझता हूँ कि सरकार चाहे कितने ही आश्वा-सन दे, हमें विश्वास नहीं होता । इससे लेब-रर्स की छंटनी होगी, लेबरर्स का गला घोंटा जायेगा, लेबरर्स की हत्या की जायगी और लेबरर्स के सामने एक आर्थिक संकट पैदा होगा । सरकार इस प्रकार का घोर पाप करने के लिये सदन में अग्रसर हो रही है । लेबरर्स के जितने हितचिन्तक माननीय सदस्य हैं, चाहे वे इधर बैठे हुए हों या उधर बैठे हुए हों, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस पाप में भागीदार न बनें । मैं स्वयं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहता इसलिये विरोधी पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पाप से मुक्त होने के लिये जिस समय इस बिल के पारित करने का मौका आये और वह मौका अब आने वाला है, सदन से वॉक आउट कर जायं । वह मौका अब आ चुका है, इसलिये मैं इस पाप से बचने के लिये वॉक आउट करता हूँ....

[श्री भैरोंसिंह व अन्य विरोधी पक्ष के सदस्यों (दो माननीय सदस्यों के अतिरिक्त) द्वारा बहिर्गमन]

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : विरोधी पक्ष में दो सदस्यों को संबोधित करते हुए) कोई पाप नहीं है । बैठे रहें, बैठे रहें ।

श्री पी० के० चोधरी (फूलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो माननीय मन्त्री महोदय ने एश्योरेन्स दिया है इस कानून का उपयोग मिलों को मॉडरेनाइज़ करने के लिये होगा और लेबर के रिट्रेन्चमेंट में नहीं होने देंगे, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ ।

दूसरी बात उन्होंने कही और सदन को आश्वासन दिया है वह यह है कि शोप्स एण्ड कॉमर्शियल एक्ट को रीपील कर रहे हैं उनके खुद के कोई दूकानें हैं उसके लिए लागू करेंगे बाकी किसी दूकानदार ने कर्जा लिया हो उसके लिए लागू नहीं करेंगे । जन-रली लागू नहीं होगा, इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

(श्री पी० के० चौधरी)

अन्त में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा और वह एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट बात है जिसकी तरफ माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान और सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा और निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करना चाहिये। आज आप जो कानून पास कर रहे हैं उसको पास करने के बाद किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करेंगे? उसका बड़ा भारी असर पड़ेगा और उसका साइकॉलोजिकल इफेक्ट बैंकर्स और जो फाइनेन्शियर्स हैं उन पर हो सकता है। आज जो प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ हैं उनकी केपिटल ज्यादातर लोन पर ही रहती है। It is always the borrowed money with which the industries are run. उनके शेयर्स, जो ऑथेराइज्ड केपिटल होती है उससे १० टाइम्स ज्यादा होते हैं और कहीं कहीं तो १०० टाइम्स ज्यादा होते हैं। वे बैंकों से लोन लेकर काम चलाते हैं। इसलिए आज जो फाइनेन्शियर्स या बैंकर्स हैं उनको अगर हम केअरफुली हैन्डल नहीं करें और यूज नहीं करें तो इसका असर क्या हो सकता है? आज हमने किसी प्राइवेट इन्डस्ट्री को किसी शिड्यूल्ड बैंक से रुपया दिला दिया। मान लें कि उसने उसको १० लाख रुपया दिया। प्राइवेट इन्डस्ट्रीज ऐसी भी हो सकती हैं कि वे उस कारखाने को बन्द करके चले जावें या किसी प्रकार का डिस्प्यूट करा दें। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जावेगा? मान लें कि २५ लाख रुपये उसको कर्जे के रूप में किसी बैंक से लोन दिये गये। वह इस कानून के अन्तर्गत ५ साल तक तो नोन रिकवरेबल रह जाता है, उसके लिए तो यह साइकोलोजिकल इफेक्ट हो सकता है कि पांच साल तक तो चल सकता है। इसके लिए बराबर ध्यान रखना चाहिये। अगर इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम जिस प्रकार नेशनल इन्डस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहते हैं नहीं होगा और largely who have to depend upon the borrowed money short term and long term money etc. either from the Scheduled Bank or from private financiers.' तो इसका कोई साइकॉलोजिकल इफेक्ट नहीं हो जावे कि हम किसी को लोन देते हैं और साल या दो साल बाद उस कम्पनी को किसी कारण से हम रीलिफ अन्डरटेकिंग में ले लेते हैं तो पांच साल तक उसका इफेक्ट रहता है। इसका एडवर्स इफेक्ट फाइनेन्शियर्स और बैंकर्स पर हो सकता है।

एक बात मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे यहां के मार्केट हैं वे सारे के सारे साइकोलोजी पर काम करते हैं। जो मार्केट में अप्स एण्ड डाउन्स इन दी प्राइसेज आती हैं वे सब साइकोलोजी के कारण ही होती हैं। इसलिए इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखना है कि फाइनेन्शियर्स और बैंकर्स जो हैं उन पर असर न हो और प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ के सेट–अप करने के बाद कोई साइकोलोजिकल इफेक्ट न हो। मैं समझता हूँ कि आगे तो ग्रोथ ऑफ इकोनोमी में लोंग टर्म इफेक्ट हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार कार्य करेगी। इन्हीं बातों को बताते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं यही कहूँगा कि राजस्थान सरकार ने इस अन्डरटेकिंग को लेकर बहुत अच्छा

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

काम किया और इस खामी को पूरा किया है । इसलिए मैं राजस्थान सरकार को प्रार्थना करूंगा कि जिन मिलों को चलाते हैं आप एक मोडल एम्पलोयर की तरह चलावें । आप मिल मालिकों को बतावें कि आप एक आदर्श मालिक हैं और आपको सब को सबक देना है । और दूसरों को सबक तभी मिल सकता है जब उनके और हमारे वर्किंग कन्डीशन्स बराबर हों । अगर आप मजदूर कानूनों से छूट देकर मिल चलाना चाहते हैं तो आप इस कानून का लाभ उठा सकते हैं परन्तु हर आदमी यही कहेगा कि आपने क्या किया ? सरकारी मिल में मजदूर सम्बन्धी कानूनों से छूट देकर मिल चलाये । अभी तक आपने एग्जेम्पशन ग्रान्ट नहीं किया, यह अच्छा किया । आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता है । आपको दूसरों को सबक देने की आवश्यकता है । इन सब कानूनों को सरकार ने बनाये हैं । अगर सरकार खुद कानून को नहीं मानेगी तो फिर दूसरे तो कौन मानेंगे ? अगर आप एक्टेन्शन से मिल में काम कराना चाहते हैं तो वह काम सरकार के लिए ठीक नहीं होगा ।

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : बस, ठीक है । सुन ली साहब आपकी प्रार्थना ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें रखी हैं वे महत्वपूर्ण हैं । आपने यह बताया कि सारे ऐसे लोन्स को ग्रान्ट करने में वगैर गारन्टी मिले और अन्डर्टेकिंग मालूम हो जावे तो इसका असर पड़ेगा । ऊंच—नीच और हर बात को ध्यान में रखते हुए जब हम इस एक्ट का प्रयोग करेंगे तो हर प्रकार से विचार करके करेंगे । सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हर किसी को अन्डर्टेकिंग करेगी । यह सिद्धान्त रहना चाहिये कि जो भी मिस-मैनेज करेगा या जो अच्छी तरह से इन्डस्ट्री को नहीं चलावेगा उसको इस एक्ट के अन्तर्गत लिया जावेगा ।

अभी ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसके बारे में मैं उनको बराबर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनको कॉन्फी-डेन्स में लेकर, उनसे बात चीत करके, हम जरूरत समझेंगे कि इसके वगैर काम नहीं चल सकता है लेंगे ।

इसके बाद मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज-स्थान रिलीफ अन्डर्टेकिंग (स्पेशल प्रोविज़न्स) बिल, १९६१ को पारित किया जाए ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

(७.३८. म० प०)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६१

(खण्डशः विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान सेकन्ड्री एज्युकेशन (एमेन्डमेंट) बिल, १९६१ ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सेकन्ड्री एज्युकेशन (एमेन्डमेंट) बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जावे ।

इस सम्बन्ध में दो शब्द बहस हो उसके पहले कह देना चाहता हूँ और वह इस वजह से कि ७॥ का समय हो गया है और सदन को आधा घंटे में दो विधेयक पास करने हैं । मैं सदन के सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आप बाद में जबाब दे दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको पहले ही निवेदन कर लूं ।

श्री भैरोंसिंह : वह निवेदन स्वीकार नहीं है ।

(विराम)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I have got a motion, Sir.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मोशन है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है उसमें यह प्रावधान किया जा रहा है कि हमारा जो सेकन्ड्री एज्युकेशन एक्ट है उसमें तीन साल के लिए तो ऑफिशियल चेयरमैन रखने का प्रावधान रखा था । इस बिल में कर रहे हैं कि तीन साल की अवधि को दो वर्ष के लिए और बढ़ा कर पांच साल कर दिया जाय। एक्ट में प्रावधान था तीन साल के लिए। डाइरेक्टर, एज्युकेशन ही बोर्ड का चेयरमैन रहेगा । इस संशोधन को भी ऑर्डिनेन्स से लागू किया है । मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई एमर्जेन्सी जैसी सिचुएशन नहीं थी जिससे कि ऑर्डिनेन्स निकाला जाता। वे जानते थे कि टर्म एक्सपायर हो रही थी उससे पहले पास कर सकते थे और लास्ट सेशन में भी उसको पास करा सकते थे । इसके लिए ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में कारण बताये गये हैं । हायर सेकन्ड्री स्कूल्स सरकार के हैं, उनकी अच्छी व्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि एक नोन ऑफिशियल चेयरमैन रहे और डाइरेक्टर, एजुकेशन न रहे।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस दलील से सहमत नहीं हूँ । सेकन्डरी एज्युकेशन एक्ट जब पास किया था उस वक्त भी हम जानते थे कि ऑलमोस्ट ९० पर्सेन्ट इन्स्टीट्युशान्स सरकार की हैं और आगे भी होंगी और इसी जानकारी में एक्ट पास किया था । अब कोई आड़ नहीं है कि इसको और किया जाय । सदन ने सोच लिया था कि डाइरेक्टर, एज्युकेशन जो सेकन्डरी एज्युकेशन से सम्बन्धित हैं, जो उनके संचालन के लिए रेस्पोन्सिबल हैं उनकी चेयरमैनशिप में एक नोन ऑफिशियल कमेटी फंक्शन करे वह ज्यादा है, इसलिए उसको पास किया था । अब यह दलील दी है कि डाइरेक्टर, एज्युकेशन को न बनाया जाय और नोन ऑफिशियल को रखा जाय, मैं उसको अच्छा नहीं समझता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय, डिप्टी सेक्रेटरी रखने का भी प्रावधान किया है । मुझे डिप्टी सेक्रेटरी के लिए एतराज नहीं है लेकिन यह तब होना चाहिये जब नोन ऑफिशियल

Page No.150

(श्री पी. के. चौधरी)

चेयरमैन को हटा दें और डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन को बना दें। नोन ऑफिशियल चेयरमैन को सेलेरी, ओनरेरियम कुछ भी हम देते हैं। एक तो होल टाइम नॉन ऑफिशियल चेयरमैन है और दूसरा फिर डिप्टी सेक्रेटरी भी चाहते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी उस कन्डीशन में दें जब कि डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन चेयरमैन हो ताकि होल टाइम वर्क सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को दिया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड के वर्किंग के सम्बन्ध में भी मुझे एक बात कहनी है। यह जो हायर सेकन्डरी एजुकेशन का आइडिया और ख्याल है वह किस प्रकार से आया था? सेकन्डरी एजुकेशन को रिफोर्म करने के लिए एक कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने बनाया और जिसको मुदालियर कमेटी भी कहते हैं। उस कमेटी की यह सिफारिश थी कि सेकन्डरी स्टेज में इस प्रकार का एक कोर्स बना दें कि नोर्मल तौर पर for a normal young man, his education becomes complete as soon as he passes his Secondary Examination. उसके बाद आगे unless he has got special aptitude for higher general education उसके आगे जाने की जरूरत नही है। टैक्निकल लाइन पर वोकेशनल लाइन पर जा सकते हैं। यह मुदालियर कमेटी की रिकमन्डेशन्स थी। और उनके माफिक हायर सेकन्डरी का सिलेबस बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, कि सन् १९५९ में जो पासेज़ की संख्या आई the percentage of passes went down to 33.

हायर सेकन्ड्री बोर्ड के स्कूल्स का जो रिजल्ट था वह ३३ पर्सेन्ट था। तो दिमाग में आया इसको हल कैसे किया जाय? इसको हल करने का तरीका तो यह था कि उनका जो टीचिंग का एरेन्जमेंट था उसको टोन-अप करना चाहिये था, टीचर्स को पुल-अप करना चाहिये था, बैटर क्वालिटी के टीचर्स उसमें अपॉइन्ट करने चाहिये था। ३३ पर्सेन्ट न होकर the percentage of 'passes' should increase. यह नहीं मान सकते कि सारे के सारे बॉयज़ बिलो नोर्मल स्टेज के थे। नोर्मल स्टेज के बोयज़ थे और रिज़ल्ट पुल-डाउन हुआ तो इसमें सिलेबस का दोष नहीं था, लेकिन टीचर्स की गलती थी। Proper type of teachers were not there, that is why the results went down.

लेकिन सेकन्डरी बोर्ड ने क्या किये? उसने सोचा कि यह नहीं होगा। उन्होंने स्टेन्डर्ड को रिलेक्स कर दिया। Committee का view था कि education will be complete in itself at the Secondary Education. किन्तु उसको लोअर करके जो पहले मैट्रिक का स्टेन्डर्ड था उस लेवल पर उसको ले आये। जो नई तरकीब की है वह इस साल चालू है, नये और ओल्ड में। जो क्लास १० का कोर्स होगा जिस सब्जेक्ट का जो पर्चा होगा वही पर्चा हायर सेकन्डरी स्कूल के एग्ज़ामिनेशन का होगा। मैट्रिक में ५ सब्जेक्ट्स लिए हैं तो हायर सेकन्डरी में सात आठ लेने पड़ते हैं। उनके इम्तिहान दो पार्ट में होंगे। एक तो दसवीं क्लास का साथ

(श्री पी. के. चौधरी)

होगा और फिर दूसरे पार्ट में होगा; पर्चे जैसे एम० ए० प्रीवियस में और फाइनल में होते हैं। दोनों का स्टेन्डर्ड बराबर है। लेकिन उसमें होता क्या है कि किसी स्टूडेन्ट को चार पर्चे एम० ए० प्रीवियस में दे दिये और चार पर्चे एम० ए० फाइनल में देने पड़ते हैं, तो इसको भी क्लास १० के बराबर का बना दिया। ओल्ड मैट्रिक है उस बेसिस पर एक बैच पास करेगा और नेक्स्ट साल जाकर इस स्टेन्डर्ड का पर्चा वे पास करेंगे। जो हायर सेकन्डरी एज्युकेशन लाने का आइडिया था to make the education complete at the Higher Secondary stage, स्टेन्डर्ड को लोअर कर दिया। इसलिए बोर्ड के खिलाफ भाषण के जरिये एक स्ट्रिक्चर पास करना चाहिये कि जिस पर्पज़ के लिए हायर सेकन्डरी स्कूल्स इन्ट्रोड्यूस्ड किये गये थे the standard of the syllabus, the standard of the examinations will be a bit higher than the present Matriculation Standard, वह बात रही नहीं। माननीय मंत्री महोदय, खुद जांच कर सकते हैं। क्लास १० के स्टेन्डर्ड का जो पर्चा है वही पर्चा रहेगा। मैं समझता हूँ कि जिस आइडिया को लेकर हायर सेकन्डरी एजुकेशन इन्ट्रोड्यूस किया गया था और उसके लिए कन्वर्शन का प्रश्न आता है थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स का....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, दूसरे बिल लाये जावेंगे उसके लिए क्या टाइम रहेगा ?

श्री पी० के० चौधरी : I am just finishing in a minute.

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि....

श्री पी० के० चौधरी : I am just concluding.

तो सेकन्डरी बोर्ड ने क्या ऑब्जेक्टिव था उसको ध्यान में नहीं रखा और स्टेन्डर्ड को लो कर दिया। इसलिए उसके खिलाफ हाउस स्ट्रेक्चर पास करे कि जिस मकसद के लिए इसको इन्ट्रोड्यूस किया था वह फुलफिल नहीं हुआ और स्टेन्डर्ड लोअर हुआ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : मैं अपना मोशन मूव करना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं भी अपने प्रस्ताव को रखना नहीं चाहता।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पास किया जा रहा है वह हायर सेकन्डरी एज्युकेशन के संबन्ध में है।

श्री उपाध्यक्ष : I expect the Hon'-

(श्री उपाध्यक्ष)

ble Members to co-operate in a way that the business may be disposed of to-day.

श्री भैरोंसिह : Within two or three minutes, Sir.

हायर सेकन्डरी एजुकेशन का जिस प्रकार का स्टैंडर्ड है मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि इसका स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। यह इस बात से स्पष्ट विदित है कि पिछले साल जिन जिन स्कूलों के विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे उनमें से कई स्कूलों में सेन्ट पर्सेन्ट छात्र फेल्योर्स रहे हैं, एक लड़का भी पास नहीं हो सका है। इतना सा ही मैं कहना चाहता हूँ इस विषय में, समय के अभाव के कारण।

उपाध्यक्ष महोदय, हायर सेकन्डरी एज्युकेशन के स्टैंडर्ड के बारे में राज्य के सबसे उच्च व्यक्ति हैं उन्होंने अभी अभी अजमेर में २१ फरवरी को भाषण देते हुए कहा था कि राजस्थान में हायर सेकन्डरी एज्युकेशन का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ वह इस बात के लिये पर्याप्त है कि हमारा इस विषय में स्टैंडर्ड किस प्रकार का है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जिन बोर्ड के चेयरमैन के बारे में अवधि बढ़ाने का प्रावधान इस बिल में किया गया है मैं उनकी योग्यता के विषय में ज्यादा न कह कर इतना ही कहना चाहता हूँ कि ८ सितम्बर, १६६० को उनका टर्म खत्म होने वाला था और ८ सितम्बर को हमारी विधान सभा की बैठक हुई थी उस समय भी उनके टर्म के एक्सटेन्शन के बारे में वे प्रस्ताव भिजवा सकते थे; लेकिन उनको यह पता नहीं कि उनकी कितने अर्से के लिये नियुक्ति हुई और वह टर्म कब खत्म होती है। सरकार को उन्होंने समय पर सूचना नहीं दी। सरकार को मालूम होना चाहिये, यह दूसरी बात है।

एक माननीय सदस्य : सरकार पूछे जब देते।

श्री भैरोंसिह : यह निवेदन करना चाहता हूँ, इस बात से इतनी जानकारी मिल सकती है कि उनकी किस प्रकार की क्या क्वालिफिकेशन्स हैं।

तीसरी बात क्वालिफिकेशन के साथ साथ हमें यह भी विचार करना होगा कि ये कुछ समय तक राजस्थान युनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रह जाता है उसको किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट एम्पलॉयमेन्ट नहीं मिल सकता। इस सम्बन्ध में संविधान की धारा ३१६ है, उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसके पार्ट (b) में लिखा है:

"(b) the Chairman of a State Public Service Commission shall be eligible for appointment as the Chairman or any other member of the Union Public Service Commision or as the Chairman of any ather State Public Service Commission, but not for any other employment either

(श्री भैरोंसिंह)

under the Government of India or under the Government of a State." ऐसी स्थिति में श्री मदन मोहनवर्मा, को जो कि आज इस बोर्ड के चेयरमैन हैं वे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं इसलिये उनको गवर्नमेंटके किसी एम्पलॉय-मेंट में नहीं लिया जा सकता। अगर जान-कारी मिलने के बाद भी एम्पलॉयमेन्ट में रखा जाता है तो मैं समझता हूँ कि यह कानून सम्मत नहीं है और स्पष्ट तौर से संविधान का उल्लंघन करता है। इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको इस विषय की जानकारी नहीं है, अपने लॉ डिपार्टमेंट ने जो ओपीनियन दी है उसके अनुसार जो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रह चुका है वह हायर सेकन्ड्री बोर्ड का चेयरमैन नहीं हो सकता, यह उसकी राय है। यह उनका एक प्रकार से एम्पलॉयमेंट है। इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। संविधान के बनाने वाले, संविधान के इस पार्ट पर जब कॉन्स्टिट्युएन्ट असेम्बली में वाद-विवाद हुआ था उस समय संविधान के निर्माता डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने इस बात की ओर संकेत किया था, चाहे इसमें वर्डिंग्स किसी प्रकार के रखे जायं, कोई इस प्रकार का एम्पलॉयमेन्ट जिसमें ओब्लाइज करने के चान्सेज़ हो सकते हैं, इन हेरेन्ट एडवान्टेजेज़ हैं, अलाउन्स के जरिये या तनख्वाह के जरिये या किसी प्रकार के प्रिविलेजेज़ हैं ऐसी जगहों पर किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को नियुक्त नहीं किया जा सकता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : बोर्ड तो एक अलग बोडी है उसमें गवर्नमेन्ट अपॉइन्टमेन्ट कैसे माना जायगा ?

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती है। उनके अपॉइन्टमेन्ट के पीछे कुछ प्रिविलेजेज़ हैं, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइन्टमेंट किया गया है इसलिये वे प्रिविलेजेज पाने के अधिकारी हैं। उनका चुनाव नहीं हुआ है, उनका खास जगह के लिये ऑर्डर्स निकाल कर अपॉइन्टमेंट किया गया है। ऐसी स्थिति में उनका एक्सटेन्शन अनकॉन्स्टिट्युशनल है। उनके रहते शिक्षण संस्थाओं की अवस्था में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। इनके लिये जो ऑर्डिनेन्स इश्यू किया गया है वह भी उचित नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : गवर्नमेंट का अपॉइन्टमेन्ट कैसे है ? गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की डेफिनिशन में किस प्रकार से आते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : यह गवर्नमेंट सर्वेन्ट की डेफिनेशन में इस तरह से आते हैं कि इनका एम्पलॉयमेन्ट गवर्नमेंट के अपॉइन्टमेन्ट लेटर द्वारा किया गया है। इसको एम्पलॉयमेन्ट की संज्ञा दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार इस प्रकार का एक्सटेन्शन उनको न दिया जाय और अगर दिया जाता है तो यह संवि-धान का उल्लंघन होगा। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के जरिये जैसा कि मैंने निवेदन किया सेकन्डरी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

एज्युकेशन एक्ट की दो धाराओं में अमेंडमेन्ट करने के लिये लाया गया है। पहले इसके लिये ऑर्डिनेन्स जारी किया गया था उसको रिप्लेस करने के लिये यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने दोनों क्लॉजेज़ के बारे में अमेन्डमेन्ट रखते हुए कहा है कि इसमें डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट का होता तो मुझे कोई एतराज नहीं था, तीन साल से पांच साल करने में भी कोई एतराज नहीं होता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : होना तो डाइरेक्टर चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बाद यह भी कहा कि जिस तरह से तीन साल से पांच साल किया है और जिस आदमी को रखने की बात है उस पर उनको एतराज है। श्री-माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिल के दोनों क्लॉजेज़ पर यह राय व्यक्त की कि मौजूदा जो चेयरमैन है उसका जो अपॉइन्टमेन्ट है वह अवैधानिक है। इस मुद्दे को वे कई दफा सदन में उठा चुके हैं और जिसके बारे में हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने जो शिक्षा मंत्री भी हैं इसका जवाब दिया है। इस सारी कानूनी पोज़ीशन को एग्ज़ामिन करके एक योग्य आदमी को सेकेन्डरी एज्युकेशन बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे इस बात को कई दफा कह चुके हैं। इसी प्रकार से अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। यह सारे पोइन्ट ऑफ व्यू से एग्ज़ामिन करवा कर कानूनी सलाह लेकर ही उनको रखा गया है। इसी एक पॉइन्ट को बार बार कहने से कोई मकसद हल नहीं होता है। एक काबिल आदमी हैं जिनको इस पद के लिये सरकार ने योग्य समझा उनको अपॉइन्ट किया जाता है तो आपको एतराज नहीं होना चाहिये। उनका काम सन्तोषजनक है। वे ठीक ढंग से इस पद पर कार्य कर रहे हैं।

दूसरी बात डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन के लिये जो कही गई है कि इनको तीन साल के बाद नियुक्त किया जाना चाहिये। सरकार मानती है कि डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन जिसका इस विभाग से सीधा ताल्लुक रहता है सेकन्डरी बोर्ड के अफेयर्स का उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। वह सरकार अभी आई, ऐसा महसूस नहीं करती है। डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन स्वयं इस विभाग को संभालते हैं। वे सीधे बोर्ड का चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन सरकार अभी वह स्टेज आई है, ऐसा महसूस नहीं करती है। सरकार द्वारा नोमिनेटेड चेयरमैन है जिसके लिये तीन साल का समय रखा था वह कम था; अतः उसको पांच साल किया जाय, यह सरकार आवश्यक समझती है। सरकार इस दृष्टिकोण से महसूस करती है कि जिन चीजों का अभी आना उपयुक्त नहीं, जो स्टेंडर्ड हायर सेकेन्डरी एज्युकेशन का है उसमें कुछ सुधार होना चाहिये। यह ठीक है कि इतना ऊंचा स्टेन्डर्ड होने के कारण अधिक लड़के फैल होते हैं। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं, इस पर बोर्ड को काफी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अब इस कार्य के लिये एक डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट भी क्रिएट की गई है। पहले केवल असिस्टेन्ट सेक्रेटरी आदि ही रहते थे, अब एक डिप्टी सेक्रेटरी और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दिया गया ताकि वह एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को टीक ढंग से देख सके। चेयरमैन का जहां तक ताल्लुक है, एक काबिल आदमी है, योग्य आदमी है, इसमें सुधार के दृष्टिकोण से उनका रहना आवश्यक है और समय खत्म हो गया इसलिये ऑर्डिनेन्स द्वारा उनके समय को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। उसी ऑर्डिनेन्स को रिलेस करने के लिये यह बिल सदन में लाया गया है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह कानून बहुत सीधा सा कानून है, इसे पास किया जाना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये प्रस्तुत किया उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I withdrawmy amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज़ २

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : I rise to oppose clause 2, Sir.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : Yes.

श्री उपाध्यक्ष : I rise to request the Hon'ble member that we have only 10 minutes at our disposal.

श्री रामचन्द्र : Only five minutes will be sufficient.

श्री उपाध्यक्ष : It is for the Hon'-ble member. I will not curtail their rights.

श्री रामचन्द्र : I want to point out one thing which is very important.

श्री उपाध्यक्ष : It can be pointed out in two minutes also.

श्री रामचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ दो के द्वारा चेयरमैन का पीरियड तीन साल से ५ साल तक बढ़ाने का प्रोविज़न रखा गया है। मैं हाउस से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कि हायर सेकन्डरी बोर्ड का कानून बनाया गया उस वक्त यह सवाल आया था कि इस बोर्ड के चेयरमैन डाइरेक्टर होने चाहिये। पर यह उस वक्त दिक्कत महसूस हुई कि डाइरेक्टर ऑलरेडी एजुकेशन विभाग की हाईएस्ट ऑथोरिटी है।

(श्री रामचन्द्र)

उसको अपने ही काम में इतना लगा रहना पड़ता है कि बोर्ड के निर्माण और चलाने की व्यवस्था करने में इतना समय नहीं दे सकेगा इसलिये तीन साल के लिये चेयरमैन दूसरा व्यक्ति बना लिया जावे। तीन साल गुजर गये। अब यहां पर एम्स और ऑब्जेक्ट्स में यह बतलाया गया है :

"The Board is still in it's formative stage. The bulk of Higher Secondary Schools of Rajasthan are Government institutions, the condition of which require a good deal of improvement." ये हायर सेकन्ड्री स्कूलें ज्यादातर गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं और इनके इम्प्रूवमेंट की बहुत आवश्यकता है। मैं अब जानना चाहता हूँ कि यह इम्प्रूवमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? एक बोर्ड है यह, दूसरा राजस्थान का एजुकेशन विभाग है। हायर सेकन्ड्री एजुकेशन बोर्ड का काम यह है कि हायर सेकन्ड्री एजुकेशन की प्रणाली को ठीक ठाक करना। इसके लिये सिलेबस बनाना और इसके इम्तिहान कन्डक्ट करना और यह देखना कि जिस मतलब से यह हायर सेकन्ड्री एजुकेशन की प्रणाली निकाली गई है वह बराबर काम कर रही है या नहीं।

रहा हायर सेकन्ड्री स्कूलों को इम्प्रूव करना। यह डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन का काम है। अगर इनमें इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं तो यह जिम्मेदारी डाइरेक्टर की है न कि चेयरमैन की। इसलिये यह मानकर चलना कि चेयरमैन जो रखा जाता है स्कूलों के इम्प्रूवमेंट के लिये रखा जाता है, ठीक नहीं है। यह जिम्मेदारी तो डाइरेक्टर की है, चेयरमैन की नहीं। इसलिये यह विधान रख देना कि क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है इसलिये डाइरेक्टर को नहीं रखना चाहिये, तो मैं निवेदन करूंगा कि इस वक्त यह जो इम्प्रूवमेंट का प्रश्न चल रहा है और हायर सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड की जो व्यवस्था चल रही है अगर यही व्यवस्था चालू रही तो मैं कहूँगा कि पांच साल नहीं, शायद दस साल तक भी यह पीरियड आपको एक्सटेन्ड करना पड़ेगा।

आज हम देखते हैं कि स्कूलों में अध्यापकों का इतना अभाव है और उस पर भी ट्रान्सफर इतने जल्दी जल्दी होते हैं कि ज्यादातर लड़कों का समय यों ही जाता है और हायर सेकन्ड्री स्कूल की एज्युकेशन की जो टोन या भावना चाह रहे हैं वह नहीं बन रही है। इसलिये निवेदन करूंगा कि यह डाइरेक्टर का काम था। इसलिये इस पीरियड को तीन से पांच साल तक बढ़ाना उचित नहीं मालूम पड़ता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन सेकन्ड्री स्कूलों के इम्प्रूवमेंट की व्यवस्था जल्दी हो जानी चाहिये और शायद सरकार इस वक्त किसी वजह से यह पीरियड और बढ़ा रही है तो आइन्दा इसको बढ़ाने के लिये सरकार फिर सदन में इस प्रकार का अमेंडमेंट नहीं लावेगी, यह आश्वासन दिया जाना जरूरी है। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister. Not replying ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ दो विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १, टाइटल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेकन्डरी एजुकेशन (संशोधन) बिल, १६६१ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

पाली नगरपालिका के प्रशासक की नियुक्ति (वैधकरण) विधेयक, १६६१

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

दी पाली म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्टमेंट (वेलिडेशन) बिल, १६६१।

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पाली म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्टमेंट (वेलिडेशन) बिल, १६६१ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर को मुकर्रर करने में सरकार को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है और इसलिये मैं चाहता हूं कि रूल ६१ ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अनुसार "A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular

(श्री मूलचन्द डागा)

attention to the clauses involving expenditure ..."

फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम भी बिल के साथ रखना चाहिये। किन्तु माननीय सदस्य ने न तो मेरी समझ में फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम ही इसके साथ नत्थी किया है और न स्वीकर की....

(विराम)

तो मैं समझता हूं कि यह बिल तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि ये दो बातें पूरी नहीं कर दी जातीं।

श्री उपाध्यक्ष : (मन्त्री महोदय से) Yes.

श्री सम्पतराम : जो एडमिनिस्ट्रेटर बनता है उसमें वन फिफ्थ पे दी जाती है। अगर मान लीजिये सब्स्टेन्टिव ड्युटीज़ हैं, इसके अलावा वह पेमेन्ट बोर्ड से होता है इसलिये फाइनेन्सिंग की तारीफ में यह नहीं आता।

श्री भैरोंसिंह : और यह भी है कि यह ऑर्डिनेन्स को रिपील कर रहा है। उस स्थिति में फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, proceed on. The point of order is not taken up.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे।

डॉ० बहादुरसिंह : समय का थोड़ा ध्यान रखा जावे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : समय थोड़ा दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आधा घण्टा और दिया जावे ?

(स्वीकृत)

Motion accepted. Half an hour. Yes, proceed on.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: जब वर्तमान मन्त्री महोदय ने इस विभाग को सम्भाला था तो ऐसा सोचा गया था कि वे वर्तमान में इसकी जितनी गड़बड़ियां हैं दूर कर सकेंगे, पर पिछले सदन से अब तक का हमारा अनुभव रहा है कि वे इनको दूर नहीं कर सके हैं। पिछले सदन में जयपुर नगरपालिका की अवधि बढ़ाने की मांग की थी और उस समय मन्त्री ने कहा था कि आगे अच्छी व्यवस्था करेंगे कि सारी नगरपालिकाओं की व्यवस्था ठीक हो जावे, सबके चुनाव हो जावें। पर जिस तरह से बहुतों के चुनाव टाले हैं और इसकी मयाद बढ़ाई है वैसे कहीं जयपुर नगरपालिका के चुनाव को बढ़ावेंगे ऐसा लगता है और जयपुर नगरपालिका के चुनाव कराने के सम्बन्ध में किसी भी तरह का आश्वासन देने की अवस्था में आज भी वे दिखाई नहीं देते हैं।

(८ म० प०)

इस पाली नगरपालिका में एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइन्ट हुए दो साल हो गए और

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

उसकी नियुक्ति वहां फरवरी १६५६ में की गई थी। आज दो साल हो गए लेकिन आज तक मंत्री महोदय वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं कि वहां पर चुनाव कराये जा सकें, इसलिए माननीय मंत्री महोदय अवधि बढ़ाते जा रहे हैं। इस विधेयक के जरिये) प्रशाशक की अवधि)अनिश्चित समय तक बढ़ाई जा सकेगी और कोई चुनाव कराने की मन्शा नहीं है इसलिए यह विधेयक बिल्कुल ही अप्रजातांत्रिक है। इसके बाद, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पाली नगरपालिका के चुनाव क्यों अवैध हुए ? यह कोई पाली की ही बात नहीं है; रतनगढ़, गंगानगर और कोटा में भी ऐसे उदाहरण उपस्थित हैं। यहां सब जो भी हुआ और चुनाव नहीं हो सके, वे इसलिए नहीं हो सके कि वहां पर सब जगह सरकारी अधिकारियों की गल्ती थी। पूरी की पूरी नगरपालिका के चुनाव अवैध हो जाते हैं और हमारी सरकार ऐसे अधिकारियों को प्रोटेक्शन देती है। तो जिन अधिकारियों की गल्ती के कारण पूरी की पूरी नगरपालिका के चुनाव भंग हो जाते हैं और हाईकोर्ट उनको रद्द कर देता है तो इस प्रकार के जो अयोग्य अधिकारी हैं उनके खिलाफ सरकार को कदम उठाना चाहिए। इस प्रकार से प्रजातंत्र के अन्दर लोग चुनाव लड़ें, अपने पैसे खर्च करें और सारी नगरपालिका बन जाती है और फिर कोई भी आदमी हाई कोर्ट में जाता है और वहां से चुनाव अवैध घोषित हो जाते हैं। पाली नगरपालिका में भी यही हुआ और पाली से आने वाले माननीय सदस्य बोलेंगे उसके वे अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन हाईकोर्ट ने उनको अवैध घोषित कर दिया। इसलिए सरकार को चाहिए कि उन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करे कि जिनकी गल्ती के कारण चुनाव रद्द हुए हैं। मेरे ख्याल से उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है और इस प्रकार के जो विधेयक हैं मैं सदन से निवेदन करूंगा कि ऐसे विधेयक को तुरन्त अस्वीकार कर दें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, every thing is well that ends well .....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय विधान सभा की कार्य संचालन की नियमावली के अनुसार कोई भी ऐसा सदस्य जिसका किसी मामले में कोई इन्ट्रेस्ट हो वह कोई भाषण नहीं दे सकता है। हाईकोर्ट ने वहां के चुनाव अवैध घोषित कर दिए और पाली में एडमिनिस्ट्रेटर क्यों अपोइन्ट हुआ, उसका कारण था कि माननीय सदस्य जो भाषण देने वाले हैं इनको इनकॉम्पीटेन्ट डिक्लेयर किया था। जिस व्यक्ति को इन्कॉम्पीटेन्ट डिक्लेयर किया वह अपनी कॉम्पीटेन्स को हाउस में बताने के लिए या इन्कॉम्पीटेन्सी के अगेन्स्ट में कहने के लिए हाउस के फ्लोर को काम में लाना चाहते हैं। तो जो व्यक्तिगत चोट हुई है उसको वे सदन में वकालत नहीं कर सकते, मैं इस सम्बन्ध में आपकी रूलिंग चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : रूल कौन सा है, जिसको आप साइट कर रहे हैं, Which is that rule ?

श्री भैरोंसिंह : वह तो मुझे मालूम नहीं है इस समय, मैं देख कर बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Till then I will

Page No.160

(श्री उपाध्यक्ष)

allow the Hon'ble member, and then I will give the decision.

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जिन सदस्य ने पॉइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है, या तो वे कानून से ज्यादा जानकारी रखते हैं या यह समझना चाहिए कि उनको कानून की शुरुआत ही मालूम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर आपने किस रूल के अण्डर में उठाया है ?

श्री भैरोंसिंह : वह मैं बता रहा हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह कह रहा था कि 'everything is well that ends well.'

आज आखिरी समय में हम इस बिल को पारित करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि यह पाली का ही मसला नहीं है। यह मसला राजस्थान के एक करोड़ और कुछ लोगों का है और यह हर विधान सभाई का कर्तव्य है कि वह इसका विरोध करे और डटकर विरोध करे कि स्वायत्त शासन की इकाइयों पर इस प्रकार से कुठाराघात किया जाता है तो यह हमारे लिए शोभा की बात नहीं है। यह सवाल पाली नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का सवाल नहीं है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि यह सवाल है हमारी नीति का, हमारे काम करने के तरीकों का। यह सवाल है हमारी स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं उनको कुचलने का....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Daga, we have only 10 minutes at our disposal, whereas it is all to be disposed of.

श्री मूलचन्द डागा : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहता हूँ कि हमारी एग्ज़िस्टेन्स ही नहीं होती अगर स्वायत्त शासन के अधिकारों को कुचलने के लिए इस प्रकार के विधेयक पास करें। इस सम्बन्ध में बताया कि हमारे हाईकोर्ट ने कोई स्ट्रिक्चर पास किया है....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हाईकोर्ट ने कोई स्ट्रिक्चर पास नहीं किया।

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझता हूँ आपने पढ़ने की कोशिश नहीं की होगी। मेरे पास जजमेन्ट है और वह जजमेन्ट पूरे ४० पेज का है और जनवरी १९६० के ए० आइ० आर० में निकला है।

उपाध्यक्ष महोदय, ये चुनाव हमारी अयोग्यता से अवैध घोषित किये गये। हमने यह कहा कि हमारा जो कानून बना हुआ था कि 'एज़ अर्ली एज़ पोसीबल' उन चुनावों को वापिस कराये जायें। सवाल यहां पाली, रतनगढ़ या चूरू का नहीं है, सवाल है अधिकारों से वंचित करने की रीति—नीति का और उस पर मेरा हमला है। सिद्धान्ततः यह पाली का सवाल नहीं है। यह तो मंत्री महोदय स्वयं हिचकिचायेंगे, उनके दिमाग में नक्शा आयेगा कि समय नहीं था। लेकिन यह गल्ती नहीं है, कानून को बिल्कुल बलाये ताक रख देना है। मैं थोड़े से समय में बताना चाहता हूँ कि १९५१ में जब राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट लागू था उस समय यह था कि इन चुनावों को जल्दी ही कराना चाहिए। जब इनके पास सूची भी तैयार थी और काम भी कुछ नहीं करना था, सिर्फ यह

(श्री मूलचन्द डागा)

करना था कि यह क्षेत्र म्युनिसिपल एरिया में घोषित करते हैं। उम्मीद यह थी कि दो—तीन महीने में ही चुनाव हो जायेंगे लेकिन १५ हजार रुपये उस चुनाव में खर्च हुए और ५७ पर्सेंट या ६० पर्सेंट वोट उसमें गिरे और केवल एक काम के लिए उस समय उसको म्युनिसिपल एरिया डिक्लेयर नहीं किया और कहा कि नया एक्ट फोर्स में आ रहा है तो चुनाव करायेंगे। जब नया एक्ट फोर्स में आ गया तो उसमें था कि ६ महीने से ज्यादा समय के लिए सुपरसीड नहीं किया जाये। लेकिन इन्होंने ६ महीने की परवाह नहीं की और उसमें यह किया कि जो सेक्शन २६५ था उसमें यह था कि, "If at any time the Government is satisfied that a Board is not competent to perform or persistently makes default in the performance of duties the State Government may.. .. (b) supersede it for a period, not exceeding six months" यानी ६ महीने नहीं करके यह किया कि सेक्शन ११ के अन्दर यह प्रोवीज़न दिया है कि एक साल ज्यादा से ज्यादा रखा जाये ".. exept as provided in Section 295...there shall be a general election under section 11 on such date or dates specified by the Government" फिर सेक्शन ११ में यह है:

Except as provided in section 295, every Board shall continue for three years from the date of the first meeting thereof:

Provided that the State Government may, by order published in the official Gazette, extend the term of a board from time to time so that the total extension does not in the aggregate exceed one year."

लेकिन क्या हुआ कि फरवरी के बाद जुलाई में हाईकोर्ट के द्वारा घोषित किया और उसके बाद २ साल तक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर रहा। मुझे इसकी आपत्ति यों है कि स्वायत्त शासन की इकाइयां जब चलती हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया जाता है और जहां कहीं भी होता है वहां एस० डी० ओ० को मुकर्रर करते हैं जो कि इतना बिज़ी आदमी होता है कि उसको बहुत दौरे करने पड़ते हैं और हैडक्वार्टर्स पर एस० डी० ओ० को मुकर्रर कर देते हैं। पाली जहां की म्युनिसिपैलिटी का सालाना बजट ३ लाख का बनता है उस बजट को हैंडल करने के लिए ७५ रुपये के लाभवश उसको वहां रख देते हैं।

म्युनिसिपैलिटी के हर मामले में एस०-डी० ओ० को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना और वह भी लम्बे अर्से के लिये मुकर्रर करना उचित नहीं है। वह म्युनिसिपैलिटी के काम की तरफ ध्यान नहीं दे सकता है क्योंकि उसके पास उस-जिले का और भी बहुत सा काम रहता है। उससे यह आशा करना कि म्युनिसिपैलिटी के काम को अच्छी तरह से देख सकेगा भूल करना है। और हम तीन—तीन साल तक एडमिनिस्ट्रेटर चलाते आते हैं जब कि कानून में यह लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने के तुरन्त बाद ही चुनाव होगा। पर हम कर क्या रहे हैं, सवाल यह है। समय नहीं है, नहीं तो बताता कि क्या क्या गड़बड़ियें हो रही हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट चलाने से पहले यह हिम्मत रखनी चाहिये कि तुरन्त ही चुनाव करा सकें और कलेक्टर्स को हुक्म निकालना चाहिये कि निश्चितसमय

(श्री मूलचन्द डागा)

पर चुनाव होगा। केरल की विधान सभा का चुनाव हो गया, इन्डिया गवर्नमेन्ट ने वहां पर तुरन्त चुनाव करा दिया, लेकिन पाली म्युनिसिपैलिटी का चुनाव राजस्थान सरकार नहीं करा सकती। वहां के नागरिकों को दो साल से उनके नागरिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। यह कानून की अवहेलना करने का सवाल है, गवर्नमेन्ट मशीनरी की सुस्ती और ढिलाई का प्रश्न है, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रश्न है। इस प्रकार की ढिलाई करने के कारण ही बाहर कई देशों में तानाशाही हुकूमत कायम हो गई, शुक्र है कि हिन्दुस्तान में नहीं हुई। बिल पारित करने के लिये कुछ भी रखें, लेकिन भविष्य के लिये आगाह करना चाहता हूँ नम्रतापूर्वक कि गवर्नमेन्ट इस बात को महसूस करे कि जहां स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं वहां इस प्रकार की बात न हो और जल्दी से जल्दी चुनाव किया जायगा, ऐसी व्यवस्था की जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पाली म्युनिसिपैलिटी प्रशासक नियुक्ति (वैधकरण) बिल है उसको प्रवर समिति में भेजने का मैंने प्रस्ताव किया है। मैं भी पूर्व वक्ता के स्वर में स्वर मिला कर निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मसला केवल पाली का नहीं है बल्कि समस्त राजस्थान का है। यह प्रश्न बार बार क्यों खड़ा होता है और क्यों बार बार एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने पड़ते हैं और जहां जहां नगरपालिका के चुनाव होते हैं वहां कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी होते हैं और वे दूसरे अधिकारी को मुकर्रर कर देते हैं और ये लोग कानून देखने की कोशिश नहीं करते हैं और काम करने चले आते हैं। उनको कार्यक्रम की व्यवस्था करना भी नहीं आता। मैं आपके सामने उदाहरण दूंगा। कोटा में चुनाव हुए और इस प्रकार की गल्तियें रखीं वार्ड्स बनाने में, वोटर्स लिस्ट बनाने में। किसी एक वार्ड में रहने वाला वोटर दूसरे वार्ड की लिस्ट में चला गया, कहीं पर दोनों वार्ड्स में एक ही व्यक्ति का नाम इन्क्ल्यूड कर लिया। दो वोटर्स का विवाद खड़ा हुआ। नतीजा यह हुआ कि मसला चल रहा है हाई कोर्ट में। पहले दो गांव मिले हुए थे। राजस्थान सरकार ने बताया कि हमने एक एक गांव निकाल दिया। केस हाई कोर्ट में पैंडिंग है और यहां सरकार ऑर्डर निकालती है कि ये गांव निकाल दिये जायं। गांव पहले ही निकाल देते हैं और बाद में हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है। यह सब इसलिये किया जाता है कि यदि विरोधी दल जीत जाय तो वे चुनाव को गलत बता दें, ताकि वे सेवा नहीं कर सकें....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : कोटा में विरोधी दल नहीं जीता है तो कौनसा दल जीता है, यह बता दीजिये।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह तो मैं बता ही रहा हूँ। जयपुर में चुनाव की बार बार मांग करते हैं कि चुनाव कराये जायं, लेकिन नहीं कराये जाते। यदि कहीं विरोधी दल जीत गया तो इस प्रकार की गल्तियें रख देंगे कि हाई कोर्ट के सामने मसला जायगा, लोगों को जनतंत्र के अधिकारों से वंचित किया जायगा, म्युनिसिपैलिटी में काम करने के लिये

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बैठने नहीं दिया जायगा। कोटा के बारे में हाई कोर्ट का फैसला हो गया, तीन-चार महीनों तक हम दौड़ते रहे कि अध्यक्ष का चुनाव करा दिया जाय, लेकिन कलेक्टर ने कहा कि हमने एस० डी० ओ० को नियुक्त कर दिया, उसके बाद ए० डी० एम० आता है। उसको कार्यक्रम बना कर दिया, तारीख बताई और कहा कि यह कानून है और ये नियम हैं चुनाव कराइये महाराज, तब चुनाव हुए। जब चेयरमैन के चुनाव का मौका आता है तब गवर्नमेन्ट की तरफ से ऊपर से दबाव आता है। मन्त्रीजी जो यहां बैठे हुए हैं वे वहां विद्यमान रहते हैं, उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हैं उनकी मर्जी के अनुसार चलते हैं। २५ तारीख को जिस दिन कोटा में पी० सी० सी० की मीटिंग होती है, सारे उच्च अधिकारी वहां मौजूद होते हैं और कलेक्टर को फोर्स करते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार सारा चुनाव स्टे होना चाहिये। तब उस व्यक्ति के पास उन्होंने चपरासी को भेजा, प्रातः ६ बजे जाकर उसने दरवाजा खटखटाया और सूचना दी कि नोमीनेशन फॉर्म नहीं भर सकते। २७ तारीख को नोमिनेशन फॉर्म भरना था, २६ तारीख को सूचना दी जाती है। सारे अधिकारी और मंत्री लोग वहां पर मौजूद थे और उनकी नाक के नीचे इस तरह की अवैधानिक कार्यवाही होती है और चुनाव रुकता है। जब कहते हैं कि चेयरमैन का चुनाव करवा दो तो कहते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला हो जाय। हाई कोर्ट के फैसले के लिये ७ तारीख पड़ी थी, शायद फैसला भी हुआ होगा। मैं बता रहा हूँ कि आज विरोधी दल वहां जीता हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : दो–चार बार नाम ले लीजिये, भैरोंसिंहजी को संतोष हो जायगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : जनसंघ वहां जीता हुआ है इसलिये वे नहीं चाहते कि चेयरमैन का चुनाव कराया जाय।

मैं इस आधार पर बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से चुनाव कराये जाते हैं, उनमें कितना खर्चा होता है और सरकारी अधिकारियों की जरा जरा सी गल्ती पर कितना समय बर्बाद करना पड़ता हैं इसलिये उनके विरुद्ध निश्चित कार्यवाही होनी चाहिये। जो लोग कानून को नहीं समझते हैं, कानून में बार बार संशोधन होता है उनको मुकर्रर करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की गल्तियां सरकारी अधिकारियों की हैं जो पहले ध्यान नहीं देकर चुनाव कराते हैं, जो बाद में रद्द होता है।

और फिर कानून में मर्यादा भी रखी हुई है कि ६ महीनों तक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होता है और इसी अवधि के बीच में चुनाव करा लेना चाहिये। लेकिन तीन–तीन साल तक चुनाव नहीं कराते हैं। इससे साफ नजर आता है कि सरकार प्रजातंत्र के आधार पर चुनाव नहीं कराना चाहती है और जो लोग सच्चे भाव से जन–सेवा करना चाहते हैं उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं देना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि वेलिडेटिंग विधेयक नहीं लाना चाहिये। सरकारी अधिकारियों की गल्ती हो तो उसका फल उनको भुगतना चाहिये न कि जनता को मैं चाहता हूँ कि इन सब बातों पर विचार

(श्री दयाकृष्ण विजय)

करने के लिये इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : The House agrees to extend the time up to 8. 30 P. M. ?

सभी माननीय सदस्य : Yes.

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, सदन में माननीय सदस्यों ने इस वेलिडेटिंग लेजिस्लेशन के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। दोनों माननीय सदस्यों की दलीलों को सुनकर मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। पाली से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं उस समय नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गये थे और उनको मालूम है कि किस हालत में वहां पर गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करना पड़ा है। १९५१ का म्यूनिसिपैलिटी एक्ट था, उसके अन्दर २०३ इस प्रकार की धारा थी, जिसके तहत अगर कोई बोर्ड इन्कॉम्पीटेन्ट हो जाय तो उसको सुपरसीड करके एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकती थी। दूसरा प्रोवीज़न था कि कोई इलेक्शन पिटीशन डी. जे. के यहां पेश हो और वहां से वह सेट असाइड हो जाय तो सरकार १९(ए) के तहत एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकती थी। उस समय के कानून के अन्दर रिलेवेन्ट सेक्शन्स ये, तीन थे जो सुपरसेशन या एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति से सम्बन्ध रखते थे। उस समय सबसे पहले सिचुएशन पैदा हुई, उसकी जानकारी सदन को देना आवश्यक समझता हूँ। जहां तक चुनाव करने का सम्बन्ध है और अपनी म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में लम्बे–चौड़े भाषण दिये गये, उनका सम्बन्ध इससे नहीं था, पर मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहता हूँ इस सदन के अन्दर कि पहले बोर्ड का चुनाव जो हुआ वह ३ या ४ अप्रेल को हो गया था, दूसरा बोर्ड जो काम कर रहा था उसका पीरियड ३–६–५९ को खत्म होने वाला था। सरकार ने प्रयत्न किया कि जो पहला बोर्ड काम कर रहा था उसका पीरियड खत्म हो; उसके पहले वहां नगरपालिका कॉन्स्टीट्यूट कर दी जाय, फ्रेश इलेक्शन पूरे हो जांय और ठीक तरह से नगरपालिका उस पीरियड में काम सम्भाल ले। पाली से आने वाले माननीय सदस्य इससे इन्कार नहीं करेंगे कि अध्यक्ष का चुनाव जहां ३. ६ को खत्म होने वाला था....

श्री मूलचन्द डागा : वहां पहले बोर्ड का एक्सटेन्शन किया गया, डेढ़ साल का एक्सटेन्शन पीरियड रखा गया........

श्री उपाध्यक्ष : You will resume the debate, please.

श्री सम्पतराम : वह एक्सटेन्शन भी किया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त नहीं किया गया, जो इलेक्टेड इन्स्टीट्यूशन थी उसको काम करने दिया गया। मेरा कहने का मतलब है कि उस समय की सरकार की बात कहते हैं और यह भी कहा कि माननीय मिनिस्टर कहेंगे कि उस समय के मिनिस्टर ने गलती की थी, मैंने नहीं की। मैं समझता हूँ उस समय के मिनिस्टर ने गलती नहीं की, वाजिब तरीके से काम किया। तीन तारीख को पीरियड खत्म हो रहा था उससे पहले इलेक्शन करवा दिये। इसके बाद हुआ क्या कि कुछ आदमी हाई कोर्ट में जाते हैं

(श्री सम्पतराम)

और हाई कोर्ट में जाकर एक वेक्यूम क्रियेट कर देते हैं। उसके बाद हमने इलेक्शन करा दिया, उसका मामला ठीक कर दिया। हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया और इलेक्शन नल एण्ड वाइड (null and void) कर दिये। इससे एक वेक्यूम क्रियेट हो गया। उस एक्ट में प्रोवीज़न नहीं था कि एलेक्शन करने के बाद हाई कोर्ट नल एन्ड वॉइड कर दें तो कौन से सेक्शन के तहत एक्शन स्टेट गवर्नमेंट को लेना चाहिये जिससे एडमिनिस्ट्रेटर ठीक तरह से काम कर सके, वहां सफाई हो सके, विकास के काम हो सकें; तो इस प्रकार की एमर्जेन्सी के लिए सरकार के पास कोई सेक्शन नहीं था। धारा २०३ के तहत, जब माननीय सदस्य चेअरमैन थे, उस बोर्ड को इनकॉम्पीटेन्ट करके एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। मैं आपको जानकारी के लिये कहना चाहूँगा कि यह एक्शन लेना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस सेक्शन के तहत जस्टीफाइड नहीं, लेकिन और कोई सैक्शन नहीं था, और वेकयूम क्रियेट नहीं कर सकते थे, इसलिये एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करना था....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : वह ठीक है, लेकिन वे इन्कॉम्पीटेन्ट कैसे डिक्लेअर कर दिये?

श्री सम्पतराम : सुनिये सुनिये....

श्री भैरोंसिंह : Irregularities...

श्री सम्पतराम : नहीं।

श्री भैरोंसिंह : Incompetent to work......

श्री सम्पतराम : नहीं। २०३ धारा है उसके आधार पर एक्शन लिया, क्योंकि वह बोर्ड अन्डर लॉ, रूल्स एण्ड रेगुलेशन के मुताबिक वहां काम नहीं कर सका, इसलिये इन्कॉम्पीटेन्ट हो गया, इसलिये इन्कॉम्पीटेन्ट डिक्लेअर करना वाजिब समझा गया। अब माननीय सदस्य की इन्कॉम्पीटेन्सी को दूर करने के लिये यह बिल, वेलीडेशन बिल लाया गया है, जिससे यह चार्ज नहीं रहे।

अब मैं चुनाव के सम्बन्ध में कहता हूँ कि ३१ अगस्त को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया, १७.१०.५६को नया एक्ट आ गया। अब इलेक्शन के लिये कहते हैं कि उसमें देरी हो गई। मान लीजिये कि इलेक्शन करा देते तो मैं समझता हूँ कि दो महीने में इलेक्शन सम्भव नहीं था। मैंने इसे वर्कआउट किया है, करीब चार महीने लगने की सम्भावना थी, चार महीने लगते। तो इसमें तीन–चार बातें हैं। पहले के ओल्ड एक्ट के तहत इलेक्शन नहीं करा सकते थे। अगर जल्दी कर देते तो वेलीडेशन एक्ट बनाना जरूरी था, जिस पीरियड में इन्कॉम्पीटेन्ट डिक्लेअर किया गया, उस समय जो टैक्स व रेट लिया गया है, जो एडिमिनिस्ट्रेटर ने लिया है, वह ठीक करना है, क्योंकि वह वेलीडेटेड अमाउन्ट नहीं है, उसका अधिकार नहीं लिया था। इस मामले में गवर्नमेंट एडवोकेट ने ऑब्ज़र्वेशन्स भेजे उसके तहत अमेंडमेंट लाये हैं एमर्जेन्सी को मीट करने के लिए। मैं समझता हूँ, पहले एक्ट में इस तरह का प्रोवीज़न नहीं था इसलिए इस वेलीडेशन एक्ट को लाया गया है।

Page No.166

(श्री सम्पतराम)

जहां तक चुनाव करवाने का प्रश्न है, वहां वार्ड बनाये गये, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन डिटर्मिन की गई, उनका रिज़र्वेशन डिक्लेअर किया, वार्ड्स डिक्लेअर किये, अब यह सब फाइनल हो गया है और मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि १५. ५. ६१ को इलेक्शन्स होंगे....

श्री मूलचन्द डागा : कब से !

श्री सम्पतराम : १५.५.६१ फिक्स कर दी है। यह न समझें कि हम कोई लम्बे पीरियड के लिये रखना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : This will do now. Shri Jagdish Prasad Mathur, are you withdrawing ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : No, Sir,

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें मेरा एक ही अमेंडमेंट है क्लॉज़ तीन में कि जो आप बाइलॉज़....

श्री भैरोंसिंह : अमेंडमेंट कहां है ?

श्री मूलचन्द डागा : हां !

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ २ में है।

श्री उपाध्यक्ष : Not moved.

श्री मूलचन्द डागा : उसमें यह है कि १६ (ए) में बाइलॉज बनाने के पॉवर्स, रूल्स बनाने के पॉवर्स एडमिनिस्ट्रेटर को देते हैं तो ठीक नहीं है क्योंकि बोर्ड को आप थोड़े दिनों के लिए सुपरसीड करते हैं, इसलिए जो जरूरी फंकशन्स हों वे ही दिये जायं, यह नहीं कि कानून बनाने, नियम बनाने की पॉवर्स भी दे दी जायं। जहां तक हो सके कानून व नियम बनाने की पॉवर्स को बोर्ड के लिए रखना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Minister please.

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट होता है उसके वे ही अधिकार होते हैं जो कि म्युनिसिपैलिटी के होते हैं। इसलिये अगर रूल्स-रेगुलेशन्श बनाने की बात हो तो वह बना सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : Whether withdrawing ?

श्री मूलचन्द डागा : Yes, Sir. I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मूलचन्द डागा ने रखा है, उसको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं विथ्ड्रॉ करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट क्लॉज़ २ में है....

श्री उपाध्यक्ष :It is taken as moved.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन मिनिस्टर, एल० एस० जी०, ने क्लॉज़ २ में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १, टाइटल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें। जो पक्ष में हों वे हां कहें, जो विपक्ष में हों वे ना कहें....

(संशोधन प्रस्तुत करने को श्री स्वायत्त शासन मंत्री के खड़े होने पर)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Now the question has been put and it has been passed, and now no amendment can be put.

श्री उपाध्यक्ष: It has not been put.

श्री पी० के० चौधरी : It has been put, and clause has been passed.

श्री उपाध्यक्ष: The point of order is not well-taken.

श्री सम्पतराम : In the long title substitute, 'Pali Municipality' for 'Municipal Bord, Pali'.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ में जो संशोधन मंत्री महोदय ने प्रस्तुत

(श्री उपाध्यक्ष)

किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पाली म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्टमेंट (वेलीडेशन) बिल, १९६१ को पारित किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट में अर्ज कर दूं ! इसके स्टेटमेंट ऑफ अब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइन्टमेंट को वेलिड करने के लिए बिल लाया गया है । माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि माननीय सदस्य की इनकॉम्पीटेन्सी को अवोइड करने के लिए बिल ला रहे हैं; इन दोनों में मतभेद है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूँगा....

श्री सम्पतराम : मैं क्लियर कर देता हूँ ....

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहूँगा कि विधान सभा के किसी सदस्य, जो किसी तरह इन्कॉम्पीटेन्ट नहीं हैं, या किसी व्यक्ति या ऑथोरिटी की इन्कॉम्पीटेन्सी को दूर करने के लिए इस प्रकार से बिल लाया जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि पाली म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्टमेंट (वेलीडेशन) बिल, १९६१ को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

(विराम)

अब सदन की कार्यवाही १३ मार्च १९६१ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के ८. ३० बजे, सोमवार, दिनांक १३ मार्च, १९६१ के मध्याह्न पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, ११ मार्च, १९६१)

स्कम्भ | स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १७९७

आयुर्वेदिक आसवारिष्टों पर आबकारी कर सम्बन्धी नीति।

गिरोलिया बांध, तहसील पाली।

मुन्सिफ व मजिस्ट्रेट भादरा के यहां विशिष्ट थानों के चालान ही पेश करने की व्यवस्था करना।

भीनमाल नगरपालिका की ग्राम से स्टेशन जाने वाली सड़क के दोनों ओर की जमीन पर अनाधिकृत कब्ज़ा।

अजमेर में एग्ज़ीबिशन हॉल के निर्माणार्थ टिम्बर की खरीद।

पाली नगरपालिका के क्षेत्र की काश्त को भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन।

सब-इन्सपेक्टर्स के रेन्ज से बाहर स्थानान्तरण किये जाने के नियम।

सदर अस्पताल, धौलपुर में अल्पकालीन कम्पाउन्डर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

म्युनिसिपल बोर्ड बांसवाड़ा के एकाउन्ट्स की ऑडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही।

पाली बांगड अस्पताल की निगरानी हेतु कमेटी के निर्माण की मांग।

लूणकरणसर के निवासियों के पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने हेतु योजना।

राजकीय जनाना अस्पताल, जयपुर का भवन।

ब्रह्मपुरी (जयपुर) में बत्ती लगाने की व्यवस्था करना।

पब्लिक पार्क्स की अवस्था सुधारने हेतु की जाने वाली कार्यवाही।

डाबला-कोटपुतली व कोटपुतली बहरोड सड़क।

बम्बई और इन्दौर नुमाइशों में

स्कम्भ स्कम्भ

निर्मित लकडी के दरवाजों का उपयोग ।

कोटपुतली–ब्रहरोड सड़क के निर्माणार्थ खड़ी खेती को नष्ट किया जाना ।

अपने ही जिलों में नियत सिंचाई विभाग के एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर्स ।

कोटपुतली–ब्रहरोड सड़क पर बुलडोजर का उपयोग ।

ऊदासर व सिंथल ग्रामों में बिजली लगाने हेतु कार्यवाही ।

सीकर जिले के पुलिस अधिकारियों द्वारा मनोरंजन कर देने से मनाही ।

पॉवर हाउसेज़ द्वारा दी जाने वाली बिजली की समान दरें नियत करने हेतु निर्मित समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही ।

नाडोल से निपल, घेनंडी, खिमाडा होती हुई देवली आउआ तक सड़क निर्माण की योजना ।

जयपुर शहर में पृथक सब्जी मंडी व अनाज मंडी के निर्माण की अपेक्षा ।

केनपुरा–रानी देसूरी सड़क ।

स्थगित प्रश्न

दिनांक २८ फरवरी, १९६१ का स्थागित प्रश्न संख्या १३५.

श्री गंगा थियेटर (बीकानेर) के बन्द होने के कारण ।

स्थगन प्रस्ताव १८६१

श्री बेनाराम गहलोत, सदस्य विधान सभा, के जिला पाली के बाली किले में दिनांक ६–३–१९६१ को दिन के १२ बजे विस्फोट हो जाने के कारण कतिपय व्यक्तियों के घायल होने तथा तीन बच्चों की मृत्यु होने से सम्बन्धित स्थगन–प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई ।

उपरोक्त विषय पर श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री द्वारा एक वक्तव्य भी दिया गया ।

विशेषाधिकार-प्रश्न १८६६

श्री पी० के० चौधरी, सदस्य विधान सभा, ने आय–व्ययक अनुमान, १९६१–६२, के जिल्द

२ एवं स्पष्टीकारक स्मृतिपत्र (मेमोरेन्डम) बजट के साथ प्रस्तुत न करने तथा उनकी प्रतियां राजकीय विभागों को सदन के समक्ष रखने से पूर्व उपलब्ध किये जाने से सम्बन्धित जिस विशेषाधिकार-प्रश्न की सूचना दी थी उसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई ।

विधायी कार्य–विचारार्थ लिये गये विधेयक

(१) राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९६१ १८७१

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, चिकित्सा मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार किया जाकर उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

(२) मोटर विहिकल्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६१ १८७५

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत किया गया जो वाद-विवाद के पश्चात् स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार किया जाकर उसे सदन द्वारा संशोधित रूप में पारित भी किया गया ।

(३) राजस्थान रिलीफ (साहाय्य) प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) विधेयक, १९६१ १९३८

श्री रिखबचन्द धारीवाल, उद्योग मन्त्री, के इस प्रस्ताव पर, कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये, डॉ० बहादुरसिंह ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने तथा श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने उसे एक प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये। उक्त दोनों संशोधन प्रस्ताव उद्योग मन्त्री के उत्तर के पश्चात् वापस ले लिये गये तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्डशः विचार के पश्चात्

विदेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(४) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६१ २०६२

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये, श्री पी० के० चौधरी ने इस आशय का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

कृषि मन्त्री के उत्तर के पश्चात् श्री पी० के० चौधरी ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(५) पाली नगरपालिका के प्रशासक की नियुक्ति (वैधकरण) विधेयक, १९६१ २११०

श्री सम्पतराम, स्वायत्त शासन मन्त्री, के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

स्वायत्त शासन मन्त्री के उत्तर के पश्चात् श्री जगदीशप्रसाद माथुर द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा संशोधित रूप में पारित भी किया गया।

सदन की बैठक रात्रि को ८ बज कर ३० मिनट पर सोमवार दिनांक १३ मार्च, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक लिए स्थगित की गई।

सोमवार दिनांक १३ मार्च, १९६१ की कार्य–सूची

आय व्ययक १९६१–६२ पर सामान्य वाद–विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४ का उत्तर देखिये)

प्रदर्शनी कार्यालय, अजमेर

लकड़ी (स्टेज) रंगमंच तथा छत के लिए मांगे गये टेन्डरों का पूर्ण ब्योरा जो दुकानदारों से आया

क्रम संख्या		सालगोल न से १५ फुट लम्बा लट्ठा	सागवान बिना गांठवाली १२×१०×५	चीड़ का लट्ठा १२×१०×५	आम के तकते १×१½ मोटे	सागवान १२×१०×५ ० ३½ लम्बी ६¾	चिराई व मजदूरी अलग
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	सोदं एण्ड संस नया बाजार, अजमेर	—	—	१०×१०×५ १२×१०×५ का २७ प्रति स्लीपर २४ प्रति स्लीपर १०×१०×५	—	—	३=) प्रति फुट १०० ।–) प्रति घनफुट ।≡) प्रति घनफुट

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८
	मे० शिवदयाल हरचन्द राय नया बाजार, अजमेर	१०)६० फुट	—	—	—	३$\frac{१}{२}$ ६–१३॥) ३$\frac{१}{२}$ ६–१३।)	।≥) की मजदूरी
२.	हरचन्दराव गोरधन दास टोडी नया बाजार, अजमेर	१७॥)		२६।।।) का १२×१०×५ २४) का १०×१०×५		०	३।) प्रति १०० फुट ।) प्रति मजदूरी ।≥) प्रति मजदूरी

उपरोक्त टेन्डरों के स्टेटमेंट को देखने पर नं० ३ के टेन्डर का रेट सबसे कम है। मेसर्स हरचन्द राय गोरधन दास टोडी अजमेर वाले को लकड़ी की आवश्यकतानुसार आज्ञा देने की स्वीकृति प्रदान करें।

ह० रमाकान्त द्विवेदी
२३–८–५७
प्रदर्शनी अधिकारी

This is only formal D. P, R. had already approved the lowest Quotation,

Sd- M. D. Jain

परिशिष्ट

COMPARATIVE STATEMENT SHOWING THE RATES QUOTED BY THE LOCAL DEALERS FOR THE SUPPLY OF CHEER WOOD SLEEPERS ON 19-2-59.

S. No.	Particulars.	M/s Gulab Chand Bhai Rav Narain Naya Bazar, Ajmer.	M/s Nathulal Rampal Vijaya-vargi, Naya Bazar, Ajmer.	M/s Sardar Gyansingh & Sons, Naya Bazar, Ajmer.	M/s Hiranand Parshuram Naya Bazar, Ajmer.	M/s Har Chand Rai Gordhan Das Tody, Naya Bazar, Ajmer.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cheerwood Sleeper. 12x10x 5" size.	Rs. 32.00 F.Q.	Rs. 30.00 F.Q. Rs. 28.00 S.Q.	Rs.30.00 F.Q. 29.00 F.Q. 28.00 T.Q.	Rs. 32.00 F.Q. Rs. 30.00 S.Q.	Rs. 30.00 F.Q. 29.00 S.Q.	1. The wood offer-ed by M/s Sardar Gian Singh is of superior quality than of M/s Har chand Rai -- Gor-dhan Das Tody, Nai Bazar Ajmer & M/s Nathu Lal Ram Pal, Naya Bazar, Ajmer.

परिशिष्ट

COMPERATIVE STATEMENT SHOWING THE RATES QUOTED BY THE LOCAL DEALERS FOR THE SUPPLY OF PLYWOOD ON 10-3-1959.

S. No.	Particulars.	M/s Hiranand Parasram, Naya Bazar, Ajmer.	M/s Nathu Lal Rampal Vijaivargi, Naya Bazar. Ajmer.	M/s Sardar Gian Singh & Sons, Naya Bazar, Ajmer.	Remarks.
1	2	3	4	5	6
1.	Plywood in 3'x 3', 6'x 3', 4'x 4' and 6'x 4' per sq. ft. of 3/3 m/m.	0·44 N. P.	0.44 N. P.	0.40. N. P. 4/4 m. m.	The order has been placed with M/s Sardar Gian Singh, & Sons, Naya Bazar, Ajmer.
2.	Ply Wood in 6'x 3' and 6'x 4' per sq. ft. of 4/4 m. m.	0.50. N. P.			

परिशिष्ट

COMPERATIVE STATEMENT SHOWINC THE RATES QUOTED BY THE LOCAL DEALERS FOR THE SUPPLY OF CHEERWOOD SLEEPERS ON 23-7-1959 CALLED (RATES) VIDE THIS OFFICE No. 1690 DATED 18th JULY, 1959.

S. No.	Particulars.	M/s Nathu Lal Rampal Naya Bazar, Ajmer.	M/s Harchand Rai Gordhan Das Naya Bazar, Ajmer.	M/s Rampratap Bhawar Lal Purani Mandi, Ajmer.	M/s Laxmi Timber Mart, Naya Bazar, Ajmer.	M/s Hiranand Parasram Naya Bazar. Ajmer.	M/s Sardar Gian Singh & Sons, Naya Bazar, Ajmer.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Chirwood sleeper in 12'x 10"x5" Size.	Rs. 32.00 N.P. - each	*Rs. 2[illegible].00 N.P. each.	—	Rs. 31.00 N.P. each.	Rs. 30.00 N.P.	Rs. 30.00 N.P.	

Note:—* 1. Firm demanded payment within a week's time.

2. The wood offered by M/s Sardar Gian Singh & Sons, Ajmer is of superior quality than of M/s Hiranand Parasram, Ajmer.

3. The order has been placed with M/s Sardar Gain Singh & Sons, Ajmer,

परिशिष्ट

COMPERATIVE SIATEMENT SHOWIMG THE RATES QUOTED BY THE LOCAL DEALERS FOR THE SUPPLY OF CHEERWOOD SLEEPERS ON 31st AUGUST 1959 RATES CALLED VIDE THIS OFFICE No. 1892-97 Dt. 17th August, 1959.

S. No.	Particulars.	M/s Rajasthan Timber Mart, Cinema Road Ajmer.	M/s Har Chand Rai Gordhan Das Todi, Nai Bazar, Ajmer.	M/s Hiranand Paras Ram Nai Bazar, Ajmer.	M/s Sardar Gian Singh & Sons, Ajmer.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cheer Sleeper in 12' x 10" x 5" Size.	Rs. 28. 00 F. Q. 26. 00 S. Q. T. Q. F. Q.	Rs. 30. 50 including sales Tax and labour charges (Rs. 28/14/- Appx).	Rs. 29. 00	Rs. 30. 00 F. Q. 29. 00 S. Q. 28. 00 T. Q. 29. 00 F. Q.	The order has been placed with M/s Rajasthan Timber Mart, Ajmer.

परिशिष्ट

COMPERATIVE STATEMENT SHOWING THE RATES QUOTED BY THE LOCAL DEALERS FOR THE SUPPLY OF HARD BOARD ON 7. 9. 59. CALLELD VIDE THIS OFFICE No. 1988-94 DATED 2ND SEPTEMBER, 1959.

S. No.	Particulars.	M/s Rajasthan Timber Cinema Road, Ajmer.	M/s Sardar Giansingh & Sons, Naya Bazar, Ajmer.	M/s Shyam Murari & Co, Cinema Road, Ajmer.	Remarks.
1	2	3	4	5	6
1.	Hard Board 8'x4' to 12'x 4' sizes.	Rs. 0. 68 N. P. Per Sq. ft.	Rs. 0. 72. N. P.	Rs. 0.72 N. P.	1. The order has been placed with M/s Rajasthan Timbar Mart, Ajmer.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७३ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING DETAILS OF EXPENDITURE INCURRED ON ACCOUNT OF ANNUAL MAINTENANCE OF ZENANA HOSPITAL, JAIPUR. FROM THE YEAR 1950 To 1960.

Year.	Expenditure	Sanctioned Amount.
1949-50.	Rs. 1581/-	Rs. 7,677/-
1950-51.	,, 7736/-	-do-
1951-52.	,, 7279/-	-do-
1952-53.	,, 4418/-	-do-
1953-54.	,, 4880/-	-do-
1954-55.	,, 3961/-	-do-
1955-56.	,, 4425/-	-do-
1956-57.	,, 3024/-	-do-
1957-58.	,, 7526/-	-do-
1958-59.	,, 9016/-	-do-
1959-60.	,, 9875/-	-do-
1960-61. (ending Dec.,60.)	,, 4654/-	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८० का उत्तर देखिये)

COPY OF LETTER NO. F. 2 (5) APPTTS (A)/58 DATFD 25th JUNE, 1958 FROM THE SPECIAL SECRFTARY TO GOVERNMENT TO ALL HEADS OF DEPARTMENTS.

Sub:—Ban on the posting of Gazetted Officers of certain Departments in their Home Districts.

Government have decided that the gazetted officers of the following cadres and categories should not be posted in their Home Districts:—

1. I.A.S.
2. I.P.S.
3. R.A.S.
4. R.P.S.
5. Treasury Officers.
6. District Agricultural Officers.
7. Assistant Registrars, Co-operative Societies.
8. District Industries Officers.
9. Executive Engineers, B & R and Irrigation.
10. Conservators of Forests.
11. Deputy Conservators of Forests.
12. Mining Engineers.
13. Assistant Mining Engineers.
14. Divisional Panchayat Officers.
15. Inspectors of Schools.

Tehsildars and Assistant Settlement Officers Grade II should not be posted in their home districts, but may not be posted outside their Home Divisions. Regarding Block Development Officers recruited from the R.A.S. or R.T.S., where a post is a combined one of Sub

Divisional Officer-cum-block Development Officer or Tehsildar-cum-Block Development Officer, the Officer should not be posted in his home district.

This ban will not apply to the following.

(a) Officers working on headquarter posts in the Secretaria Board of Revenue and Office of Heads of Departments.

(b) The staff of the following offices and institutions:-

(i) Agricultural Colleges.

(ii) Rajasthan Legislative Assembly.

(iii) Rajasthan Public Service Commission.

(iv) Any other institution or office of a Statewide nature.

This decision should be given effect to gradually so as not to bring about wholesale transfer of officers at present but by 31-12-59 no officer of the above categories should remain posted in his home district.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८३ का उत्तर देखिये)

REMARKS BY THE ASSISTANT COMMISSIONER, E&T., SIKAR.

Inspected at 7.15 P. M. and there were 11 persons sitting in the four boxes in the first show and the tickets were not issved to all of the eleven visitors.

SD/-DAN SIFGH
27.8.59

REMARKS BY THE S.H.O. KOTWALI, SIKAR.

I rang up that S.P'S. and Dy. S. P'S family is coming to see this show and I would have got the entertainments tax stamps (tickets) issued but I was delayed at Kotwali on some important work at Kotwali and arrived at the Cinema at 8.40 P. M.. got the tickets issued, but when informed by the Manager Sahib that Assistant Commissioner, Excise and Taxation had already checked this house. Hence the a bove remark.

SD/BENI PRASAD.
S.H.O. Kotwali Sikar.
27.8.59

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६३ का उत्तर देखिये)

कार्यालय नगरपालिका, भीनमाल
विवरण-पत्रिका

क्रमांक	नाम कब्जा दार	क्षेत्रफल	भूमि	मकान या बाडा विवरण
१	२	३	४	५
१.	श्री भूरा धरमा सेवग	३०००	वर्ग फुट	मकान तथा बाडा
२.	,, अलारख मिस्त्री	८५३६	वर्ग फुट	बाडा
३.	,, मालमसिंह वकील जिला प्रमुख	४६८३	,,	मकान व बाडा
३.	,, लूणसिंह ड्राइवर	२४००	,,	बाडा
५.	,, कालटैक्स, भीनमाल	७२००	,,	आफिस
६.	,, बर्माशल भीनमाल	१३६२४	,,	पैट्रोल पम्प
७.	,, अम्बालाल माली, मोटर ठेकेदार	६२००	,,	मकान व बाडा
८.	,. दाऊद खां करीम खां	६२००	,,	,,
६.	,, सेवग अम्बालाल जसराज	६८८०	,,	,,
१०.	,. लादूराम भमूता सेवग	७५००	,,	,,
११.	,, सेवग किशोरमल	५०००	,,	कूआ व बाड़ा
१२.	,, सेवग मनोहरमल	१६००	,,	,,
१३.	,, पठान नजीर हुसेन	७७००	,,	बाड़ा
१४.	,, पृथ्वीराज केशरीमल	१०००	,,	,,

१	२	३	४	५
१५.	,, वकील नारायणसिंह प्रधान पंचायत समिति भीनमाल	८०००	,,	मकान व बाडा
१६.	,, लूमा रूपसिंह	२५००	,,	बाड़ा
१७.	,, विश्नोई समता	७४५०	,,	कुआ
१८.	,, श्रीमाली हरभूलाल	१५६८२	,,	मकान व बाड़ा
१९.	,, वकील भवानी शंकर प्रधान पंचायत समिति जसवंतपुरा	८०००	,,	,,
२०.	,, मुहम्मद अली चुडीघर	२००००	,,	,,
२१.	,, कादर खां	६७३२	,,	बाडा
२२.	,, पूनमा खाती	५९१६	,,	,,
२३.	,, छोगा दर्जी	३०००	,,	,,
२४.	,, पारेश्वर श्रीमाली	६५८०	,,	बाडा
२५.	,, धोबी भबूता मगना	२९७५	,,	मकान तथा बाडा
२६.	,, उकचन्द ताराजी	७५००	,,	,,
२७.	,, खाती गोदा भगू	५०००	,,	कुआ व बाडा
२८.	,, मानसिंह दौलसिंह	१९५०	,,	,,
२९.	,, मिश्रीमल कानूगा	२१००	,,	मकान व बाडा
३०.	,, उकचन्द ताराजी	१०५०	,,	,,
३१.	,, भगवाना नाई	४९८४	,,	मकान व बाडा
३२.	,, भीमा रतना	१७५०	,,	,,
३३.	,, हजारीमल सेवग	१७५०	,,	,,
३४.	,, मिसरीमल वोटीं	४७५७	,,	,,

१	२	३	४	५
३५.	,, औड रगा खचला	१७६७	,,	बाडा
३६.	,, भंवरलाल शिवराज	४६२०	,,	चक्की व मकान
३७.	,, गनीखां छोगेखां	५७६६	,,	मकान व बाडा
३८.	,, भूरासिंह नारसिंह	३२००	,,	कूआ व बाडा
३९.	,, हेमसिंह सूरसिंह	६०००	,,	,,
४०.	,, तगसिंह मेगसिंह	६५००	,,	,,
४१.	,, घूरसिंह कीरूसकम उदसिंह मालसिंह	१८१३०	,,	मकान कूआ व बाडा
४२.	,, तेजसिंह वीरसिंह राजपूत	१२५००	,,	,,
४३.	,, गोपी दौला दर्जी	६२५६	,,	बाडा
		१,८२८,३१		
		४५,७०८ वर्ग गज		

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, ११ मार्च, १९६१)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१७६७	६	वित-म वि	विद्युत-विभाग
१७६८	५	प्रात हुए	प्राप्त हुए
१७६९	शीर्षक	१९९९	१७९९
१८०२	१२	जयपुर	जयपुर)
१८०४	३	एडवटाइज़मेंट	एडवर्टाइज़मेंट
१८०७	शीर्ष	(श्री बद्रीप्रसाद मुता)	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
१८१४	१८	आ ज़	आईज़
१८१६	अन्तिम से २	उनहोंने	उन्होंने
१८२३	१६	रजिस्ट्र	रजिस्टर
१८२६	१८	मोहिल्ल	मोहिल
१८४५	१	श्री मुरलीधर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
१८४६	शीर्षक	१७४६	१८४६
,,	३	प्र वष्ट न ह	प्रविष्ट न हों
,,	७	बिना	बिना टिकट
१८५३	१२	स्वयत्त	स्वायत्त
१८५४	४	श्री लादराम	श्री लादूराम
१८६१	शीर्षक	स्थगन-प्रस्ताव	स्थगित प्रश्न
१८६२	,,	१९६२	१८६२
१८६३	शीर्षक	राजस्थान पंचायत	बाली किले में विस्फोट
१८६५	शीर्षक	बाली जिले में	बाली किले में
१८६८	८	ऐसा कोई	ऐसी कोई
१८७१	७	निर्यत्रण) सशोधन	नियंत्रण) संशोधन
१८७३	शीर्षक	बेदखल	बेदखली
१८७५	१६	श: वचार	(खण्डश: विचार
१८७८	६	a as the	as the
१८७९	शीर्षक	विहिकब्स	विहिकल्स
१८८०	२०	schem	scheme
१८८४	१५	के	का

(२)

१	२	३	४
१८८५–८६	शीर्षक	११ माच	११ मार्च
१८८७	५	परिमिट	पर्मिट
१८८६	१३	कानूनों	कानून
१८६३	६	अपन गाड़ियां	अपनी गाड़ियां
१८६६ व १६०३	३१–३३	ला डिपार्मेंट के जिसने	लॉ डिपार्टमेंट के, जिन्होंने
१८६६	शीर्षक	१० मार्च	११ मार्च
१६००	२२	qourum	quorum
१६०३	शीर्ष	पंवांर	पंवार
१६०८	२	सकता कि है	सकता है कि
१६११	१६	ऑफिशियला	ऑफिशियल
१६१५	२२	पर्मिट्स	पर्मिट्स
१६१६	२०	of Ra uling	of a Ruling
१६२४	७	एब्डोर्व	एब्ज़ॉर्ब
,,	२०	ऑफिसियल्स	ऑफिशियल्स
१६२५ व १६२६ व १६२७	शीर्षक	विहिकिल्स	विहिकल्स
१६२७	प्रथम	क्लॉज़ संशोधित	क्लॉज़ ४, संशोधित
१६२८	१६	क्लॉज २ स्वीकार विधेयक में	क्लॉज़ २ विधेयक में
१६२६	६	तात्हर्य यह	तात्पर्य यह
१६५०	८	घोसित कर	घोषित कर
१६५२	२८	the Centrol	the Central
,,	३०	of con tral	of Control
१६५३	५	labour r	labour
,,	६	I believes all these point,	I believe all these point
१६६४	२	gvie am	give
१६६५	२६	पिघेयक के	विधेयक के
१६६६	२३	है। जिनमें	है जिनमें
१६७३	१८	डिस्पूट एक्ट्स	डिस्प्यूट्स एक्ट
१६७५	१८	labor	labour
१६७७	अन्तिम से ३	केपिस्टलिस्टस	केपिटलिस्ट्स

१	२	३	४
१६८२	२१	(work lohd)	(work load)
१६६६	शीर्ष	(श्री ज्वालाप्रसाद माथुर)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
२०१०	१६	आप हम	आप
२०११	शीर्ष	श्री मूलचन्त डागा	श्री मूलचन्द डागा
२०१६	८	(सरदाहशहर)	(सरदारशहर)
२०२१	१६	अन्डटेरकिंग्स	अन्डर्टेकिंग्स
२०२७	६	इन इस पूंजीपतियों	इन पूंजीपतियों
,,	अन्तिम से ६	केपिलिस्ट्स	केपिटलिस्ट्स
२०३०	,, ,, ४	का सरकार	सरकार का
२०३२	शीर्षक	३०३२	२०३२
,,	७	सड़ाध	सड़ांध
२०४०	८	इनका विरोध	इसका विरोध
२०४४	३	उनको पनपा	उनको पनपाना
,,	२०	उन मिलां का	उनका
२०४६	२४–२५	सकें। अपनी....सके हैं	सकें, अपनी ....सके।
२०५१	२५–२७	रहता हैं। उनके ऊपर जहां तक मालिक का रहता है। उसके	रहता है। उसके
२०५२	शीर्ष	३०५२	२०५२
,,	प्रथम	करते हैं।	करते रहते हैं।
२०५३	शीर्ष	(श्री हरदेव	(श्री हरिदेव
२०६०	७	(श्री माधोपुर)	(श्री माधोपुर)
२०६३	अन्तिम से४	चालना चाहता मैं।	चलाना चाहता। मैं
,,	अन्तिम	जो बातें	जो जो बातें
२०६५	,,	रंड़िये क्या	पढ़िये, क्या
२०६६	२०	अण्डटेरकिंग्स	अन्डर्टेकिंग्स
२०७०	४	pinches,	pinches'
,,	२७	करके के	करने के
२०७७	अन्तिम से४	क्या है ! पोइन्ट	क्या है पोइन्ट
२०७६	अन्तिम	Concliation	Conciliation
२०८०	१३	Ican	I can
,,	२६	proccedings	proceedings
२०८३	शीर्ष	धारीवाल	धारीवाल

१	२	३	४
२०८४	२	secre-tari at	Secretariat
,,	७	informtation	information
२०८८	२०	चाधरी	चौधरी
२०९६	२०	क्या किये ?	क्या किया ?
२१००	अन्तिम से ३	any ather	any other
२१०१	२४	वर्ंडिस किसी	वर्डिग्स किसी
२१११	अन्तिम से २	सुपर्द कर	सुपुर्द कर
२११३	६	जरिये (प्रशाशक	जरिये प्रशासक
२१२२	११	पड़ता हैं	पड़ता है
२१२३	अन्तिमसे२-१	म्युनिसिपैलिज़टी	म्युनिसिपैलिटीज़
२१३०	,, ,, ३	Bord, pali'	Board, pali'
२१४१	कॉलम ६	के तक्ते	के तख्ते
२१५०	५	Secretaria	Secretariat
२१५१	५	issyed to	issued to
२१५२	१५	बर्मा शल भीनमाल	बर्मा शैल, भीनमाल

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
विषय सूची	२	१६६१	१८६१
१८१३	१०	गुता	गुप्ता
१९२९	शीर्षक	विहिविल्स	विहिकल्स
१९५९ व १९९७	शीर्षक	द्दाह्यय	साहाय्य
२००४	शीर्षक	यिशेष	विशेष
२००७	शीर्ष	ध्यास	व्यास
२०२१ से २०३५, २०५३, २०५५ व २०५९	शीर्षक	सहाय्य	साहाय्य
२०४४	शीर्षक	वशेष	(विशेष
शुद्धि-पत्र पेज १	कॉलम ३ पंक्ति १	वित-द्यु विभाग	विद्युत-विभाग